CPNM - 01

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक/ सदस्य

संयोजक
डॉ. लीला राम गुर्जर
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

समन्वयक
प्रो. पी.सी. माथुर
परामर्शदाता
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

- **प्रो.(डॉ.)एम.के. घडोलिया**
  निदेशक(संकाय)
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा**
  भूतपूर्व ओ.एस.डी. नरेगा
  राजस्थान सरकार, जयपुर
- **श्री बी.एस.प्रधान**
  प्रोफेसर, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान
  जयपुर
- **श्री कैलाश भार्गव**
  परामर्शदाता
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **श्री भागीरथी शर्मा**
  आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त)
  जयपुर

सम्पादक

श्री लीला राम गुर्जर
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ लेखक	इकाई संख्या	पाठ लेखक	इकाई संख्या
प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	1	**श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा** भूतपूर्व ओ.एस.डी. नरेगा राजस्थान सरकार, जयपुर	7,12
प्रो.(डॉ.) राधाकृष्णन भारतीय गांधी परिषद त्रिवेन्द्रम	2	**श्रीमती सरोज भार्गव** सचिव, चम्बल सोसाईटी फॉर डवलपमेंट सर्विसेज कोटा	8,9
श्री भागीरथी शर्मा आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त) जयपुर	3,4	**श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव** आई.ई.सी. समन्वयक **जिला परिषद, कोटा**	10
प्रो.(डॉ.)एम.के. घडोलिया निदेशक(संकाय) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	5,6	**श्री हनुमान सहाय गुर्जर** तहसीलदार, रामगंजमण्डी कोटा	11,13

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच	प्रो. (डॉ.)एम.के. घडोलिया	योगेन्द्र गोयल
कुलपति	निदेशक	प्रभारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	**संकाय विभाग**	**पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग**
	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	**वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन : दिसम्बर, 2010 ISBN-13/978-81-8496-242-0

सर्वाधिकार सुरक्षित : इस सामग्री के किसी भी अंश की वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में 'मिमियाग्राफी'(चक्रमुद्रण) के द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के लिए कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

महात्मा गाँधी नरेगा नियम

विषय सूची

इकाई संख्या	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
इकाई- 01	महात्मा गाँधी	6–20
इकाई- 02	रचनात्मक कार्यक्रम	21–39
इकाई- 03	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	40–46
इकाई- 04	पंचायत राज व्यवस्था	47–56
इकाई- 05	भारत मे रोजगार योजनाएँ	57–72
इकाई- 06	रोजगार योजनाओं के उद्देश्य	73–82
इकाई- 07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 : विशेषतायें	83–96
इकाई- 08	राज्य स्तरीय मशीनरी- नरेगा परिषद	97–109
इकाई- 09	राज्य स्तरीय मशीनरी- राज्य कार्यक्रम समन्वयक	110–124
इकाई- 10	जिला स्तरीय मशीनरी- जिला कार्यक्रम समन्वयक	125–148
इकाई- 11	पंचायत समिति स्तरीय मशीनरी : कार्यक्रम अधिकारी	149–165
इकाई- 12	नरेगा एवं सरपंच	166–178
इकाई- 13	सामाजिक अंकेक्षण	179–196

इकाई - 1

महात्मा गांधी

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 जीवन परिचय

1.3 गाँधी चिन्तन पर प्रभाव

1.3.1 पूर्वी प्रभाव

1.3.2 पश्चिमी प्रभाव

1.4 दार्शनिक विचार

1.5 सत्याग्रह

1.6 आर्थिक विचार

1.7 राजनीतिक विचार

1.8 महात्मा गाँधी का चिन्तन में योगदान

1.9 सारांश

1.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ सकते है:

- महात्मा गाँधी के जीवन के बारे में।
- महात्मा गाँधी का महान चिन्तन क्या था।
- महात्मा गाँधी के चिन्तन की विशेषतायें।
- महात्मा गाँधी के चिन्तन की प्रमुख अवधारणाओं को।
- महात्मा गाँधी का योगदान।

1.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी को एक चिन्तक के रूप में प्रस्तुत करने में सबसे बडी बाधा यह आती है कि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके चिन्तन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उनका कथन ''मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है'' उनको चिन्तक के रूप में जानने में बाधक है। जैसे कि अलबर्ट आईस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढियाँ यह विश्वास नहीं करेगी कि गाँधी जैसा एक हाड़ मांस का मानव पृथ्वी पर रहता था। महात्मा गाँधी की तुलना इतिहास बदलने वाले व्यक्तियों में की जाती है। उन्हें बुद्ध और ईसा जैसे व्यक्तित्व के समान वर्ग में रखा जाता है। इतने महान व्यक्तित्व के धनी होने के कारण तथा समय के सन्दर्भ में हमसे इतने नजदीक होने के कारण उनको बहुत वर्षों तक एक विचारक के

रूप में महत्त्व नहीं दिया गया। 21 वीं शताब्दी के आरम्भ में आज उनको विकास की एक वैकल्पिक व्यवस्था के जनक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के सभी समाजिक वैज्ञानिकों को जब भी पूँजीवादी, भौतिकतावादी व इन्द्रियजन्य विकास की अवधारणा के विकल्प की आवश्यकता होती है, महात्मा गाँधी को याद किया जाता हैं। विश्व में धर्म की स्थापना करने वालों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति पर इतना अधिक नहीं लिखा गया है और न ही किसी भी व्यक्ति की इतनी अधिक और विपरीत व्यक्तित्व वाले महान लोगों से इनकी तुलना की गई है। महात्मा गाँधी की तुलना बुद्ध, सन्त फ्रांसिस, ऐमरसन, लिंकन, सनयातसेन रूसो, थोरो, मार्क्स और टाल्सटॉय जैसे व्यक्तियों से की गई है।

उनका व्यक्तित्व भी बहु आयामी था। दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला भारत के जन आन्दोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाला, सामाजिक बुराइयों, अस्पृश्यता के विरूद्ध युद्ध करने वाला, प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ भोजन का प्रयोग करने वाला, समाज सुधारक, महिलाओं को समान दर्जा दिलाने वाला, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला, बुद्धिमान प्रचारक, कुशल पेम्फलेटर, हजारों व्यक्तियों को नैतिक निर्देशन देने वाला तथा आश्रम और सामुदायिक जीवन की स्थापना करने वाला और एक संत के रूप में पहचाना जाने वाला व्यक्तित्व महात्मा गाँधी का था। उनके द्वारा लिखे गये लेखन की विस्तृतता इतनी अधिक है कि उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना असंभव है। उनके द्वारा अपने जीवन में डेढ़ करोड़ शब्द लिखे गये जिनका 100 ग्रन्थों में संकलन किया गया है। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर अपने विचार प्रस्तुत किये है। 1933 में उन्होंने लिखा कि मैने जो कुछ लिखा है उसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का समावेश करना आवश्यक है। जिन बातों में उनके सिद्धान्तों का समावेश नहीं होता है, उन बातों को त्याग देना चाहिये। उन्होंने अपने चिन्तन के विकासात्मक पहलुओं पर जोर दिया। 1939 में उन्होंने लिखा कि लिखते समय यह कभी नहीं सोचता हूँ कि इस विषय पर पहले क्या लिखा? मेरा उद्देश्य अपने पहले लिखे गये वक्तव्य के प्रति समानता बनाये रखना नहीं है, अपितु सत्य के प्रति प्रतिबद्धता बनाये रखना है। उन्होंने अपने चिन्तन में कई अवधारणाओं को जन्म दिया है और पुरानी अवधारणाओं को नये ढंग से प्रस्तुत कर स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह, सर्वोदय इत्यादि अवधारणाओं को संशोधित किया और लोकप्रिय बनाया। इतना लिखने के पीछे उनका कारण विस्तृत पठन की प्रवृति थी। 1923 में यर्वदा जेल में 55 वर्ष की आयु में उन्हों ने एक साल में 150 पुस्तकों का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने महाभारत, भारतीय दर्शन के सभी छः सम्प्रदायों, मनुस्मृति, उपनिषद, गीता की सभी टीकाऐं, विलियम जेम्स, एच.जी. वेल्स,

रूडयार्ड, किपलिंग जैसे लेखकों की रचनायें पढ़ी थी। 1944 में कार्लमार्क्स के दास कैपिटल का अध्ययन किया और यह टिप्पणी की कि मैं यह नहीं जानता कि मार्क्सवाद सही है या नहीं है? लेकिन जब तक गरीब का शोषण होता रहेगा उनके लिए कुछ करना चाहिए।

आज विश्व में भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा कारण महात्मा गाँधी हैं। महात्मा गाँधी द्वारा किये गये कार्यो और उनके द्वारा बताये गये सिद्धान्तों का अनुसरण सारे विश्व में होता है और भारत के नागरिक होने के कारण हमें उनके कार्यो और विचारों के सही परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिये।

1.2 जीवन परिचय

महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1889 को गुजरात प्रांत के पोरबन्दर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गाँधी ने 4 शादियां की थी और 3 पत्नियों की मृत्यु के पश्चात् चौथी पत्नी पुतली बाई से उन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री हुए। करमचंद गाँधी की पहली पत्नी के भी 2 पुत्रियां थी। उनके 3 पुत्रों में सबसे बड़े लक्ष्मीदास, दूसरे कृष्णदास और तीसरे मोहनदास थे। तीसरे और सबसे छोटे पुत्र मोहनदास ही महात्मा बने। गाँधीजी जाति से बनिया थे तथा जूनागढ राज्य के कुटियाना जगह से सम्बन्धित थे। गाँधीजी के पड़दादा हरजीवन गाँधी ने 1777, में पोरबन्दर में एक मकान खरीदा और व्यापारी के रूप में वे वहाँ स्थापित हुए हरजीवन गाँधी के पुत्र उत्तमचंद महात्मा गाँधी के दादा पोरबन्दर के शासक राणा सिंह जी के दीवान नियुक्त हुए। 1847 में उत्तमचंद इस राज्य के 28 वर्ष तक दीवान बने रहे। करमचंद गाँधी की शिक्षा बहुत कम हुई थी, लेकिन उन्हें राज्य के कार्यो और व्यक्तियों का पर्याप्त अनुभव था। उनकी ख्याति एक ईमानदार, प्रतिबद्ध, सक्षम एवं आज्ञाकारी प्रशासक के रूप में थी। महात्मा गाँधी की माता पुतली बाई एक धार्मिक एवं मजबूत महिला थी। वे अनेक व्रतों और उपवासों से मजबूत बनी थी तथा वे आंतरिक रूप से सशक्त महिला थी। महात्मा गाँधी ने माना कि उनके जीवन के व्यक्तित्व में जो कुछ शुद्धता है वह उनकी माता की देन है। महात्मा गाँधी ने 8 वर्ष की उस में पढ़ाई आरम्भ की और राजकोट के तालिका स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा के आरम्भिक दिनो में वे एक भीरु बच्चे थे। अन्य बच्चों से दोस्ती करने की अपेक्षा स्वयं तक सीमित रहते थे। वे प्रकृति से झूठ व फरेब से परे थे। 1887 में महात्मा गाँधी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उनको परिवार के मित्र माउजी दबे ने यह सुझाव दिया कि उन्हें कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड जाना चाहिए ताकि वे बेरिस्टर बन सके और वापसी में अपने पिता का स्थान ले सके।

4 सितम्बर, 1888 को वे पानी के जहाज से इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गये। 3 वर्ष तक उन्होंने इंग्लैण्ड में रहकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और पुन: भारत लौट आये। उन्हों ने भारत में वकालत करने की कोशिश की, लेकिन वे अधिक सफल न हुए। उनमें सार्वजनिक भाषण पैने की कला का अभाव था और वे न्यायालय के जज के समक्ष अपने तर्को को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का न्योता मिला। दक्षिण अफ्रीका में एक मुस्लिम भारतीय व्यापारी अब्दुला ने उन्हें अपना मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मई 1893 में महात्मा गाँधी डरबन में पहुँचे। वहाँ एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा और इस रंगभेद की नीति को उन्होंने बाद में कई स्थानों पर एक भयावह रूप में देखा। धीरे-धीरे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद नीतियों के विरूद्ध बढ़ती जन चेतना को संगठित रूप प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गाँधी 1915 तक रहे और इस बीच उन्होंने न केवल अपनी राजनीति को विकसित किया अपितु राजनीतिक संगठन बनाया, राजनीतिक विरोध के स्वरूप का निर्धारण किया तथा राजनीतिक विरोध को जनता और विश्व के कोने-कोने तक फैलाने के सफल प्रयास का तरीका सीख लिया। राजनीति में सफल होने के बावजूद उन्होंने स्वयं के साथ प्रयोग करना नहीं छोड़ा। इसे उन्होंने "सत्य के साथ प्रयोग" नाम दिया। यह 1925 में उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक भी था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान हड़तालें की, अहिंसात्मक संघर्ष किया, कई अखबार निकाले, आश्रमों की स्थापना की और एक पेम्फलेटर के रूप में ख्याति प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने अपनी

दार्शनिक सोच को पहली बार एक पुस्तक "जिद स्वराज्य", में प्रस्तुत किया। महात्मा गाँधी ने 1909 में इस पुस्तक को लिखा। यह पुस्तक 20 छोटे-छोटे अध्यायों में विभक्त है। 11 अध्यायों में उस समय के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणियाँ है, बाकी में दार्शनिक प्रश्नों पर टिप्पणियां है। यह पुस्तक इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर 13 से 22 नवम्बर, 1909 में दस दिनों के भीतर गुजराती भाषा में लिखी गयी। आज इस पुस्तक को आधुनिकता की प्रमुख आलोचना की पुस्तक के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

1915 में भारत लौटने के पश्चात् महात्मा गाँधी ने 1947 तक भारतीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 से 1947 तक का समय गाँधी युग के रूप में जाना जाता है। भारत आने के पश्चात् गांधीजी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर एक वर्ष तक भारत का दौरा किया जिससे कि वह भारत के आम आदमियों की सभी समस्याओं को जान सके और भारतीय समाज के बारे में समझ सके। भारत में आने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्ता के विरोध का एक नया और सफल हथियार "सत्याग्रह" खोज लिया था। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। भारत में महात्मा गाँधी ने कई आन्दोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया। इसमें सबसे पहला बड़ा आन्दोलन 1917 में चम्पारण में हुआ। उसके पश्चात् 1919 का खिलाफत आन्दोलन, 1920 का असहयोग आन्दोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह आन्दोलन एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन, 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन आदि प्रमुख हैं। महात्मा गाँधी द्वारा भारत में किये गये इन आन्दोलनों के विस्तार में न जाते हुए हम यह कह सकते है कि कुछ प्रवृत्तियाँ इन आन्दोलनों को विशिष्टता प्रदान करती है।

(1) महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की राजनीतिक चेतना को सकारात्मक रूप से जानने व संगठित करने का अभूतपूर्व कार्य किया।

(2) इन आन्दोलनों के माध्यम से राजनीति से आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी के बजाय हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग, खादी का प्रचलन, महिलाओं को आन्दोलन से जोड़ना, भारतीय पूँजीपतियों का सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय जगत को निरन्तर अखबारों के माध्यम से अपने कार्यो से प्रभावित किया।

(3) राष्ट्रीय आन्दोलन के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कांग्रेस को जनतांत्रिक संगठन बनाया और कांग्रेस की सदस्यता के लिए बनाये गये नियमों का निरूपण किया जो आज भी दल का सदस्य बनाने के लिए आवश्यक नियम माने जाते है।

(4) इन आन्दोलनों में नेतृत्व देने की एक नई शैली विकसित की जिसमें नेतृत्व और सामान्य जनता के भेद को समाप्त किया। वे मेक्स वेबर के करिश्माई नेतृत्व का जीता जागता उदाहरण हैं।

1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय देश के बँटवारे के कारण साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी के जश्न में डूबा था। महात्मा गाँधी आजादी का जश्न न मनाकर बंगाल में नोआखली साम्प्रदायिक दंगे रोकने में लगे हुए थे। 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनका जीवन एक संत का जीवन था और उनका यह कहना सही था कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। उनके कई वक्तव्य दुनिया भर में बार-बार उद्धृत किये जाते हैं जैसे किसी भी नीतिगत निर्णय करने के बारे में भ्रम पैदा हो रहा हो तो उसका एकमात्र तरीका मापदण्ड यह है कि वह निर्णय

लेने से पूर्व अपनी आँखें बंद कर के सोचे कि क्या इस निर्णय से किसी गरीब की आँख का एक आँसू पूछ जाएगा? अगर ऐसा है तो वह निर्णय सही है। इसी प्रकार आज पर्यावरण की रक्षा के बारे में चिन्तित लोगों के बारे में उनका मंत्र था कि पृथ्वी के पास सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूर्ण करने का इसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए विकास की यात्रा का आधार मनुष्य की आवश्यकता होनी चाहिए, लालच नहीं।

1.3 गाँधी चिन्तन पर प्रभाव

महात्मा गाँधी ने अपना बचपन भारत में बिताया तथा वे वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड गये थे। उनका कार्यक्षेत्र 20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका रहा। 1915 में भारत लौटने के पश्चात् अपनी मृत्यु तक वे भारत में रहे और भारत की आजादी के लिए काम करते रहे। अपने जीवन में उन्होंने कई नये अनुभव- प्राप्त किये और उनमें अनुभवों से सीखने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने किसी भी अनुभव को न सीखने के योग्य नहीं माना। उन्होंने न केवल अपने जीवन के अनुभवों से जो कुछ सीखा उसे अपने विचारों में ढाल दिया, अपितु उसे जीवन में भी उतारने की कोशिश की। कर्म और चिन्तन के इस सटीक सम्मिश्रण से उनका चिन्तन अनुभव जन्य और आदर्शवादी सिद्ध हुआ। अपने बचपन में उन्होंने किसी भी सामान्य हिन्दू परिवार के बच्चों की तरह राम, कृष्ण, महाभारत एवं पुराणों की कथाएं सुनी। भारतीय संस्कृतियों के मूल्यों से ओतप्रोत इन कथाओं ने उन्हें प्रेरणा दी। बचपन का प्रभाव था कि वे उस भर राम को अपना आदर्श मानते थे और उसे उन्होंने राम नाम को एक अद्भुत आंतरिक शक्ति प्रदान करने वाला प्रकाश पुंज माना।

उनका परिवार एक वैष्णव परिवार था। इसलिए भक्ति और संतों का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। जिसमें नरसिंह मेहता का सुप्रिय भजन,''वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे'' उनका सर्वाधिक प्रिय था। महात्मा गाँधी अपनी युवावस्था में जैन धर्म से भी काफी प्रभावित हुए और इंग्लैण्ड जाने पर उन्हों ने ईसाई धर्म को भी समझने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके यहूदी और अंग्रेज मित्र भी बने उनका तथा वहाँ मुस्लिम मित्रों ने भी उनका साथ निभाया। इस प्रकार वे अनेक धर्मों व संस्कृति के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आये और उनसे कुछ न कुछ बात ग्रहण की।

उनके चिन्तन पर पड़ने वाले प्रभावों को दो भागों में विभक्त कर सकते है - पूर्वी प्रभाव तथा पश्चिमी प्रभाव।

1.3.1.1 पूर्वी प्रभाव

1. **पूर्वी धार्मिक प्रभाव :-** महात्मा गाँधी के जीवन पर हिन्दू धर्म जिसमें विशेष रूप से वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा। उन्होंने सारी उस स्वयं को एक हिन्दू मानने पर बल दिया। उनका कहना था कि एक अच्छा हिन्दू ही एक अच्छा मुस्लिम और अच्छा ईसाई हो सकता है और अच्छा धार्मिक व्यक्ति बन सकता है।

   हिन्दू धर्म में भक्त परम्परा को उन्होंने सबसे अधिक महत्त्व दिया और उसका प्रभाव उन पर यह था कि उन्हों ने अपना व्यवहार भी बनाए रखा और स्वयं अहंकार पर नियन्त्रण रखा। हिन्दू धर्म के अलावा जैन धर्म उनके जीवन मे बहुत महत्त्वपूर्ण था। अहिंसा का सबसे अधिक महत्त्व जैन धर्म में ही है। महात्मा गाँधी ने धर्म के अलावा जीवन के सभी पहलुओं में अहिंसा को महत्त्व दिया है। महात्मा गाँधी के योगदान का विशेष महत्त्व अहिंसा को राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग करना

था। गाँधी का धर्म नैतिकता से पूर्ण था। उनका अहिंसा के प्रति लगाव जीवन के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता था। गाँधी जी इस्लाम के समानता के सिद्धान्त से ही प्रभावित थे। वे एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गये थे।

2. **पूर्वी गैर धार्मिक प्रभाव** :- महात्मा गाँधी अपने समय के कई व्यक्तियों के कार्यो एवं चिन्तन से प्रभावित थे। जिसमें प्रमुखत: गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरू माना। महात्मा गाँधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तरह अंग्रेजी कानून का अध्ययन किया और उसमें विशिष्टता प्राप्त की। गोपाल कृष्ण गोखले की तरह उन्होंने माना कि समस्याओं का समाधान जहाँ तक हो सके संवैधानिक तरीकों से किया जाना चाहिए और यदि शासन का विरोध प्रकट करना हो तो संवैधानिक तरीकों से विरोध करने चाहिए जैसे ज्ञापन आदि प्रस्तुत करना, सार्वजनिक सुझाव तथा अखबारों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना इत्यादि शामिल है। इन सभी तरीकों के माध्यम से सरकार से, अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा आन्दोलन करने से पूर्व सभी प्रकार के संवैधानिक प्रयास करने चाहिये। महात्मा गाँधी कानून तोड़ने और आन्दोलन करने के बावजूद हमेशा मानते थे कि विरोधी पक्ष से बातचीत करने के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। महात्मा गाँधी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित थे किन्तु वे गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ कदम आगे थे। उन पर उग्रवादी प्रभाव भी पड़ा। वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून भंग करने को भी तैयार थे। तिलक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया स्वदेशी तथा स्वराज के नारों को आत्मसात् कर उन्होंने अपने आन्दोलन को सार्थक, बनाया। उन्होंने माना कि तिलक द्वारा राजनीति को एक जन आन्दोलन बनाने को सर्व व्यापकता प्रदान की। इस कारण तिलक की मृत्यु के पश्चात् गाँधी भारत में जन आन्दोलन के प्रतीक बन गए।

1.3.2 पश्चिमी प्रभाव

1. **पश्चिमी धार्मिक प्रभाव :-** 1888 में इंग्लैंड जाने पर महात्मा गाँधी अंग्रेजी सभ्यता के नजदीक आये और प्रारंभ में उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता के नजदीक अपने आपको ढालने का प्रयास किया। लेकिन शीघ्र ही उनका मोह भंग हो गया। ईसा के इस सन्देश की अगर तुम्हारे दायें गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी आगे कर दो, से काफी प्रभावित थे। ईसाई धर्म के सामाजिक सुधार के सन्देश से वे काफी प्रभावित थे। कुछ लेखकों ने उन्हें एक सुधारवादी ईसाई बताया है।

2. **पश्चिमी गैर धार्मिक प्रभाव :-** महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में जिन प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया है, वे तीन पश्चिमी विचारकों द्वारा लिखित है -

पहली पुस्तक रूसी विचारक टाल्सराय की **"दि किंगडम ऑफ गॉड इज विथिन यू"** है, इस पुस्तक में उन्होंने प्रेम का सन्देश दिया हैं।

दूसरी पुस्तक रस्किन की **"अनटू दिस लास्ट"** है जिसका उन्होंने गुजराती में सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। इस पुस्तक से उन्हों ने 3 शिक्षाऐं प्राप्त की :

प्रथम, सभी के हित में खुद का हित।

द्वितीय, एक वकील का कार्य और एक नाई का कार्य समान है क्योंकि प्रत्येक को अपना जीवन यापन करने का समान अधिकार है।

तृतीय, एक श्रमिक का जीवन सबसे अच्छा जीवन है।

तीसरी पुस्तक थी हेनरी डेविड थोरो की "ऐसेज ऑन सिविल डिस ओबिडियेन्स इस पुस्तक में उन्होंने राज्य का विरोध करने के आन्दोलन का स्वरूप पहचाना तथा कुछ वर्षों तक वे सविनय अवज्ञा के नाम से अपना आन्दोलन चलाते रहे।

इस महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के अलावा महात्मा गाँधी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित लगभग सभी विचारक तथा पश्चिमी विचारधाराओं का अध्ययन किया और उन पर अपनी स्वतंत्र टीका-टिप्पणी की। उन्होंने समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र, उदारवाद इत्यादि सभी पर अपनी टिप्पणियां लिखी है। बेन्थम के उपयोगितावाद के वे कटु आलोचक थे। गाँधीजी के अध्ययन का दायरा भी बहुत विस्तृत था तथा उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत लिखा भी है। उनके निरन्तर अध्ययनरत रहन का प्रमुख कारण ही उन्होंने लगभग सभी विषयों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की।

1.4 दार्शनिक विचार

सबसे पहले गोपीनाथ धवन ने महात्मा गाँधी के जीवनकाल में 1944 में उनके राजनीतिक दर्शन पर पहला शोध प्रस्तुत किया, जो बाद में "पोलिटिकल फिलोसोफी ऑफ महात्मा गाँधी" के नाम से प्रकाशित हुआ। 50 के दशक में जोन वी बोटूँरा ने महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की तकनीक को द्वन्द्वात्मिकता के सिद्धान्त से समझने का प्रयास किया और उसकी तुलना मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मिकता से की है। 60 के दशक में जब महात्मा गाँधी द्वारा रचित लेखन का भारत सरकार द्वारा संकलन किया गया, तब 1989 में उनके द्वारा लिखित साहित्य को सम्पूर्ण गाँधी वांङ्गमय के रूप में प्रकाशित किया गया। जिसमें 100 ग्रन्थ थे तब सबसे पहली बार शोधकर्ताओं को गांधी विचारों का संकलन मिला। 1980 के दशक में ही विश्व में आये नये परिवर्तनों विशेष रूप से पूँजीवादी प्रभुत्व और आधुनिकता की तानाशाही प्रवृति के विरूद्ध आन्दोलन आरम्भ हुआ तथा नये आजाद हुए देशों ने भी अपनी आवाज को बुलन्द करना आरंभ किया। ऐसे समय में गाँधी के विचारों पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और उनके विचारों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गयी इनमें राघवन अय्यर, बुद्धदेव भट्टाचार्य, यी,एन, गांगुली, रामाश्रयराय इत्यादि प्रमुख है। जिन्होंने 70 के दशक में गाँधी को एक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें किसी भी अन्य विचारक के समक्ष प्रबुद्ध व्यवस्थित वैकल्पिक विचार देने वाला दार्शनिक बताया 80-90 के दशक में गाँधी के विचारों की तुलना समकालीन पश्चिमी विचारधाराओं से की गई। रिचर्ड ऐटेनवेरों ने गाँधी फिल्म से 80 के दशक में गाँधी का महत्त्व बताया है। जिन लेखकों ने गाँधी को इस आधुनिक समाज में प्रासंगिक क तथा विचारों को समसामयिक का महत्व बताया। उनमें प्रमुख है- भीखू पारेख, रोनाल्ड स्वर्क, थामस पेन्थम, दत्त, बी,आर मेहता, नरेश दाधीच, मार्गरेट चटर्जी, डगलस एलन इत्यादि।

आज गाँधी को एक दार्शनिक के रूप में माना जाता है तथा विद्वतजन उनके विचारों से उत्तर आधुनिक / आधुनिक वैकल्पिक विवाद निवारण, वैकल्पिक आर्थिक सोच, पर्यावरण, नारीवाद इत्यादि के सन्दर्भ में परीक्षण कर रहे है।

गाँधी के दर्शन को कुछ लोग जैसे बी.एम. दत्ता, धीरेन्द्र मोहन दत्त वैष्णव दार्शनिक मानते है। हालांकि गाँधी ईश्वर को नहीं मानकर उसको विचार और विधि का स्वरूप मानते है। गाँधी मानते है कि ईश्वर को परिभाषित करना असंभव है, लेकिन हम उनके अस्तित्व को महसूस करते है और केवल उसका ही अस्तित्व है। गाँधी ईश्वर को सत्य के रूप में भी परिभाषित करते है। 1925 में उन्होंने कहा

कि ईश्वर और सत्य दोनों एक दूसरे की परिवर्तनीय इकाईयाँ हैं। 1931 में स्वीटजरलैंड में गाँधी ने कहा कि मैं यह चाहूँगा कि ईश्वर सत्य है की अपेक्षा सत्य ईश्वर है कहना अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि अनीश्वरवादी के लिए इसे अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। गाँधी ईश्वर की सत्ता का विवेक से संचालन नहीं करना चाहते थे। यह ब्रह्मांड नियमों से चल रहा है और उन नियमों को बनाने और लागू करने का कार्य ईश्वरीय सत्ता के अलावा कोई शक्ति नहीं कर सकती। रोम्या रोला उन्हें एक रहस्यवादी मानते है क्योंकि गाँधी किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व अपने अन्दर की आवाज का हवाला देते थे और अन्दर की आवाज उन्हें सही रास्ते पर ले जाती थी। महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में तप के द्वारा अपने आप व्यक्तित्व को इतना शुद्ध बना लिया था कि उनकी आवाज में ईश्वर की आवाज का आभास होता था। दार्शनिक सिद्धान्त में महात्मा गाँधी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व देते थे।

1.4.1 सत्य

महात्मा गाँधी का सिद्धान्त सत्य और अहिंसा पर आधारित है। उनके अनुसार वास्तविकता में केवल सत्य का अस्तित्व हैं। उनके सत्य की अवधारणा सैद्धान्तिक स्तर पर प्लेटो के नजदीक मानी जा सकती है लेकिन यथार्थ में अस्तित्ववाद के नजदीक है। यूनानी विचारकों ने सत्य को सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणा माना है और जिसकी परछाई इस दुनिया में यथार्थ के रूप में नजर आती है। उस निरपेक्ष सत्य के आधार पर ही सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है और व्यक्ति को उसके जीवन में सत्य तक पहुँचने का प्रयास किया जाना चाहिए महात्मा गाँधी इस निरपेक्ष सत्य को स्वीकार करते है क्योंकि अस्तित्व निरपेक्ष है। लेकिन उस निरपेक्ष सत्य को व्यक्ति के सत्य में मिलने का आधार व्यक्ति की चेतना का सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना है। जब तक ऐसा न हो व्यक्ति के सत्य को सापेक्षबादी सत्य माना जायेगा और हर व्यक्ति का सत्य ही उसका अंतिम सत्य होगा। यह धारणा अस्तित्ववादी धारणा से मिलती जुलती है। निरपेक्ष सत्य, को आत्मसात करने के लिए महात्मा गाँधी अपने स्व को निरन्तर प्रयोगों के द्वारा तथा तप के माध्यम से उच्च चेतना युक्त बनाया। इसलिए गाँधी ने व्रत, उपवास, अहिंसा, बह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि ईश्वर को अपनाने पर बल दिया है। जिससे व्यक्ति की आवाज बन सके। इस प्रकार वे निरपेक्ष सत्य के पराभौतिक विचार और सापेक्ष सत्य के यथार्थवादी विचार का सम्मिश्रण प्रस्तुत करते है। वे सत्य को केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही महत्त्व नहीं देते है बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसे बनाये रखते थे। उनके अनुसार राजनीति और समाज में किये जाने वाले कार्यो में सत्य परिभाषित होना चाहिये। सत्य के अभाव में मनुष्य उद्देश्यहीन हो जाता है और अपने कार्यो से समाज का हित नहीं कर पाता हैं।

1.4.2 अहिंसा

महात्मा गाँधी की पहचान उनकी अहिंसा की प्रतिबद्धता के कारण है। उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार अहिंसा का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक और अहिंसा को एक आधुनिक क्षेत्र बनाकर राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। स्वयं के और समाज के संघर्ष निवारण के लिए अहिंसा का प्रयोग किया गया जिसे विश्व संघर्ष निवारण के लिए स्वीकार्य और सफल तकनीकी माना जाता है। साधारणतया अहिंसा का अर्थ चोट न पहुँचाना और हत्या न करना माना जाता है और विस्तृत स्वरूप देने पर इसका अर्थ है किसी जीव को मन, वचन और कर्म से दुःख नहीं पहुँचाना है। अहिंसा हिन्दू ,बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किसी न किसी रूप में आवश्यक तत्त्व है। मोक्ष प्राप्त

करने के लिए पातंजलि जैसे योग शास्त्रियों ने इसे आवश्यक माना है। जैन धर्म में इसको अत्यधिक महत्त्व दिया है और हिंसा को कई श्रेणियों में जैसे आरम्भ भज और अनारंभ भज यानि जान बूझकर या अनजाने में की जाने वाली हिंसा के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में व्यवहार में भी इसे लागू करने पर बल दिया जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक साधू के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। महाभारत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और क्षमा को वीरों का आभूषण माना है। महात्मा गाँधी ने टॉल्सटोय की पुस्तक से अहिंसा के महत्व को जाना और बाद में भारतीय परम्परा में अहिंसा के कई उदाहरणों से इसका महत्व समझा। जैसे पौराणिक कथा में भक्त प्रहलाद के उदाहरण में उन्होंने गीता की व्याख्या करते हुए इसे अहिंसक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने 1916 में अहिंसा में नकारात्मक और सकारात्मक भेद प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक रूप में पीड़ा न पहुँचाना। इसके सकारात्मक रूप में है - प्रेम और दान। सकारात्मक रूप में अहिंसा की पालना करने पर व्यक्ति को अपने शत्रु से प्रेम करना आवश्यक है तथा ऐसी अहिंसा सत्य और अभय को सम्मिलित करती है। इस प्रकार महात्मा गाँधी की अहिंसा का अर्थ नकारात्मक पक्ष तक सीमित नहीं था, वे अहिंसा के सकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व देते है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम करना सम्मिलित है और इसी कारण वे यह मानते थे कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। उनका दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा न केवल सार्वभौतिक रूप से लागू की जा सकती है अपितु यह अंतिम रूप से सही सिद्ध होती है तथा इसका उपयोग करने वाला ही अंतिम विजय प्राप्त करता है। उनकी यह मान्यता थी कि मनुष्य मूलत: देवीय स्वरूप होता है, पर उसमें पशुता के अंश मौजूद है और इसलिए हिंसा करना बहुदा मनुष्य का स्वभाव बन जाता है लेकिन वे यह भी मानते थे कि निरन्तर प्रयास से मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ हद तक अहिंसक बना रह सकता है। सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा की लड़ाई मनुष्य तथा समाज में निरन्तर चलती रहती है। महात्मा गाँधी के अनुसार अहिंसा तीन तरह की हो सकती है :-

1. कायरों की अहिंसा जो दुर्बलता के कारण हिंसा का सहारा नहीं ले सकता।
2. राजनीतिक तरीके के रूप में अहिंसा का प्रयोग।
3. अहिंसा के प्रति आत्म प्रतिबद्धता जो आत्मानुशासन व आंतरिक आत्मानुभक्ति से आती है।

गाँधी कायर की अहिंसा को अहिंसा नहीं मानते है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सफलता के लिए की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ अहिंसा नहीं है। जब तक मनुष्य आंतरिक रूप से अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध न हो, सर्वश्रेष्ठ अहिंसा नहीं हो सकती। गाँधी व्यावहारिक अहिंसा को चार क्षेत्रों में इंगित किये है :-

1. सत्ता के विरूद्ध अहिंसा का प्रयोग।
2. आंतरिक उपद्रवों के मध्य अहिंसा का प्रयोग।
3. बाह्य आक्रमण में अहिंसा का प्रयोग
4. घरेलू क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग।

1.5 सत्याग्रह

राजनीतिक दर्शन में महात्मा गाँधी की प्रमुख देन थी सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति यह आग्रह व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। इस आग्रह को बनाये रखने के लिए एक मात्र साधन है अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में सरकार का प्रतिरोध करते समय

महात्मा गांधी ने अपने आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था। धीरे-धीरे महात्मा गाँधी को यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन निष्क्रिय शब्द से पूर्णतया नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनके आन्दोलन में कुछ विशेषताएं ऐसी थीं जो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग करती थी। महात्मा गाँधी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन उनके सच्चे भाव और उनके ठोस सिद्धान्त पर आधारित था जिसमें तिरस्कार नहीं था। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार माना जाता था। महात्मा गाँधी के जीवन में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने आन्दोलन को अवधारणात्मक पहचान देने के लिए गाँधीजी ने अपने पत्र "इंडियन ओपिनियन' में पाठकों से इस बारे में सुझाव माँगे। मगनलाल गाँधी ने 'सत्याग्रह" शब्द सुझाया। गाँधीजी ने इसको व्यापक बनाते हुए अपने आन्दोलन का नाम "सत्याग्रह" दिया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है - सत्+आग्रह। यानि सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसा के बिना संभव नहीं। आज सारी दुनिया में अहिंसक प्रतिरोध को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में किये गये आन्दोलनों के इतिहास को 'सत्याग्रह का इतिहास' नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। गाँधीजी सत्याग्रह को एक क्रमिक विकास के रूप में देखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं को तप के द्वारा उत्कृष्ट बनाने के लिए निरन्तर कोशिश करता है तथा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। वह निष्क्रिय प्रतिरोध को गरीबों का हथियार मानते थे और सत्याग्रह को बलवानों का अस्त्र मानते थे। इसमें अहिंसा आवश्यक तत्त्व थी। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है और उसे किसी भी कीमत पर त्यागा नहीं जा सकता। सत्याग्रह का प्रयोग करने वाला और कानून का विरोध करने वाला हर व्यक्ति परेशानी झेलने को तैयार रहता है। वास्तव में सत्याग्रही कानून की पालना करने वाला होता है और वे उसी कानून के विरोध की बात करते है जो नैतिकता का विरोधी होता है। गाँधी जी के लिए नैतिकता सर्वोच्च थी। सत्याग्रह के व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह करने वाले को अपनी मूल माँगों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनका विचार था कि सत्याग्रह से प्राप्त सफलता को बनाये रखने के लिए निरन्तर सत्याग्रही बने रहना आवश्यक है। हेनरी डेविड थोरो के विचारों से प्रभावित होते हुए गाँधीजी मानते थे कि व्यक्ति सबसे पहले है और उसको नैतिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रयोग करना चाहिए और इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार व्यक्तिगत हितों के लिए सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग हमेशा जन-हिताय, जन-सुखाय होना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग करते समय भी महात्मा गाँधी विरोधी पक्ष से निरन्तर बात-चीत करने पर बल देते थे और सभी प्रयासों में विफल होने पर ही सत्याग्रह प्रयुक्त करने की सलाह देते थे। सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व सत्याग्रही को लोकमत अपने पक्ष में करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बुराईयों के विरूद्ध वह संघर्ष करता है वे बुराईयाँ स्वयं में विद्यमान न हो। वह आत्मशुद्धी और सत्याग्रह से अपनी लड़ाई जीत सकता है। उसे हमेशा अपने विरोधी से बात-चीत करने के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। गाँधीजी सत्याग्रही बनने की बहुत सी शर्तें बताते है सत्याग्रह के साथ-साथ रचनात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। सेवा तथा प्रेम की भावना के फलस्वरूप ही सत्याग्रह सफल हो सकता है। सत्याग्रह विनम्रता का प्रतीक है और हिंसा का विकल्प है। आमरण अनशन सत्याग्रही का अंतिम हथियार है। जिसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। गाँधीजी ने सत्याग्रह में विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया था जिस में असहयोग आन्दोलन सबसे महत्त्वपूर्ण था। वे इसमें हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार,

धरना, सविनय अवज्ञा, हजरत, उपवास इत्यादि है। वे सत्याग्रह के सकारात्मक पक्ष को महत्त्व देते थे जिसमें केवल विरोध करना ही नहीं अपितु सकारात्मक कार्यक्रम को बनाये रखना भी आवश्यक है। उन्होंने 15 सूत्री सकारात्मक कार्यक्रम बनाये थे जिसमें खादी का प्रचार-प्रसार, ग्रामोद्योगों का विकास, ग्राम स्वराज्य की स्थापना, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी उद्धार, आर्थिक समानता इत्यादि शामिल है।

भारत में आने के पश्चात् गाँधीजी ने कई सत्याग्रह किये। जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर किये गये सत्याग्रहों में रोलेटएक्ट के खिलाफ 1919 में किया गया आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन 1920, 1930 में "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रमुख है। स्थानीय लोगों के लिए 1917 में चम्पारन, 1918 में अहमदाबाद में श्रमिकों के समर्थन में किया गया, तथा 1924 में त्रवणकोर का सत्याग्रह आदि प्रमुख है।

1.6 आर्थिक विचार

गाँधीजी के आर्थिक विचार भी सत्य और अहिंसा से ओत-प्रोत थे। वे यह मानते थे कि आधुनिकता बड़े-बड़े उद्योगों तथा मशीनीकरण पर आधारित है और ये हिंसा को बढ़ावा देते है। एक आदर्श समाज की रचना के लिए स्वावलम्बी गाँवों की आवश्यकता हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे और नैतिक जीवन व्यतीत करें। उन्होंने ग्राम स्वराज्य की कल्पना में कुटीर उद्योगों को अधिक महत्व दिया है तथा कायिक श्रम पर बल दिया है। गाँधीजी मानते थे कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम दो घण्टे शारीरिक श्रम करना चाहिए तभी वह भोजन पाने का अधिकारी है। वे मानसिक और शारीरिक श्रम की समानता के दृष्टिकोणों को स्वीकार करते है। वे उस पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध थे जो भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना करती है। गाँधीजी साम्यवादी विचारधारा के भी विरोधी थे क्योंकि उनके अनुसार वह हिंसा पर आधारित विचारधारा है और व्यवहार में तत्कालीन सोवियत संघ की व्यवस्था के आधार पर यह मानते थे कि यह व्यवस्था केन्द्रीयकृत व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिसमें शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है। गाँधीजी शक्ति के केन्द्रीयकरण को शोषण का आधार मानते है। उनके अनुसार शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और वे इसी भाव को ध्यान में रखकर आर्थिक विकेन्द्रीकरण की वकालत करते थे। उन्होंने पूँजीवाद व साम्यवाद से परे न्यास के सिद्धान्त को अधिक महत्त्व दिया है जिसके अनुसार आर्थिक साधनों पर नियन्त्रण निजी हाथों में होगा। लेकिन वे उसे न्यास मानकार न्यासी के रूप में कार्य करेंगे। पूँजी का उपयोग **"सर्वजन हिताय"** करे। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने उपयोगितावाद के स्थान पर सर्वोदय की वकालत की। जहाँ उपयोगितावाद व्यक्ति के अधिकतम सुख की कल्पना करता है वहीं सर्वोदय सभी के उदय की कल्पना करता है। उपयोगिकतावाद में सुख की परिभाषा शारीरिक सुख या इन्द्रियजन्य सुख है। जबकि महात्मा गाँधी के सर्वोदय में सबके उदय में इन्द्रियजन्य सुख के बजाय आत्मिक सुख को सम्मिलित किया है। गाँधीजी अपने आदर्श राज्य को राम राज्य की संज्ञा देते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा पर आधारित जीवन का उपयोग करता है और अपने कर्त्तव्यों को पूरा करता हैं। गाँधीजी का मानना था कि आदर्श समाज एक राज्यविहीन समाज है। जिसमें शक्ति पूर्ण रूप से विकेन्द्रित है और वह स्वावलम्बी गाँवों को शामिल कर बना है जिसमें व्यक्ति का महत्त्व है। लेकिन व्यक्ति का

अस्तित्व समाज के बिना संभव नहीं है। उन्होंने व्यक्ति और समाज के मध्य के सम्बन्धों को "सामुद्रिक वर्तुल" "ओशेनिक सर्किल" के आधार पर समझाया है। जिस प्रकार समुद्र में पत्थर फेंकने पर हजारों की संख्या में लहरों के वर्तुलद्ध का निर्माण होती है जिनके आकार आधार अलग-अलग प्रकार है किन्तु जिसका केन्द्र एक ही होता है। उसी प्रकार समाज में कई प्रकार के समूह है, जो वर्तुल के रूप में एक दूसरे से जुड़े है। लेकिन उनका केन्द्र व्यक्ति होता है। समूह व्यक्ति के बिना परिभाषित नहीं होता है। वे प्रजातंत्र की व्यवस्था में विश्वास रखते थे और उदारवादी सिद्घान्त को महत्वपूर्ण मानते थे लेकिन उनकी सोच भारतीय परम्परा के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित थी। वह अपनी संस्कृति और परम्परा की उदारवादी व्याख्या के पक्षधर थे। आधुनिक समय में भारतीयता के प्रतीक थे। उनकी गणना आज विश्व के सर्वाधिक महानतम विचारकों में की जाती है वे केवल भारत के प्रतिनिधि ही न होकर विश्व की मानवता के प्रतीक थे और लोकमंगल के साधक-उपासक थे।

1.7 राजनीतिक विचार

गाँधी स्वयं को एक राजनीतिक विचारक नहीं मानते थे हालांकि उनके दार्शनिक विचारों की पहली व्यवस्थित प्रस्तुति हिन्द स्वराज्य में है। लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने माना है कि वे निरन्तर सत्य के रास्ते पर चलते रहे और उस रास्ते पर उन्हें जो सफलताएं मिली उस आधार पर अपने विचारों को संगठित करते रहे। वे सभी राजनीतिक गतिविधियों को नैतिक दृष्टि से देखते थे। उनके अनुसार कोई भी गतिविधि जो नैतिक दृष्टि से नहीं हो उचित नहीं है। चूँकि वे किसी विशेष राजनीतिक दर्शन से सम्बन्धित नहीं थे। इसलिए उनके विचारों में कई बार पारस्परिक विरोध नजर आता है। लेकिन सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि वे एक राजनीतिक अराजकतावादी थे जो शक्ति के केन्द्रीयकरण के विरोधी थे और राज्य को सक्रिय केन्द्रीयकरण का सबसे बड़ा उदाहरण मानते थे। वे राज्य के बढ़ते स्वरूप और कार्य को भय से देखते थे। उनके अनुसार एक आदर्श समाज की कल्पना में राज्य का कोई स्थान नहीं था। वे आदर्श समाज को रामराज्य की संज्ञा देते थे। वे यह मानते थे कि राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य की बढ़ती शक्ति से सर्वाधिक नुकसान व्यक्ति की अस्मिता को होता है। व्यक्ति के पास आत्मा है राज्य आत्मा विहीन है। गाँधीजी ने कहा था कि ऐसे कानूनों की पालना नहीं करनी चाहिए जो हमारी नैतिक मान्यताओं के विरूद्ध हो। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति अपने आप में एक साध्य नहीं है। राजनीतिक शक्ति का उपयोग समाज के सदस्य को जीवन की सुविधाएं प्रदान करना है उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति सम्प्रभू होता है और उसके सम्प्रभूत्व का आधार उसकी नैतिक सत्ता है। गाँधी राज्य और समाज में अन्तर करते थे। उनके अनुसार अगर व्यक्ति समाप्त होता है तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति के आधिपत्य को राजनीतिक दर्शन में स्वीकार किया जाना चाहिए। 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविधालय में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि वे अराजकतावादी है। गाँधी केवल आदर्शवादी विचारक ही नहीं थे उनका उद्देश्य आदर्श प्राप्त करना था। उन्होंने द्वितीय स्तर के राज्य की बात भी की है। जिसमें राज्य एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य होगा तथा लोक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होगा। ऐसे राज्य में अधिकतम शक्तियाँ गाँव के स्तर पर पंचायत के पास रहेगी। वह गाँव आदर्श गाँव होगा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा। गाँधी के स्वराज्य की कल्पना एक ऐसे देश की कल्पना थी जिसमें सत्ता उस देश के नागरिकों के पास हो तथा वे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो तथा जिसमें

अपने समाज को बदलने की शक्ति और अधिकार समाज के व्यक्तियों के पास हों। ऐसे राज्य में सरकार व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी हो तथा जिसमें गरीब व्यक्ति का शासन हो। गाँधी के स्वराज की अवधारणा आर्थिक और राजनीति दोनों स्तरों पर स्वतंत्रता को बनाये रखने का समर्थन करती है। गाँधी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का भी समर्थन करते है। गाँधीवादी अधिकार मूलत: वे अधिकार है, जिसके उपयोग से व्यक्ति अपने मूल्यों को बनाये रख सके और एक नैतिक समाज की स्थापना कर सके। गाँधी स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता और न्याय के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। इसमें वे न केवल स्त्री-पुरूष समानता अपितु जातिगत समानता, मानसिक और शारीरिक समानता के भी पक्षधर थे। गाँधी हालांकि प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। लेकिन उन्होंने हिन्द स्वराज्य में अंग्रेजी संसदीय प्रणाली की आलोचना की और माना है कि अगर भारत इंग्लैण्ड की प्रणाली को अपनाता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गाँधीजी के अनुसार ब्रिटिश संसद के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया गया है और वह मंत्रियों के प्रभाव से संचालित होती है अत: वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। पश्चिमी प्रजातंत्र का आधार हिंसा है। प्रजातंत्र जो अपने व्यवहार में बिना हिंसा के जीवित नहीं है वह वास्तव में प्रजातंत्र नहीं है। उसमें और फासीवाद में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के अनुसार गाँधी की पश्चिमी प्रजातंत्र की आलोचना तीन प्रमुख कारकों पर आधारित है:

1. पूँजीपतियों द्वारा निर्धन व्यक्तियों का शोषण।
2. पूँजीवाद का विस्तार जो जन सामान्य के शोषण की राह बताता है।
3. गोरी चमड़ी वालों की रंगभेद नीति।

हालांकि गाँधीजी बोअर युद्ध 1899 में अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा लिया था। लेकिन वे युद्ध के खिलाफ थे। प्रथम विश्व युद्ध के आते-आते गाँधी पूर्णतया युद्ध विरोधी बन गये। गाँधीजी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की निन्दा की और कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो और उसके अनुसार आदर्श समाज का निर्माण मूलत: हिंसा के द्वारा होगा तो वह सही विचारधारा नहीं हो सकती है। गाँधीजी शान्ति के पक्षधर थे पर उनकी शान्ति की अवधारणा कोई स्थिर शान्ति नहीं थी। वे शान्ति को सकारात्मक और परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में देखते थे। जिसमें समस्या का समाधान अहिंसा के माध्यम से किया जाता हैं। गाँधीजी में दृढ़ विश्वास था कि विश्व की समस्या का समाधान केवल अहिंसा के माध्यम से संभव है। गाँधी को मूलत: सत्ता के विरोध का दार्शनिक माना जाता है। सत्ता का विरोध करने पर गाँधी का नाम सम्मान से लिया जाता है। दुर्भाग्यवश: गाँधी के राजनीतिक विचारों पर आधारित आदर्श समाज के निर्माण की पुरजोर कोशिश नहीं की गई। इसलिए गाँधीवादी आदर्श समाज के अस्तित्व में न आने के कारण उनके राजनीतिक दर्शन के व्यावहारिक पक्ष का परीक्षण नहीं किया जा सका।

1.8 महात्मा गाँधी का चिन्तन में योगदान

महात्मा गाँधी 20वी शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों में से एक थे, जिन्होंने राजनीतिक चिन्तन में सर्वकालिक योगदान दिया है, जिसे निम्न प्रकार देख सकते है :

1. गाँधी ने राजनीति का विरोध करने के एक नये साधन "सत्याग्रह" की खोज की और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग करके भारत को आजादी दिलायी। राज्य सत्ता के विरोध में तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों के विरूद्ध होने वाले आन्दोलनों में सत्याग्रह का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है।

2. गाँधी के अहिंसा ओर संघर्ष निवारण की तकनीक का समाज के विभिन्न समूहों और स्थितियों में निरन्तर प्रयोग किया जा रहा है। उसे “वैकल्पिक विवाद निपटारा" में सफलतापूर्वक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हाल ही में आई भारतीय फिल्म “लगे रहो मुन्ना भाई" में "गांधीगिरी” का इस्तेमाल हुआ है, इसमें गाँधी के सिद्धान्त को व्यक्ति के जीवन में छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग में लाने का विवरण प्रस्तुत किया गया है। “गांधीगिरी” आज लोकप्रिय शब्द बनता जा रहा है जो विरोध प्रकट करने के एक सभ्य तरीके को प्रकट करता है।
3. गाँधी ने आधुनिक समाज के नकारात्मक पक्ष को जाग्रत किया और उसे बचाने के उपाय सुझाये जिनके कारण उन्हें वैकल्पिक सफलता के विचार देने वाले विचारकों में शामिल किया जाता है।
4. उनके न्यासिता सिद्धान्त में अहिंसा से वर्ग संघर्ष को समाप्त किये जाने का तरीका सुझाया है। जिसमें हिंसा का उपयोग नहीं करते हुए समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।
5. उनके पर्यावरण सम्बन्धी विचार ने विकास की पश्चिमी अवधारणा को सशक्त चुनौती दी है और विकास का आधार मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना बताया है न कि उसके लालच को पूरा करना।
6. गाँधी ने नैतिकता को मनुष्य की सभी गतिविधियों का आधार माना है और वे बीसवीं शताब्दी में उन नैतिक विचारकों में है जो राजनीति को भी नैतिक दृष्टि से विश्लेषित करना चाहते है।
7. उन्होंने अहिंसा को राजनीतिक दृष्टि में स्थापित किया और प्लेटो के पश्चात् सत्य को राजनीतिक दर्शन में पुर्नस्थापित किया।

1.9 सारांश

प्रस्तुत पात में महात्मा गाँधी के जीवन और विचारों का अध्ययन किया गया है। इससे हमें यह पता लगता है कि महात्मा गाँधी ने अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति के रूप में आरम्भ किया और धीरे-धीरे अपने परिश्रम से एक महान व्यक्ति बनें। उन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबतों में सत्य और ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे उनके सत्य और विश्वास ने उन्हें महान व्यक्ति बनाया। गाँधी अपने चिन्तन में किसी विशेष विचारधारा के प्रतिपादक नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में अनुभवों से बहुत कुछ सीखा वे निरन्तर राजनीति में संलग्न रहने के उपरान्त भी एक अच्छे पाठक थे। खुले मस्तिष्क के होने के कारण उन्होंने अध्ययन और जीवन मूल्यों से बहुत कुछ सीखा और उसे अपनी तरह से विचारों के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम आज गांधी चिन्तन के नाम से जानते है वे अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को नैतिक दृष्टि से देखते थे। वे जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता के पक्षधर थे। इसलिए उन्हों ने अपने आर्थिक जीवन और राजनैतिक चिन्तन में भी अहिंसा को प्रमुखता दी है। इस अध्याय को पढ़ने से हमें मालूम होता है कि गाँधी न केवल महान व्यक्तित्व के धनी थे वरन् वे एक महान विचारक भी थे।

1.10 अभ्यास प्रश्न

1. महात्मा गाँधी के चिन्तन पर पड़ने वाले प्रभावों को इंगित कीजिए।
2. गाँधी चिन्तन में सत्य और अहिंसा का महत्त्व बतलाइये।
3. महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

1.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. महात्मा गांधी की आत्म कथा : सत्य के साथ प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1966।
2. महात्मा गांधी : हिन्द स्वराज्य, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1990।
3. नरेश दाधीच : गांधी एवं एक्जेस्टेन्शलिज्म रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1993।
4. गोपीनाथ धवन : दी पोलिटिकल फिलोसोफी ऑफ महात्मा गाँधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद,1990।
5. बी. अरूण कुमार : गांधीयन प्रोटेस्ट, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2008।

इकाई - 2

रचनात्मक कार्यक्रम

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम

2.2.1 सर्वधर्म समभाव-सभ्यता संघर्ष का प्रतिहार

2.2.2 अस्पृश्यता-मानवाधिकार का हनन

2.2.3 मघनिषेध - मानव गरिमा को बढ़ाना

2.2.4 खादी -प्रत्येक नागरिक में आत्म सम्मान जगाना

2.2.5 स्थानीय आत्मनिर्भरता हेतु ग्रामीण उद्योग

2.2.6 ग्राम सफाई और सामूहिक सुरक्षा के लिए दृढ होना

2.2.7 नागरिक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी शिक्षा

2.2.8 प्रौढ शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

2.2.9 महिलाऐं - समान भागीदार के रूप में

2.2.10 स्वास्थ्य और शुद्धता की शिक्षा

2.2.11 विरासत और सामाजिक सम्बद्धता के संरक्षण हेतु प्रान्तीय भाषा

2.2.12 एकता व समान सोच के लिए राष्ट्रीय भाषा

2.2.13 आर्थिक समानता - सामाजिक कल्याण की पूर्व शर्त

2.2.14 कृषि स्थिरता संरक्षण हेतु किसान

2.2.15 उत्पादन व वितरण में श्रमिकों की सहभागिता

2.2.16 आदिवासी - मानव भिन्नता से पीड़ित

2.2.17 कुष्ठ रोग और सहानुभूतिपूर्ण लगाव

2.2.18 विद्यार्थी - भविष्य के नेतृत्वकर्ता

2.3 एक नयी सामाजिक व्यवस्था की रूप रेखा, रचनात्मक कार्यक्रम

2.4 विनोबा की रचनात्मक व्याख्या

2.5 रचनात्मक कार्यक्रमों की समकालीन उपादेयता

2.6 सारांश

2.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.0 उद्देश्य

इस इकाई में आपको महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जानेंगे -

– रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ
– रचनात्मक कार्यक्रमों का महत्व
– विनोबा द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों की व्याख्या
– रचनात्मक कार्यक्रमों की समकालीन प्रासंगिकता

2.1 प्रस्तावना

स्वराज के लिए किए जा रहे अहिंसक आन्दोलन में विभिन्न स्तरों पर समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए गाँधी ने अनेक कार्यक्रम दिए। उन्होंने 'स्वराज' शब्द का प्रयोग बार-बार किया जिसका आशय राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक था और व्यक्ति के आर्थिक कल्याण से जुड़ा था। गाँधी के लिए 'स्वराज' शब्द बहु त भावार्थ और गहन अर्थ रखता था। इसका अर्थ था, भय से मुक्ति, स्व पर अधिकार, राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता अन्य लोगों की चेतना और सामाजिक संस्थाओं का सम्मान क्योंकि ये संस्थाऐं वर्षों की सामूहिक विचारों और भावनाओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई हैं। गाँधीजी की समाज सम्बन्धी मान्यता ने सामाजिक संस्थाओं की पवित्रता और अनुल्लंघनीयता को पुर्नस्थापित किया हैं। वे जिस आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत कर रहे थे वह प्रेम, करूणा, मूल्यों के सम्मान और परम्पराओं पर आधारित था और घृणा, असहिष्णुता, हिंसा (रक्तपात) आदि का पूर्णतया विरोध करता था। उन्होंने राष्ट्र को कर्म की सुविचारित योजना दी जिसे रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

2.2 विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम

इस मॉडल के विकास के लिए गाँधी के सुझाव और एक अहिंसक सामाजिक रूपान्तर तथा व्यक्ति के उद्धार और सशक्तिकरण की जिन तकनीकों को गाँधी ने अपनाया वे किसी भी रूप में तुरन्त पूरी करने अथवा बिना सोचे विचारे करने से सम्बन्धित नहीं थी। आज जिसे रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जिसे गाँधी ने राष्ट्र निर्माण और इसके खोए हु ए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए दिया है, वह बताता है कि परिवर्तन के लिए गाँधी ने स्वयं इंगित किया कि ये कार्यक्रम केवल उदाहरण मात्र हैं।

हमें इन कार्यक्रम पर एक नजर डालनी चाहिए, जिसके तीन मुख्य भाग है

1. व्यक्ति के स्वयं के जीवन और जीवन जीने की पद्धति में सुधार
2. हालांकि पुराना सामाजिक ढ़ाँचा मौजूद है लेकिन नये सामाजिक ढाचें के निर्माण के लिए रचनात्मक कार्यक्रम और
3. विशिष्ट सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध अहिंसक तकनीक के विभिन्न रूपों के प्रयोग का अभ्यास विभिन्न कार्यक्रमों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद जीन शार्प ने गाँधी के दृष्टिकोण की व्याख्या इस प्रकार की है। गाँधी की मान्यता थी कि आत्मनिर्भर और स्वतन्त्रता की विशेषताओं वाली समाज व्यवस्था को इस तरह कि विशेषताओं से परिपूर्ण आन्दोलन चलाना चाहिए।

इसलिए गाँधी ने एक नयी समाज व्यवस्था विकसित करने का विचार दिया, जिससे राज्य व अन्य पुरानी व्यवस्था में स्वेच्छा से स्वतन्त्र रचनात्मक कार्यक्रम चलाऐं जाएं। उनके प्रयास प्रयोगात्मक थे, इन प्रयासों को पर्याप्त कहने वालों में वे आखिरी थे। रचनात्मक कार्यक्रमों के सिद्धांत के प्रति उनकी सोच केवल इस दिशा में सुझावात्मक थी, वे सिद्वान्त निर्माता नहीं थे। हालांकि यह एक दिशा-निर्देश ही प्रतीत होता है जो इसे समझने के लिए गंभीर प्रयासों की सामर्थ्य रखता है और इसकी समस्याओं और सम्भावनाओं को ढूंढ निकालता है।

2.2.1 सर्वधर्म समभाव - मानवाधिकार का हनन

सभ्यता संघर्ष का प्रतिहार गाँधी ने धर्म को पूरी तरह अनुभव किया कि धर्म का सृजनात्मक स्वरूप सामाजिक मूल्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक नये दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलवाया कि धर्म, एक लक्ष्य तक पहुँचने का अभिन्न मार्ग हैं। और वास्तव में जब हम लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं तो इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हमने किस मार्ग को अपनाया था। सभी धर्म प्रेम की शाश्वत शिक्षा देते हैं। अभी तक हमने अपने चारों और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को विकसित होते और अपने धर्म का गुणगान करते देखा है। बहुत लोगों की मूल सोच में ही इस बात का अभाव होता है कि विविध परिस्थितियों में सहिष्णुता समाज के ताने-बाने के बनाए रखनें में गोंद का काम करती है। वे इस सामान्य से सत्य को, मूल जो है कि सहिष्णुता हमें आध्यात्मिक अन्तदृष्टि और भुजाओं को साहस का दृढ़विश्वास देते हैं जिससे विभिन्न धर्मों व विश्वासों के बीच के अवरोधक टूट जाते हैं। इससे मानव समझ का दायरा भी बढ़ेगा। इस प्रकार गाँधी ने एक नयी सोच-सर्व धर्म समभाव (सभी धर्मों की समानता) की वकालत की।

गाँधी द्वारा समर्थित 'सर्वधर्म समभाव', सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की क्रान्तिकारी सोच है और जहाँ प्रत्येक धर्म अपने मत के अनुसार समृद्ध, और आशाओं से पुष्पित हो। भारत और विश्व में अन्य स्थानों पर अस्तित्वमान बहुलवादी धर्म में, प्रत्येक धर्म को सम्मान, महत्व और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उभरते बहुजातीय, बहुनस्लीय ,बहुमाषायी परिदृश्य में, शान्तिपूर्वक एक साथ रहने, विकास और शान्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक साझा लक्ष्य को पाने हेतु विविधता और बहुलवाद को प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ाना और पोषित करना होगा। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों की संकीर्णता को नहीं हटाता और सभी धर्मों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना नहीं सीखता। सम्मान और सहिष्णुता को धर्म का हिस्सा बनना होगा सामंजस्य तथा बंधुतत्व को पोषित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेगे।

2.2.2 अस्पृश्यता - मानवाधिकार का हनन

गाँधी का मानना था, किसी विशेष समुदाय में जन्म के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, जनसंख्या के किसी भी हिस्से को पृथक करना मानवाधिकार का हनन है और मानवता के विरूद्ध पाप है। इसलिए उन वंचित वर्गो के प्रति होने वाले गलत व्यवहार को, साहस व विश्वास से व्यक्तिगत व सामाजिक प्रयास से उन्मूलन करना चाहिए। गाँधी ने कहा कि इन दलित लोगों को रूढ़िवादी और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति दिलवानी होगी। उन्होंने लिखा, "प्रत्येक हिन्दू को उनकी परेशानी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उनकी दुःख भरी पृथकता / अलगाव में उनसे

मित्रता करनी चहिए। पृथक्करण का ऐसा डरावना विशालकाय स्वरूप भारत के अलावा शायद और कहीं दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूँ कि यह कार्य कितना कठिन है। परन्तु स्वराज रूपी विशाल भवन के निर्माण का यह एक हिस्सा है और स्वराज तक जाने का मार्ग फिसलन भरा और संकरा है। इस मार्ग में अनेकों को रपटने वाली चढ़ाई और गहरी खाईयां है। इससे पहले कि हम चोटी तक पहुँच सके और स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लें, हमें बिना लड़खडाऐं बाधा पाल कर लेनी होगी।"

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी के 21 वर्षों के कार्य को अब ऐसे अभियान के रूप में समझा जा रहा है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से तीन चीजों को जीतना था -

1. बिना रंग भेद के सभी नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करना।
2. शैक्षिक कार्य योजनाओं के द्वारा भारतीय परमिट मजदूरों और अन्य लोगों को संगठित और शिक्षित करना।
3. जिनके विरूद्ध अभियान चल रहा था उनके तर्क सुनना और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना।

गाँधी का दक्षिण अफ्रिका प्रवास, जो कि गाँधी के जीवन के लिए अत्यन्त निर्णायक था, एक युवा वकील से गाँधी के महात्मा बनने का भी गवाह बना। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गाँधी को 'महात्मा' की उपाधि दी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने गाँधी के योगदान को महत्व देते हुए उन्हें'राष्ट्र पिता' का सम्बोधन दिया।

2.2.3 मद्य निषेध - मानव गरिमा को बढ़ाना

शराब पीने की बुराई, जो दुःख इसके माध्यम से महिलाओं पुरुषों व बच्चों के जीवन में आते हैं, परिवार की बर्बादी, गाढ़ी मेहनत की कमाई का घटिया शराब बेचने वालों हाथों में जाना और शराब पीने से उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी संकटों ने गाँधीजी का ध्यान आकर्षित किया और वे इस बुराई से संघर्ष करना चाहते थे। गाँधी द्वारा मद्य निषेध समिति की पहल की गई, जिसने शराब की बुराइयों को सामने लाने सम्बन्धी शिक्षा का व्यापक अभियान हाथ में लिया, इसमें संदेह नहीं कि इसने सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही गाँधी जी के नेतृत्व में भारत के सभी हिस्सों में शराब बंदी का जोरदार अभियान चलाया गया। **गाँधी लिखते है** "हमें अहिंसक प्रयासों से अपने लक्ष्य तक पहुँचना होगा, हम उन लाखों आदमियों, महिलाओं के भाग्य को सरकार पर नहीं छोड़ सकते जो शराब और नशीली वस्तुओं के अभिशाप से पीड़ित है। चिकित्सा से जुड़े लोग इस बुराई को खत्म करने में सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। उन्हें शराब छुड़ाने और अफीम के आदी अभिशप्त लोगों को मुक्त करने के तरीके ढूंढने पड़ेगे। महिलाओं और विद्यार्थियों को यह सुधार लाने में आगे आने का सुअवसर है। बहुत तरीकों की अच्छी सेवा से वे वसन के आदी लोगों को मना कर इस बुरी आदत को छोड़ने को बाध्य करने की अपील कर सकते हैं।

हांलाकि भारत में मद्य निषेध परिषद, राज्य और केन्द्र सरकार तथा हजारों स्वयंसेवी समूहों ने इस बुराई को खत्म करने के लिए अनेकों कदम उठाऐं हैं लेकिन वास्तविक स्थिति में सुधार अभी भी नहीं हो पाया है।

2.2.4 खादी - प्रत्येक नागरिक मे आत्मसम्मान जगाना

खादी को सच्चे अर्थों में गाँधी की क्रान्ति की आत्मा पुकारा जा सकता हैं और गाँधी के लिए खादी, व्यक्ति व राष्ट्र दोनों के लिए स्वावलंबन का प्रतीक था। गाँधी ने खादी को 'आर्थिक' आत्मनिर्भरता की शुरूआत और देश में सभी के लिए समानता के रूप में वर्णित किया है। व्यंजन की पहचान खाने पर ही होती है। हर व्यक्ति को प्रयास करने दो, और मैं जो कह रहा हूँ उसे निहितार्थो में समझना होगा। इसका अर्थ है सम्पूर्ण रूप में स्वदेशी मानसिकता। भारत में जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का निश्चय और यह भी ग्रामवासियों की मेहनत व बुद्धिमता के माध्यम से। इसका अर्थ है वर्तमान में मौजूद प्रक्रिया को बिल्कुल उलटना।

उत्पादन में रचनात्मक लगाव उत्पन्न करके प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रगौरव उत्पन्न करना और अच्छी आय के लिए कार्य स्वयं और विश्व को श्रम के प्रति प्रतिबद्धता स्थापित करना खादी के मूलभूत सिद्धान्तों में है। गाँधी का कताई, बुनाई और हाथ के बुने कपड़े पर जोर देना उस समय एक क्रांतिकारी विचार था जो विश्व में कहीं भी किसी भी रूप में नहीं था। आज भारत में खादी केन्द्र रोजगार दे रहे हैं, और दूर दराज इलाकों में रहने वाले उपेक्षित लाखों महिलाओं, पुरुषों और दस्तकारों को अच्छी आय का स्त्रोत है। गाँधी ने यह भलीभांति जान लिया था कि आधुनिक युग के सभी विकास सीधे नागरिकों के आर्थिक कल्याण से जुड़े है। गाँधी के लिए खादी, भारतीय मानवता और इसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा समानता का प्रतीक था। जवाहर लाल नेहरू ने काव्य रूप में, खादी को भारतीय स्वतंत्रता की पोशाक (वर्दी) कहा। इस प्रकार गाँधी के मतानुसार खादी जीवन की आवश्यकताओं का पूरा करने का साधन है। यह ग्राम स्वावलम्बन की ओर भी एक कदम था और ग्राम के प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त आय का साधन। इस प्रकार गाँधी को आशा थी कि यह कई स्तरों वाला एक ऐसा कार्यक्रम था, जो ग्रामीण लोगों में नई आशा का संचार करेगा।

2.2.5 स्थानीय आत्मनिर्भरता के लिए ग्रामीण उद्योग

आम जनता द्वारा उत्पादन, गाँधी के मतानुसार, विकास समानता और शांति की आवश्यक शर्त है जो इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर इकाई माना जाएं जहाँ हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, मजदूरों को उपयोगी कार्य में लगे रहने के पर्याप्त अवसर मिले जो उन्हें इनके परम्परागत और जीवन जीने योग्य साधनों को प्राप्त करने में सक्षम है। ये भिन्न गतिविधियाँ न केवल रोजगार उत्पन्न करेगी वरन् गांवों में व्यक्ति की आय में वृद्धि भी सुनिश्चित करेगी। बुनाई, तेल पिराई, शहद निकालना, पापड़ बनाना, चावल तैयार करना, हस्तनिर्मित कागज साबुन बनाना, ग्रामीण उद्योगों की उस सम्पूर्ण सूची में ये कुछ थोड़े से काम है जो गांवों में हाथ से की जा सकते है। गांधी ने लिखा "हाथ से पिसाई, कटाई, साबुन बनाना, कागज बनाना, माचिस बनाना, रंगाई तेल पिराई आदि जैसे आवश्यक ग्रामीण उद्योगों के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी नही हो सकता। सभी को जब भी जहां भी यह उपलब्ध हो इसके उपयोग को आत्मसम्मान का मसला मानना चाहिए। मांग आने के बाद इसमें संदेह नही कि हमारी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों से हो सकती है। जब हम गांव के बारे में सोचेंगे तो हमें पश्चिम की नकल और मशीन से बनी वस्तुओं का उपयोग ही नहीं

करेंगे बल्कि हम एक नये भारत की कल्पना पर आधारित सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करेंगें जिसमें दरिद्रता, भूख, व बेकारी बिल्कुल नहीं होगी।"

2.2.6 ग्राम सफाई एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए दृढ़ होना

गाँधी जी ने सही कहा है कि "राष्ट्रीय और सामाजिक सफाई (स्वच्छता) का गुण हम लोगों में नहीं है। हम स्नान कर सकते है लेकिन हम कुएँ, तालाब या नदी गंदा करते समय नही सोचते जिनके किनारे या उनमें अन्दर हम नित्यकर्म करते है। मैं इस दोष को एक बड़े दुर्गुण के रूप में देखता हूँ जो हमारे गांवों, पवित्र नदियों के पवित्र तटों की असम्मान जनक स्थिति बीमारियों के लिए जिम्मेदार है।"

भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सबसे घृणित बात सफाई को नकारना है। गांवों में स्थिति कहीं ज्यादा भयानक है। जीवन शैली से नागरिक समझ की कमी देखी जा सकती है। यहां तक कि शिक्षित लोग भी इस व्यापक पक्ष की अवहेलना करते है।

आज भी बहु त से गांवों में, मानव मल को हाथ से उठाना और सिर पर ढोने का दृश्य दिखाई देता है। शौचालयों के बाहर पेशाब करना भी ऐसा ही दृश्य है और, ऐसे भी अनेक उदाहरण है जहां पूरा गांव ही शौचालय के रूप में बदल गया है। यहां तक कि गांव तक पहुँचने वाली सड़कें भी इस बीमारी से मुक्त नहीं है। इन सभी बातों से इस महत्वपूर्ण पहलू की तरफ लोगों के व्यवहार को प्रतिबिम्बित करता है।

2.2.7 नागरिक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी शिक्षा

गांधी ने शिक्षा पर एक दृढ़ विचार विकसित किया जो बच्चें को एक चैतन्य मानव के रूप में महत्व देने पर बल देता है और तीन 'र' के गुण पर जोर देने वाली शिक्षा के सामान्य विचार की आलोचना करता है।

उनका तर्क था कि जो स्वराज के ढाचें को मजबूत नींव पर रखना चाहते हैं वे बच्चों की उपेक्षा नही कर सकते। हांलाकि निश्चित रूप से नही लेकिन विदेशी शासन ने अनजाने ही बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। बुनियादी शिक्षा, भारत में रहने वाले सभी बच्चों को सबसे अच्छी और स्थायी व्यवस्था से जोड़ती है, फिर बच्चे चाहे शहरी हो या ग्रामीण। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करती है और भविष्य की सुनहरी कल्पना के साथ बच्चे को उसकी जडों से इस बात कि अनुभूति के साथ जोड़े रखती है कि उसकी स्कूली शिक्षा शुरू होने के साथ ही उसे उसके हिस्से का ज्ञान मिलेगा। गांधी शिक्षा के परम्परागत दृष्टिकोण का विरोध नही करते, उनका विश्वास था कि शिक्षा की उपयोगिता तभी है जब यह बच्चे को उसके आत्मज्ञान को विकसित करने के रचनात्मक अवसर दे और समाज और सामाजिक जरूरतों से खुद को जोड़ने का माध्यम बने। उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि एक बच्चे को मशीनी साधन बनाने के स्थान पर शिक्षा व्यवस्था बालक की पूर्ण क्षमता को विकसित कर बाहर लाए।

बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम 'एच' के सार पर जोर देती है 'एच' (हैंड) मस्तिष्क (बुद्धि), एच (हार्ट) हृदय, एच (हैंड) हाथ (शरीर)। बच्चे को मस्तिष्क अथवा बुद्धि से सोचना चाहिए। हृदय से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और हाथों (शरीर) से कार्य करना चाहिए।

इस प्रकार तीनों भागों के समान विकास आवश्यक है क्योंकि इससे ही बच्चे का आत्मज्ञान विकसित होगा और बच्चा स्वतंत्र, स्वावलंबी तथा रचनात्मक बनेगा। गाँधी ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रतियोगी बनने के स्थान पर शिक्षा स्वाभाविक रूप से बालक को सहभागी बनायें। प्रतियोगिता बच्चे में बुरी प्रवृतियां लाती है जबकि सहभागिता इसे प्रयोगों और उत्पादक कार्य में इच्छा से संलग्न करती है। बाहरी सूचनाओं को इकट्ठा कर बच्चे को मशीन के स्तर पर लाने के बजाय गाँधी चाहते थे उसमें मानवीय भावनाएं, मूल्य व गुण विकसित हो। यह केवल तभी सम्भव है जब बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ दस्तकारी कृषि कार्य अपने पास-पड़ोस की साफ-सफाई और अपने स्कूल की देखभाल करने जैसे हाथ के कामों के महत्व को भी सिखलाया जाए। इन गतिविधियों में सहभागिता शारीरिक व बौद्धिक दोनों तरह से स्वस्थ बच्चे का विकास करता है।

2.2.8 प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

देश में अक्षर ज्ञान से वंचित और उपेक्षित प्रौढ़ जो अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों से अनभिज्ञ है, यदि शिक्षा से वंचित रह जाते है तो यह शर्मनाक व पाप है। गाँधी ने इसे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। गाँधी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सरकार (राज्य) द्वारा चलाऐं जाने का समर्थन नहीं करते। इसके विपरीत, प्रत्येक शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठाने पर बल देते हैं। गाँधी लिखते है "यदि प्रौढ़ व्यस्क शिक्षा का दायित्व मुझ पर हो तो मुझे इन व्यस्क शिष्यों के दिमाग को उनके देश की विशालता और महानता की ओर ले जाना चाहिए। एक ग्रामीण का भारत उसके गांव में है। यदि वह दूसरे गांव में जाता है तो वह अपने गांव की बात ऐसे करता है जैसे वह उसका घर हो। अज्ञान का कोई विचार गांवों में फैला नही मिलता। गांववासी विदेशी शासन और उसकी बुराईयों के बारें में कुछ नही जानते। जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें थी उससे विदेशियों के प्रति भय होता था। इसका परिणाम विदेशियों और उनके शासन के प्रति भय, आशंका व घृणा थी। इससे पीछा छुड़ाना उन्हें नहीं आता। वे लोग ये नहीं जानते कि विदेशियों के भारत में होने का कारण उनकी स्वयं की कमजोरी और शासन से मुक्त होने की शक्ति पर ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार व्यस्क शिक्षा से मेरा अर्थ है - शब्दों से लोगों को सच्ची राजनीतिक शिक्षा दी जाए। इसे देखते हुए ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसके द्वारा बिना भय की शिक्षा दी जा सके। मेरी कल्पना में इस प्रकार की शिक्षा में सत्ता के हस्तक्षेप की बहुत देर हो चुकी हैं पर यदि हस्तक्षेप होता है तो इस अधिकार के लिए संघर्ष अवश्य होना चाहिए क्योंकि इसके बिना स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं होगा।''

स्वतंत्रता के बाद देश में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली उपलब्धियां प्राप्त हुई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1970 से 1993 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा की दर 34 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई। सकल प्राथमिक भर्ती दर का औसत लगभग विश्व औसत के बराबर आ गया, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय (सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुसार) 1970 से 1993 के बीच बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया। जहाँ ये आकड़े- मानव उन्नति के संतोषजनक विकास को इंगित करते हैं वही कुछ निराशाजनक पहलू भी है, जब यह ध्यान आता है कि 1995 में भारत में 291 लाख प्रौढ़ अभी भी अशिक्षित हैं और 45 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालय भी नहीं जा रहे हैं।

2.2.9 महिलाऐं -समान भागीदार के रूप में

गाँधी ने महिलाओं को न्याय स्वतन्त्रता और मानव सम्मान के सभी अभियानों में आन्दोलनकारियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। इससे पूर्व भारतीय इतिहास में सार्वजनिक गतिविधियों में महिलाओं ने स्वेच्छा से भाग नहीं लिया था जैसा कि महात्मा के आह्वान पर उन्होंने लिया।

गाँधी जी महिलाओं का बेहद सम्मान करते थे और मानते थे कि उनमें अहिंसा की उच्च आन्तरिक क्षमता होती है। जिस तरह गाँधी महिलाओं को जागरूकता अभियान के केन्द्र में लाए और मानव अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह भेदभाव के विरूद्ध राजनीतिक संघर्ष में पहल की वो भी उस समय जब आज का नितान्त परिचित व अधिकतर बोला जाने वाला 'मानव अधिकार' शब्द प्रयुक्त नहीं होता था, यह बताता है कि वे महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार करते थे और सामाजिक जीवन में महिलाओं की रचनात्मक भूमिका के प्रति उनकी क्या अपेक्षा थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान विशेष रूप से 'फीनिक्स बहिनों' और 'टालस्टाय बहिनों' की पहले अभियान की भूमिका जिसमें प्रेरणा प्राप्त महिलाऐं पुरुषों के बराबर भाग लेती है, हिला देने वाला था।

अपने दूसरे पुत्र मणिलाल की शादी के अवसर पर गाँधी द्वारा दी गई सीख याद रखने योग्य है। अपने पुत्र की दुल्हन को स्वीकृति देते हुए गाँधी जी अपने पुत्र से एक आश्वासन चाहते थे कि वह अपनी पत्नी की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, उसके साथ अपने साथी की तरह व्यवहार करेगा, गुलाम की तरह नहीं, जैसे वह स्वयं की सुरक्षा, देखभाल करता है वैसे ही उसकी करेगा।

दक्षिण अफ्रीका के समय में गाँधी के सहयोगी श्री पोलक ने गाँधी के बारे में जो कहा था वह उनका महिलाओं के प्रति व्यवहार को व्यक्त करता है -

ज्यादातर महिलाऐं पुरुषों से स्नेह करती है जिसे अधिकतर पुरुषों के प्रति आकर्षण के रूप में जाना जाता है जबकि अनेक महिलाओं द्वारा गाँधी को स्नेह इसलिए मिला क्यों कि उनमें वे गुण थे जो स्त्री स्वभाव से मेल खाते थे। स्त्रियां समझती थी कि गाँधी में उन्हें एक सहयोगी दिखाई देता है जो उनके साथ-साथ चल रहा हैं और उन्हें बिना काम भावना के गहरा, निर्मल और अनछुआ लोह दे सकता है। सभी महिलाऐं उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं पर खुलकर विचार कर सकती थी, यह हैरानी और परेशानी का विषय था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता था और गाँधी की राह उन्हें अधिक कठिन नहीं लगती थी।

2.2.10 स्वास्थ्य व शुद्धता (स्वच्छता) की शिक्षा

भारत में निजी व सार्वजनिक स्वच्छता, ग्रामीण व शहरी दोनों ही शहरों में उपेक्षित रही है और गाँधी जी ने विशेष तौर पर ग्रामीणों में, अपने गाँव व आस-पास के वातावरण को साफ रखकर स्वच्छता का माहौल करने की त्वरित आवश्यकता पर बल दिया है। गाँव तब तक साफ नहीं रहेगें जब तक कि स्वयं का घर, गलियां और सार्वजनिक स्थानों को साफ नही रखा जाएगा। जगह-जगह एकत्र कूड़ा-करकट, अवरूद्ध नालियां, कुत्ते व सुअरों का आवारा घूमना, मक्खियों का भिनभिनाना और आवारा गायों व भैसों का घूमना न केवल घृणा उत्पन्न करने वाला होता है वरन् एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जिसे वास्तव में नरक कहा जा सकता है और बहुत से गाँव बीमारियों के प्रजनन क्षेत्र बन गए हैं।

गाँधी जी इस स्थिति से बेहद चिंतित थे और इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में सफाई और स्वच्छता की भावना जगाने के लिए एक समन्वित कार्य योजना का सुझाव दिया।

गाँधी ने एक सुविचारित कार्य योजना की कल्पना की जिसमें प्रत्येक गाँव, घर, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में सक्रिय भागीदारी देगा। गाँधी के स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वप्न में कूड़े को डालने के लिए खाद के गड्डे, ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र और रोग मुक्त जीवन के लाभ बताकर शिक्षित करने वाले स्वास्थ्यकर्मी थे।

गाँधी के स्वास्थ्य व स्वच्छता की बढाने से जुड़ाव, का महत्व समझने के लिए, गाँधी के शब्दों को समझना उपयोगी है -

अपने शरीर की रक्षा करना और तन्दुरूस्ती के नियमों को जानना एक अलग ही विषय है जिसका संबन्ध अभ्यास से और अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान के आचरण से है। जो समाज सुव्यवस्थित है उसमें रहने वाले सभी लोग स्वास्थ्य के नियमों को जानते हैं और उन पर अमल करते है। अब तो यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि स्वास्थ्य के नियमों को न जानने से और उन नियमों के पालन में लापरवाह रहने से ही जिन-जिन रोगों से मनुष्य जाति का परिचय हुआ है उनमें से ज्यादातर रोग उसे होते हैं। हमारे देश की दूसरे देशों से अधिक मृत्युदर का मुख्य कारण निश्चय ही वह गरीबी है जो हमारे देशवासियों के शरीरों को कुरेद कर खा रही है लेकिन अगर उनको सेहत के नियमों की सही शिक्षा दी जाए तो इसमें बहुत कमी की जा सकती हैं।

स्वास्थ्य प्रबन्धन के क्षेत्र में प्राप्त प्रभावशाली उपलब्धियां -

स्वतन्त्रता के बाद के समय में स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य प्रबन्धन के क्षेत्र में महती उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

1960 में प्रति 1000 पर 21 बच्चों की मृत्युदर 1994 में घटकर 10 हो गई। 1960 से 1990 के बीच स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय दो तिहाई से भी अधिक बढ़ गया। अभी भी यह चिन्ताजनक है कि 135 लाख लोग मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। इसी प्रकार 226 लाख लोग साफ पीने के पानी और 640 लाख लोग शौचालयों की बुनियादि सुविधा के अभाव में जीवनयापन कर रहे हैं। 15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में से 88 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं।

2.2.11 विरासत व सामाजिक सम्बद्धता को संरक्षण हेतु

एक स्वतन्त्र राष्ट्र जिसे अपनी अनेकों भाषाओं पर गर्व है उसे विभिन्न भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। गाँधी का मानना था कि प्रान्तीय भाषाऐं महान् बुद्धिमत्ता की घाटी है और साहित्य समाज का दर्पण है। लोगों के भाग्य निर्माण में भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई राष्ट्र नकार नहीं सकता है।

गाँधी ने इस सम्बन्ध मे लिखा, "भारतीय भाषाओं ने दरिद्रता भोगी है। जब हमने अपनी मातृभाषा में अस्पष्ट विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया तो हमने हाथ-पैर मारें। यहां वैज्ञानिक शब्दावली के समरूप शब्द नहीं है। परिणाम विनाशकारी है। आम जनता आधुनिक विचारों से बिल्कुल अपरिचित रह जाती हैं। भाषायी उपेक्षा के कारण भारत में होने वाले नुकसान को अपने ही समय मे अंक रहे है। यह समझना काफी सरल है कि जब तक हम इस भूल को उलट नहीं देते साधारण जनता की सोच गुलाम की ही रहेगी। आम जनता स्वराज निर्माण में कोई महती भूमिका नही निभा सकती।

2.2.12 एकता व समान सोच के लिए राष्ट्रीय भाषा

विश्व में मौजूद कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत जैसे देश की एक राष्ट्र भाषा होनी चाहिए जो बिना प्रान्तीय भाषा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा जैसे अंग्रेजी के प्रति पूर्वाग्रही हुऐ बिना राष्ट्रीय भावनाओं को सच्चे रूप में प्रतिबिम्बित करे। जब सभी भाषाएं सांस्कृतिक जीवन और प्रतिदिन के प्रशासन में समान स्थान प्राप्त करती हैं तब एक भाषा बहुमत की सहमति से राष्ट्रभाषा के रूप में उभरकर सामने आती है जो स्वाभाविक रूप से देश के लिए सूची में सबके ऊपर होती है। इसमें कोई दो राय नही है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और भारत के संदर्भ में 'हिन्दुस्तानी' इस खाई को पाटेगी क्योंकि यह लोगों के बड़े बहुमत के द्वारा बोली जाती है।

2.2.13 आर्थिक समानता - सामाजिक कल्याण की पूर्व शर्त

गाँधी जी इस बात पर दृढ़ थे कि किसी भी देश में बिना आर्थिक समानता, के जनता जनार्दन के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं हैं। सामान्य जन को अपने हाल पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और जब तक किसी सम्प्रभू गणतंत्र के द्वारा उनके भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकताऐं पूरी नही की जाती, स्वतंत्रता की बात करना अर्थहीन और खोखला नजर आता है। एक प्रजातंत्र की स्थिरता सच्चे अर्थों में इस बात पर निर्भर करती है कि यह सामान्य व्यक्ति के विकास के अवसर देने के लिए कितना चिन्तित है। विशेष रूप से रोजगार के और राज्य से जुड़े सभी स्त्रोतों तक उसकी समान पहुँच हो। गाँधी जी ने आर्थिक समानता को 'अहिंसक स्वतंत्रता की कुंजी' के रूप में वर्णन किया है। उन्होनें इसे विस्तार देते हुए कहा "यह अहिंसक स्वतंत्रता की कुंजी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का अर्थ है पूँजी व श्रम के बीच मौजूद सनातन संघर्ष को समाप्त करना। इसका अर्थ है एक ओर उन थोड़े से धनवानों को निचले स्तर पर लाना जिनके हाथ में देश की अधिकांश सम्पति केन्द्रित है दूसरी ओर अधभूखे नंगे लाखो लोगों को ऊपर उठाना। जब तक कि अमीरों और लाखों भूखे लोगों के बीच खाई बनी रहेगी सरकार की अहिंसक व्यवस्था को पाना स्पष्टतया नामुमकिन है। नई दिल्ली के महलों और गरीब श्रमिक वर्ग की टूटी फूटी झोपड़ी के बीच का अन्तर एक दिन स्वतंत्र भारत में खत्म हो सकता है। तब गरीब भी उसी तरह आनंद मनाएंगे जैसे धनवान मनाते है। यदि धनवान स्वेच्छा से अपने धन का परित्याग नहीं करते और अपनी शक्ति को आम व्यक्ति के हित में प्रयुक्त नही करते तो एक दिन निश्चित रूप से हिंसक व खूनी क्रांति होगी।

उभरते समकालीन परिदृश्य में यह एक चौंकाने वाला विरोधाभास है कि पिछले तीन दशकों में जनसंख्या के दुगुने हो जाने के बावजूद भी औसत वास्तविक जी.डी.पी. प्रति व्यक्ति दुगुनी हो गई और पूरी जनंसख्या के 44 प्रतिशत लोग पूरी तरह गरीबी में रह रहे है। यह तथ्य हृदय विदारक है कि विश्व के गरीबी के लगभग एक तिहाई लोग भारत में रहते है।

2.2.14 कृषि की स्थिरता संरक्षण हेतु किसान

पांच लाख से अधिक गांवों वाले इस देश में खेती स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यवसाय है और आय का स्त्रोत है। इसके अलावा भारत कृषि प्रधान देश है और दुर्भाग्य से जो अच्छी फसल देने के लिए उत्तरदायी है उन किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता और उचित प्रगति आदि के लिए अवसर प्रदान नही किये जाते क्योंकि जागरूकता और सुविधाओं के अभाव

में खेती के पुराने तरीके और कार्यविधि ही काम में ली जा रही है। जब तक किसानों के उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक और प्रतियोगी मूल्य के लिए लगातार प्रयास नही किये जायेंगें, देष में कृषि के क्षेत्र में क्रांति की आशा एक दूरगामी सपने की तरह रहेगी। चम्पारण आन्दोलन में जो गाँधी जी ने कहा था उसे याद करना चाहिए - जो किसानों को संगठित करने के मेरे तरीके को जानना चाहते है उनके लिए चम्पारण आन्दोलन का अध्ययन करना उपयोगी रहेगा। जब भारत में सत्याग्रह की पहल पहली बार की गई थी और उसका परिणाम पूरा भारत जानता है। यह जन आन्दोलन बन गया था जो शुरू से अन्त तक अहिंसक रहा था। इसने 20 लाख से ज्यादा किसानों को प्रभावित किया था। एक शताब्दी से भी पुरानी एक विशिष्ट शिकायत को केन्द्रित कर यह संघर्ष किया गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी हिंसक क्रांतिया की गई। किसान शोषित थे। अहिंसक उपाय से पूरे 6 महीनों मे सफलता प्राप्त की गई। चम्पारण के किसान बिना किसी सीधे प्रयास के राजनीतिक रूप से जागरूक हो गये।

2.2.15 उत्पादन व वितरण में श्रमिक की सहभागिता

अन्य विकासशील देशों की तहर, इस देश के श्रम को बजाय पश्चिमी मॉडल को सामने रखने के अहिंसक नीतियों को विकसित करना चाहिए जो उनके सामान्य व्यवहार में निश्चय और जुड़ाव के साथ बदलाव लाएगा। श्रम का शोषण पाप है जो स्वाभाविक रूप से मुख्य भाग तक फैलकर घृणा व अविश्वास को जन्म देगी। गाँधी के अनुसार, अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा भाव के साथ अहमदाबाद श्रमिक संगठन पूरे भारत के लिए एक मॉडल है। गाँधी के समय में इसने बहुत सी लोक कल्याणकारी गतिविधियों को हाथ में लिया और श्रमिकों के सम्पूर्ण विकास के लिए ढेर सारी प्रतिबद्धताऐं दी। इसने अपना पूरा प्रयास श्रमिक की स्थिति को सुधारने पर केन्द्रित किया और राजनीति के धर्म संकट से अपने आपको अलग कर लिया।

2.2.16 आदिवासी - मानव भिन्नता से पीड़ित

आदिवासी के रूप में पहचाने जाने वाले कबीले समृद्ध संस्कृति के उत्तराधिकारी है और उनको किसी भी तरह अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। उन्हें न केवल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वरन् आधुनिकता के सपने दिखाकर उनकी जीविका छीनना तथा प्रगति व सभ्यता के नाम पर उनका शोषण करने का प्रयत्न करना अपराध है, ऐसा गाँधी का विश्वास था। शिक्षा सम्बन्धी अवसर देना और जंगल से इकट्ठा किए गए उनके उत्पादन की कीमतें निर्धारित करने तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के अवसर देने चाहिए। आदिवासियों की समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है और उनके प्रति संवेदनशील रवैया भी जरूरी है। गाँधी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी भी प्रकार का भेदभाव राष्ट्रीय हित को हानि पहुँचाएगा।

2.2.17 कुष्ठ रोग और सहानुभूतिपूर्ण लगाव

गाँधी लिखते है, "कुष्ठ शब्द से ही बुरी गंध आती है। मध्य अफ्रीका के बाद केवल भारत ही शायद कुष्ठ रोग का घर है। फिर भी वे समाज के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं जितने कि हम है। वे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जबकि उन्हें उसकी सबसे कम आवश्यकता होती है। अधिकतर कुष्ठ

रोगी जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे उपेक्षित रहते है। मैं इसे हृदयहीनता कहता हूँ जो अहिंसा के संदर्भ में निश्चित रूप से हैं।

गाँधी चाहते थे कि कुष्ठ को एक असाध्य रोग और कुष्ठ रोगी को घृर्णित मानव मानने के व्यवहार को छोड़कर एक सहानुभूतिपूर्ण ओर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लोगों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि अनेक दूसरे रोगों के समान कुष्ठ रोग का भी इलाज है और उचित चिकित्सा आदि की सुविधाओं के साथ-साथ रोगी को उचित पुर्नवास का प्रयास होना भी आवश्यक है। गाँधी ने स्वयं कुष्ठ रोग का गहन अध्ययन किया और एक प्रेरणास्पद घटना गाँधी के जीवन से जुड़ी है जिसमें बापू कुटीर के निकट स्थित अपने स्वयं के आश्रम सेवाग्राम में उन्होंने परचुरे शास्त्री की सेवा की। गाँधी ने कुष्ठ के प्रति जिस तरह के सकारात्मक कदम उठाएं ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं। गाँधी की पहल से ही स्वतंत्र भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया गया है।

2.2.18 विद्यार्थी - भविष्य के नेतृत्वकर्त्ता

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही जगह, जिस तरह युवाओं के साथ गाँधी ने संचार किया और उनके आह्वान पर युवाओं ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है और परिवर्तन के प्रेरक ऐजेंट की तरह उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, यह उल्लेखनीय पक्ष है। गाँधी चाहते थे कि पुरानी पीढ़ी युवाओं पर विश्वास करे और न केवल उनकी भावनाओं का सम्मान करे वरन् युवाओं को नेतृत्व की भूमिका देने पर जोर दिया। निस्संदेह, गाँधी छात्रों के राजनीति में उतरने को उनके माता-पिता की मेहनत की कमाई को उड़ाना और इन सबसे विद्यार्थी द्वारा अपना बहुमूल्य समय गंवाना मानते थे। इसके साथ-साथ वे छात्रों को केवल किताबी कीड़ा बनाने के भी विरूद्ध थे।

गाँधी ने विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन के बैरोमीटर के रूप में वर्णित किया था पर ऐसा बैरोमीटर बनने के लिए विद्यार्थी को उचित मनोवृत्ति विकसित करनी होगी। हस्तशिल्प के साथ शिक्षा और उत्पादक सामाजिक गतिविधियों में संलग्नता विद्यार्थियों को सम्मानजनक नागरिक बनाएगी। गाँधी ने विद्यार्थियों के लिए ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम दिया-

1. विद्यार्थियों को दलगत 'राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। वे विद्यार्थी, शोधार्थी है न कि राजनीतिज्ञ।
2. उन्हें राजनीतिक हड़तालों में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके अपने आदर्श (पुरूष) होने चाहिए। उनके अपने आदर्श पुरूष के प्रति श्रद्धा, उन्हें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए न कि हड़ताल पर जा ने में, जेल जाने में अथवा फाँसी पर चढ़ने में तत्परता।

    यदि दुःख असहनीय है और यदि सभी विद्यार्थी समान रूप से ऐसा ही महसूस करते हैं तो उनके प्राचार्य की यहमति से स्कूल अथवा कॉलेज को ऐसे मौको पर बंद रखा जा सकता है। यदि प्राचार्य नहीं सुनते है तो विद्यार्थी अपनी संस्थाओं को छोड़ सकते हैं जब तक की संस्था प्रबन्धक पश्चाताप कर उन्हें नहीं बुलाता। बिना किसी कारण वे असहमत और सत्ताधारियों के विरूद्ध अवपीड़न का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि यदि वे संगठित हैं और अपने व्यवहार में सम्मानजनक है तो वे निश्चित रूप से विजयी होंगे।

3. इन सभी को वैज्ञानिक तरीके से कताई अवश्य करनी चाहिए उनके औजार साफ, स्वच्छ व अच्छी हालत में होने चाहिए। उन औजारों को बनाना भी उन्हें सिखना चाहिए। उनका काता हुआ धागा, स्वाभाविक रूप से अच्छी गुणवत्ता का होगा। उन्हें कताई के आर्थिक सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक निहितार्थो से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए।
4. वे हमेशा खादी का प्रयोग करेंगे और विदेशी अथवा मशीन से बनी पुर्जों वाली या अन्य वस्तुओं को छोड़ कर गाँव मे उत्पादित दत वस्तु का प्रयोग करेंगे।
5. उन्हें वन्देमातरम् अथवा राष्ट्रीय ध्वज को अन्य लोगों पर नहीं थोपना चाहिए। वे राष्ट्रीय ध्वज के बटन (बिल्ले) पहन सकते हैं पर ऐसा करने के लिए दूसरों को बाध्य नही कर सकते।
6. वे अपने लोगों के बीच तिरंगे झण्डे का संदेश दे सकते हैं और उनको साम्प्रादायिकता तथा अस्पृश्यता दिल से निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने से अन्य धर्मों को मानने वाले व हरिजनों के साथ सच्ची दोस्ती इस प्रकार करनी चाहिए मानो उनसे खून का रिश्ता हो।
7. वे अपने घायल पड़ौसियों को प्राथमिक चिकित्सा अवश्य दे तथा पड़ौसी गाँवों में कूड़ा करकट इकट्ठा कर सफाई करें साथ ही गाँव के बच्चों व बड़ों को इस बारें मे बताऐं।
8. वे राष्ट्रभाषा सीखेंगे हिन्दुस्तानी के वर्तमान स्वरूप में दोहरा रूप, दो बोली और दो लिपि जिससे वे सहज महसूस करें चाहे हिन्दी बोले अथवा उर्दू ओर लिपि लिखे अथवा उर्दू।
9. जो भी वह नया सीखेंगे उसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद कर पड़ौसी गांव के अपने साप्ताहिक दौरे के दौरान वहां के लोगों में प्रसारित करेंगे।
10. वे रहस्यमयी रूप से कुछ भी करने से स्वयं को पृथक रखेंगे। वे नैतिक जीवन व्यापन करेंगे जो आत्म नियंत्रण और भयमुक्ति के मूल्यों से परिलक्षित हो। वे अपने कमजोर साथियों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा अहिंसक प्रयासों से हिंसक उपद्रवों को समाप्त करने के लिए तैयार रहें गे। आवश्यकतानुसार संघर्ष के आखरी पड़ाव में वे अध्ययन संस्थाओं को छोड़ राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे।
11. अपनी सह-छात्राओं के प्रति उदात्त एवं विशालहृदय रहेंगे।

2.3 एक नयी सामाजिक व्यवस्था की रूप रेखा: रचनात्मक कार्यक्रम

बहुत से विद्वानों ने गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को एक ऐसी नयी समाज व्यवस्था की संकल्पना के रूप में देखा है जहाँ गरीबी, अशिक्षा और इसी तहर की अन्य सामाजिक असमानताऐं बीते समय की बात होगी। जीने शार्प इन्हें एक ऐसे अस्थायी ढांचे के रूप में सम्बोधित करते हैं जिसके ऊपर नये समाज का निर्माण किया जाएगा। ष्शार्प लिखते हैं, "रचनात्मक कार्यक्रम पुराने सामाजिक ढांचे के विद्यमान रहते हुए नई समाज व्यवस्था के निर्माण का प्रयास है। अहिंसक क्रान्तिकारी - जैसा कि गाँधी दावा करते हैं - इस प्रकार, नये सम (समान) के निर्माण का प्रारम्भ है जब यह विषम (विपरीत) के विरूद्ध संघर्ष कर रहा है।

15 अगस्त, व 947 को भारत का राजनीतिक स्वतन्त्र होना गाँधी के लिए अन्तिम उद्देश्य नहीं था। उनके लिए देश की अपनी अस्मिता और स्वराज की यह खोज के दूसरे पक्ष की शुरूआत थी। फरवरी, 1948 के प्रथम सप्ताह में जैसे ही वे सेवाग्राम लौटे वैसे ही अपने संघर्ष को मजबूत करने

का पक्का इरादा उन्होनें कर लिया था, एक सपना, जिसे वो पूरा नहीं कर सकें, क्योंकि दिल्ली प्रयास के दौरान बिड़ला हाऊस के लॉन में 30 जनवरी, 1948 को ही गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई।

2.4 विनोबा की रचनात्मक व्याख्या

गाँधी के रचनात्मक कार्यो तथा ट्रस्टीशिप सम्बन्धी विचारों को उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। उन्होनें गाँधी को इन सिद्धान्तों में भूदान और ग्रामराज जोड़कर नया जीवन और शक्ति फूंकी।

विनोबा भावे ने उनके कार्यो का महत्व इस प्रकार गिनाया :-

1. गरीबी से मुक्ति।
2. भूमिपतियों के हृदय में लगाव और प्रेम की भावना जगाना, इस प्रकार देश में नैतिक वातावरण विकसित करना।
3. समाज को परस्पर सहयोग और बन्धुत्व की भावना से मजबूत करना। इस प्रकार भूमिपति व भूमिहीनों के मध्य जहां कहीं भी वर्गीय घृणा, किसी भी रूप में मौजूद है, उसे दूर करना।
4. 'यज्ञ' 'दान' और 'तप' जैसे विशिष्ट दर्शन पर आधारित भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाना, इस प्रकार सच्चे धर्म में मानव विश्वास को मजबूत करना।
5. स्वैच्छिक कायिक श्रम अपरिग्रह सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित नयी समाज व्यवस्था का निर्माण करना।
6. देश के सभी राजनीतिक दलो को एक साथ एक मंच पर आने और संगठित होकर कार्य करने का अवसर देना। इससे कड़वाहट और आत्म प्रशंसा खत्म होगी।
7. विश्व शान्ति बढाने में सहायता करना।

एक समाज सुधारक के रूप में, गाँधी हमें सिखाते है कि भौतिक सम्पत्ति और दासता, हिंसा, अन्याय और भेद-भाव सत्य के साथ मेल नहीं खाते। गाँधी हमें जो बतातें हैं वह सैद्धान्तिक फार्मूलों का कोई समूह नही है। इसके विपरीत. उनके विचार आंगिक रूप से मजबूत. परस्पर सहयोगी. और स्वतन्त्र समाज व्यवस्था का आदर करने वाली विकसित सोच पर आधारित है। तीन महाद्वीपों में, सार्वजनिक जीवन के छः दशकों (6 दशक) में गाँधी ने नये सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के लिए अनेकों आन्दोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें सभी स्त्री व पुरुषों के साथ भाई व बहिनों की तरह व्यवहार किया गया, परिवर्तन के लिए क्रान्तिकारी लालसा की विश्वसनीय सहृदयता प्रदर्शित की गई - सर्वसहमति से परिवर्तन -जिसका देश या विश्व राजनीति में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ था। सहिष्णुता मेलजोल (भाईचारा) सभी धार्मिक व नास्तिक प्राणि की एकता में गहरा विश्वास. गाँधी की कल्पना के संसार का सार है जिसमें भगवान के बनाऐं सभी प्राणियों को सामंजस्य. सभी दृश्य व अदृश्य में आवश्यक रूप में अच्छाई का पोषण करेगा और सम्पूर्ण मानवता को एक पहचान के रूप में संगठित करेगा।

20वीं शताब्दी के बाद के आधे दशकों में विज्ञान और तकनीकी के तीव्र विकास से अविश्वसनीय बदलाव आया है यहां तक की सभी समाजों के प्रत्येक स्तर पर भी। उच्च उपभोक्तावाद और भौतिकवादी संस्कृति में पोषित नयी पीढ़ी अस्तित्व में आयी है। तेज रफ्तार और आश्चर्यजनक परिवर्तन एक के बाद एक तेजी से बदल रहे हैं. यहां तक की समाज रूपी बड़ी इमारत जिस नींव पर खड़ी है उसमें भी ये बदलाव आ रहे हैं। गाँधी व अन्य विद्वान, जो मूल्य आधारित सामाजिक रूपान्तरण पर बल देते

हैं, आज की कम्प्यूटर पीढ़ी का विरोध करते नजर आते है जो नये, मौज मस्ती के संसार के अलावा और कुछ नहीं जानते प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकताओं और लगाव को पुन: परिभाषित करना, नया आकार देना जैसी बातें आज या तो कल्पना लोक माना जाता है या इस संसार के लायक नही है। नयी समाज व्यवस्था में जो महसूस किया गया वह था, जीवन सम्बन्धी मूल्यों जैसे चेतना, चरित्र, नैतिकता, मानवीय त्याग इत्यादि महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं अथवा अप्रासंगिक हो गए हैं। सामान्य तौर पर भौतिक सफलता या प्राप्तियों के पीछे भागना ही प्रगति के रूप में देखा जाता है। भौतिक विकास को ही साधारण तौर पर, विकास के रूप में समझा और विकसित किया जाता है। ऐसा दिखाई देता है कि अनगिनत वस्तुओं की सूची में, सबसे नया नाम 'मानव' का जुड़ा हैं जिसकी कीमत या मूल्य का आकलन, पैसे और केवल पैसे पर उसके अधिकार से होता है।

गाँधी को आशा थी कि रचनात्मक कार्यक्रम आशा का स्त्रोत बनेंगे और आमजन तथा कामगारों के बीच पुल का काम करेंगे तथा जिन लोगों के नाम से यह सब किया जाएगा उनके साथ सीधा सम्बन्ध बनाएगें। इस सम्बन्ध में शार्प के विचार थे -

“साधारण तौर पर थोड़े-थोड़े हिस्सों में प्रयास कर पुनर्निर्माण करने के स्थान पर रचनात्मक कार्य क्रम के विभिन्न पहलुओं की कल्पना, सामाजिक पुनर्निर्माण को अन्तरसम्बन्धित कार्यक्रम के रूप में थी। यह कार्यक्रम, नये समाज को मूलभूत सिद्‌वान्तों द्‌वारा एक करने तथा विशिष्ट कार्यो के आपसी जुड़ाव के रूप मे दिखाई दिया। सम्पूर्ण योजना को क्रियान्वित करते हु ए जैसे -जैसे कार्य आगे बढ़े यदि पुनरीक्षण की आवश्यकता हो - यह सम्भव था कि इसके विशिष्ट भागों (हिस्सों) के साथ आगे कार्य किया जाए ताकि सम्पूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी दे सके।”

गाँधी द्‌वारा दिए गऐ रचनात्मक कार्यों का बाहरी स्वरूप, संक्रमण काल में भारत का आर्थिक और सामाजिक उद्‌वार करना था, व्यवहार में अहिंसा इसका सार था और सत्याग्रह इसका मूल सुंदर रूप। रचनात्मक कार्यनीति गाँधी के उन साथियों और शिष्यों के प्रति प्रतिक्रिया का प्रतिबिम्ब भी था जो सत्याग्रह को केवल राजनीतिक कार्यसाधक समझते थे। गाँधी जानते थे कि उनके ज्यादातर अनुयायी सत्याग्रह और अहिंसा के मूलभूत सिद्‌वान्तों के रूप में नहीं मानते। उनके लिए (अनुयायियों) अहिंसा व सत्याग्रह केवल युद्ध नीति थी। आध्यात्मिक अथवा नैतिक चरित्र ही सत्याग्रह को सवनिय अवज्ञा से अलग पहचान देता या जो या तो नये शासकों की समझ से परे था अथवा उन्हें तीव्र आर्थिक प्रगति को रामबाण औषधी मानने के विचार की धुन सवार थी। गाँधी की सोच जबकि बुद्धिमता पूर्ण व स्थिरता देने वाली थी और वृहत्तर रूप में अन्तर्निहित क्षमताओं और स्वदेशी को स्थापित करने पर निर्भर थी, परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में गाँधी के शिष्यों ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्र मे अलग मॉडल अपनाए।

राजनीतिक दासता से मुक्ति 1947 में मिल गई थी जब ब्रिटेन ने भारत को स्वतन्त्र कर दिया था। दुर्भाग्य से पश्चिम की सांस्कृतिक विजय का जादू चलता रहा, अब इसके साथी समाजवादी और अमेरीकी क्षेत्र से आये थे।

प्रत्येक व्यक्ति यह आंकलन करने में असफल रहा कि इस उभरते परिदृश्य में हिंसा, गरीबी. गंदगी की अंधेरा गहरा हु आ है और सहिष्णुता, तथा सांस्कृतिक राजनीतिक पतन बढा है। आध्यात्मिक परम्पराओं का पोषण करना मात्र कर्मकाण्डी दावे रह गए। गाँधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा

भावे और महान् जैन संत आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ नये कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्य को शामिल करते हुए अहिंसा के क्रियात्मक स्वरूप की मशाल को लेकर आगे चले। उनका सारा ध्यान आध्यात्मिक परम्पराओं के पोषण और पुन: स्वीकृति दिलवाने पर केन्द्रित था। उन्होंने अलग तरीके अपनाए। जहाँ विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने भूमि बटवारे के काम को हाथ में लिया और गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में सुविधाजनक व उचित फेर बदल किया वही आचार्य तुलसी व आचार्य महाप्रज्ञ ने अणुव्रत और जीवन विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में परिवर्तन लाने के कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

यह देखा जा सकता है कि बहुत से कारणों से, गाँधी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम दिए थे वे गाँधीवादी संस्थाओं और सर्वोदय आन्दोलन के साहसिक प्रयासों के बावजूद भी आमजन का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने में असफल रहे। जैसा कि मैरी किंग ने विश्लेषित किया, "कि दुर्भाग्य से रचनात्मक कार्य बहुत से लोगों को आकर्षित नहीं कर सका और ये कार्य सविनय अवज्ञा की तरह उत्तेजित करने वाले या खुशनुमा नहीं था, यह अत्यधिक आत्मानुशासन जनभावना और समर्पण चाहता था, इसलिए यह लोकप्रिय नहीं हुआ।" स्वतन्त्रता के बाद का नेतृत्व और कुछ हद तक भारतीय जनता का एक बड़ा भाग गाँधी द्वारा दी गई जन भावना और आत्मानुशासन के लिए तैयार नही थी। गाँधी के शिष्य डॉ.जी. रामचन्द्रन इस स्थिति का सार बताते हुए कहते हैं-

"रचनात्मक कार्य योजना, जैसा कि इसके बारे में प्राय दावा किया जाता है, एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम है न कि केवल राहत कार्य है। हर प्रकार का राहत कार्य अपने आप में अच्छा है और यदि रचनात्मक कार्यो को इस तरह देखा जाए और इसमें कमी भी मिले तो भी यह अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम हैं। रचनात्मक कार्यक्रम में होने वाले बहुत सी ठोस योजनाऐं निश्चित रूप से राहत कार्य है। परन्तु रचनात्मक कार्यो की कल्पना. योजना और उसे क्रियान्वित करना अपने आप में क्रान्तिकारी कार्य था। आखिर क्रान्ति की आधारभूत विशेषता क्या है? लोग कल्पना करते हैं कि हिंसा और रक्तपात हर क्रान्ति की विशेषता होती हैं यह मूर्खतापूर्ण विचार है। निश्चित रूप से बहुत सी क्रान्तियां हिंसक और खूनी हुई हैं। परन्तु इतिहास में हुई महानतम् क्रान्तियां प्रेम व शान्ति से हुई है न कि घृणा और हिंसा से। यूनानी दार्शनिकों, भारतीय ऋषियों, बुद्ध, क्राइस्ट और मोहम्मद साहब के ज्ञान से आयी सम्पूर्ण क्रान्ति की तुलना में फ्रेंच, अमेरीकी, रूसी, चीनी व दूसरी अन्य क्रान्तियां बहुत छोटी हैं। इन क्रान्तियों (युनानी. भारतीय आदि) ने व्यक्तियों के चरित्र और सोच को पूरी तरह बदल दिया और सभ्यता और संस्कृति का नया युग प्रारम्भ हुआ। केवल राजनीतिक क्रान्ति और महान् पैगम्बरों के द्वारा बुद्धि और सोच से सम्पूर्ण जीवन में परिवर्तन की क्रान्ति में अन्तर केवल इतना ही नहीं है कि पहली केवल क्रान्ति है जबकि दूसरी केवल नैतिक रूपान्तरण अथवा सुधार मात्र हैं। इसके विपरीत प्रत्येक क्रान्ति में नैतिक रूपान्तरण होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक क्रान्ति भी केवल तभी तक वैध है जब यह मानव समाज के चरित्र में नैतिक परिवर्तन करता है।"

2.5 रचनात्मक कार्यक्रमों की समकालीन उपादेयता

उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में समाज परिवर्तन और व्यक्ति के सशक्तिकरण में रचनात्मक कार्यक्रमों की प्रासंगिकता नही हैं जब पीड़ित मानवता वैश्विकरण के विकल्प ढूंढ़ रही है, ऐसे में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सम्पूर्ण व स्थिर समाज व्यवस्था के लिए गाँधीवादी सोच और प्रयोग पूरे विश्व के विभिन्न भागो में अब बाजार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था और वैश्विकरण के

क्रान्तिकारी विकल्प के रूप में सामने आये हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय को सुनिश्चित करता है। शायद इसके लिए जरूरी है अंधी नकल करने के स्थान पर उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक स्थितियों की वास्तविकताओं को रचनात्मक और वास्तविक रूप में बदलना। अचानक से अर्थशास्त्र ने मानव प्रयासों की सभी शाखाओं को पीछे छोड़ दिया है और उन सभी को महत्वहीन स्थिति में धकेल दिया है। धार्मिक और नैतिक मूल्य, जो सदियों से सभ्यता को पोषित और स्थायित्व प्रदान कर रही थी, अब महत्वपूर्ण नहीं माने जाते।

परम्परागत समाज टूटने की खतरनाक स्थिति में हैं और हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अनैतिक राजनीतिक व्यवस्था और उद्देश्यहीन सांस्कृतिक विरासतों का पोषण करने सैनिक तंत्र को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन देना, गरीबी और पोषण का बने रहना, जो जैसी स्थितियों की ओर विश्व के भाग्य निर्माताओं का ध्यान नहीं है। सभी बहादुरीपूर्ण बयानों और पहल के बावजूद, उदासीनता और एक प्रकार की सनक, जिससे नैतिकता और मूल्यों को गलत कहा गया, धरती माता के और मूल्यों के प्रति उदासीनता और जिस तरह प्रकृति विदोहन यह सोच कर किया जा रहा है कि पृथ्वी के नीचे अथाह सम्पति छुपी है जिसे मनचाहे भौतिक सुखों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसी प्रकार के अन्य बाधक और गलत प्रवृतियों से, जिन से आधुनिक सभ्यता जुडी है, खतरनाक संकेत दे रही है।

परिदृश्य पूरी तरह असहाय नजर आता है और किसी भी व्यक्ति का अपने भविष्य पर कोई नियन्त्रण होता प्रतीत नहीं होता। उन लोगों की धन जमा करने की प्रवृत्ति इसे बढ़ा रही है जो बाजार द्वारा दी जा रही सभी चीजों से आकर्षित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी पर एक संतुष्ट न होने वाले लोभ ने नियन्त्रण कर लिया है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का कोई प्रयास कहीं भी नहीं किया जा रहा है। यह वैश्यिक दृश्य बन गया है और कोई भी देश इससे मुक्त नहीं है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह निराशा और असहाय स्थिति में पाता है। वह भौतिकवाद और उपभोगवाद की शक्तिशाली आंधी में पीछे छोड़ दिए गए हैं। जीवन का एकमेव उद्देश्य आर्थिक कल्याण के रूप में सामने आया है और जिस तरह मूल्य व्यवस्था को कुचला गया है उससे यह बड़ा प्रश्न उठता है : हम कहाँ जा रहे है?

आयोजक, हिमायती और इस उभरती प्रवृत्ति के स्वयंभू संरक्षक इन विरोधाभासों की ओर से आँख मूंदे है :-

- जब सम्पूर्ण गरीबी विश्वस्तर पर घटी, सापेक्ष गरीबी बढ़ी।
- अधिक लोग शिक्षित हुए परन्तु सूचना और तकनीकी तक पहुँच केन्द्रीकृत हुई हैं।
- पहले से अधिक देश प्रजातांत्रिक हुए हैं लेकिन शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीकरण हुआ है।
- जबरदस्त क्रान्ति हुई है पर अलगाव बढा है, परिवार टूटे, व्यक्तिगत स्तर पर संवादहीनता अपने चरम पर पहुँची है।

आज प्रगति का अर्थ है आर्थिक प्रगति और अचानक, मानव वस्तु के स्तर पर आ गया जिसकी कीमत उन चीजों से निर्धारित हो रही है जो मानव व पशु में भेद करते है।

ग्लोबल कम्यूनिटी द्वारा प्रस्तावित इस शताब्दी के विकास के उद्देश्यों की पहुँच गाँधी के सोच संघर्ष के नजदीक नजर आती है गाँधी ने सर्वोदय समाज के लिए ऐसे आदर्श रखे थे जैसे न्याय दिलवाना और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सभी समान अवसर पहुँचाना। अब जबकि बड़े अवसर सामने आ

रहे हैं और बहु त से क्षेत्रों में समझदारीपूर्ण और प्रशंसनीय सुधार हु आ हैं लेकिन साथ ही साथ खेदजनक कमियां भी विद्यमान है जिसे सामूहिक कार्य करके दूर किया जाना चाहिए।

इस खाई को पाटने के लिए प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी को साहस और दृढ़ता से आगे आना होगा जैसा गाँधी ने अपने देशवासियों को प्रेरित किया था।

2.6 सारांश

सभी समाजों में कुछ ऐसे नायक या नायिका होती हैं जिनके दर्शन व जीवन से प्रेरित होकर उनके प्रशंसक या शिष्य उनकी याद अथवा उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी गाँधी के सुझाव जो उन्होंने लिखे और किये, उनके बाद भी जीवित और फलदायी है। अब गाँधी के कार्यो, विचारों और सोच के महत्व पर सम्पूर्ण विश्व में उभरते परिदृश्य के संदर्भ में एक बहस छिड़ी हे जो उनके चिन्तन के महत्व की पड़ताल कर रही है। आज जिसे 'गाँधी दर्शन' के नाम से जाना जाता है वह उनके जीवन, कार्यो, व्यक्तियों और समाज के सम्बन्ध में उनके विचारों से विकसित हु आ है।

गाँधी के कार्यों और जीवन से यह प्रकट होता है कि वे विचारों के महान् संगम थे। उन्होनें पश्चिम से बहु त कुछ सीखा और उसे आत्मसात् किया और विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं की ग्रहण किया। उन्होनें टॉलस्टाय रस्किन और अन्य पश्चिमी विचारकों तथा भारतीय विद्वानों और चिन्तकों से विचार लिये। इस प्रक्रिया में वे अनेकों विचारों और प्रमुख व्यक्तियों के मिलने का आधार बन गए। 'एक व्यवहारिक आदर्शवादी, जैसा वे स्वयं के लिए कहते थे, के रूप में उन्होंने अपने पीछे मानव उद्धार की समृद्ध परम्परा छोड़ी है। संदेश देने के लिए बल देने पर वे काफी प्रचलित कहावत 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' देते थे। गाँधी के परम्परागत तरीके का दार्शनिक में पुकारना या वर्णित करना गलत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी जीवन के प्रति अपना अलग दर्शन था।

गाँधी की विशिष्ट पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी प्रशंसा में दिए गए वे कथन है जो बताते है कि जो वे कहते थे वही करते थे. इसी से वे 20 वीं शताब्दी के महान् व्यक्ति के रूप में जाने गए। मान्यताओं. धारणाओं और अनुमानों पर आधारित व्यवस्था विकसित करने के स्थान पर गाँधी ने कठोर परिश्रम से यह प्रदर्शित किया कि अनुनय शिक्षा व्यक्तिगत त्याग और सामूहिक हित था लाभ हेतु सार्वजनिक सहमति विकसित करके कैसे सामाजिक रूपान्तरण प्रभावित हो सकता है। गाँधी की पहल अपने आप में अलग थी और पूरे विश्व में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक सुधारक गाँधी से प्रेरित हु ए और आज पूरे विश्व में जीवन के सबसे गंभीर दर्शन और सामाजिक परिवर्तन की बहस में गाँधी के पूर्ण विकास की सोच की बहस सबसे अधिक हो रही है।

गाँधी की समाज व्यवस्था की सोच, जिसमें सभी बराबर है और सभी समान अवसरों के लिए योग्य है, आज सर्वोदय समाज के रूप में जाना जाता है। गाँधी ऐसे समाज को राम-राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। दुर्भाग्य से राम-राज्य शब्द को धार्मिक कट्टरता की ध्वनि प्रदान करने के कारण गैर व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। गाँधी ने इसकी व्याख्या करते हु ए कहा कि उनका राम अयोध्या के हिन्दू राजा नही थे, न ही वे राज्य में राजा दशरथ के पुत्र थे। यह एक हिन्दू राज नही था अपितु 'सत्य और न्याय पर आधारित राज्य था जहाँ किसी के साथ भेद-भाव नही होता। यह पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य है।

गाँधी मानते थे कि इस व्यवस्था में मानव का ही सर्वोच्च महत्व हैं और जन्म, रंग, प्राप्तियां, धार्मिक विश्वास, लिंग आदि कोई ऐसा कारक तत्व नहीं हैं जिनसे व्यक्ति का महत्व खत्म हो अथवा न्याय समाप्त हो या उसे विशेषाधिकार मिले। इस प्रकार गाँधी दर्शन मानव, उसके समाज और प्रकृति और उसके समान्तर विकास के चारो ओर घूमता हैं। यह विकास तभी सम्भव है जब जीवन के प्रति सम्मान, जैसा बौद्ध लाना चाहते थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विश्वास के रूप में आये। जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है और मानव एक श्रेष्ठ रचना। गाँधी के अनुसार जीवन का लक्ष्य इसे श्रेष्ठतर बनाना है जो केवल मिले-जुले और पूर्ण दृष्टिकोण से ही सम्भव है। एक अन्र्तसम्बन्धित और अन्र्तनिर्भर दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है। गाँधी ने इंगित किया कि सामाजिक. धार्मिक. आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

विकास से गाँधी का तात्पर्य है समान्तर रूप से और दैवीय संरचना के अनुसार, बिना जीवन की मूल लय को बिगाड़े. सभी भागो में सुधार करना।

ऐसा न करना मानव व्यक्तित्व में केवल असंतुलन और कुरूपता ही उत्पन्न करेगी, इस प्रकार समाज के सभी अंगों के समान्तर रूप से विकास को सुनिश्चित करने के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह विचार ही पूर्णतावादी है। संक्षिप्त में यह सम्पूर्ण विकास हैं।

2.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 'गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों' के बारे में आप क्या जानते है?
2. गाँधी जी द्वारा दिए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम कौन से थे?
3. गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बताइये।

2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. टरचेक, रोनाल्ड जे : गाँधी: स्ट्रगलिंग फॉर ऑटोनॉमी, विस्तार पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली 2006
2. परेल, ए.जे. : हिन्द स्वराज एंड़ अदर राइटिंगस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू देहली 2004
3. वेबर, थॉमस : गाँधी : एज डिस्पिप्लिन एंड़ मेंटर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू देहली 2007

इकाई - 3

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य
3.1 प्रस्तावना
3.2 ऐतिहासिक संदर्भ
3.3 स्वतन्त्र भारत में पुर्नसंरचना के प्रयास
3.4 सारांश
3.5 अभ्यासार्थ प्रश्न
3.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे -

- विकेन्द्रीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में।
- विकेन्द्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों के बारे में।
- स्वतंत्र सरकार में परिवर्तित राजनीतिक संरचना के बारे में।
- विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप देने में आने वाली बाधाओं के बारे में।

3.1 प्रस्तावना

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता से पूर्व 1948 मे हरिजन पत्रिका मे लिखते हुए स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि "स्वतन्त्रता नीचे के स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक ग्राम अपने आप में पूर्ण शक्तिसम्पन्न पंचायत गणतंत्र का स्वरूप ग्रहण कर सकें"। आगे एक अन्य स्थान पर पुन: उनके द्वारा यही बात दोहराते हुए कहा गया था कि "सच्चे अर्थों मे केन्द्र में 20 निर्वाचित व्यक्तियों के बैठने से जनतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता इसे बनाने के लिए हर ग्राम को नीचे से जोड़ना होगा।"

दुर्भाग्य से हमने स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही अपने जनतंत्र का निर्माण "नीचे" के बजाय "ऊपर" से प्रारम्भ कर केवल केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर ही जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम कर यह सोच लिया कि हम ने पूरे देश में जनतंत्र की स्थापना कर ली है। लेकिन किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में जब तक जन-जन को नहीं जोड़ा जाये एवं हर स्तर पर अपने मामलों में अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के आधार पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाये तब तक जनतंत्र के अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

3.2 ऐतिहासिक संदर्भ

यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास जनतंत्र के बिना अधूरा होगा इसी प्रकार यह भी सही है कि जन-जन के जुड़ाव के अभाव मे जनतंत्र भी एक खोखला कवच बन कर रह जायेगा. इसलिए जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए "दृढ़ इच्छाशक्ति" एवं निष्ठा का होना

आवश्यक है जिसके अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को, राज्यों से जिलों को एवं जिलों से खण्ड इकाइयों एवं ग्राम पंचायतों तक अधिक से अधिक विकास से सम्बन्धित कार्यो एवं अधिकारों का हस्तांतरण निरंतर किया जा सकें। पंचायती राज व्यवस्था एक "स्थानीय स्वशासन" के रूप में उमर कर सामने आनी आवश्यक है जो न केवल विकास प्रशासन एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें बल्कि अंततोगत्वा स्थानीय स्तर पर न्याय एवं कानून व्यवस्था की शक्तियाँ भी ग्रहण कर सकें।

स्वतन्त्रता के पश्चात् गत 5 दशकों से ऊपर के हमारे अनुभव के आधार पर शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में कई बाधाएं दृष्टिगत हुई है जिनमें मुख्यरूप से माननीयविधायक गण सांसद व राज्य सरकार स्तर पर यह मानसिकता भी हावी रही है कि यदि स्थानीय विषयों के लिए शक्तियों का हस्तांतरण नीचे की इकाइयों में कर दिया जायेगा तो राज्य सरकारें कमजोर हो जायेगी। साथ ही यह भी आशंका निरंतर व्यक्त की जाती रही है कि पंचायती राज संस्थाएं एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधि अभी स्वशासी इकाइयों के रूप में जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए हैं एवं वे सोंपे गये कार्यो को भी कुशलता से सम्पन्न नहीं कर पाए है। वस्तुत: यह दोनों ही आशंकाएँ निर्मूल है एवं सत्ता को केन्द्रीकृत रखने की मानसिकता की परिचायक है क्योंकि अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित करने वाली सरकार कभी भी शक्तिविहीन नहीं होती बल्कि स्थानीय कार्यो के हस्तांतरण से वे कार्य अधिक कारगर ढंग से संपन्न हो पायेगें एवं राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय मामलों को और अधिक कारगर ढंग से निपटाने के लिए अधिक समय मिल सकेगा जिससे हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ़ स्वरूप ग्रहण कर सकेगी।

जहां तक स्थानीय स्तर पर सक्षमता का प्रश्न है, यह प्रश्न तो भारत छोड़ने से पूर्व विदेशी शासकों ने भी उठाया था कि हम अभी अपनी राज्य व्यवस्था स्वयं चला पाने के लिए सक्षम नहीं है लेकिन यह बात गत 60 वर्षों से भी अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रही हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था ने निर्मूल सिद्ध कर दी है एवं भारत विश्व के एक सबसे बड़े सफल जनतंत्र के रूप मे उभर कर सामने आया है। उपरोक्त आशंकाओं से यह भी परिलक्षित होता है कि हम अपनी स्वयं की स्थापित स्थानीय जनतांत्रिक प्रणाली में स्वयं ही विश्वास नहीं कर रहें है जबकि इसके विपरित आज से लगभग 127 वर्ष पूर्व ब्रिटिश राज्य के एक अंग्रेज शासक. लार्ड रिपन ने 1882 में जिला बोर्ड स्थापित करने के उनके प्रस्तावों पर उनके आलोचकों को तीखा जबाव देते हुए यह कहा था कि "स्थानीय स्तर पर प्रारम्भ में की गई त्रुटियों का निराकरण तो जन सामान्य के जीवन पर बिना किसी अधिक नुकसान के किया जा सकता है लेकिन केन्द्र स्तर जो भी गलतियाँ होती है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है एवं उनका सहज निराकरण भी संभव नही है।" उन्होंने आगे यह भी कहा था कि "जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का यह प्रस्ताव प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से नहीं रखा जा रहा है बल्कि मुख्य रूप से इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर राजनैतिक शिक्षा के लिए ठोस एवं कारगर प्रणाली का प्रार्दुभाव हो सकेगा। कालांतर में ज्यों-ज्यों स्थानीय स्तर पर स्वशासन की जिम्मेदारी बहन करने एवं स्थानीय हितों को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, प्रशासन मे कुशलता अपने आप बढ़ जायेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारम्भ में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में कई असफलताएं दृष्टिगत होगीं उनसे निराश होने के बजाय हमें इसमें और अधिक सुधार के लिए मौका मिल सकेगा। लेकिन यह भी सही है कि इस नीति के क्रियान्वयन में नौकरशाही का जितना अधिक सहयोग मिल सकेगा

उतने ही असफलता के मौके कम आयेगें" लार्ड रिपन का उपरोक्त कथन सवा शताब्दी के बाद आज भी अक्षरशः: सत्य है।

वस्तुतः किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सम्पूर्ण शक्तियाँ जनता से ही प्रवाहित होती हैं। जनता ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को संविधान के अन्तर्गत शक्तिसम्पन्न बनाती है। अब यह सर्वमान्य तथ्य है कि हर स्तर पर जब तक जन-भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी विकास की प्रक्रिया को सतत् गतिमान बनाया जाना संभव नहीं है। इस हेतु सत्ता का विकेन्द्रीकरण नितान्त आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की भाँति जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर तक 'स्वशासन' सुनिश्चित कर इन स्वशासी इकाइयों को स्थानीय निर्णयों के लिए पूर्णतः शक्ति सम्पन्न बनाया जाना आवश्यक है।

यह सर्व विदित है कि भारत में ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना आदिकाल से चली आ रही है। यह तथ्य न केवल ऋग्वेद में ही वर्णित है बल्कि अथर्व द की ऋचाओं में भी "ग्राम सभा" एवं "ग्राम समितियों" एवं ग्राम नेतृत्व का जगह- जगह उल्लेख मिलता है। आगे किसी ऋचा में यह उल्लेख है कि "प्रजा पालक''"सामान्य जन, शिल्पकार एवं दस्तकार, ग्राम्य अग्रज एवं समृद्धजन सभी ग्राम सभा में एकत्रित होकर सर्वजन हिताय कार्यो मे सहयोग करें। प्रजापालक एवं ग्राम्य अग्रज साथ मिलकर कार्य करें इसके साथ ही अथर्वेद की 3/4/2 ऋचा में भी निर्वाचित जनतान्त्रिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "राज्य की शासन व्यवस्था हेतु जनता तुम्हारा निर्वाचन करें एवं चारों दिशाओं और आकाश से तुम्हारे ऊपर आर्शिवादों की वर्षा हो। तुम राष्ट्र के शासन की बागडोर सम्भालों। शासन की शक्तियाँ ग्रहण कर हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का उचित बंटवारा कर हमें लाभान्वित करो।"

राम व विक्रमादित्य जैसे जनप्रिय राजा भी हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जनसाधारण की सलाह एवं विचारों को गम्भीरता से सुनते थे एवं पूर्ण महत्व देते थे। इस आदिकाल से चली आ रही परिपाटी से ही आगे चलकर ''ग्राम स्वशासन" एवं ''पंचपरमेश्वर" की परिकल्पना एवं आदि कालिन पंचायतों का प्रार्दुभाव हुआ जो न केवल ग्राम के सभी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम थे बल्कि उनमें पुलिस एवं न्याय व्यवस्था की शक्तियाँ भी अन्तर्निहित थी। रीति रिवाज एवं धार्मिक विचारों के आधार पर उन्हें ग्राम समाज में बहुत ही पवित्र एवं उच्च स्थान प्राप्त था। तत्कालिन पंचायतें गांवों के छोटे मोटे झगड़ों स्थानीय स्तर पर ही निपटा दिया करते थे जिससे सभी स्तर पर सर्वसम्मत रूप से वैधानिक शक्तियों के समान ही मान्यता दी जाती थी एवं आज की तरह जनता को पीढ़ियों तक अदालतों के चक्कर नही लगाने पड़ते थे। उपरोक्त पंचायत प्रणाली मुगल काल में भी प्रचलित रही लेकिन उनकी न्यायिक शक्तियां तत्कालिन निर्कुश शासक वर्ग ने अवश्य हथिया ली थी।

वस्तुतः निर्वाचित एवं जनता के प्रति जवाबदेय स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रथम बिजारोपण ब्रिटिश शासनकाल में 1667 में मद्रास नगर परिषद् से हुआ हांलाकि उस समय तक ग्राम पंचायती एवं ''पंचपरमेश्वर" व्यवस्था लगभग लुप्त प्राय सी हो चुकी थी जिसे 1835-36 में ''लघुग्रामीण गणतन्त्र के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया गया एवं इस व्यवस्था को लोर्ड मेयों के समय में कर वसूली का कार्य सौंपकर कुछ महत्व अवश्य दिया गया लेकिन लोर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव से भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था की ठोस बुनियाद रखने का प्रयास माना जाता है। लोर्ड रिपन ने इस व्यवस्था के आलोचकों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि ''स्थानीय स्तर पर की गई भूलो को तो सुधारा जा सकता है लेकिन केन्द्रीय स्तर पर की गई गलतियां जिनका जनमानस पर व्यापक असर होता है सुधारी नही जा सकती। लोर्ड रिपन के इस व्यवस्था को अधिक महत्व देने के बावजूद भी इस प्रणाली

के रास्तें में तात्कालिन नौकरशाही के रोड़ों के कारण अधिक सफलता नही मिल पाई। अन्ततः 1919 में ''चम्स फोर्ड सुधारों" की प्रक्रिया से कई प्रान्तों में इसे वैधानिक रूप प्रदान कर तत्संबन्धित अधिनियम लागू करने पर इस व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप मिल सका है साथ ही 1935 में कई प्रान्तों में लागू की गई लोकप्रिय निर्वाचित शासन व्यवस्था के अन्तर्गत भी पंचायतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

3.3 स्वतन्त्र भारत में पुर्नसंरचना के प्रयास

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसरण में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिनियम लागू कर साकार रूप प्रदान किया गया। बलवन्त राय मेहता कमेटी की शिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री. जवाहर लाल नेहरू ने नागौर में दीप जलाकर एक सुव्यवस्थित पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का गौरव राजस्थान को प्रदान किया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक दशक तक राज्य में पंचायती राज को अधिकाधिक महत्व दिया गया। पर कालान्तर में शनै: शनै: सभी कार्य वापस ले लिये गये एवं पंचायती राज एक निर्जीव ढाँचा बन कर रह गया। गत लगभग तीन चार दशक तक पंचायती राज को आधे अधूरे मन से इक्के दुक्के कार्य हस्तान्तरित करने व वापस लेने की ''आँख मिचोली" का खेल तत्कालीन सरकारों द्वारा खेला जाता रहा है।

राजस्थान की तरह पूरे देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कई अन्य राज्यों ने भी अंगीकृत किया, लेकिन कालान्तर में सभी राज्यों के नियमों में एकरूपता नहीं होने, शक्तियों के हस्तान्तरण एवं वित्तीय संसाधनों व आवश्यक क्रियान्वयन अमले के अभाव में ये संस्थाएं पूरे देश में एकरूपता, शक्ति सम्पन्न एवं पूर्णरूपेण स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित नहीं हो पाई। इसी दृष्टि से प्रथम बार इस विषय को राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय विचार मंच पर लाया जाकर भारत के संविधान में 62वां संशोधन करवाने वन प्रयास किया गया जो राज्य सभा में बहुमत के अभाव में पास नहीं हो पाया पर कालान्तर में वर्ष 1993 में पुन: यह महती निर्णय 73वें संशोधन के रूप में पारित करवाया गया जो जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन प्रणाली लागू करने के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम था।

संविधान के 73वें संशोधन के आदेशात्मक प्रावधानुसार पूरे देश में त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना. कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों पर आरक्षण, तीनों ही इकाइयों के लिए प्रतिनिधिगण का सीधा चुनाव, ग्राम सभाओं को अधिक शक्तिसम्पन्न बनाने, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना आदि की दृष्टि से पूरे देश में एकरूपता आ गई है एवं एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित हो चुका है।

संविधान के प्रावधानुसार इन संस्थाओं को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है एवं यह परिकल्पना की गई है कि स्थानीय स्तर पर ये संस्थाएं स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करेगीं, पर कार्यो के हस्तानान्तरण के विषय में संविधान की अनुसूची 11 में 29 विषय अंकित कर उनके हस्तान्तरण का निर्णय राज्य विधायिका/सरकार के विवेकाधीन कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप केरल कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात आदि कतिपय राज्यों को छोड़कर राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कार्य, वित्तीय प्रावधान, कियान्वयन अमले एवं निर्णय लेने की प्रशासनिक, वित्तीय एवं राजनैतिक शक्तियों का हस्तान्तरण एवं संविधान की धारा

243 (जी) की मंशा के अनुरूप ‘‘आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय” की विकेन्द्रीकृत योजनाएं बनाने का कार्य सही रूप में लगभग डेढ दशक के अन्तराल पर भी नहीं हो पाया है एवं संविधान में निहित मंशा की पूर्णरूपेण पूर्ति नहीं हो सकी है एवं न ही गाँधीजी के 'ग्राम स्वराज्य' का स्वप्न ही साकार हो पाया है।

राज्य विधायिका के निर्णयानुसार संयोगवश राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में कार्यो के हस्तान्तरण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 50, 51 व 52 के अन्तर्गत प्रावधित अनुसूची 1,2, व 3 में ‘‘आदेशात्मक” प्रावधान होते हुए भी सभी 29 कार्यो, तत्सम्बन्धी वित्तीय संसाधन एवं कर्मचारीगण का अमला अभी भी इन संस्थाओं को हस्तान्तरित नही हो पाया है जिसके अभाव में ये संस्थाएं स्वशासी इकाइयों' के स्थान पर राज्य सरकार की एजेंसी' के रूप में ही कार्यरत है एवं अपना सही स्वरूप व आवश्यक शक्तियां ग्रहण कर पाने में असमर्थ रही है। इसका स्पष्ट कारण अधिनियम की उपरोक्त सम्बंधित धाराओं में एक पंख लगा कर राज्य सरकार को “हस्तान्तरण हेतु शर्तें तय करने" का अधिकार भी दे दिया जाना है। उक्त शर्तें अभी तक भी निर्धारित नहीं की गई है। कतिपय विधि विशेषज्ञों की यह भी राय है कि यदि राज्य सरकार ने कोई शर्तो का नियमों में प्रावधान ही नहीं किया है तो उपरोक्त अनुसूचियों में अंकित समस्त कार्य पंचायती राज संस्थाओं में अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधान के कारण स्वत: ही निहित हो जाते है। पर यह मत यदि सिद्धान्ततः सही भी है तो इन विषयों के लिए उपलब्ध योजना व योजना भिन्न की राज्य बजट की धनराशि व सम्बन्धित क्रियान्वयन अमला जब तक हस्तान्तरित नहीं हो जाता है तब तक पंचायती राज संस्थाएं इन कार्यो को अंजाम देने के लिए सक्षम नहीं हो सकेंगी।

राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को मार्च, 2001 में प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात ऐसा लगा था कि तत्कालीन सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से इस आयोग की अनुसंशाओं को लागू करने का मानस बना लिया था जिसके प्रतिफल स्वरूप ही जनवरी 2002 में ही इन संस्थाओं के सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएं नीचे के स्तर पर इन संस्थाओं द्वारा स्वयं बनाने, अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करने एवं योजनाओं को स्वीकृत कर क्रियान्वित करने के महती उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य आयोजना बोर्ड ने राज्य आयोजना का कुछ अंश इन संस्थाओं को निर्बन्ध राशि के रूप में देने का निर्णय लिया था और राज्य सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत योजनाओं की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु राज्य स्तर पर श्री भागीरथ शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन कर दिया था। जिसका प्रतिवेदन भी कई राज्यों का अध्ययन करने के पश्चात जुलाई 2002 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था। इस विषय के सम्बन्ध में ही अलग से एक मंत्रीमण्डलीय उपसमिति भी बनाई गई थी और जिला प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों व पंचायती राज से जुड़े अधिकारियों आदि की अलग-अलग कार्यशालाएं बुलाकर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श भी शुरू कर दिए गये थे एवं यह भी तय किया गया था कि विधान सभा का इस विषय पर अलग से एक अधिवेशन आयोजित किया जाय। इससे ऐसा दृष्टिगत हो रहा था कि जहां कहीं वैधानिक प्रावधानों में संशोधनों की जरूरत है संशोधन करवाए जाकर पूर्ण विकेन्द्रित व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। चाहे देर से ही सही तत्कालीन राज्य सरकार के उपरोक्त कदम जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं स्वागत् योग्य कदम होते पर दुभार्ग्य से तत्कालीन सरकार ने भी आधे अधूरे मन से केवल कागज पर 16 विभागों के कतिपय कार्य सौपने की लिपापोती ही की पर वास्तविक

रूप से आवश्यक धनराशि एवं कार्यकारी अमला व पूर्णरूप से सत्ता का हस्तान्तरण इन कार्यो के लिए भी नहीं हो सका एवं सरकार का समय समाप्त हो गया और पंचायती राज का उस समय भी यह स्वप्न फिर अधूरा ही रह गया।

गत भाजपा सरकार ने भी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिसों पर विचारार्थ श्री अनिल वैश्य अति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति अवश्य बनाई थी पर इस संदर्भ में यह सरकार भी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं बना पाई और पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी कुछ नहीं कर पाई, जबकि वैश्य कमिटी की कई बैठकें हुई पर उक्त कमिटी ने क्या रिपोर्ट दी यह भी जन जाहिर किया गया और न ही कोई कार्यवाही ही की गई और पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति तक गत सरकार द्वारा भी आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। किसी भी विषय की कोई भी शक्तियां हस्तान्तरित करना तो दूर रहा बल्कि अशोक गहलोत की पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में जो 15 विषयों के कार्यो का आधा अधूरा हस्तान्तरण किया था. को भी वापस लेकर पुन: पूर्णरूपेण राज्य केन्द्रीय व्यवस्था कायम कर वर्ष 2004-05 में हुये पंचायती राज निर्वाचन में लगभग सवा लाख निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उभरी स्वशासन की जन आकांक्षाओं पर भी पानी फेर दिया गया। राज्य में उसी समय सभी स्तर पर पंचायतों का निर्वाचन कार्य भी सम्पन्न किया गया एवं फरवरी 2005 के प्रारम्भ में नई पंचायतें गठित हो गई एवं पुन: सवा लाख नवनिर्वाचित प्रतिनिधि पदासीन हो गये। वे भी पूर्व की भाँति वर्तमान व्यवस्था में जनआकांक्षाओं को फलीभूत करने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहे है।

विकेन्द्रीकृत आयोजना प्रकिया निर्धारण हेतु गठित शर्मा समिति की रिपोर्ट (जुलाई 2002) भी अभी तक ठण्डे बस्ते में बंधी हुई है जबकि इस हेतु योजना आयोग के विकेन्द्रीकृत आयोजना के संबंध में आदेशात्मक प्रावधानों की पालना भी नहीं की जा रही है जिससे अनुसार जिला सेक्टर अलग से सृजित कर जिला, खण्ड, पंचायत स्तर पर धनराशि उपलब्ध करवाकर स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनायें बनाकर जिला आयोजन समिति के माध्यम से समेकित कर राज्य योजना के साथ जोड़ी जाने के स्पष्ट निर्देश है। वास्तव में इन निर्देशों की भी राज्य सरकार द्वारा अब तक खिल्ली ही उड़ाई जा रही है एवं जिला स्तर पर नौकरशाही के माध्यम से योजना बनाकर जिला आयोजना समिति के द्वारा समेकित कर महज औपचारिकता पूरी कर योजना आयोग को भी इसे विकेन्द्रित आयोजना के रूप में प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है। यदि केरल जैसे इस संबंध में अग्रगण राज्य के उदाहरण ले तो यह विदित होगा कि वहा राज्य कुल आयोजना राशि का लगभग 43 प्रतिशत भाग जिला सेक्टर को आवंटित होता है जो निर्धारित मापदण्डों के आधार पर नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत स्तर तक आवंटित किया जाता है एवं वास्तविक रूप में विकेन्द्रीकृत आयोजना प्रणाली की अक्षरशः पालना हो रही है जबकि राजस्थान जैसे प्रदेश में इस प्रणाली को योजना आयोग के बार-बार निर्देशों की पालना के बावजूद भी नहीं लागू कर तृणमूल स्तर पर कार्यरत जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

तत्कालीन भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर की पहल पर पंचायती राज को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में गोलमेज सम्मेलन बुलाये गये जिसका अन्तिम दशवा चरण राजस्थान में ही पूरा हुआ। इससे पुनः आशाएं अवश्य जागृत हुई थी पर राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण ''वही ढाक के दो पात रहे" जिससे स्पष्ट है कि ''अभी भी स्वप्न दूर है"। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 35 लाख निर्वाचित

जनप्रतिनिधि है एवं हमारा देश इस दृष्टिकोण से विश्व में सबसे बडी विकेन्द्रीकृत जनतान्त्रिक प्रणाली के रूप में उभर कर आया है पर इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होते हुए भी केवल केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों को छोड़कर संविधान में उल्लेखित कार्यो. वित्तीय संसाधनों एवं कार्यकारी अमले के हस्तान्तरण के अभाव में तृणमूल पर स्थापित इतनी बडी जनतान्त्रिक व्यवस्था का ढाँचा निष्क्रियता एवं निराशा के अंधकार में धकेल दिया गया है।

3.4 सारांश

अब चूँकि पुन: राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है एवं उनकी पूर्व कार्यकाल में ही प्रशासनिक सुधार आयोग एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना प्रकिया समिति आदि का गठन किया गया था एवं उस समय उक्त सरकार की स्पष्ट इच्छाशक्ति भी परिलक्षित हुई थी कि राजस्थान में पंचायतीराज को पूर्णरूपेण सशक्तिकृत कर देश में इस राज्य को पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से अग्रगण राज्य का दर्जा दिलवाये गे। इसी परिप्रेक्ष्य में यह माना जा रहा है कि नई सरकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज का तत्काल सशक्तिकरण करेंगी जिससे वे भी वर्तमान सरकार द्वारा इस राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु लिए गए महत्ती संकल्प को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी निभा सके।

3.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के महत्व पर प्रकाश डालिये?
2. विकेन्द्रीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिये?
3. विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप बदलती संरचना पर प्रकाश डालिये?
4. विकेन्द्रीकरण की दिशा में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिये?

3.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस. आर. माहेश्वरी : भारत में स्थानीय प्रशासन, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2008
2. अशोक शर्मा : भारत में स्थानीय प्रशासन, जयपुर, आर. बी. एस. ए., 2000
3. के. के. शर्मा : भारत में पंचायती राज, जयपुर, कॉलेज बुक डिपो, 2005
4. बसन्ती लाल बाबेल : राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, जयपुर, बाफना पब्लिकेशन, 1994।

इकाई - 4

पंचायत राज व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य
4.1 प्रस्तावना
4.2 भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन के मुख्य प्रावधान
4.3 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा एवं कार्य
4.3.1 जिला परिषद
4.3.2 पंचायत समितियां
4.3.3 ग्राम पंचायतें
4.4 क्या हो वर्तमान स्वरूप एवं सशक्तिकरण
4.5 सारांश
4.6 अभ्यासार्थ प्रश्न
4.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायें गे -

- 73 वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों के बारे में।
- पंचायत राज व्यवस्था की संरचना के बारे में।
- जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के कार्यों के बारे में।
- पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में।

4.1 प्रस्तावना

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद पंचायत राज निकायों के नियमित चुनाव, महिलाओं को 1/3 आरक्षण, अलग से निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन आदि प्रावधान किये गये। किन्तु पंचायत राज संस्थाओं की प्रभावशीलता के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके।

4.2 भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन के मुख्य प्रावधान

73वां संविधान संशोधन संसद से 1993 में पारित हु आ जो एक ऐतिहासिक कदम था। संविधान संशोधन में कतिपय आदेशात्मक प्रावधान किये गये है जिससे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता आ गई है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार है:-

(1) त्रीस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद।

(2) प्रत्येक पंचायत से ग्राम सभा का गठन - जो ग्राम संसद के रूप में कार्य करती है।

(3) महिलाओं हेतु न्यूनतम एक तिहाई सीटों का अनिवार्य आरक्षण।

(4) अनुसूचित जाति जन जाति हेतु उनकी जन संख्या के अनुपात में आरक्षण।

(5) ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेम्बर एवं सरपंच का तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों का भी निर्वाचन क्षेत्र बनाकर सीधा चुनाव।

(6) राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो निष्पक्ष रूप से समय पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार।

(7) हर स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का 5 वर्ष का समान कार्यकाल।

(8) हर राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो राज्य कर आय का समुचित हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित करने की सिफारिश करने हेतु उत्तरदायी।

(9) प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति का गठन (74 वें संविधान संशोधन से)

73 वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों को 29 विषयों से संबंधित कार्य करने की शक्तियां एवं अधिकार देने का उल्लेख भी है उक्त विषय संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में दर्ज है जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर अंकित है। पर यह प्रावधान आदेशात्मक नहीं होकर उक्त कार्य एवं शक्तियों के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार यह प्रावधान राज्य सरकारों के स्वविवेकाधीन होने के कारण उक्त विषयों के हस्तान्तरण की स्थिति विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है।

केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्धप्रदेश आदि राज्यों में अधिकांश विषय हस्तान्तरित कर दिये गये है, जबकि राजस्थान में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त कोई कार्य हस्तान्तरित नहीं है।

4.3 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा एवं कार्य

राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं का त्रीस्तरीय ढांचा निम्नानुसार है :-

जिला स्तर पर - जिला परिषदों (33)

(ब्लाक स्तर) - पंचायत समितियां (249)

ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायतें (9166)

उपरोक्त संस्थाओं की संरचना एवं वैधानिक कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

4.3.1 जिला परिषद

जिला प्रमुख का पद सर्वोच्च है जिसका निर्वाचन जिला परिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है, एक पद उप प्रमुख का होता है जिला परिषद की आमसभा में प्रमुख, उप प्रमुख जिला परिषद के सदस्य भाग लेते है जिन्हें मतदान का अधिकार है। जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जिला कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व परिषद एवं जिले के अन्य विभागीय अधिकारी भी भाग लेते हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।

कार्य संचालन हेतु पंचायतीराज अधिनियम की धारा 55 के प्रावधान अनुसार 6 स्थाई समितियां बनी हुयी है जो (1) प्रशासन व स्थापन (2) वित्त एवं करारोपण (3) शिक्षा (4) विकास व उत्पादन (5) ग्रामीण जल प्रदाय स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएं तथा (8) ग्रामीण विकास से संबंधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूचि में अंकित कार्यानुसार जिला परिषदों द्वारा- जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं बनाने, कृषि विकास, कृषक प्रशिक्षण एवं भू संरक्षण संबंधित कार्य, सांख्यिकी, एकत्रीकरण, ग्रामीण सड़कें एवं भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवासन व गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सोंपने का प्रावधान है।

4.3.2 पंचायत समितियां

पंचायत समितियों के प्रधान का पद सर्वोच्च है जिसका निर्वाचन सीधे निर्वाचन से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किया जता है। आमसभा में प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य जिन्हें मतदान का अधिकार है एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति में कार्यरत अन्य अधिकारीगण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी भाग ले सकते है जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धरा 51 में पंचायत समितियों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अधिनियम में संलग्न द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तदानुसार प्रमुखत: सौंपे गये कार्यो व विषयों से संबंधित वार्षिक योजनाऐं तथा राज्य वार्षिक बजट तैयार करना ऐसे कृत्यों का पालन जो उसे सरकार एवं जिला परिषद द्वारा सोपें जाय, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना आदि साधारण कार्यो के अतिरिक्त कृषि विकास एवं विस्तार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रमों की निगरानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आपात सहायता, पंचायतों का पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन आदि विशिष्ट कार्य है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सौंपे जाने का प्रावधान है।

4.3.3 ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंचों का जनता द्वारा सीधा निर्वाचन होता है। पंचायतों की बैठकों में सरपंच, उप सरपंच एवं सभी वार्ड पंचों जिन्हें मतदान का अधिकार है के अलावा ग्राम सेवक एवं पदैन सचिव एवं विशेष आमंत्रित अन्य विभागीय कर्मचारी भाग लेते है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 50 के अधीन ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में अंकित है तदानुसार साधारण कृत्यों में पंचायत क्षेत्र की विकास योजनाऐं तैयार करना, वार्षिक बजट बनाना, गाँवों की आवश्यक सांख्यिकी रखना, **प्रशासन के क्षेत्र में-** पंचायत की सार्वजनिक सम्पत्तियों का संख्यांकन जनगणना करना शिकायतों का उचित स्तर पर रिपोर्ट एवं निपटान, पंचायत अभिलेखों की तैयारीकरण एवं साधारण जन्म मृत्यु और विवाह का नियमानुसार पंजीकरण सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शर्तों के अधीन सौंपे जाने वाले कार्यो में (1) कृषि विस्तार सहित कृषि, (i) बंजर भूमियों का विकास (ii) चरागाह विकास (iii) कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी (2) पशुपालन डेयरी एवं कुक्कुट पालन, (3) पेयजल (4) गरीबी उन्मूलन (5) प्रारम्भिक शिक्षा (8) ग्रामीण स्वच्छता (7) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (8) महिला एवं बाल विकास (9) लोक

वितरण (राशन) व्यवस्था एवं (10) आस्तियों (परिसम्पतियों) का रख रखाव आदि कार्य सम्मिलित है।

उपरोक्त सभी स्तर पर अंकित कार्यो का उल्लेख वैधानिक प्रावधानों में है पर उक्त सभी कार्य हर स्तर पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 50, 51 व 52 के अन्तर्गत क्रमश: द्वितीय व तृतीय उल्लेख है जो 73वें संविधान संशोधन की अनुसूचि 11 के अनुसरण में अंकित की गई है पर जब तक राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेशों द्वारा उक्त कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे नहीं जायेंगें वे उक्त सभी कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं हो सकेगी। अतः वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के अलावा पंचायती राज संस्थाऐं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वार उन्हें सौंपी गई कतिपय विकास योजनाओं की क्रियान्विति एजेन्सी के रूप में ही संचालित कर रही है। उक्त प्रमुख योजनाऐं निम्नानुसार है :-

1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम -

(1) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना - गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों का चयन कर स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलम्बन से जोड़ना।

(2) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना - (डी.पी.आई.पी.) विश्व बैंक की सहायता से राज्य से 7 जिलों में यथा - बांरा, चूरू, दौसा धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक के 7039 गाँवों में गरीब परिवारों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समान रूचि समूहों में जोड़कर उनकी क्षमता विकास कर आय सृजन गतिविधियों से जोड़ने हेतु ऋण व अनुदान की सुविधाएं प्रदान करना है।

(3) महानरेगा - यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है जिस के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक ऐसे परिवार को जो रोजगार के लिए आवेदन करे वर्ष में 100 दिन का रोजगार कानूनी हक के तौर पर ‘‘गारंटी” के रूप में देने का कानूनी प्रावधान है।

(4) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य प्रमुख योजनाऐं जो पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है। निम्नानुसार है :-

(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य में 12 पिछड़े जिलों में 1 करोड़ रू. प्रतिवर्ष राशि से मूल भूत ढाँचे का विकास करना है। राज्य में बांसवाडा, बाड़मेर, चित्तोड़ुगढ़ डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर जिले सम्मिलित है।

(ii) ग्रामीण आवासीय योजना - इंदिरा गाँधी आवास योजना - अनुसूचित जाति जनजाति एवं गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को आवास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

(iii) सांसद निधि - प्रत्येक सांसद क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रू. उपलब्ध कराये जाते है जिससे विकास कार्य कराये जाते है।

(iv) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना - प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा न करोड़ रू. प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाते है। जिससे विभिन्न विकास कार्य कराये जा सकते है।

(v) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम - केन्द्र सरकार के वित्तीय योगदान से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, पीने का साफ पानी, कचरे का निपटान, मलमूत्र का निपटारा, गंदे पानी की निकासी आदि कार्य सम्मिलित है।

(vi) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा योजना - इन कार्यक्रमों में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा परित्यक्ता पेंशन योजना, निशक्तजन पेंशन, अन्नपूर्णा योजना , अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा योजना, जन श्री बीमा योजना आदि सम्मिलित है।

(vii) मानव विकास संबंधित योजनाओं में - स्वास्थ्य संबंधित दाई, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम जननी सुरक्षा, भोजन तथा शिक्षा संबंधित योजनाओं में बालिका शिक्षा, शिक्षा के अधिकार कानून में प्रारम्भिक स्तर तक अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा ग्रामीण पोषाहार एवं मिड़ डे मील आदि सम्मिलित है।

(viii) आजीविका संवर्धन हेतु - प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं में महिला एवं बाल विकास योजनाऐं आदि सम्मिलित है।

4.4 क्या हो वर्तमान स्वरूप एवं सशक्तिकरण

प्रथम आवश्यकता ढाँचागत सुधार की है। वर्तमान व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था के लिये प्रावधित त्रिस्तरीय ढांचे में सभी स्तर पर प्रतिनिधिगण के सीधे चुनाव की प्रक्रिया के कारण अन्तर स्तरीय समन्वय में कमी आ गई हैं। पूर्व व्यवस्था में सीधा चुनाव पंचायत स्तर पर ही होता था एवं सरपंच, पंचायत समिति में एवं प्रधान, जिला परिषद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें तीनों ही स्तर पर सीधा तालमेल था। चुनाव प्रक्रिया भी बहुत खर्चीली एवं जटिल हो गई हैं। अत राज्य सरकार द्वारा इस हेतु संविधान में संशोधन करने हेतु भारत सरकार को लिखा जाकर पूर्व व्यवस्था लागू करवाई जावे तो उपयुक्त होगा। जब तक पूर्व व्यवस्था लागू न हो जिला परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों की एवं पंचायत समिति के प्रतिनिधि संबंधित पंचायत की सभी बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत किये जाय। वर्तमान व्यवस्था में सीधे चुने हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य अपने आपको खाली महसूस कर रहे है। अत: जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की स्थाई समितियों की संख्या बढा कर 10 की जाय जिससे सीधे निर्वाचित सभी सदस्य किसी न किसी समिति के सदस्य बन कर सेवाएं दे सके। साथ ही ऊपरी स्तर की संस्थाओं को नीचे के स्तर की संस्थाओं के पर्यवेक्षण की शक्तियां भी प्रदान की जाय। इससे कार्यो की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी। पश्चिमी बंगाल में लागू व्यवस्था के समान ही राजस्थान में भी जिला स्तर पर एक ‘‘जिला पर्यवेक्षण समिति” (डिस्ट्रिक्ट काउंसिल) बनाई जाय जिसके अध्यक्ष उस जिले के विपक्ष के नेता हो। यह समिति विकास कार्यो का सतत मूल्यांकन कर वित्तीय नियमों की पालना एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकेगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पंजियन को रह कर उन्हें जिला परिषदों में समामेलित कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त हर ग्राम में ‘‘ग्राम सभा” हो एवं वर्तमान में पंचायत स्तर पर गठित ग्राम सभा को ‘‘पंचायत सभा” का रूप दिया जाय। साथ ही ‘‘न्याय पंचायतों” की व्यवस्था पुन: चालू की जाय जिससे छोटे मामलों में ग्राम स्तर पर ही सस्ता एवं त्वरित न्याय सुलभ हो सके।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्यो का हस्तांतरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है अतः राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची 1, 2 व 3 व संविधान की अनुसूची 11 में अंकित सभी विषयों/कार्यो के हस्तान्तरण हेतु सुस्पष्ट आदेश अब तत्काल जारी कर दिये जायें एवं इस हेतु जहां भी अधिनियमानुसार ''किन्हीं शर्तों'' को लगाना आवश्यक हो, उनका नियमों में ही प्रावधान कर दिया जाय। उक्त आदेश तत्काल जारी किए जाय जिससे ये संस्थाएं अपना वांछित स्वरूप ग्रहण कर शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील हो सके। इस हेतू पूरे देश में समान व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य यह भी आवश्यक है कि संविधान की अनुसूची 11 में ''विकास कार्यो'' के साथ ही ''वैधानिक'' (रेगूलेटरी) एवं "व्यवस्थात्मक" (मेन्टेनेन्स) संबंधित विषय जोड़ कर इस सूची को ''केन्द्र'' व "राज्य सूचियों" की तरह आदेशात्मक बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संविधान संशोधन के लिये भी भारत सरकार को निवेदन किया जाय। इस हेतू यह भी उपयुक्त होगा कि संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों के लिये लागू ''समवर्ती सूची'' की तरह राज्य व पंचायतों के बीच कार्यो की एक ''समवर्ती सूची'' भी तैयार कर आदेशात्मक प्रावधानों से लागू की जाये, जिससे संविधान के अन्तर्गत ही सच्चे अर्थों में जिला सरकार की स्थापना सम्भव हो सकें।

संविधान की मंशा इन संस्थाओं को केवल ''विकास कार्यो'' तक ही सीमित रखने की नहीं है बल्कि सच्चे अर्थों में इन्हें सत्ता व सरकार में भागीदार बनाना है। अतः पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अपना अध्यक्ष चुन कर ''जिला सरकार'' की स्थापना की जाये एवं जिला कलक्टर या जिला विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को जिला सरकार का "मुख्य सचिव" बनाया जाकर जिला स्तर तक के सारे निर्णयों का अधिकार एवं सभी शक्तियां जिला सरकार को सौंपी जाय। अन्र्तजिला प्रकरणों व राज्य स्तर के कार्यो/ परियोजनाओं से संबंधित कार्य एवं शक्तियां ही राज्य सरकार के पास रखी जाय।

राज्य सरकार द्वारा जब तक इन संस्थाओं को समुचित वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा इन संस्थाओं को सौंपे गये आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं बना कर लागू करने का महत्ती कार्य हेतू संवैधानिक प्रावधान एक ''पवित्र इच्छा'' के रूप में ही अंकित रह जायेगा। अतः राज्य सरकार शीघ्र ही अपने करों व अन्य श्रोतों से आय का समुचित हिस्सा इन संस्थाओं को हस्तान्तरित करने हेतु अधिनियम में संशोधन कर आदेशात्मक प्रावधानों से लागू करे।

संविधान के अनुच्छेद 243(2) में नियुक्त प्रथम राज्य वित्त आयोग ने भी राज्य की शुद्ध आय का केवल 2.18 प्रतिशत हिस्सा ही देने की सिफारिश कर इतिश्री करली। जिस पर पूर्व मंत्री व उक्त आयोग के सदस्य श्री चन्दनमल बैद ने अपना विमत देकर इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ाने एवं कालान्तर में केन्द्र की आय में से राज्य के 29 प्रतिशत हिस्से के बराबर करने का सुझाव दिया था। राज्य वित्त आयोग की द्वितीय एवं तृतीय रिपोर्टो में भी क्रमशः केवल 2.25 प्रतिशत एवं 3.50 प्रतिशत हिस्सा देने की ही सिफारिश की गई है जो इन संस्थाओं के साथ एक प्रकार से छलावा ही किया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतों का हिस्सा राज्य की शुद्ध आय का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिये। साथ ही राज्य के वित्तीय संसाधनों को "राज्य सेक्टर" एवं ''जिला सेक्टर" दो हिस्सों में बांटा जाये। जिला व नीचे के स्तर की विकास योजनाएं, स्टाफ आदि से संबंधित

समस्त प्रावधान ''जिला सेक्टर" में कर दिए जाय। "राज्य सेक्टर" में केवल राज्य स्तरीय व अर्न्तजिला योजनाओं के कार्यो के ही प्रावधान रखे जाय।

आयोजना व आयोजना भिन्न के अन्य सम्पूर्ण प्रावधान भी जो 11 बी अनुसूची में 29 कार्यो व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की 1, 2 व 3 अनुसूची के समस्त क्रियाकलापों व तत्संबंधित स्टाफ से संबंधित है, वह समस्त राशि भी पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल हस्तांरित किया जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आयोजना प्रावधानों का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा ''निर्बन्ध राशि" के रूप में जिला आयोजना समिति को आंवटित किया जाय जिससे जिला योजनाएं बनाने का कार्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर वास्तविक रूप में सम्पन्न किया जा सके। भू राजस्व की सम्पूर्ण राशि भी पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित कर दी जाय। एवं जिला एवं खण्ड स्तर पर ''वैधानिक कोष" सृजित किये जाय व समस्त आय, अनुदान व आंवटन की राशि उक्त कोष में रखी जाकर नियमानुसार उपयोग किया जाय।

पंचायतें स्थानीय स्तर पर टैक्स लागू करने के लिये नियमों में प्रावधान होते हु ये भी हिचकिचाती है। अत: गृह कर, मनोरंजन कर, वाहन कर, मवेशियों व सामान के आयात पर चुंगी आदि पंचायतों द्वारा वसूली के ''आदेशात्मक प्रावधान" अधिनियम में किए जाने आवश्यक हैं। इसी प्रकार पंचायत समितियों के लिये व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, मेले आदि पर कर एवं भू राजस्व व शिक्षा के लिये "सेस" लागू किया जाय। जिला परिषदों को स्टाम्प डयूटी पर 15 प्रतिशत सरचार्ज व मंडी शुल्क जलदरों पर, आबकारी एवं खनिज आदि पर "सेस" लागू करने के भी आदेशात्मक प्रावधान कर लागू किये जाय।

राज्य स्तर पर एक "पंचायत वित्त बोर्ड/निगम" की स्थापना की जाय जिससे पंचायती राज संस्थाओं को लाभकारी पूंजीगत निर्माण कार्यो के लिये लम्बी अवधि के ऋण इरा संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सुलभ हो सके। भौतिक संसाधनों के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर पंचायत, खण्ड व जिला स्तर पर योजनाएं/परियोजनाएं बनाई जाकर लागू की जाय। इन योजनाओं के चिहींकरण करने, योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने एवं पश्चातवर्ती देखरेख आदि कार्य जनभागीदारी से किए जाय। कर्मचारीगण बाहर से तकनीकी मदद प्रदान करें।

जनप्रतिनिधियों के स्थान पर लेखा साधारण व वित्तीय संसाधनों के नियमानुसार सही उपयोग का दायित्व संबंधित सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप कर जिम्मेवार बनाया जाय। साथ ही निजी आय व अन्य हस्तांतरित सभी कार्यो के लिये समस्त वित्तीय अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाय।

हस्तांतरित सभी कार्यो, योजनाओं से संबंधित जिला स्तर व उससे नीचे के स्तर के समस्त क्रियान्वयन अमले को जो संविधान की अनुसूची 11 व अधिनियम की अनुसूची 1, 2 व 3 से संबंधित कार्यो के लिये सृजित है, तत्काल प्रभाव से पंचायतों राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना आवश्यक है साथ ही उन पर प्रशासनिक व अनुशासनाताक नियन्त्रण के सभी अधिकार भी इन्हीं संस्थाओं को दिए जाय। इस सन्दर्भ से प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी पुरजोर सिफ की गई है कि समस्त शक्तियों/कार्यो, संसाधनों व कार्यकारी अमले का हस्तांतरण ''एक ही आदेश" से किया जाय। टुकड़ों में की गई कार्यवाही से कार्य निष्पादन व वांछित परिणामों में बाधा आती है, जैसा कि अब तक होता आया है।

पंचायती राज के सशक्तिकरण के साथ-साथ विकास प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन करना भी आवश्यक है। विकास आयुक्त के पद को मुख्य सचिव की वेतन श्रृंखला में परिवर्तित किया जा चुका हैं अतः अब ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागो के सचिव उनके अधीनस्थ किये जायें। विशिष्ट योजना संगठन (अब ग्रामीण विकास विभाग) एवं पंचायती राज विभाग जो अलग-अलग कार्यरत थे को एक ही विभाग में परिवर्तित कर एक ही प्र मुख सचिव व 2 शासन सचिवों के अधीन किया जा चुका है। पर इस व्यवस्था में यह आवश्यक है कि एक आयुक्त प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्था देखे, दूसरे आयुक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्य देखे। इससे तालमेल सुदृढ़ होगा एवं दोहरे स्टाफ के पदों को समाप्त कर भारी बचत भी की जा सकेगी।

राज्य स्तर पर एक ''राज्य स्तरीय विकास परिषद" का मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठन किया जाय जो अन्र्तजिला राज्य-जिला एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों मे एवं विकास कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु नीतिगत निर्णय ले एवं एक विचार मंच (थिकटेंक) के रूप में भी कार्य करें।

जिला स्तर पर ''विकास प्रशासन" को ''राजस्व प्रशासन" से अलग कर जिला परिषद को सौंप दिया जाय। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयनित वेतनमान (विशिष्ट शासन सचिव स्तर) के अधिकारी को ''जिला विकास आयुक्त" के पदनाम से लगाया जाय, जो जिला कलेक्टर से वरिष्ठ हो। जिला कलेक्टर को राजस्व वसूली से संबंधित, बिक्रीकर, खान, आबकारी आदि समस्त राजस्व विभागों का काम सौंप कर तत्संबंधित जिला अधिकारीगण को उनके अधीन किया जाये। इससे राजस्व आय की वृद्धि होगी। साथ ही उनके वर्तमान कार्य कानून व्यवस्था, जन समस्या निराकरण, व जिला मजिस्ट्रेट के कार्यो की गुणवत्ता में भी वृद्धि के लिये उन्हें अधिक समय मिल जायेगा।

ग्रामीण विकास से संबंधित सभी जिलाधिकारीगण को जिला विकास आयुक्त व जिला परिषद के अधीन किया जाय। खण्ड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारीगण को पंचायत समिति के अधीन एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण को ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया जाय। विकास अधिकारी के पद को ''सहायक विकास आयुक्त" के पद नाम से उच्चतर वेतन श्रृंखला में कर अलग से राजस्थान विकास सेवा लागू की जाय। तब तक इस पद पर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के राज्य प्रशासनिक सेवा या कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण को लगाया जाय। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये जिला कलक्टर बनने से पूर्व एक वर्ष सहायक विकास आयुक्त के पद पर कार्य करना अनिवार्य किया जाय। ग्राम सेवक एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का एकीकरण कर सभी पंचायतों में बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के पूर्ण कालिक सचिवों के पद पर पदस्थापन किया जाय। पटवारी के पदनाम को ''लेखपाल" में बदल कर उसे पंचायत के अधीन कर दिया जाय। सभी ग्राम स्तरीय अधिकारी पंचायतों के अधीन, यथासम्भव पंचायत घर में ही बैठे, जिससे ''ग्राम सचिवालय" स्थापित हो सके एवं एक ही स्थान पर ग्रामीणों के सभी कार्य हो सके।

जिला स्तर पर एक ''सतर्कता अधिकारी" (ओम्बुडसमेन) की नियुक्ति की जाय, जो पंचायती राज संस्थाओं एवं विकास प्रशासन के कार्यो पर निगाह रख कर पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके।

पंचायती राज के सशक्तिकरण का कार्य बिना प्रशिक्षण के पूरा नहीं हो सकेगा। इस हेतु इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान को जनप्रतिनिधि/अधिकारीगण के प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास से संबंधित

शोध कार्यो व संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित कर सुदृढ़ बनाया जाय। योग्य अकादमिक स्टाफ एवं निदेशक का खुले रूप में चयन कर लगाए जाय। वर्तमान में कार्यरत 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र इस संस्था के अधीन कर दिये गये हैं। अब इसी संस्था के अधीन हर जिले में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये जाये। जिससे जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

आधारभूत संरचना निर्माण हेतु ग्राम स्तर व पंचायत समिति स्तर पर कर्मचारी आवासीय व्यवस्था हेतु एक वृहद कार्यक्रम हुड़को से ऋण लेकर हाथ में लिया जा सकता है जिससे ''ग्राम सिविल लाईन", ''पंचायत समिति सिविल लाईन" व 'जिला परिषद् सिविल लाइन" का निर्माण किया जाय। सभी कर्मचारी जिनके स्वयं के मकान मुख्यालय पर नहीं है उन्हें इन आवासों में रहना अनिवार्य कर दिया जाय। किराए की राशि से समस्त ऋण का भुगतान कुछ ही वर्षों में हो जायेगा एवं एक विशाल परिसम्पत्ति व सुविधा सृजित हो सकेगी एवं राज्य कोष पर कोई वित्तीय मार भी नहीं आयेगा। अन्य आयवर्धक ''पुंजीगत निर्माण कार्य" भी वृहत स्तर पर ''पंचायत वित्त निगम" के माध्यम से ऋण आकर्षित कर पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर कराये जाय। इनमें मजदूरी व्यय जवाहर रोजगार सुनिश्चित रोजगार योजनाओं (अब स्वर्ण जयंती रोजगार योजना) से आकर्षित किया जा सकेगा इससे राज्य कोष पर कोई भार नहीं आयेगा। जिला परिषदों, पंचायत समितियों व पंचायतों के भवनों का भी विस्तार/निर्माण एक बडी योजना बना कर किया जाय जिससे वास्तविक रूप से ये संस्थाएं एक ही भवन में ''विकास प्रशासन" से संबंधित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को बिठा कर सुगमता से कार्य संचालन कर सके एवं ''जिला/खण्ड/ग्राम सचिवालय" की परिकल्पना साकार हो सके। इस हेतु भी धनराशि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों एवं राज्य "पंचायत वित्त निगम" के माध्यम से आकर्षित की जा सकेगी, जिससे राज्य कोष पर वित्तीय मार नहीं आयेगा।

4.5 सारांश

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने मे अग्रणी राज्य रहा है और वर्तमान सरकार जिसका कार्यकाल अभी प्रारम्भ ही हुआ है एवं यह सरकार इस हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति भी रखती है, एवं यही सबके उपयुक्त समय है जब पुन: राजस्थान को देश की पंचायती राज व्यवस्था में आगे की पंक्ति में लाया जा सकता है। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान में न केवल गाँधीजी की ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार रूप मिल सकेगा बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास में जन-जन की भागीदारी भी सम्भव हो सकेगी एवं नव निर्वाचित लगभग सवा लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तत्काल ही विकास प्रशासन की मुख्य धारा से जोड़ने का यही सबसे उपयुक्त समय होगा।

4.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।
2. पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे की विवेचना कीजिये।
3. पंचायत राज निकायों के कार्यो की विवेचना कीजिये।
4. पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिये।

4.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस. आर. माहेश्वरी : भारत में स्थानीय प्रशासन, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2008

2. अशोक शर्मा : भारत में स्थानीय प्रशासन, जयपुर, आर. बी. एस. ए., 2000
3. के. के. शर्मा : भारत में पंचायती राज, जयपुर, कॉलेज बुक डिपो, 2005
4. बसन्ती लाल बाबेल राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, व 1994, जयपुर, बाफना पब्लिकेशन, 1994।

इकाई - 05

भारत में रोजगार योजनाएँ

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य
5.1 प्रस्तावना
5.2 प्रमुख रोजगार योजनाएँ
 5.2.1 स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वराज योजना
 5.2.2 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
5.3 अन्योदय अन्न योजना
5.4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
5.5 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम
5.6 रोजगार आश्वासन योजना
5.7 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
5.8 स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना
5.9 प्रधानमंत्री की रोजगार योजना
5.10 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (महानरेगा)
5.11 सारांश
5.12 शब्दावली
5.13 अभ्यासार्थ प्रश्न
5.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे कि :

- भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं प्रारम्भ की गई थी?
- वर्तमान में संचालित प्रमुख योजनाओं की मुख्य बातें क्या थी? एवं;
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के उद्देश्य एवं प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

5.1 प्रस्तावना

सामाजिक न्याय के साथ तीव्र विकास की महत्वाकांक्षी अभिलाषा के साथ देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विकास और कल्याण की अनेकानेक योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित किया जाता रहा है। क्योंकि जनसंख्या क्षेत्र में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर होने से देश में रोजगार चाहने वालों की संख्या में जहाँ एक ओर प्रतिवर्ष भारी वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर संगठित क्षेत्र

में रोजगार में कमी विगत 7-8 वर्षों में (2003-2010) में दर्ज की गई है। ज्ञातव्य है कि देश में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का केवल 7 या 8 प्रतिशत हिस्सा ही कार्यरत है।

तालिका 1.1

भारत में कुल श्रमशक्ति एवं रोरजगार

(मिलियन में)

क्र.स.	विवरण	1983	1988	1994	1999-2000
1.	कुल जनसंख्या	718	790	895	1004
2.	कुल श्रमशक्ति	309	333	382	406
3.	कुल रोजगार	303	324	374	397
4.	संगठित क्षेत्र में रोजगार	24	26	27	28
5.	कुल रोजगार में संगठित क्षेत्र का प्रतिशत	7.93	7.93	7.3	7.08

स्रोत - योजना आयोग 2001

देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के नये अवसर प्रदान कराना सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। प्रारम्भ में विकास की इन योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या काफी कम रही किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इस पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई रोजगार कार्यक्रम व योजनाएँ क्रियान्वित की गई जिनमें निम्नलिखित योजनाएँ प्रमुख थी:-

(1) लघु कृषक विकास एजेन्सी (S.D.F.A.)

(2) सीमान्त किसान एवं कृषि श्रमिक एजेन्सी (M.F.A.L.A.)

(3) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P.)

(4) ग्रामीण, रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम व "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" (Minimum Needs Programme) चलाये गए। ये समस्त योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के अतिनिर्धन लोगों के लिए थीं। इन परियोजनाओं द्वारा दो प्रकार से सहायता दी जाती थी- एक तो वित्तीय तथा दूसरी सरकारी लोक कार्य परियोजनाओं में अतिनिर्धन किसानों व मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था उत्पादक रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए अन्त्योदय कार्यक्रम" वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में सरकार ने "ग्रामीण श्रम शक्ति कार्यक्रम"; "पुरजोर योजना" तथा "काम के बदले अनाज" के स्थान पर "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" (N.R.E.P.) योजना आरम्भ की। 1979 में "ट्राइसेम योजना"; 1983 में "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना" (R.L.E.P.G.) प्रारम्भ की गई। 1978-79 में ही "एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) शुरू किया, जिसे पूरे देश में 2 अक्टूबर 1980 से लागू कर दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1989 में सरकार ने -जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की। 2 अक्टूबर 1993 से सरकार ने "रोजगार आश्वासन योजना" लागू की तथा 1 जनवरी 1998 से

ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया "स्वरोजगार कार्यक्रम" शुरू किया गया। 1 फरवरी 1997 से सरकार ने किसानों की सहायतार्थ एक नई योजना "गंगा कल्याण योजना" प्रारम्भ की। 1999 से सरकार ने "अन्नपूर्णा योजना" का शुभारम्भ किया।

इसी क्रम में वर्ष 1999-2000 में सरकार द्वारा योजनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की छः प्रमुख योजनाओं IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, डै तथा गंगा कल्याण योजना का एक साथ विलय कर "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के नाम से एकल योजना की घोषणा की।

5.2 प्रमुख रोजगार योजनाएं

वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नलिखित योजनाएँ संचालित हैं-

5.2.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

यह योजना 1 अप्रेल, 1999 को प्रारम्भ की गई। यह योजना गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना है। सरकार द्वारा पूर्व में संचालित 6 योजनाओं का इसमें विलय किया गया है। ये 6 योजनाएँ निम्नलिखित है।

(i) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP)

(ii) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)

(iv) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA)

(v) गंगा कल्याण योजना (GKY)

(vi) दस लाख कुआँ योजना (MWS)

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना में सहायता प्राप्त व्यक्ति “स्वरोजगारी” कहलाएंगे; लाभार्थी नहीं। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं-

- इस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत को इस योजना में लाने का प्रस्ताव था।
- योजना में दी जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में विभाजित करेंगी।
- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं - Activity Cluster एवं Group Approach.

प्रत्येक विकास खण्ड पर चार या पाँच मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है जो स्थानीय संसाधनों, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनुरूप हों; ताकि स्वरोजगारी अपने विनियोग से लाभकारी आय प्राप्त कर सकें। ऐसी मुख्य गतिविधियां एक गुच्छ

(Cluster) रूप में समन्वित की जायेगी ताकि पूर्वगामी एवं अग्रिम क्रियाओं के बीच एक उचित समन्वय किया जा सके।

समूह विधि (Group Approach) का सम्बन्ध गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का निर्माण करना है। एक स्व-सहायता समूह में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 10-20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या कम से कम 5 हो सकती है। इस समय स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई है।

– यह योजना एक ऋण एवं अनुदान (सब्सिडी) योजना है जिसमें ऋण प्रमुख तथ्य है जबकि सब्सिडी केवल एक समर्थकारी तत्व है। सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के एक समान दर पर होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रूपये होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह बीमा 50 प्रतिशत या 10,000 रूपये होगी। आत्मनिर्भर समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 125 लाख रूपये होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है।
– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1999 से 2004 तक 19.69 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें 45.67 लाख स्वरोजगारी शामिल है, इन्हें अब तक कुल 9385.11 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई है। इन कुल स्वरोजगारियो में 45.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से और 52.80 प्रतिशत महिलाएँ हैं। वर्ष 2004-2005 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।

5.2.2 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

इस योजना का मौलिक उद्देश्य गाँवों में मांग आधारित सामुदायिक अवसंरचना (Infrastructure) का सृजन करना है जिसमें टिकाऊ सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन सम्मिलित है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है। साथ ही गौण उद्देश्य के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए मजदूरी आधारित रोजगार अवसरों का सृजन करना है। यह योजना दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर पूरे देश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू की गई। योजना में खर्च की जाने वाली राशि 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकारें करती है। योजना को पूर्णत: ग्राम स्तर पर ही लागू किया गया है। केन्द्र शासित प्रदेशों में योजना का सम्पूर्ण खर्च केन्द्र वहन करेगा। योजना के अन्तर्गत मजदूरी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन बिना किसी सीमा के किया जावेगा। इस योजना की 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति की अलग लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। वार्षिक आवंटन का 3 प्रतिशत शारीरिक तौर अपंग लोगों के लिए अब संरचनात्मक विकास पर व्यय करने का प्रावधान भी रखा गया है। मांग आधारित ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में मजदूरी व कच्चे माल का अनुपात 60:40 के अनुपात में रखा गया है। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की मंजूरी से 50,000 रूपये तक के निर्माण कार्यो/योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा।

5.3 अन्त्योदय अन्न योजना

पूर्व प्रधान मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर 2000 को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर दो नई योजनाओं का शुभारम्भ किया। इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्त्योदय अन्न योजना के नाम से प्रारम्भ की गई। इसके तहत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम जो बाद में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया; अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। इससे एक वर्ष में सरकार पर 2300 करोड़ रूपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान था। इस योजना के तहत जारी किये जाने वाले गेहूँ व चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2 रूपये व 3 रूपये प्रति किलोग्राम है। इस योजना से लगभग 5 करोड़ लोग निर्धनतम परिवार के लाभान्वित होंगे। यह योजना केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के तहत प्रारम्भ की गई है।

सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में सम्मिलित करने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार किया गया है। जिनमें निम्नांकित प्राथमिकता समूहों से परिवारों को सम्मिलित किया गया है -

(i) ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन्न. बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो।

(ii) विधवाएँ या मरणासन्न व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति ऐसी अकेली महिला या अकेला पुरुष जिसका कोई पारिवारिक या सामाजिक सहारा न हो।

(iii) सभी मूल जनजातीय परिवार।

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन अतिरिक्त परिवारों की पहचान करके उन्हें विशेष राशनकार्ड जारी करें, ताकि वे अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ उठा सके।

5.4 प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (PMGY)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक सुधारों के लाभ. समाज के सभी वर्गो तक पहुँचे, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के पाँच तत्वों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार है - स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कें। इस योजना की शुरूआत 2000-2001 में की गयी थी। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं -

1. **प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)**

ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ने का उद्देश्य न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है। स्वतन्त्रता के 5 दशकों बाद भी लगभग 40 प्रतिशत भारत के गाँव अच्छी सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। वित्त मन्त्री ने सन् 2000-2001 के बजट भाषण में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम को प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (PMGSY) के घटक के रूप में घोषित किया था। जिसे 15 अगस्त 2000 को "प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क

योजना (PMGSY) घोषित की तथा 25 दिसम्बर 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है -

(1) योजना के पहले चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को अगले 3 वर्षा (2003 तक) में अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना।

(2) दूसरे चरण में 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को सन् 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ने की घोषणा।

(3) इस योजना पर 60,000 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान।

(4) इस योजना का वित्तीयन "केन्द्रीय सड़क निधि" से किये जाने की घोषणा। 1 अप्रैल 2000 में डीजल पर लगाए गये उपकर की धनराशि का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(5) इस योजना के प्रारम्भ में 2500 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया जो लगातार दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ष भी जारी रहा।

इस योजना का प्राथमिक ध्यानाकर्षण नई सड़कों के निर्माण पर है। इसके लिए 7 वर्षों में एक लाख गाँवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में निष्पादित किया जा रहा है। लगभग 3.7 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण इस योजना में करने का लक्ष्य था।

2. ग्रामीण आवास

आवास मानव जीवन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। गरीबी आवास की उपलब्धता में बाधक है। 1998 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास एवं पुर्नवास नीति घोषित की थी, जिसका उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना था। सरकार दसवीं योजना के अन्त तक सभी को पक्के मकान सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं -

(i) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत नए आवास निर्माणों के साथ-साथ कच्चे मकानों का उन्नयन।

(ii) प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना अर्थात ग्रामीण आवास कार्यक्रम।

(iii) ग्रामीण आवास के लिए "क्रेडिट कम सब्सिडी" योजना।

(iv) समग्र आवास योजना।

(i) इन्दिरा आवास योजना

यह योजना 1985-86 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं-

(अ) वर्ष 1993-94 से इस योजना के कार्यक्षेत्र में गैर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा के नीचे 'को भी सम्मिलित किया है, किन्तु उनको मिलने वाला लाभ योजना

की आवंटन राशि का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। वर्ष 1995-96 से लड़ाई में मारे गये रक्षा कर्मियों की विधवाओं या निकट सम्बन्धी को भी देने का प्रावधान किया है।

(ब) कुल निर्मित मकानों का 3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी की रेखा के नीचे के अपंग एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस योजना की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए करना होता है।

(स) इस योजना के अन्तर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है।

(द) इस योजना के अन्तर्गत एक मकान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में 20000 रूपये और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 22000 रूपये है। कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए अधिकतम निर्माण सहायता 10000 रूपये है।

(य) ग्राम सभा को इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।

(र) स्वच्छ शोचालय और धुआं रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग है।

(ल) यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत बंटवारे के आधार पर वित्त पोषित की जा रही है।

(व) इस योजना में 1 मार्च 2004 तक 114.78 लाख मकानों का निर्माण किया गया। जिन पर 20023 करोड़ रूपये व्यय हुए।

(ii) प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लाभकारी मानव विकास है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित करने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास की मौलिक आवश्यक सेवा में सुधार किया जा सके। इस योजना को इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न की तरह ही कार्यान्वित किया जाना है। सन् 2001-2002 में इस योजना में 407 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।

(iii) ग्रामीण आवास के लिए 'क्रेडिट कम सब्सिडी' योजना

यह योजना 1 अप्रैल 1999 से आरम्भ की गई और इसमें 32000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को लक्षित लाभार्थियों में सम्मिलित करने का प्रावधान है। इस योजना में अधिकतम 10000 रूपये तक की सब्सिडी और 40000 रूपये तक का अधिकतम ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना में सब्सिडी राशि में केन्द्र व राज्यों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है और ऋण भाग व्यापारिक बैंकों. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं आवास वित्त संस्थाओं द्वारा बांटा जाता है।

(iv) समग्र आवास योजना

यह योजना 1999-2000 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आवास स्वच्छता एवं जलापूर्ति के लिए एकीकृत उपाय सुनिश्चित करना है। योजना के प्रथम चरण में देश के 24 राज्यों के 25 जिलों में एक-एक विकास खण्ड में एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश के एक विकास खण्ड में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5.5 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought-prone area programme - (DAPA)

सूखे की सम्भावना वाले चुनिन्दा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जलसंमर विकास के लिए तय किये गए साझा दिशा-निदेशों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। 1999 से केन्द्र व सम्बन्धित राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों के 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना आयोग के सदस्य डॉ. जयन्त पाटिल की अध्यक्षता में सूखा क्षेत्रों के लिए 25 वर्षीय भावी योजना तैयार करने के निमित्त एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

– **मरूधर विकास कार्यक्रम (Desert development programme (DDP)**

मरूभूमि को बढ़ने से रोकने. मरूभूमि में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने व इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढाने के उद्देश्य से मरुस्थल विकास कार्यक्रम चुने हु ए क्षेत्रों में1977-78 में प्रारम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जलसंभर विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा-निर्देशों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के लिए अधिकतम 8.50 करोड़ रूपये का आवंटन किया जाता है। यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 4.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

5.6 रोजगार आश्वासन योजना (EAS)

रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और 1997-98 में इसे सार्वभौमिक कर देश की सभी ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है --

(i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमन्द प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का दूसरा गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिए आर्थिक अद्योरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

(ii) इस योजना का व्यय 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(iii) इस योजना में मजदूरी सामग्री के 60:40 के अनुपात को बनाए रखना है।

5.7 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)

प्रधानमन्त्री द्वारा इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2001 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी किन्तु इसका शुभारम्भ 25 सितम्बर 2001 को फरह (जिला-मथुरा) से किया गया। इस योजना में "रोजगार आश्वासन योजना (EAS) और "जवाहर ग्राम समृद्धि योजना" (JGSY) को एक में मिला दिया गया। साथ ही "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को भी इसी योजना में मिला लिया गया था ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित 10 हजार करोड़ वार्षिक की केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। योजना 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकारें राशि व्यय करेगी। इस योजना में टिकाऊ ग्रामीण परिसम्पत्तियों के निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। केन्द्र द्वारा 5000 करोड़ रूपये का अनाज राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में 100 दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं इस योजना में 5 किलो अनाज और 25 प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाती है। यह कार्यक्रम जिला और प्रखण्ड पंचायत तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जिला परिषद और पंचायत समिति के संसाधनों के हिस्से का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए लागू निजी लाभार्थी योजना पर खर्च किया जाना आवश्यक है। इस योजना में कोई भी काम ठेकेदारों से कराने की अनुमति नहीं है।

5.8 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (Swaran Jayanti Shashari Rozgar Yojana(SJSRY)

स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की एक नई योजना प्रारम्भ की जिसका नाम "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" रखा गया। यह योजना 1997 के अन्त में प्रारम्भ की गई। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पहले से ही कार्यान्वित (1) नेहरू रोजगार योजना (NRY) (2) निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (UBSP) (3) प्रधानमन्त्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन (PMIUPEP) योजना को जोड़कर बनाई गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा सवेतन रोजगार सृजन हेतु उत्पादक परिस्थितियों का निर्माण करना है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र तथा राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में की गई हैं इस योजना की दो विशेष स्कीमें है–

(A) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम(Urban Self Employment Programme-USEP)

(B) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme-UWEP)

(A) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme-USEP)

इस योजना के तीन भाग हैं --

(i) प्रत्येक शहरी गरीब लाभार्थी को लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता।

(ii) शहरी गरीब महिलाओं के समूह को लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता देना।

(iii) लाभार्थियों, सम्भावित लाभार्थियों और शहरी रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को व्यावसायिक और उद्यम मूलक कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देना।

यह कार्यक्रम भारत के सभी शहरी नगरों पर लागू होगा तथा इसे शहरी गरीब समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए समग्र नगर आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों. अपंग व्यक्तियों ओर सरकार द्वारा समय-समय पर दर्शायी गई ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसमें महिला लाभार्थियों का प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा विकलांगों का 3 प्रतिशत से कम नहीं है। सही लाभार्थियों के चुनाव के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस योजना में 50,000 रूपये तक की परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। जिसमें 15 प्रतिशत की सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। लाभार्थी को परियोजना की 5 प्रतिशत राशि बैंक के पास मार्जिन मनी के रूप में जमा करनी होती है।

(iv) शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास **(UWCUA)**

इस योजना में शहरी गरीब महिलाओं को विशेष सहायता दी जाती है जो व्यक्तिगत प्रयास की जगह समूह के रूप में स्वरोजगार उद्यम लगाने का निर्णय लेती है। समूह में कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाएँ होना चाहिए। इस योजना में 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने की वो हकदार होती है जो परियोजना लागत होती है। अधिकतम 1,25,000 रूपये तक की सब्सिडी को प्राप्त कर सकती है।

(B) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम **(Urban Wage Employment Programme-UWEP)**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को उनके श्रम का सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण में उपयोग करके मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम 5 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों पर लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के लिए सामग्री श्रम अनुपात 60:40 रखा गया है। इस कार्यक्रम का सर्वेक्षण सामुदायिक विकास समितियाँ करती है। यह समितियाँ अपने क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं की सूची तैयार करती है।

5.9 प्रधानमन्त्री की रोजगार (Prime Minister's Yojana-PMRY)

2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ यह योजना उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही है। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार की योजना को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है तथा जिनकी पारिवारिक आय 40,000 रूपये वार्षिक से कम है एवं जो उस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से निवास कर रहा है को व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रूपये तक तथा अन्य गतिविधियों के 'लिए 2 लाख रूपये तक तथा दो या दो से अधिक लोगों की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता हैं इसके लिए कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम 15000 रूपये होता है सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। 1 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए किसी जमानत गारण्टी

की आवश्यकता नहीं होगी। इन लघत्तर इकाइयों के साहसियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता होने पर कच्चा माल एवं विपणन सहायता भी दी जाती है।

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री रोजगार योजना का विलय कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मन्त्रालय. भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एक मात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी होंगे। इस योजना के अन्तर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए 15 से 35 प्रतिशत तक के विशेष अनुदान का प्रावधान है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- स्वरोजगारी उद्यम / परियोजनाओं / सूक्ष्म उघमों के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- दूरस्थ स्थानों पर बसे हु ए परम्परागत कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और यथा सम्भव उनके निवास स्थान के निकट उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- देश के परम्परागत और सम्भावित कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को बेहत्तर जीवन यापन के लिए निरन्तर और दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराना।
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार उपलब्धता की विकास दर में वृद्धि करना।
- सूक्ष्म उद्योगों के लिए उच्चत्तर ऋण प्रवाह हेतु वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता करवाना।

पात्रता

1. लाभार्थी की उस 18 वर्ष से अधिक न हो।
2. कम से कम आठवीं पास हो।
3. स्वयं सहायता समूह।
4. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं।
5. उत्पादन आधारित सहकारी संस्थाएं / समितियाँ।
6. दानदाता न्यास।
7. परियोजना की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं।
8. योजना के अन्तर्गत केवल स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों को सहायता।
9. राज्य या केन्द्र सरकार की किसी योजना में सब्सिडी का लाभ ले चुकी अथवा ले रही इकाइयाँ वर्तमान योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
10. योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पात्र गतिविधियाँ

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग।

– प्रतिव्यक्ति अचल पूँजी निवेश समतल क्षेत्र में अधिकतम रूपये 1 लाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1.50 लाख रूपये।
– परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये और सेवा इकाई के लिए 10 लाख रूपये।

कार्यान्वयन अभिकरण

सम्पर्क को आसान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में तीन अभिकरण कार्य करेंगे।

– खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
– राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड।
– प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र।

परिचालन कार्य विधि

– परियोजना की मंजूरी के बाद लाभार्थियों को यथास्थिति परियोजना लागत 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करानी होगी।
– ऋण की पहली किश्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जारी की जायेगी।
– परियोजना लागत में पूँजीगत ऋण और एक चक्र की कार्यशील पूँजी का समावेश होगा।
– विस्तृत जानकारी हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट www.pmegp.in को भी देखा जा सकता है।

5.10 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (महानरेगा)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को मन्त्री मण्डल की संस्तुति के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्न है।

1. राज्य सरकारें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहे, कम से कम 100 दिन का गारन्टीशुदा वेतन रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी है।
2. अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के बाद सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कई अन्य कार्यक्रम इस योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। इस कानून की योजना व क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की अहम भूमिका है।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दर नियत किये जाने तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। ग्राम सभा समी कार्यो व आवेदनों की निगरानी रखेगी एवं किसी भी स्तर पर मध्यस्थों की भूमिका नहीं होगी। इस योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण व जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है।
4. यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता तो वह राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। बशर्त कि यह दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिन के लिए वेतन दर के एक चौथाई से कम न हो और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में वेतन दर के आधे से कम न हो।
5. केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद गठित की जाएगी जो इसे सौंपे गए विभिन्न कार्य और कर्त्तव्य निभाएगी। प्रत्येक राज्य सरकार भी इसी प्रयोजनार्थ राज्य परिषद का गठन करेगी।

6. पंचायत जिले के भीतर ही योजना के कार्यान्वयन की देख-रेख, उसे मॉनीटर करने और निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर स्थायी समिति का गठन करेगी।
7. इस योजना के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक प्रोग्राम अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
8. ग्राम सभा की सिफारिशों पर परियोजनाओं की पहचान करने तथा उन्हें निष्पादित करने ओर ऐसे निर्माण कार्यों की देख-रेख के लिए पंचायत उत्तरदायी होगी।
9. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि स्थापित करेगी। राज्य सरकारें इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारण्टी निधियाँ स्थापित करेगी।
10. यह योजना इस अर्थ में स्वयं चयन करेगी कि गरीब लोगों में जिन्हें न्यूनतम वेतन पर काम की जरूरत है; वे योजना के अन्तर्गत काम करें।
11. शिकायत निवारण व्यवस्था होगी।
12. लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाएं होगी।
13. पंजीकरण पूरे वर्ष खुला होगा एवं अकुशल श्रम का इच्छुक वयस्क इसे पंजीकरण करवाकर जॉबकार्ड प्राप्त कर सकता है। जॉबकार्ड धारक रोजगार प्राप्ति का कानूनी हकदार होगा।
14. प्रार्थी को पाँच किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा अन्यथा उसे रोजगार भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
15. कार्यस्थल पर मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध होगी एवं कार्य के दौरान मृत्यु होने अथवा विकलांग होने पर उसे मुआवजा प्राप्त करने का हक है।

तालिका 1 .2

नरेगा का क्रियान्वयन

क्र. सं.	वर्ष	जिले
1.	2005	200 जिले
2.	2007	130 जिले
3.	2008	614 जिले

वर्तमान में महानरेगा का क्रियान्वयन देश के 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 619 जिलों, 6096 विकास खण्डों एवं 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में हो रहा है।

– **नरेगा में कार्य**

नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नांकित कार्यो को करवाए जाने का उल्लेख है :

सामुदायिक भूमि	निजि भूमि
जल संरक्षण	एस.सी. / एस.टी. / आईएवाई / भूमि सुधार के लाभार्थी / बीपीएल / छोटे एवं सीमान्त कृषकों के स्वामित्व वाली भूमि पर
जल संग्रहण	सिंचाई सुविधा (कुंआ खुदवाना, बनवाना)
सूखा विरोधी	व्रक्षारोपण कार्य
वानकीकरण	बगवानी कार्य
परम्परागत जलसाधनों का जिर्णोद्वार	

,टैंको की सफाई	
ग्रामीण सम्पर्क सड़क हेतु कार्य	
बाढ़ नियंत्रण	
भूमि विकास	

चुनौतियाँ एवं उपाय

सरकार के सम्मुख कार्यक्रम का लाभ सही हाथों में पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इस योजना के शैश्वकाल में इसमें भ्रष्टाचार व गड़बढ़डी के कुछ मामलों को प्रेस व मीडिया ने उजागर कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार नरेगा कामगारों को बायोमेट्रिक कार्ड देने पर विचार कर रही है। इससे भुगतान पारदर्शी हो जाएगा। केवल' कार्डधारक को ही पैसा निकालने के लिए हक होगा। नरेगा से 100 दिवस का कार्य का अभिप्राय प्रति परिवार 10,000 / - रूपये की क्रयशक्ति का हस्तान्तरण है जिससे वह परिवार अपने लिए वर्षभर का अन्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से क्रय कर सकता है इससे उसकी सौदाशक्ति बढ़ी है एवं उसकी मजबूरी का फायदा प्रभावशाली वर्ग नहीं उठा पा रहा है।

तालिका 1.3

नरेगा राष्ट्रीय स्तर पर (2008–2009)

क्र.स.	विवरण रोजगार उपलब्ध	वित्त वर्ष 2006–07 (200 जिले)	वित्त वर्ष 2007–08 (330 जिले)	वित्त वर्ष 2008–09 (619 जिले)
1.	कुल मानव दिवस (करोड़ों मे) रोजगार सर्जन	90.5	143.59	216.01
2.	कुल बजट राशि (रू करोड़) (प्रस्तावित)	11,300	12,000	30,000
3.	कुल व्यय (रू करोड़)	8823	15,857	27,138
4.	औसत मजदूरी प्रतिदिन (रूपये)	65	75	84

इस प्रकार तालिका 1.2 के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 में 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने 27138 करोड़ रूपये व्यय किया। प्रति परिवार 48 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया गया एवं औसत मजदूरी 84 /- रूपये रही। इस प्रकार वर्ष 2008-09 में औसत पारिवारिक आय 4032 /- रही। इस समस्त कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत थी। 2009-10 में जुलाई तक के आकड़े बताते हैं कि 2.5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 52 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2009-10 में कुल बजट 39100 करोड़ रूपये रखा गया। वर्तमान में भू-विकास व जल संरक्षण कार्यक्रमों को महत्त्व दिया जा रहा है।

5.11 सारांश

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या एवं निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इन योजनाओं का लक्ष्य सीधे गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्रहार करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को न्यूनतम आय उपलब्ध करवाना है जिससे वे जीवन जीने लायक आय प्राप्त कर सके। वर्ष 2005 में

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित कर एक समन्वित योजना लागू की है जिसमें ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन काम देने की गारन्टी दी गई है। अपने तरह की यह विश्व में अनूठी योजना है। चूँकि अभी इस योजना को अधिक समय नहीं हुआ है इसका मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

5.12 शब्दावली

– श्रमशक्ति **(Labour Force)**

सामान्य रूप में श्रमशक्ति में मानसिक एवं शारीरिक श्रम को सम्मिलित किया जाता है जिसे आर्थिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाय। इससे अधिकांशत: 15-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों को रखा जाता है जिसमें वृद्ध एवं निशक्तजन, बच्चे. गृहणियाँ. विद्यार्थी आदि ऐसे लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो श्रम के लिए उपलब्ध नहीं है।

– मुख्य रोजगार श्रमिक **(Principal Status Worker)**

पिछले सन्दर्भ अवधि एक वर्ष (365 दिन) में श्रमिक के कार्य के आधार पर उसका मुख्य रोजगार तय किया जाता है अर्थात् वह कार्य जिसे उसने लम्बे समय तक किया हो।

– सहायक रोजगार **(Subsidiary Status Worker)**

ऐसे श्रमिक जिनके पास मुख्य रोजगार उपलब्ध न हो अर्थात वर्षभर उन्हें कोई लम्बी अवधि का कार्य नहीं मिला हो परन्तु कुछ अवधि के लिए छोटे मोटे कार्य किए हों वह सहायक रोजगार श्रमिक है। रोजगार में लगे हुए व्यक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं- मुख्य रोजगार (UPSS) एवं सहायक रोजगार (SSW) प्राप्त व्यक्ति।

– साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status,CWS)
  सन्दर्भ सप्ताह में जिसे कुछ दिनों का काम मिला हो।
– दैनिक स्थिति (Current Daily Status,CDS)
  सन्दर्भ सप्ताह में एक भी दिन पूरा काम न मिला परन्तु कुछ घण्टे काम मिला हो।
– रोजगार दर श्रमिक रोजगार प्राप्त
– बेरोजगार दर जनसंख्या कार्यशीलन संख्या में बेरोजगार
– गरीबी रेखा न्यूनतम कैलोरी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसे कीमतें बढ़ने पर समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

5.13 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. बेरोजगारी का अर्थ एवं इसकी प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. महानरेगा के उद्देश्य. कार्यप्रणाली एवं प्रगति पर संक्षेप में उत्तर दीजिए।
3. टिप्पणियाँ लिखिए :

   (अ) महानरेगा
   (ब) स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना
   (स) प्रधानमंत्री रोजगार योजना
   (द) सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम
   (य) अन्त्योदय अन्न योजना
   (र) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

5.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, 2009
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 - ग्रामीण विकास मंत्रालय।
3. दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकाएँ
4. NREGA Operational Guidelines, 2006, Ministry of Rural Development, Govt.of India.

इकाई - 06

रोजगार योजनाओं के उद्देश्य

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 रोजगार योजनाओं की आवश्यकता

6.3 बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकृति

6.3.1 भारत में बेरोजगारी की प्रकृति

6.4 रोजगार योजनाओं के उद्देश्य

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- जान सकेंगे कि भारत में रोजगार योजनाओं की आवश्यकता क्यों है?
- बेरोजगारी का अर्थ एवं इसकी प्रकृति के बारे में विस्तशत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- समझ सकेंगे कि गरीबी एवं बेरोजगारी में क्या सम्बन्ध है ; एवं
- रोजगार योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है?

6.1 प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है यहाँ बेरोजगारी की प्रकृति अन्य देशों की तुलना में भिन्न है। विकसित देशों में बेरोजगारी मुख्य रूप से चक्रीय होती है जो आर्थिक उच्चावचनों के कारण होती है जबकि कुछ देशों में बेरोजगारी का कारण तकनीकी प्रगति है। जब कोई नई तकनीकी आ जाती है तो पुरानी तकनीकी में नियोजित व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। धीरे-धीरे ये व्यक्ति नई. तकनीकी का प्रशिक्षण लेकर पुन: रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी का कारण संरचनात्मक है। यह बेरोजगारी बहु त गहरी जडें जमाए रहती है। मजदूर आशिक्षित, अकुशल व कम उत्पादक क्षेत्रों में लगे होते हैं। कई बार उनकी उत्पादकता का स्तर शून्य भी हो सकता है अर्थात् यदि उन्हें काम पर से हटा दिया जाय तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे श्रमिकों को अथवा इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हु यी बेरोजगारी कहा गया है।

चूँकि रोजगार की प्रकृति भिन्न होती है अत: यह उचित होगा कि हम पहले बेरोजगारी का अर्थ, प्रकृति आदि का अध्ययन कर लें एवं बाद में रोजगार योजनाओं के उद्देश्यों की चर्चा करें।

6.2 रोजगार योजनाओं की आवश्यकता

भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक पिछड़ेपन, निष्क्रियता एवं निर्धनता से ग्रसित थी। यदपि अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था औधोगिक रूप से पश्चिम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा समृद्ध थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगा। भारत के परम्परागत औधोगिक व सामाजिक ढ़ाचें को अंग्रेजों ने नष्ट कर डाला और औपनिवेशिक शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर एवं झर्झर हो गई।

ऐतिहासिक परिदृश्य

अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारत का ग्रामीण अंचल आत्मनिर्भर एवं खुशहाल था। लोगों का मुख्य कार्य कृषि था। कृषि जीवन निर्वाह का साधन था। कृषि पर्याप्त रूप से क्किसित था। भारतीय किसान उदयमी थे एवं गाँव खुशहाल थे। अठारहवीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद यहाँ उद्‌योगों गाँव का औधोगिक आधार पर्याप्त रूप में विकसित था। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ के उद्‌योगों का स्तर यूरोप के उद्‌योगों से ऊँचा था। भारत का व्यापारिक ढाँचा भी काफी सशक्त था ओर अन्तराष्ट्रीय व्यापार भी बहुत समृद्ध था। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करता था। ढाका में बनी मलमल का कपड़ा विश्व प्रसिद्ध था। भारत मिस्र, रोम, मध्य पूर्व के देशों को निर्यात करता था उसके बदले में सोना-चाँदी प्राप्त करता था इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे।

अंग्रेजों के 190 वर्षों के औपनिवेशिक शासनकाल ने भारतीय परम्परागत ढाँचे को तहस-नहस कर डाला। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में अंग्रेज व्यापार के नाम पर लूट करते थे। वे किसानों, व्यापारियों से उनका उत्पादन बहु त ही कम कीमत दे कर खरीद लेते एवं उसे मनमाने दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते। किसानों से भारी मालगुजारी वसूल कर उसे इंग्लैण्ड भेज दिया जाता। इस प्रकार ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सम्पन्न होती गई व भारत की अर्थव्यवस्था का पतन होता गया। अंग्रेजों ने भारत से इकट्ठी की गई पूँजी से औद्‌योगिकरण किया एवं तैयार माल भारत में बेचने के लिए भारतीय उद्‌योग धन्धों को जानबूझकर नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति को एक तरफा लागू किया जिसके अन्तर्गत भारत में बनी वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाया एक इंग्लैण्ड द्‌वारा भेजी गई वस्तुओं को भारत में आयात शुल्क से मुक्त गया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मत रहा है कि ब्रिटिशशासन ने भारतीय परम्परागत ढाँचे की कमर तोड़ दी। उन्होंने विकास के नाम पर विनाश किया एवं भारत एक गरीब बेरोजगार राष्ट्र के रूप में आजाद हु आ। ब्रिटिश शासनकाल में भारी रोजगार देने वाला भारत का सशक्त कपड़ा उद्‌योग नष्ट हो गया। प्रतिव्यक्ति आय में कमी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, परम्परागत हस्तशिल्प एवं दस्तकारी उद्‌योगों का पतन एवं औधोगिक नगरों के उजड़ जाने से भारत का खुशहाल ग्रामीण एक भूमिहीन, अशिक्षित बेरोजगार श्रमिक बन गया। भारत में रोजगार की समस्या को समझने से पूर्व बेरोजगारी का अर्थ समझना आवश्यक है।

6.3 बेरोजगारी का अर्थ एंव प्रकृति

सभी व्यक्तियों को जो काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध करना भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों के लिए एक कठिन कार्य है। इसके साथ ही किस व्यक्ति को रोजगार में एवं किसे बेरोजगार

माना जाय यह भी कठिन है क्योंकि खुले रूप से रोजगार चाहने वालों की अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। रोजगार कार्यालयों में जाकर रोजगार के लिए पंजीकृत करवाने के बाद ही हम किसी व्यक्ति को बेरोजगार मान सकते हैं। पढ़े -लिखे शिक्षित वर्ग एवं औधोगिक उत्पाद क्षेत्र में तो यह परिभाषा सम्भव है परन्तु ग्रामीण कृषि क्षेत्र के लिए यह अनुपयोगी है। ग्रामीण व्यक्ति अशिक्षित है एवं वह रोजगार की मांग को पंजीकृत भी नहीं करवाता है अत: बेरोजगारी के समस्त आकड़े मात्र अनुमान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों से परिचित हों।

1. **संरचनात्मक बेरोजगारी :** अर्थव्यवस्था की ढाँचागत कमजोरी के कारण जब रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते है तब ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत की जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अतिरिक्त अवसर नहीं बढ़ने से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके लिए दीर्घकालीन नीति बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. **चक्रीय बेरोजगारी :** व्यापारिक जगत में कभी तेजी कभी मन्दी की स्थिति आती रहती है। जब तेजी की स्थिति होती है तो उत्पादक लाभ कमाने की लालसा में अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अधिक मात्रा में कीमतों से अधिक लाभ होता है जिससे उत्पादक और उत्पादन बढ़ाता है परन्तु यह स्थिति लम्बे समय तक नहीं चलती। अति उत्पादन से व्यापारिक धारणा बदलती है एवं धीरे-धीरे मंदी आती है। मंदी में घाटा होने की सम्भावना बढ़ जाती है एवं व्यापारिक एवं उत्पादक लोगों को रोजगार से हटाने लगते हैं। इस प्रकार आर्थिक उच्चावचनों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।
3. **छिपी हुई बेरोजगारी :** कृषि प्रधान देशों में खेती पूरे परिवार के जीवन निर्वाह का साधन होती है। परिवार के लोगों के पास जब भी समय होता है वे थोड़ी देर खेत पर जाकर कार्य करते हैं एवं खेत से जो भी उत्पादन होता है उससे अपनी जीविका चलाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वे कार्य कर रहे हैं परन्तु यदि कृषि में से कुछ लोगों को हटा दिया जाय तो भी बचे हुये सदस्य उतना ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को छिपा हुआ बेरोजगार माना जाता है। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी के अतिरिक्तअन्य प्रकार की बेरोजगारी भी होती है जिसे अर्द्ध-रोजगार अथवा मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे लोगों को पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता एवं साल के कुछ महीनों में अधिक काम होता है एवं गर्मी के दिनों में बिल्कुल कार्य नहीं होता।
4. **शिक्षित बेरोजगारी :** बेरोजगारी का सर्वाधिक चर्चित स्वरूप यही है। पढ़े-लिखे युवकों को जब अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती है तो वे अपना नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज करवाते हैं एवं रोजगार की तलाश करते हैं। यह शिक्षित बेरोजगारी है।

6.3.1 भारत में बेरोजगारी की प्रकृति

भारत एक विकासशील देश है। योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षों में यहाँ व्यापक मात्रा में बेरोजगारी विद्यमान थी। बेरोजगारी पर बी. भगवती की विशेषज्ञ समिति ने मई 1973 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि 1971 में 187 लाख व्यक्ति बेरोजगार है एवं इसमें से 90 लाख व्यक्तियों के पास कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है एवं 97 लाख व्यक्तियों के पास पूरा काम नहीं है। इसमें से अधिकांश व्यक्ति

गाँवों में रहते हैं। बेरोजगारी की भारत में प्रकृति खुली बेरोजगारी न होकर अल्प रोजगार की है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण ने अपनी 19वे चक्र की रिपोर्ट में बताया कि अधिकांश व्यक्तियों के पास एक सप्ताह में 14 घण्टे का भी कार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 235 लाख व्यक्तियों के पास एक सप्ताह में 28 घण्टे से कम का कार्य है। भारत में बेरोजगारी की समस्या गरीबी के साथ जुडी हुई है। अधिकांश व्यक्तियों को हम छुपी हुयी बेरोजगारी की श्रेणी में गिन सकते हैं। इस प्रकार खुली बेरोजगारी के कम रहते हुये भी अल्प रोजगार, मौसमी बेरोजगारी एवं अकुशल श्रमिक तथा भूमिहीन मजदूरों की समस्या महत्वपूर्ण है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में बाहर जाकर मजदूरी करने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए शहरों में पर्याप्त रोजगार के अवसर व सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। अत: जब ग्रामीण मजदूर शहर में जाता है तो कई मानवीय एवं सामाजिक समस्याएँ भी अपने साथ ले जाता है। अत: आवश्यकता है कि हम गरीबी एवं बेरोजगारी के इस सम्बन्ध को तोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएं जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूके एवं वे ग्रामीण क्षेत्र में रहकर खुशहाल जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।

6.4 रोजगार योजनाओं के उदेश्य

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह उल्लेख मिलता है कि राज्य अपनी नीति को इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए उपयोग करें:

– सभी नागरिकों पुरुषों. स्त्रियों सहित जीविकोपार्जन के लिए उपलब्ध साधन समानता के आधार पर हो;
– समाज में उपलब्ध संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि उनका समाज हित में उपयोग किया जा सके;
– आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्ति अथवा सत्ता का केन्द्रीकरण न हो वह कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में न सिमट जाए।

इस प्रकार संविधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि वह आर्थिक विकास अथवा **तरक्की** के लिए राज्य एवं संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। इसके लिए **भारत** सरकार द्वारा नियोजित आर्थिक विकास का मार्ग चुना गया। योजनाओं के चार **दीर्घकालिक** उद्देश्य निर्धारित किये गए :

(i) उत्पादन में उच्चतम सम्भावित वृद्धि कर राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि;
(ii) पूर्ण रोजगार के स्तर की प्राप्ति;
(iii) आय एवं सम्पति की असमानताओं में कमी; एवं
(iv) एक समाजवादी समाज की स्थापना करना जिसमें समानता, न्याय एवं शोषण के लिए कोई स्थान न रहे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना के दीर्घकालिक लक्ष्यों का वर्णन करते हुये अधिकतम उत्पादन वृद्धि एवं रोजगार को बताया गया। तीव्र गति से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि के तेजी से विकास के साथ-साथ उद्योग, यातायात, ऊर्जा, संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास दर बढाने पर बल दिया गया। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि का मार्ग चुना गया। यह वृद्धि जीवन में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस प्रकार योजना निर्माताओं ने यह सिद्धान्त अपनाया कि राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि से लोगों की गरीबी

दूर होगी एवं उनके जीवनस्तर में सुधार आएगा परन्तु आजादी के पन्द्रह वर्षों के बाद जब इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में समीक्षा की गई तो यह पाया कि विकास के साथ लोगों की गरीबी नहीं हटी है एवं उनका जीवन स्तर भी नहीं सुधरा है। अत: चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह अनुभव किया कि केवल आर्थिक विकास अथवा वृद्धि से भारत में सदियों से जड़े जमाकर बैठी गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए इस योजना में गरीबी पर प्रहार करने के लिए सीधी नीति की आवश्यकता अनुभव की गई एवं "गरीबी हटाओ" के साथ-साथ विकास के साथ सामाजिक न्याय का नारा दिया गया। इस प्रकार चतुर्थ योजना से भारत के नीति निर्माताओं ने केवल राष्ट्रीय आय की वृद्धि को ही लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि गरीबी उन्मूलन के लिए भी विशेष प्रयास किए गए।

गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के लिए विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह बात सामने आई कि गरीबी का मुख्य कारण भारत में अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी है। अत: गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी पर प्रहार करना पड़ेगा। योजना आयोग ने प्रारम्भ से यह नीति बनाई थी कि निवेश बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नये-नये अवसर बढ़ेंगे एवं रोजगार के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार रोजगार का सृजन करना हमारी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य तो था परन्तु इस लक्ष्य को कभी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। भारतीय नीति निर्माता एवं योजनाकार आर्थिक विकास एवं निवेश के माध्यम से स्वत: रोजगार सृजन की तकनीक पर कार्य करते रहें यही कारण था बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही।

इस प्रकार विशेष एवं प्रत्यक्ष प्रयास की आवश्यकता अनुभव की गई। भारत में रोजगार योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. गरीबी निवारण

किसी भी समस्या के समाधान से पूर्व यह आवश्यक है कि हम उसे पहचाने अर्थात् गरीबी से हमारा क्या आशय है। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आपको गरीब मानता है क्योंकि गरीबी की धारणा सापेक्षिक है परन्तु सरकार किसे गरीब मानती है। इसकी परिभाषा के लिए योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने पी.डी. ओझा द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान लगाने के लिए 2250 कैलोरी भोजन (प्रतिदिन) को आधार बनाया। यह अनुमान लगाया गया कि 1960-61 की कीमतों के आधार पर उक्त भोजन प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 15-18 रूपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति एवं ग्रामीण क्षेत्र में 8-11 रूपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति की आवश्यकता है। इस आधार पर ओझा ने अनुमान लगाया कि 184 मिलियन व्यक्ति अथवा (व प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र एवं 6 मिलियन व्यक्ति (76 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा -के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सम्पूर्ण भारत के लिए अर्थात् ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर यह प्रतिशत 44 था।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वी.एम. दाण्डेकर एवं नीलकण्ठ रथ द्वारा 2250 कैलोरी भोजन को न्यूनतम पोषण का स्तर मानते हु ए लागत निकाली। इन्होंने बताया कि योजना आयोग द्वारा प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 20 रूपये (240 रूपये प्रतिवर्ष) का एकरूप स्तर लिया गया है जबकि यह ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग होना चाहिए। दाण्डेकर एवं रथ ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 180 रूपये प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र के लिए 270 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति (1960-61 की कीमतों पर) आवश्यक है। योजना आयोग द्वारा सुझायी गई गरीबी रेखा को समय-समय पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कीमत स्तर के आधार

पर बढ़ाया जाता है। वर्ष 2004-2005 में NSSO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह एवं शहरी क्षेत्रों में 538 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह सुझायी गयी है।

उक्त आय प्राप्त नहीं होने के लिए मुख्य रूप से रोजगार की कमी को जिम्मेदार माना गया। अत: रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन है।

2. क्रयशक्ति का हस्तान्तरण

रोजगार योजनाओं का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की जनता को क्रयशक्ति का हस्तान्तरण करना है जिससे वह अपनी जरूरत की वस्तुएँ आसानी से खरीद सके।

3. शोषण से मुक्ति

विधानों द्वारा किये गए विभिन्न अध्ययनों में यह बात उभरकर आई कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण कुछ परिवार ऊँची ब्याज की दर पर ऋण लेने को बाध्य हो जाते हैं। उनके पास गिरवी रखने के लिए सम्पत्तियों का अभाव होता है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यक्ति अपने श्रम को गिरवी रखकर बंधुआ मजदूर हो जाते हैं एवं ऋण का ब्याज चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण किसान अपनी उपज स्वतंत्र रूप से बाजार में नहीं बेच पाता है एवं उसकी फसल को भी ऋणदाता बहुत ही कम दाम पर खरीद लेता है अथवा यों कहें कि ग्रामीण मजदूर/किसान मजबूर होकर उपज इन्हें बेच देता है जिस पर साहूकार वर्ग बाद में मुनाफा कमाता है। इस प्रकार ग्रामीण व्यक्ति ऋणग्रस्तता के जाल में ऐसा उलझता है कि पीढ़ियों तक ऋणमुक्त नहीं हो पाता। सर मेल्कम डार्लिंग ने लिखा था कि ग्रामीण व्यक्ति ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है एवं ऋणग्रस्त ही मर जाता है।

4. स्वास्थ्य में सुधार

भारत में सार्वजनिक व्यय स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही नगण्य है अर्थात् देश की सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होता है जबकि निजी व्यय 5 प्रतिशत तक है। अधिकांश व्यक्तियों तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं पहुँचता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय के लिए रोजगार जरूरी है।

5. आवास व्यवस्था हेतु

आवास व्यवस्था हेतु ग्रामीण रोजगार योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण आवास उपलब्ध करवाना है।

6. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ARWSP)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था राज्यों की है किन्तु योजना में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार ने 1972-73 में "त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम" (ARWSP) लागू किया था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएँ प्रदान करना है। 1986 में भारत सरकार ने "राष्ट्रीय पेयजल मिशन" की स्थापना की जिसका नाम बदलकर 1991 में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (RGNDWM) कर दिया गया। 1999 में ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत एक पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया। ग्राम स्तर पर स्थायी मानव संसाधन विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने सन् 2000-2001 से प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के पाँच घटकों में से ग्रामीण पेयजल घटक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

7. ग्रामीण स्वच्छता (CSRSP)

वर्ष 1986 में केन्द्र प्रायोजित "ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम"(CSRSP) लागू किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना है। स्वच्छता में मलमूत्र एवं अन्य मानवीय निष्क्रिय पदार्थो का उचित रूप से निष्पादन करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाना सम्मिलित है। 1993 में गृह स्वच्छता, शुद्ध जल, कूड़ेकचरे मलमूत्र और नाली के पानी के निस्तारण को शामिल किया है।

इस कार्यक्रम में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाता हे। यह कार्यक्रम 1999 से "मांग आधारित कार्यक्रम" हो गया जिसका उद्देश्य अधिकाधिक ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम **(CSRSP)**

यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन घटक हैं-

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (नेशनल Old Age Pension Scheme)
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme)
3. राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme)

उपर्युक्त सभी योजनाएँ वृद्धावस्था परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन योजनाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है–

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वाले आवेदक को 75 रूपये प्रतिमाह की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु होने पर निर्धन परिवार को 10,000 रूपये की एक मुश्त राशि उत्तरजीवी लाभ के रूप में दी जाती है।
3. राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की 19 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर मातृत्व देखभाल हेतु 500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित कार्यक्रम है जो पंचायत / नगरपालिका जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

8. अन्नपूर्णा योजना

निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने ' 'अन्नपूर्णा योजना' ' को 1 अप्रैल 2000 से प्रारम्भ किया। यह योजना मूलत: निर्धनता रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारम्भ की थी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के पात्र थे तथा किन्हीं कारणों से यह पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से मूलत: यह योजना निर्धनता रेखा से नीचे के 14 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्षित थी।

अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लोगों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। जिससे 68 लाख अतिरिक्त लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। वर्ष 2002-2003 से यह कार्यक्रम राज्य योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया गया है।

9. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, मनोरंजन सुविधाएँ और अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा देने के लिए वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के पाँच स्वयं सेवी संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है, जिन्हें सरकार वित्तीय सहायता देती है।

10. विभेदी ब्याज दर योजना

जून 1972 में शुरू की गई विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को पिछले वर्ष दिये गए कुल ऋण का कम से कम 1 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गो में भी सबसे कमजोर वर्गो को 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से उधार देने का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। उधार दी गई राशि का 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 6400 रूपये और अन्य क्षेत्रों में 7200 रूपये से अधिक न हो तथा जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो उन्हें सावधि ऋण उत्पादक कार्यो के लिए कार्यपालन पूँजी के रूप में 6500 रूपये तक की ऋण सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के योग्य लाभार्थी को 5000 रूपये तक का आवास ऋण भी दिया जाता है। शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी आवश्यक उपकरण हेतु 5000 रूपये तक की लागत का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि योजना के अन्तर्गत दिये गये 6500 रूपये के उत्पादक ऋण से अलग है।

11. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 14 नवम्बर 2004 को आन्ध्रप्रदेश में रंगारेड्डी जिले में अलूर गाँव में किया। यह कार्यक्रम देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः जल संरक्षण सूखे से सुरक्षा और भूमि विकास सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराए जाएंगे। मजदूरी के न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग का भुगतान नकद राशि में किया जाएगा, शेष मजदूरी अनाज के रूप में अदा की जायेगी।

यह कार्यक्रम ऐसे ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें वेतन रोजगार की जरूरत है ओर जो शारीरिक कुशल श्रम करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित है और राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

12. शिक्षा सहयोग योजना

यह योजना 31 दिसम्बर 2001 को प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को आठवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि पैसे की कमी के कारण उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो। योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को नवीं से बारहवीं

कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करते समय 100 रूपये प्रतिमाह का शिक्षा भत्ता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

13. स्वर्णिम योजना

सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाओं हेतु जो गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के अहम उद्देश्य को लेकर इस योजना को संचालित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गो की महिलाओं को 50 हजार रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस ऋण पर उन्हें 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। ऋण वापस करने की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की है। योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है।

14. रोजगार गारन्टी

इसके अन्तर्गत रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 पास किया गया है। इसका वर्णन प्रथम इकाई में किया जा चुका है।

15. पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करना

महात्मा गाँधी नरेगा योजना में रोजगार प्रदान करने का दायित्व ग्राम पंचायतों का है। इस अधिनियम में सामुदायिक भागीदारी के लिए ग्राम सभा में निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है।

6.5 सारांश

इस इकाई में हमने यह अध्ययन किया कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है एवं वस्तुत: बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। हमने पढ़ा कि गरीबी एवं बेरोजगारी दोनों में आपसी गहरा सम्बन्ध है एवं गरीबी पर प्रहार करने के लिए सीधे प्रहार करना होगा। इस इकाई में रोजगार योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों की भी चर्चा की गई है।

6.6 शब्दावली

चक्रीय बेरोजगारी	Cyclical Unemployment
संस्थनात्मक बेरोजगारी	Structural Unemployment
छिपी हुई बेरोजगारी	Disguised Unemployment
गरीबी रेखा	Poverty Line
कैलोरी	Calorie
मिलियन	Million

6.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकृति का विवेचन कीजिए।
2. "गरीबी एवं बेरोजगारी में सहसम्बन्ध है" विवेचन कीजिए।
3. भारत में रोजगार योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

6.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. R.L. Raina, Etal (2008) "Implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme" Ess Ess Publication New Delhi.
2. M.K. Ghadoliya "Structure of Employment and Assets in India", Mittal Publication, New Delhi, 1988.

इकाई - 7

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 : विशेषतायें

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005: प्रमुख विशेषतायें

7.3 सारांश

7.4 अभ्यासार्थ प्रश्न

7.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे -

- नरेगा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में।
- नरेगा अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न धाराओं के बारे में।
- नरेगा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में।
- रोजगार गारन्टी एवं बेरोजगार भत्ता के प्रावधानों के बारे में।

7.1 प्रस्तावना

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारन्दीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है।

7.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005: प्रमुख विशेषतायें

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को निम्न प्रकार देख सकते हैं :-

मनरेगा

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 के तहत हर वयस्क जो मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल शारीरिक मजदूरी करने के लिए तैयार हो, उसे आवेदन देने के 15 दिन की अवधि के अन्दर काम पाने का हक होगा।
2. सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन का हक है।
3. किसी भी तरह का लिंग आधारित भेदभाव करना कानूनन मना है।

4. उपलब्ध काम में महिलाओं को प्राथमिकता देना : कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए।
5. रोजगार गारंटी कानून के लागू होने के 6 माह के अन्दर प्रत्येक राज्य को "रोजगार गारंटी योजना" बनानी होगी।
6. क्रियान्वयन की मूल इकाई है ब्लॉक (खण्ड)।
7. प्रत्येक खण्ड में एक "कार्यक्रम अधिकारी" रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी होगा।
8. ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन एजेन्सी है।
9. ग्राम पंचायत के दायरे में हुए कार्यो के क्रियान्वयन की जवाबदेही ग्राम पंचायत की होगी।

क्रियान्वयन एजेन्सी

1. ग्राम पंचायतें (कम से कम 50 प्रतिशत कार्य) ।
2. अन्य पंचायती राज संस्थाएँ (पी.आर.आई.) ।
3. सरकारी विभाग (सार्वजनिक निर्माण व वन विभाग, सिंचाई विभाग आदि) ।
4. गैर-सरकारी संस्थाएँ।

   नोट : निजी ठेकेदारों का प्रतिबन्ध है।

विकेन्द्रित नियोजन

1. ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी, परियोजनाओं की सूची (सेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस) तैयार करेगा।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत भी ग्रामसभा की अनुशंसा के आधार पर संभावित कार्यो की सूची बनाएगी।

स्वीकृत कार्य

1. लघु सिचाई कार्य,
2. जल संरक्षण व जल संग्रहण : अकाल से बचाव, जल स्रोतों का नवीनीकरण, बाढ नियन्त्रण, आदि।
3. भूमि विकास,
4. ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण,
5. "कोई भी अन्य काम जिसकी अधिसूचना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद जारी करे।"

"मांग आधारित" कार्यक्रम

1. माँग के आधार पर 15 दिनों के अन्दर काम उपलब्ध करवाना।
2. कार्यक्रम अधिकारी प्रोजेक्ट अनुमोदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी आवेदकों को काम मिलेगा।
3. यदि आवेदकों को काम नहीं मिला, तो कार्यक्रम अधिकारी को उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

काम का आवेदन

1. चरण 1 (पंजीकरण) : ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना। पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है काम पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना।
2. चरण 2 (आवेदन) : पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्य काम के लिए आवेदन दे सकते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

1. पंजीकरण की इकाई परिवार है।
2. ग्राम पंचायत को हर एक आवेदक परिवार को "जॉब कार्ड" देना होगा।
3. ग्राम सभा एक विशेष बैठक रखें और लोगों को आवेदन देने के लिए प्रेरित करें।

आवेदन प्रक्रिया

1. पंजीकृत परिवारों का कोई भी वयस्क सदस्य किसी भी समय काम के लिए आवेदन दे सकता है।
2. आवेदन कम से कम 14 दिनों के लगातार काम के लिए होना चाहिए।
3. अग्रिम आवेदन देने का भी प्रावधान है।

मजदूरी सामग्री प्रतिशत

1. मजदूरी-सामग्री का अनुपात 60 : 40 है।
2. कुशल व अर्ध-कुशल मजदूरों को लगाने पर आने वाला खर्चा 'सामग्री व्यय" में गिना जाता है।

खर्च का बंटवारा

1. केन्द्र सरकार वहन करेगी :

- मजदूरी का खर्च, ॰ सामग्री का 75 प्रतिशत खर्च, ॰ कुछ प्रशासनिक खर्च।

2. राज्य सरकारें वहन करेंगी :

- सामग्री का 25 प्रतिशत खर्च, ॰ अन्य प्रशासनिक खर्च. बेरोजगारी भत्ता।

पारदर्शिता व जवाबदेही

1. एन.आर.ई.जी.ए. से संबंधित सभी हिसाब-किताब और रिकार्ड सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. हरेक व्यक्ति को दस्तावेजों की प्रतियाँ : "योजना में उल्लेखित शुल्क पर" पाने का हक होगा।
3. पंचायत भवन में मास्टर रोल का सक्रिय प्रदर्शन कराना होगा।
4. सूचना का. अधिकार कानून के तहत भी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती है।

सामाजिक अंकेक्षा (सोशियल ऑडिट)

1. ग्राम सभा की जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राम पंचायत में लागू सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करायें।
2. ग्राम पंचायत व अन्य क्रियान्वयन एजेन्सी सभी संबंधित दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएगी ताकि इनका सामाजिक अंकेक्षण हो सके।
3. यदि अनुदान के दुरुपयोग की शिकायत मिलती है तो भाग 27 के अनुसार केन्द्र सरकार योजना के लिए वित्तीय अनुदान को रोकने का आदेश दे सकती है।
4. सरकार अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत के बिना ही अनुदान बंद कर सकती है। यह धारा भ्रष्टाचार करने वालों के बदले भ्रष्टाचार पंडितों पर वार करती है।

इस कानून से मिले श्रमिकों को अधिकार :

1. रोजगार की मांग करने का अधिकार।

2. रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार।
3. 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।
4. कार्यक्षेत्र में कार्य करते वक्त पीने योग्य साफ पानी. बच्चों के लिए छत तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार।
5. राज्य में वैधानिक निर्धारित मजदूरी दर को प्राप्त करने का अधिकार।
6. इस कानून का प्रभाव सबसे अधिक ग्रामीण परिवारों की गरीबी और भुखमरी से बचाने में मददगार होगा।
7. रोजगार को लेकर शहरों या दूसरे राज्यों की ओर होने वाले पलायन में कमी आयेगी क्योंकि अब 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल जायेगा।
8. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी।
9. रोजगार के साथ-साथ गांवों के बुनियादी संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा।
10. समाज में संतुलन बनेगा, समाज एक समतामूलक समाज की तरफ बढ़ने में अग्रसर होगा।
11. मजदूरों की ताकत बढ़ेगी, वे संगठित हो सकेंगे।
12. असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी की दर तथा अपनी सुरक्षा संबंधित मामलों में अपनी शर्तें मनवा सकते हैं।

काम पाने का अधिकार :

1. यह कानून सभी वयस्क जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें यह अधिकार देता है कि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें काम करने की इच्छा हो। यह कानून किसी भी जाति, धर्म एवं वर्ग के लिए है। शर्त यह है कि कार्य करने की इच्छा हो और उसके लिए ग्राम पंचायत में अपना पंजीयन कराया गया हो।

नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता :

1. यदि आवेदक किसी स्कीम के अधीन उपलब्ध रोजगार स्वीकार नहीं करता है।
2. यदि जिस व्यक्ति ने कार्य के लिए आवेदन किया है और वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है।
3. काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है।
4. संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई आदेश प्राप्त किये बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है।
5. अगर वह अवधि खत्म हो जाये जिसके लिए उसने रोजगार की मांग की थी।
6. भत्ता पाने वाले व्यक्ति का किसी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के काम का कोटा समाप्त हो जाये।
7. उस परिवार को किसी एक वित्तीय वर्ष में रोजगार का भुगतान और बेरोजगारी भत्ता मिलाकर उतनी राशि प्राप्त हो जाये जो 100 दिन के काम से प्राप्त हो सकती है।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

1. इस कानून में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कुल काम जितने लोगों को मिलेगा उसमें एक तिहाई संख्या महिलाओं की होगी। यानी एक गांव में अगर 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है तो उसमें 33 महिलाओं की संख्या होगी।
2. जहां पर कार्य चल रहा हो वहां पर महिलाओं के साथ आने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जिनकी संख्या 5 से अधिक हो उनके लिए झूलाघर बनाया जायेगा। बच्चों के लिए पानी व अन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी।
3. इस कानून के माध्यम से महिलाओं को इस आधार पर वंचित नहीं किया गया है कि आपके बच्चे छोटे हैं बल्कि कानून उन्हें भी प्रोत्साहित करता है 1 मजदूरों को अपनी पसंद का काम करने की छूट नहीं है :

ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी उन्हें जो रोजगार देते हैं, उन्हें वही करना पड़ता है। हाँ, ग्राम सभा एवं अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियाँ जब कार्य की योजनाएँ बनाती हैं, तब वे अपने सुझाव दे सकते हैं।

1. ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी उसे रोजगार उपलब्ध करा दें।
2. जितने दिन का रोजगार माँगा था, वह अवधि समाप्त हो गई हो।
3. मजदूर के परिवार ने एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 100 दिन के रोजगार का "कोटा" पूरा कर लिया हो।
4. परिवार ने बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी रोजगार दोनों से मिलाकर एक वित्तीय वर्ष मे 100 दिन के काम जितनी मजदूरी अर्जित कर ली हो।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियाँ

कार्यक्रम अधिकारी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ब्लॉक स्तर पर समन्वयक के रुप में कार्य करता है याद रखें, ब्लॉक कार्यान्वयन की बुनियादी इकाई है। ब्लॉक के भीतर ही दो अलग प्रक्रियाएँ एक जगह पर होती हैं। एक तरफ, लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से या सीधे कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार के लिए आवेदन देते हैं। दोनों ही स्थितियों में आवेदन कार्यक्रम अधिकारी के पास ही पहुंचते हैं। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियाँ परियोजना प्रस्ताव बनाकर भी उसी के पास, भेजती हैं। वह दोनों का मिलान करके योजनाएँ मंजूर करता है, ताकि रोजगार की माँग समुचित रुप से पूरी की जा सके। इसके अलावा मंजूर काम के कार्यान्वयन, मजदूरी भुगतान, शिकायत-निवारण, पारदर्शिता के नियम लागू करना आदि उसकी जिम्मेदारियाँ हैं।

ग्राम पंचायत की मुख्य जिम्मेदारियाँ

1. विकास योजना तैयार करना और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत संभावित कार्यो की सूची बनाना और ग्राम सभा की सिफारिश के लिए उसके पास भेजना।
2. योजना के तहत रोजगार माँगने वालों का पंजीयन करना और उन्हें जॉब कार्ड जारी करना।
3. रोजगार के लिए आवेदन लेना और तिथि-युक्त पावती जारी करना।
4. आवेदकों को कार्य आवंटित करना।
5. जिन आवेदकों को काम का आवंटन कर दिया गया हो, उनके नाम पंचायत के सूचना-पट्ट पर दर्शाना।

6. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर कार्यो को कार्यान्वित करना।
7. सामाजिक लेखा-परीक्षा हेतु ग्राम सभा को प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराना।
8. मस्टर रोल की एक प्रति सार्वजनिक जाँच-पड़ताल हेतु पंचायत कार्यालय में रखना।
9. योजना के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

रोजगार की पात्रता

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला हर व्यस्क निवासी जो भी अकुशल श्रम करना चाहता हो, इसके लिए आवेदन पत्र दे सकता है।
2. एक घर के सभी वयस्क सदस्य इसके पात्र हैं।
3. आवेदक को उस ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है।
4. आवेदक अकुशल श्रम करने को तैयार हो।

जॉब कार्ड किसके पास रहेगा

1. जॉब कार्ड स्वयं श्रमिक के पास ही रहेगा।
2. कार्यस्थल पर मस्टर रोल में इन्द्राज उपरांत जॉब कार्ड मेट द्वारा श्रमिक को लौटा दिया जावेगा।
3. जॉब कार्ड किसी भी सूरत में मेट अथवा ग्राम पंचायत के पास नहीं रहेगा।
4. पंजीकरण/जॉब कार्ड से केवल रोजगार की हकदारी मिलेगी। रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा।

आवेदन पत्र कैसे और किसको देना

1. राज्य सरकार द्वारा आवेदन पत्र का मुद्रित फार्म जारी किया है जो ग्राम पंचायतों से प्राप्त किया जाकर उसमें आवेदन किया जावे।
2. मुद्रित आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में आवेदन पत्र सादा कागज पर ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाना है, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, लिंग, अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति अंकित हो। यदि आवेदक विकलांग है तो उसे आवेदन पत्र में वर्णित करें।
3. आवेदन पत्र का छपा हुआ होना जरूरी नहीं है।
4. कोई भी व्यक्तिगत रुप से जाकर मौखिक रुप से भी आवेदन कर सकता है।
5. आवेदन पत्र पूरे साल दिए जा सकते हैं।
6. आवेदन पत्र व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रुप से दिए जा सकेंगे।
7. आवेदन पत्र पूरे वर्ष के लिए एक साथ 100 दिन के रोजगार हेतु भी दिया जा सकता है व इसे टुकड़ों में भी दिया जा सकता है।
8. रोजगार का आवेदन लिखित में निर्धारित प्रपत्र में करना होगा यदि लिखने में सक्षम नहीं हो तो प्रपत्र की पूर्ति रोजगार सहायक द्वारा की जावेगी। परन्तु आवेदन की लिखित में उसे रसीद अनिवार्य रुप से दी जावेगी।
9. कार्यस्थल व कार्य पर जाने की तिथि की सूचना, लिखित में 15 दिन के अन्दर-अन्दर दी जावेगी।
10. रोजगार के लिए एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति भी काम पर आ सकते हैं, बशर्ते कि एक परिवार के कुल नियोजित कार्यदिवसों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

11. जी नहीं। निर्धारित टास्क पूरा करने पर श्रमिक कार्यस्थल से जा सकेगा। मेट द्वारा मस्टर रोल में उसके जाने के समय का इन्द्राज कर लेना होगा। ताकि निरीक्षण केदौरान इसे स्पष्ट किया जा सके।
12. योजना के अन्तर्गत सिर्फ अकुशल शारीरिक कार्य की ही गारंटी होगी। तथापि, कार्यान्वयन एजेन्सियाँ कार्य के निष्पादन के लिए जरूरी अर्द्धकुशल और कुशल मजदूरों को आवश्यकतानुसार काम पर लगा सकती है।

रोजगार कब और कैसे

1. रोजगार कब से और कहाँ मिलेगा, इसकी सूचना ग्राम पंचायत आवेदक को खुद करेगी। सूचना पत्र द्वारा एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी।
2. आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर ग्राम पंचायत आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराएगी।
3. विकलांग व्यक्तियों को भी उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
4. रोजगार यथासंभव आवेदक के गाँव के 5 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर ही दिया जायेगा।
5. यदि आवेदक को अपने गाँव से 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार मिलता है तो उसे परिवहन और निर्वहन व्यय के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी 1

मजदूरों को कितनी मजदूरी

1. इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किया जायेगा। निर्धारित टास्क से कम काम करने पर इसमें आनुपातिक कमी की जायेगी।
2. मजदूरी पूर्णत: नकद या कुछ नकद और कुछ वस्तु के रुप में दी जायेगी।
3. कम से कम 25 प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाएगी।
4. मजदूरी प्रति सप्ताह दी जाएगी पर किसी भी हाल में 15 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा ।
5. मजदूरी का भुगतान पहले से घोषित तारीख पर सम्बन्धित को सीधे और समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में अर्थात मजमा-ए-आम में किया जायेगा।
6. यदि आवेदक को अपने गाँव से 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार मिलता है तो उसे परिवहन और निर्वहन व्यय के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।
7. मजदूरी के भुगतान के उपरांत भुगतान का इन्द्राज श्रमिक के जॉब कार्ड में अनिवार्य रुप से भुगतानकर्ता द्वारा किया जायेगा। पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी श्रमिक के भुगतान उपरांत उसका इन्द्राज उसके जॉब कार्ड में हो जावेगा।
8. कार्य पर मजदूर समूह में नियोजित किये जावेंगे। समूह में कम से कम 5 श्रमिक होंगे।
9. समूह का गठन श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
10. मेट द्वारा रोजाना श्रमिकों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य की जानकारी दी जावेगी।

11. श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क को पूर्ण करने पर उसके माप का इन्द्राज मेट द्वारा अपनी डायरी में किया जाएगा।
12. श्रमिक द्वारा किये गये कार्य के इन्द्राज उपरांत उस पर श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा करवाया जावेगा।
13. यदि श्रमिक मेट की माप से संतुष्ट नहीं है, तो उसका सत्यापन तकनीकी सहायक द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान करा सकेगा।
14. मस्टर रोल कार्यस्थल पर मौजूद रहता है और वहीं भरा जाता है। आपको अधिकार है कि कभी भी उसकी जाँच कर सकें।
15. कार्यस्थल पर पर्यवेक्षण (देखभाल) और हाजिरी लेने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए एक मेट की नियुक्ति की जाती है। मेटों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पचास मजदूरों पर एक मेट को निगरानी पर लगाया जाना चाहिए, अर्थात् मेट और मजदूरों का अनुपात 1:50 होना चाहिए। मेट को बदल-बदलकर काम पर लगाना चाहिए। कभी एक जगह-आमतौर पर 15 दिन के लिए और कभी दूसरी जगह।

मेट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं -

मजदूरों का समूह बनाना। तय दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी भुगतान हेतु दिए जाने वाले कार्य का निर्धारण करना। मस्टर रोल में कार्य-स्थल पर ही मजदूरों के नाम, हाजिरी और कार्य की माप का विवरण भरना। मस्टर रोल में विवरण की प्रमाणिकता और कार्य की गुणवत्ता के लिए मेट जिम्मेदार होगा। प्रत्येक समूह द्वारा काम दैनिक या साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। कार्य-स्थल पर सुविधाएँ सुनिश्चित करना, जैसे छप्पर, बच्चों की देखभाल की सुविधा, पानी दवाईयाँ इत्यादि। कार्यस्थल की सामान्य देखरेख। आपात-स्थिति से निबटना, अर्थात् कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर आवश्यक कदम उठाना।

1. एक खास संख्यावाला मस्टररोल, कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों और सभी कार्यान्वयन ऐजेन्सियों को जारी करेगा।
2. मस्टर रोल का रख-रखाव ग्राम पंचायतें ओर अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियाँ करेंगी। वे इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित जानकारियाँ भरेंगी-
3. मजदूर का नाम, उसकी जॉब कार्ड संख्या, कितने दिन हाजिर रहा, कितने दिन गैर-हाजिर रहा और भुगतान की गई मजदूरी। प्रत्येक मजदूर के जॉब कार्ड में भी ये सूचनाएँ दर्ज की जाएँगी।
    1. काम को एक खास संख्या दी जाएगी।
    2. मजदूर के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान।
4. मूल मस्टर रोल कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गए खर्च के रिकार्ड के रुप में काम करेगा।
5. मस्टर रोल की एक फोटोकॉपी हरेक ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय को सूचना समन्वय और सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु भेजी जाएगी।
6. कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर मस्टर रोल कंन्प्यूटरीकृत होना चाहिए और यदि संभव हो तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी।

7. कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के अलावा अन्य किसी भी जगह से जारी किया गया मस्टर रोल अनाधिकश्त 'माना जाएगा।
8. संचालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्य-कुशलता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग करते हुये नरेगा से संबद्ध सारी जानकारी कंम्यूटर मैं दर्ज होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक अवलोकन हेतु वेबसाइड पर डालना चाहिए। देशभर में ब्लॉक स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए - चालू हालत में कम्पयूटर, टेलीफोन लाइन, मोडेम, प्रशिक्षित निगरानी एवं सूचना-प्रणाली, प्रशिक्षित कर्मचारी।
9. हरेक ग्राम पंचायत सप्ताह के एक खास दिन को 'रोजगार गारंटी दिवस' या 'रोजगार दिवस' के रुप में निर्धारित करेगी। इस दिन रोजगार के लिए आवेदन लेना, उससे संबंधित जानकारी देना, कार्य का आवंटन करना, मजदूरी का भुगतान करना ओर वे रोजगारी भत्ता बांटना जैसे कार्य करने चाहिए। 'रोजगार गारंटी दिवस' के दिन ये सभी गतिविधियाँ जारी रहनी चाहिए। खासकर रोजगार के लिए आवेदन कार्य-दिवस में किसी भी दिन स्वीकार किया जाना चाहिए।
10. 'रोजगार गारंटी दिवस' पर रोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड में दर्ज करके तत्काल आवेदनों की संख्या दर्शाते हुऐ कार्यक्रम अधिकारी को भेज देनी चाहिए।
11. 'रोजगार गारंटी दिवस' पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारियों (जैसे ग्राम रोजगार सहायक) को मजदूरों की सहायता के लिए मौजूद रहना चाहिए।
12. 'रोजगार गारंटी दिवस' की कार्रबाइं खुले सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए। इसमें योजना से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे मस्टर रोल, रोजगार सूचियाँ, बेरोजगारी भत्ता सूचियाँ आदि प्रदर्शित की जानी चाहिए।

नरेगा के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार निम्नलिखित खर्च उठाती है :-

1. अकुशल शारीरिक काम करने वाले मजदूरों का पूरा खर्च।
2. सामग्री लागत और कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के वेतन भुगतान का 75 प्रतिशत खर्च।
3. केन्द्र सरकार द्वारा तय प्रशासनिक खर्च। अन्य बातों के साथ इसमें शामिल हैं - कार्यक्रम अधिकारी और उसके सहायक स्टाफ के वेतन-भत्ते तथा कार्य-थल पर सुविधाओं पर होने वाला खर्च।
4. केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक खर्चे।

योजना के अंतर्गत राज्य सरकार निम्नलिखित खर्च उठाती है -

1. सामग्री लागत और कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के वेतन भुगतान का 25 प्रतिशत खर्च।
2. यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाती तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।
3. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के प्रशासनिक खर्च।
4. केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाया गया है। नरेगा के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार या जिलों को इस कोष अनुदान दिया जाता है।

5. राज्य सरकार भी अधिसूचना द्वारा एक कोष स्थापित कर सकती है, जिसे राज्य 'रोजगार गारंटी कोष' कहा जाता है। इस कोष को आवर्ती कोष की तरह रखा जाता है, जिसका उपयोग अधिनियम के अनुसार किया जाता है।

पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेही

1. सभी कार्यो की सामाजिक लेखा-परीक्षा।
2. समय पर शिकायतों और साभिप्राय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई।
3. मजदूरी भुगतान के लिए बैंक या डाकघर में खाते खोलना।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक ही बैंक खाता होगा। इस खाते को ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सचिव संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबद्ध ग्राम पंचायत के खातों को पूर्व-निर्धारित प्रारूप में अर्द्धवार्षिक सामाजिक लेखा-परीक्षा हेतु ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करना होगा।
8. गाँव में होने वाले हर कार्य पर ग्राम सभा नजर रखेगी। वह कार्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर भी निगरानी रखेगी। वह मजदूरों के पंजीयन. जॉब कार्ड जारी होने और मक्खी भुगतान की भी निगरानी करेगी।
9. नरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान बैंकों या डाकघरों के माध्यम से करके भुगतान एजेंसियों एवं समन्वय एजेंसियों को परस्पर अलग किया जा सकता है।
10. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान देय तिथि से 15 दिन के भीतर कर दिया जाए। देरी होने पर राज्य सरकार को इसका मुआवजा अदा करना होगा।

बेरोजगारी भत्ता किन परिस्थितियों में

1. यदि रोजगार के लिए आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अन्दर रोजगार नहीं मिला तो प्रार्थी बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाएगा।
   बेरोजगारी भत्ते की दर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं होगी तथा उसके बाद शेष अवधि के लिए मजदूरी दर की 1/2 से कम नहीं होगी बशर्ते परिवार इसका पात्र हो।
2. बेरोजगारी भत्ता निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा -
   1. यदि प्रार्थी उसे दिए गए अकुशल श्रम को स्वीकार नहीं करता है।
   2. यदि काम की सूचना मिल जाने के बाद 15 दिन के अन्दर कार्य थल पर उपस्थित नहीं होता है।
   3. यदि अपने कार्य स्थल से बिना अनुमति के लगातार 7 दिन तक उपस्थित नहीं होता है।

यदि किसी आवेदक को रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उसे उतनी अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जितने के लिए आवेदक के परिवार ने उतनी मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता अर्जित नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन के कार्यो की मजदूरी के बराबर होता।

महिलाओं के लिए प्रावधान

1. महिलाओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और एक तिहाई रोजगार महिलाओं को मिलेगा।
2. महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जायेगी। महिला मजदूरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
3. यदि कार्य स्थल पर पाँच से अधिक बच्चे 8 वर्ष से कम उस के होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी एक महिला मजदूर को लगाया जाएगा जिसको इसी योजना के तहत मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
4. मेट के पैनल में 30 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जायेगा।

मजदूरों को कार्य स्थल पर सुविधाएँ

1. स्वच्छ पेयजल, विश्राम काल. मजदूरों के लिए शेड (छाया), बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार के लिये फस्ट एड बाक्स उपलब्ध कराया जाएगा।
2. यदि 5 से अधिक बच्चे कार्यस्थल पर महिला मजदूरों के साथ आते हैं तो क्रेच की व्यवस्था की जावेगी, जिसमें एक महिला को उनके देखभाल के लिए लगाया जायेगा तथा छोटे बच्चों के लिए पालना आदि की व्यवस्था भी की जायेगी।
3. यदि श्रमिक रोजगार के दोरान कार्य स्थल पर घायल हो जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क ईलाज का हकदार होगा।
4. घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में पूरा उपचार, परिवहन, दवाईयाँ, आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। घायल श्रमिक को दैनिक भत्ता देय होगा जो कि मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।
5. पंजीकृत श्रमिक के कार्य स्थल पर दुर्घटना/अन्य कारणों से मृत्यु अथवा हमेशा के लिये विकलांग होने की स्थिति में मश्तक के वैध उत्तराधिकारी अथवा विकलता, जैसा भी मामला हो. को अनुग्रह राशि के रुप में रुपये 25,000 अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि का भुगतान कार्यकारी अभिकरण द्वारा किया जावेगा।
6. गाँव का कोई परिवार रोजगार के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है। इसके लिये बी.पी.एल. आदि की सीमा में होना जरूरी नहीं है।
7. पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन के 15 दिनों के अंदर जॉब कार्ड मिल जाता है। इस जॉब कार्ड पर परिवार के वयसक सदस्यों के फोटो लगे होते हैं।
8. जॉब कार्ड बन जाने के बाद काम मांगने के लिए अर्जी देनी होती है।
9. जॉब कार्ड धारक को काम माँगने की रसीद दी जाती है। काम माँगने के 15 दिनों के अंदर ही आवेदक को रोजगार मिल जाता है।
10. यदि 15 दिन में काम नहीं मिले तो वह व्यक्ति बेरोजगार भत्ता पाने का अधिकारी हो जाता
11. इस योजना में जल और भूमि संरक्षण तथा भूमि सुधार के कार्यो पर जोर दिया जाता है। बन विकास और वृक्षारोपण के कार्य को भी प्राथमिकता दी जाती है।
12. कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाने होते हैं।

13. ग्राम सभा द्वारा कार्य योजना प्रस्तावित की जाती है यानि गाँव में कौन-कौन से काम होंगे इसका निर्णय ग्राम सभा ही करती है। जिला परिषद् द्वारा इस कार्य योजना को स्वीकश्ती मिलती है।
14. इस योजना में मशीन या ठेकेदार की मनाही है।
15. काम का भुगतान 15 दिनों के अंदर होने का नियम है।
16. अगर कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे हों तो वहीं एक महिला मजदूर बच्चों की देखभाल के लिए होनी चाहिए। इस महिला को एक मजदूर की मजदूरी मिलेगी।
17. तय काम पूरा करने के बाद श्रमिक समूह घर जा सकता है। मेट उसके जाने का समय अपने मस्टररोल में दर्ज कर समूह के अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराएगा जिससे निरीक्षण के दौरान इसे स्पष्ट किया जा सके।
18. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों बरे। आजीविका का साधन मुहैया कराना है। इस योजना में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जायेगा।
19. किसी ग्रामीण परिवार का वह वयस्क/बालिग सदस्य यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है एवं जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज है, रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है।
20. जॉब कार्ड में आवेदक का फोटो लगा होता है। इस फोटो का खर्च योजना मद से ग्राम पंचायत करेगी। आवेदक से इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। लाभार्थियों की एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए।
21. इस योजना के लिए पंजीकरण तो परिवार का होता है। पर जॉब कार्ड पर परिवार के हर बालिग सदस्य का फोटो होता है। उसी जॉब कार्ड के आधार पर परिवार का कोई भी बालिग सदस्य काम की माँग कर सकता है। एक परिवार को सौ दिन का ही रोजगार मिलेगा।
22. एक वयस्क जिसका इस योजना में पंजीकरण हो चुका है वह कभी भी काम माँग सकता है। इसके लिए उसके पास जॉब कार्ड होना जरूरी है। वह एक निर्धारित फार्म भरकर काम मांग सकता है। फार्म न हो तो एक सादे कागज पर काम की माँग की जा सकती है और तो और इसमें काम मौखिक भी माँगा जा सकता है। आवेदन पत्र गाँव में ग्राम पंचायत या ब्लॉक में कार्यक्रम अधिकारी को देना चाहिए। इस आवेदन की एक प्राप्ति रसीद भी मिलती है। यह रसीद जरूर लेनी चाहिए। इससे यह पता रहता है कि आवेदन किस तारीख में किया गया था।
23. जॉब कार्ड खोने पर डुप्लीकेट जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए परिवार के मुखिया को आवेदन करना होगा। इस आवेदन पत्र के जरिए नया पंजीकरण किया जायेगा। उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं के बाद डुप्लीकेट जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
24. एक साल में एक परिवार को एक सौ दिन का रोजगार मिलेगा। इस 100 दिन में उस परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य काम कर सकता है। एक बार में लगातार 14 दिन का काम मिलेगा। एक सप्ताह में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं लिया जायेगा।
25. ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, आवेदक को पत्र द्वारा सूचना देंगे। ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर भी यह सूचना दी जाएगी। यह सूचना 15

दिनों के अंदर दी जाएगी। इस सूचना में काम पाने वालों के नाम, काम की तारीख, समय, स्थान इत्यादि सभी की जानकारी दी जाएगी।

26. रोजगार की सूचना मिलने पर आवेदक को तुरन्त तय समय और स्थान पर अपने जॉब कार्ड के साथ पहुंचाना चाहिए जहाँ उसे काम मिला है।
27. अगर आवेदक सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर काम पर नहीं पहुँचेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा।
28. आवेदक काम के लिए दुबारा आवेदन कर सकता है।
29. भुगतान काम के आधार पर ही दिया जाएगा। यह बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस माध्यम से मिलेगा।
30. मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाना चाहिए। अगर किसी कारण सप्ताह नहीं हुआ तो काम के 15 दिनों के अन्दर तो हो ही जाना चाहिए।

कुछ काम जो इस योजना के अंतर्गत कराए जा सकते हैं, वे हैं -

1. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण
2. सूखे को रोकने के कार्य जिसमें बन विकास एवं वश्क्षारोपण कार्य शामिल है।
3. सिंचाई नहरें जिसमें माईनर एवं माईक्रो सिंचाई के कार्य शामिल हैं।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के जमीन मालिकों को जमीन के लिए सिंचाई कार्य या भूमि सुधार के लाभार्थियों की जमीन के लिए सिंचाई कार्य। इनके समस्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात सीमांत एवं लघु किसानों के इसी प्रकार के कार्य।
5. परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण जिसमें तालाबों, पोखर, बावड़ी आदि से गाद मिट्टी निकालने का कार्य शामिल है।
6. भूमि विकास के कार्य
7. बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य जिसमें जल अवरुद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य शामिल है।
8. बारहमासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलवर्ट का निर्माण भी शामिल होगा। गाँव के बीच कच्ची सड़क निर्माण कार्य भी इसमें शामिल होगा।
9. ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य भी इसमें शामिल किया गया है।
10. अन्य कोई कार्य जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की सलाह से तय करे।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर, 2005 को हमारे देश में लागू हुआ। इस कानून के तहत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह केन्द्र और राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकता है। किसी भी दस्तावेज की प्रमाणिक प्रतिलिपि ले सकता है। काम में आने वाली सामग्री के नमूने भी ले सकता है। सी.डी. या फ्लॉपी में सूचना भी ले सकता है। मजदूरी के मस्टररोल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की योजनाएँ, खर्च की गई राशि, लाभ लेने वालों की सूची, वाउचर, ऑडिट रिपोर्ट आदि तरह-तरह की सूचना ले सकता है। रिकार्ड का निरीक्षण भी कर सकता है।

नरेगा के बारे में किसी भी तरह की जानकारी आप सूचना का अधिकार कानून के तहत ले सकते हैं। नरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण साल में दो बार ग्राम सभा द्‌वारा कराए जाने का प्रावधान है।

7.3 सारांश

नरेगा अधिनियम द्‌वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक परिवार से 100 दिन का एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। रोजगार माँगने पर 15 दिन में रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो उसे बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। नरेगा के क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण संस्थात्मक संरचना का विकास किया गया है। इसके द्‌वारा नरेगा का क्रियान्वयन होता है। अधिनियम में पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

7.4 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. नरेगा अधिनियम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
2. नरेगा के क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों की विवेचना कीजिये।
3. नरेगा में रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये।

7.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, हनुमानसिंह गुर्जर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. राजस्थान की रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार का राज-पत्र विशेषांक जुलाई 24, 2006
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका, राजस्थान सरकार, जयपुर।

इकाई - 8

राज्य स्तरीय मशीनरी - नरेगा परिषद

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 राज्य स्तरीय नरेगा परिषद

8.3 नरेगा परिषद के कार्य

8.4 कार्यकारी समिति

8.5 स्कीम की जानकारी

8.6 हरित राजस्थान

8.7 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

8.8 प्रमुख कार्यो के फोटो

8.9 महानरेगा अधिनियम में सजा/जुर्माने का प्रावधान

8.10 सारांश

8.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

8.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

8.0 उद्देश्य

स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्य उद्देश्य यथा रोजगार गारंटी से सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण औरतों के सशक्तीकरण, गाँवों से शहरों की और पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी है।

8.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक एवं कार्यकारी व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं। इसी क्रय में राज्य स्तर पर द्वि-स्तरीय प्रशासनिक एवं नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गयी है. राज्य मे सर्वोच्च स्तर पर नरेगा परिषद की स्थापना की गयी है। जो कि इस कार्यक्रम के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन, प्रबोधन एवं कार्यक्रम में सुझाव देने हेतु सर्वोच्च स्तर पर उत्तरदायी है।

8.2 राज्य स्तरीय नरेगा परिषद

क्र.सं.	परिषद के सदस्य	पदनाम
1	माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान अध्यक्ष राजस्थान सरकार, जयपुर।	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3	माननीय मंत्री महोदय,जल संसाधन विभाग,राजस्थान सरकार,जयपुर।	सदस्य
4	माननीय मंत्री महोदय, 'कृषि विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
5	माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।	सदस्य
6	माननीय मंत्री महोदय, विधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
7	माननीय मंत्री महोदय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान सरकार,जयपुर।	सदस्य
8	माननीय मंत्री महोदय,श्रम एवं रोजगार, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
9	श्रीमान मुख्य सचिव,राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
10	श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त (नरेगा)	सदस्य सचिव

8.3 नरेगा परिषद के प्रमुख कार्य

राज्य परिषद द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

1. स्कीम एवं इसके क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देना।
2. स्कीम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. मॉनीटरिंग एवं रिहर्सल मैकेनिज्म की समय-समय पर समीक्षा एवं सुधार हेतु सुझाव।
4. अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के संबंध में नीचे स्तर तक जानकारी देना।
5. अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग एवं केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के साथ समन्वय।
6. अधिनियम की अनुसूची 1 के खण्ड 1 (ix) के संदर्भ में, स्कीम के अन्तर्गत अन्य नये कार्यो को जोड़े जाने का अनुमोदन कर अपनी अभिशंषा के साथ भारत सरकार को प्रेषित करना।
7. राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करना।
8. योजना का राज्य में क्रियान्वयन तथा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना एकत्रित कराने एवं मॉनीटरिंग कराने का अधिकार।
9. अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जावें।
10. अधिनियम के अन्य समस्त कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

8.4 कार्यकारी समिति

राज्य परिषद को उसके कार्यो के संपादन में सहायता देने हेतु एक कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है -

क्र.सं.	कार्यकारी समिति के सदस्य	पदनाम
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव,(विकास) राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज. विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं वित, राजस्थान सरकार	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान सरकार	सदस्य
7	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
8	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
9	शासन सचिव, विधि विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य
10	शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (ग्रा.रो.)	सदस्य-सचिव

8.5 स्कीम की जानकारी

अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम की जानकारी प्रत्येक गांव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी -

(1) अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम की ग्राम सभाओं में जानकारी देना।

(2) अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के बारे में प्रत्येक गांव / मजरा / ढाणी तक लाउड-स्पीकर द्वारा जानकारीदेना।

(3) ग्राम के प्रमुख स्थानों यथा विद्यालय, आगनबाड़ी पटवार-घर, ग्राम पंचायत भवन, ग्राम की चौपाल एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाकर जानकारी देना।

(4) नुक्कड़ नाटक, सामाजिक सम्मेलन आदि में जानकारी देना।

(5) रेडियो / दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

(6) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार करना।

(7) अन्य प्रभावी माध्यम जिनका जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चयन किया जावे।

अधिनियम के प्रावधानों एवं योजना के संबंध में विशेष जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

8.6 हरित राजस्थान

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 'हरित राजस्थान योजना" को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर राज्य ने हाथ में लिया है। यह पंचवर्षीय योजना होगी, जो 2009 - 10 से प्रारम्भ होकर 2013 - 2014 तक चलेगी।

18 जून, 2009 को जयपुर के शिक्षा संकुल परिसर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में सामूहिक वृक्षारोपण के साथ साथ "हरित राजस्थान" अभियान का शुभारम्भ किया। योजना जुलाई, 2009 से समस्त राज्य में प्रारम्भ की गयी।

ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हरित राजस्थान के कार्य करवाये जायेंगे तथा शहरी क्षेत्र में हरित राजस्थान कार्य क्रम के लिये संबन्धित शहरी निकाय या संबन्धित संस्था व्यय करेगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना अन्तर्गत अनुमत कार्यो की सूची में सूखे के बचाव के लिये वृक्षारोपण एवं बन संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य में वैसे भी अकाल की स्थिति रहती है। जिसका कारण राज्य में वन क्षेत्र की कमी है। इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा की कमी रहती है। इससे सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब जनता प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति में हरित राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा करने के लिये ग्रामीण इलाकों में नरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान की योजना सघन वृक्षारोपण, वन संरक्षण एवं चारागाह के विकास

के लिये बनायी गयी। इससे ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति की जा सकेगी।

इस योजना में नरेगा के तहत सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस योजना के क्रियान्वयन से जोड़ा जाये। अत: पंचायत के मुखिया का यह उत्तरदायित्व बनता है, कि वह हरित राजस्थान के संबन्ध में विशेष बैठकों का आयोजन करे। वन विभाग के अधिकारियों / कार्मिकों तथा गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इन बैठकों में आमंत्रित करे तथा इस योजना की पूर्ण जानकारी उन्हें दे तथा उनके अनुभव एवं जानकारी उनसे प्राप्त करें ताकि योजना अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण किया जा सके।

राज्य में पूरे क्षेत्रफल का केवल 9.23 प्रतिशत क्षेत्र ही बन क्षेत्र है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.28 प्रतिशत है। इस स्थिति में सुधार के लिये यह आवश्यक है कि सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जावे। नरेगा के मुख्य उद्देश्यों में से एक पर्यावरण की रक्षा किया जाना भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में हरित राजस्थान योजना शुरू की गयी है। हरित राजस्थान योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य जिला / राजमार्गों के किनारों पर, शालाओं में अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं ग्राम पंचायत चरागाहों के साथ साथ बन भूमि में वृक्षारोपण का विशाल कार्यक्रम हाथ मे लिया है। इस योजना के अन्तर्गत न केवल वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है. बल्कि उनके रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत हरित सड़क कार्यक्रम राज्य में शुरू किया गया है। हरित सड़क के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे है। कार्य शुरू होने के पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत में श्रमिकों / जॉब कार्ड धारियों को ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करवाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत पौधारोपण के लिये पौधे बन विभाग या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नर्सरी से प्राप्त किये जाते है तथा सड़क की बागड़ी के साथ ही वृक्षारोपण किया जाता है। इस हेतु पौधों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उन्हें पानी की कम जरूरत हो तथा जिन्हें पशु नहीं खाते हों। जैसे- नीम, चुरैल, केसिया-सामिया आदि। पौधों की सुरक्षा क्षेत्रीय प्रचलन / उपलब्ध सामग्री यथा रिंगपिट / हनीकॉम ब्रिक्स स्ट्रक्चर / कांटेदार झाड़ियों का उपयोग किया जाता है।

8.7 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 की मुख्य विशेषताएं : -

- ऐतिहासिक अधिनियम - भारत के इतिहास में इस कानून से पहली बार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार मिला है।
- काम मांगने का अधिकार - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सरकार से 100 दिन का रोजगार मांगने का अधिकार है।
- बेरोजगारी भत्ता - यदि राज्य सरकार किसी ग्रामीण परिवार की मांग पर उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाने में असफल रहती है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी।

- ग्रामवासियों द्वारा कार्यो का चयन - ग्राम / वार्ड के द्वारा अनुमत कार्यो में से प्रत्येक गांव के विकास के लिये शुरू किये जाने वाले कार्यो को अधिनियम में अंकित प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।
- महिलाओं को प्राथमिकता -रोजगार के आवंटन में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है।
- पूर्ण पारदर्शिता - योजना में पूर्ण पारदर्शिता होगी और मजदूरी का भुगतान उनके स्वयं के बैंक / पोस्ट ऑफिस के खाते के माध्यम से होगा। मस्टररोल अब गुप्त नही रहेगा, और कार्य लोगों की जानकारी में होंगें। भुगतान उपरान्त भुगतान शुदा मस्टररोल की वेज लिस्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।
- ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध - इस योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु ठेकेदारों को अनुमति नहीं दी गयी है।
- पंचायतों की निर्णायक भूमिका- सभी स्तरों पर पंचायत संस्थाएं, योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभायेंगी।
- श्रमिकों के लिये कार्यस्थल पर सुविधाएं- योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर छाया, पानी, दवाइयां व छोटे बच्चे के लिये पालना व्यवस्था की जायेगी।
- कार्यस्थल पर दुर्घटना - कार्यस्थल पर घायल होने के मामले के निःशुल्क चिकित्सा का और श्रमिक की मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग होने के मामले में मुआवजे का प्रावधान है।
- मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध - कार्यो पर मशीनों का प्रयोग वर्जित है। सिर्फ उसी दशा में जब कोई कार्य मजदूरों के द्वारा किया ही नही जा सकता हो, तो जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से मशीनों का उपयोग किया जा सकता है।

मजदूरों के अधिकार :-

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 में श्रमिकों को निम्न अधिकार दिये गये है :-
- प्रत्येक परिवार को अपनी ही पंचायत में एक साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का हक है। इसके लिये वह पंचायत में परिवार के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद परिवार को जॉब कार्ड पाने का हक है।
- काम के आवेदन की दिनांक सहित रसीद पाने का हक है।
- काम मांगने के 15 दिवस के भीतर 5 किलोमीटर की दूरी में काम पाने का हक है।
- कार्यस्थल पर मजदूरों के लिये छाया, पानी, प्राथमिक उपचार, छोटे बच्चों के लिए पालना पाने का हक है।
- कार्यो से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों जैसे- मस्टररोल, कार्यस्थल पुस्तिका एवं जॉब कार्ड में की गयी प्रविष्टियों को देखने व जानने का हक है।
- निर्धारित टॉक्क कार्य पूरा करने पर राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी पाने का हक है।
- पखवाड़ा समाप्ति पर 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान पाने का हक है। अर्थात् जितना काम उतना दाम।

- काम मांगने के 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता पाने का हक है।
- शिकायत दर्ज कराने पर एक सप्ताह के भीतर निपटारे का हक है।

अनुग्रह राशि के भुगतान के संबन्ध में प्रावधान : -

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 26 में प्रावधान है कि यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन के उदभुत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो क्रियान्वयन अधिकरण द्वारा उसे 25000 /- (रूपये पच्चीस हजार) की दर पर या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जायेगा और वह रकम, यथा स्थिति, मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान की अधिसूचना 24 जुलाई,. 2006 के बिन्दु संख्या 34(3) के अनुसार पंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना / अन्य कारणों से मृत्यु, हमेशा के लिए विकलांग होने की स्थिति में मृतक के वैध उत्तराधिकारी अथवा विकलांग जैसा भी मामला हो, को अनुग्रह राशि के रूप में रूपये 25000 /- भुगतान किया जाना है।

इस संबंध में समय समय पर कई जिलों द्वारा राज्य स्तर से भुगतान के संबन्ध में मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है। जबकि अधिनियम के प्रावधानुसार जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर ही इस संबन्ध में निर्णय लिया जाना है। यदि इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर पर अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो ग्रामीण विकास अनुभाग -3 (नरेगा) को प्रस्ताव के साथ पूर्ण प्रकरण निम्न दस्तावेजों के आवश्यक रूप से भिजवाए. जिससे राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा सकें -

1. मृतक के संबंध में दर्ज करवायी गयी एफ.आई.आर. रिपोर्ट।
2. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. कार्यस्थल पर कार्यरत मेट की रिपोर्ट एवं बयान।
4. अनुग्रह राशि के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की टिप्पणी।

राजस्थान में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप पंचायती राज की व्यवस्था :-

हमारे देश में पंचायत राज की व्यवस्था बहुत पुरानी है। वेदों में भी इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में इन्हें पंचपरमेश्वर कहा जाता था। स्वतंत्र भारत में पंचायत राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुभारम्भ किया था।

आवश्यकतानुसार समय समय पर पंचायत राज व्यवस्था में संशोधन कर इसे प्रभावी बनाया गया। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज की व्यवस्था को अनिवार्य और एकरूपता प्रदान की गयी। राजस्थान में 23.04.1994 को नया पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के लागू होने के साथ ही ग्रामीण रोजगार की महती जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास आ गयी है।

ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था ह, एवं इसके मुखिया होने के नाते सरपंच के महत्वपूर्ण पदेन कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियां है।

ग्राम सभा के अधिकार एवं दायित्व :-

महात्मा-गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ग्राम सभा के अधिकार एवं दायित्व निम्न है :-

- ग्राम सभा को नरेगा अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की सिफारिश का हक है।
- नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक 6 माह में कार्यो की सामाजिक अंकेक्षण कराने का ग्राम सभा का दायित्व है।
- ग्राम सभा को योजना के संबंध में ग्राम पंचायत से समस्त सूचनाएं बिना मांगे प्राप्त करने का हक है।
- सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये मंच के रूप में काम करने का दायित्व है ग्राम पंचायत के दायित्व:-

  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ग्राम पंचायत के दायित्व निम्न है :-

- ग्राम सभा 15 अक्टूबर तक आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना बना कर पास करवाना।
- परिवारों के प्रार्थना पात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिये प्राप्त करना।
- प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सत्यापन कर परिवारों का पंजीयन करना।
- परिवार जॉब कार्ड जारी करना।
- रोजगार मांग का प्रार्थना पत्र प्राप्त केर आवेदन को दिनांक शुदा प्राप्ति रसीद जारी करना।
- काम मांगने के 15 दिनों के अंदर फार्म नं.8 में कार्य आवंटन केर आवेदक को सूचना देना।
- कार्यो का सही एवं ईमानदारी से क्रियान्वयन एवं मोनिटेरींग करना।
- रिकार्डो का सुव्यवस्थित संधारण करना।
- सामाजिक अंकेक्षण करवाना।

8.9 प्रमुख कार्यो के फोटो

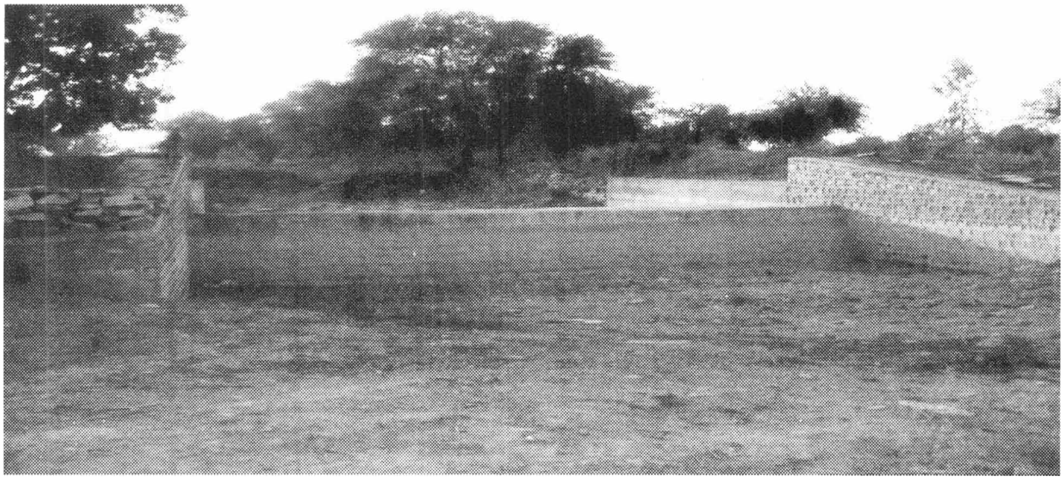

एनिकट निर्माण

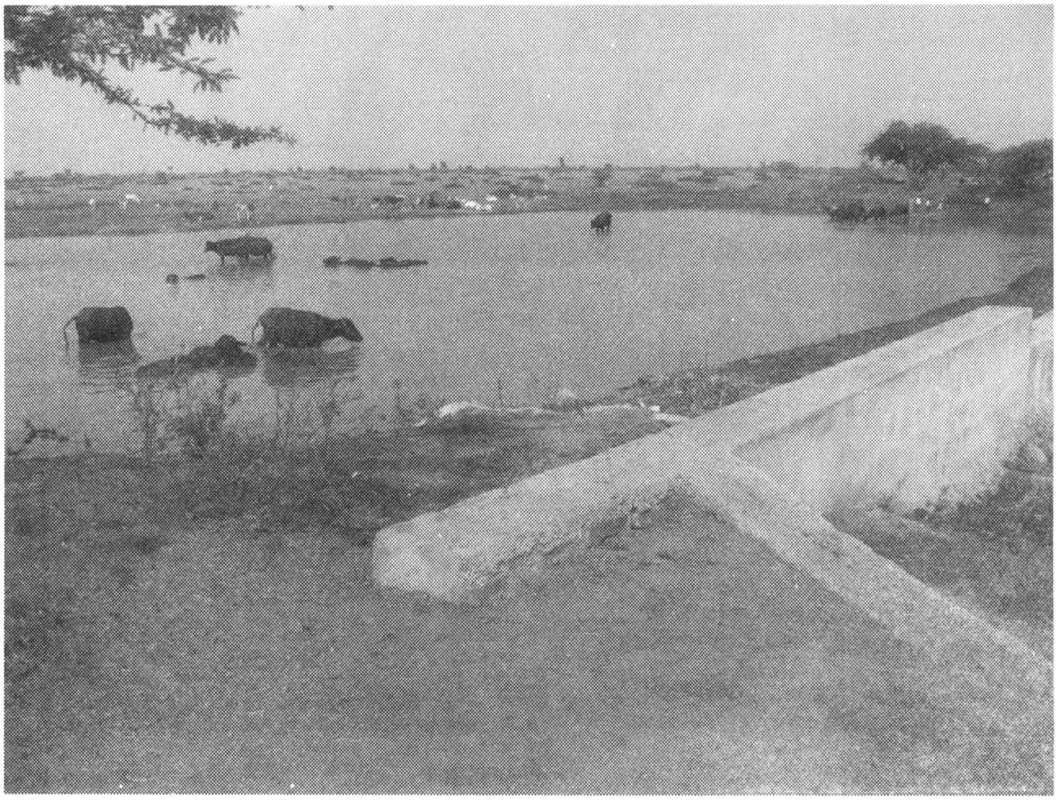

तलाई एंव वेस्ट्वीयर निर्माण

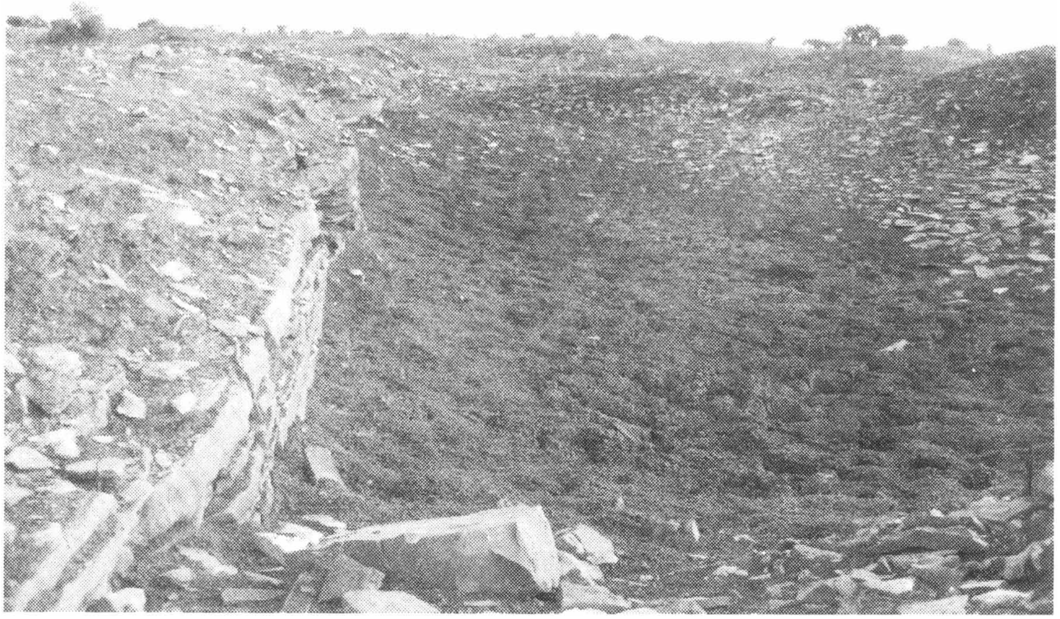

तलाई निर्माण

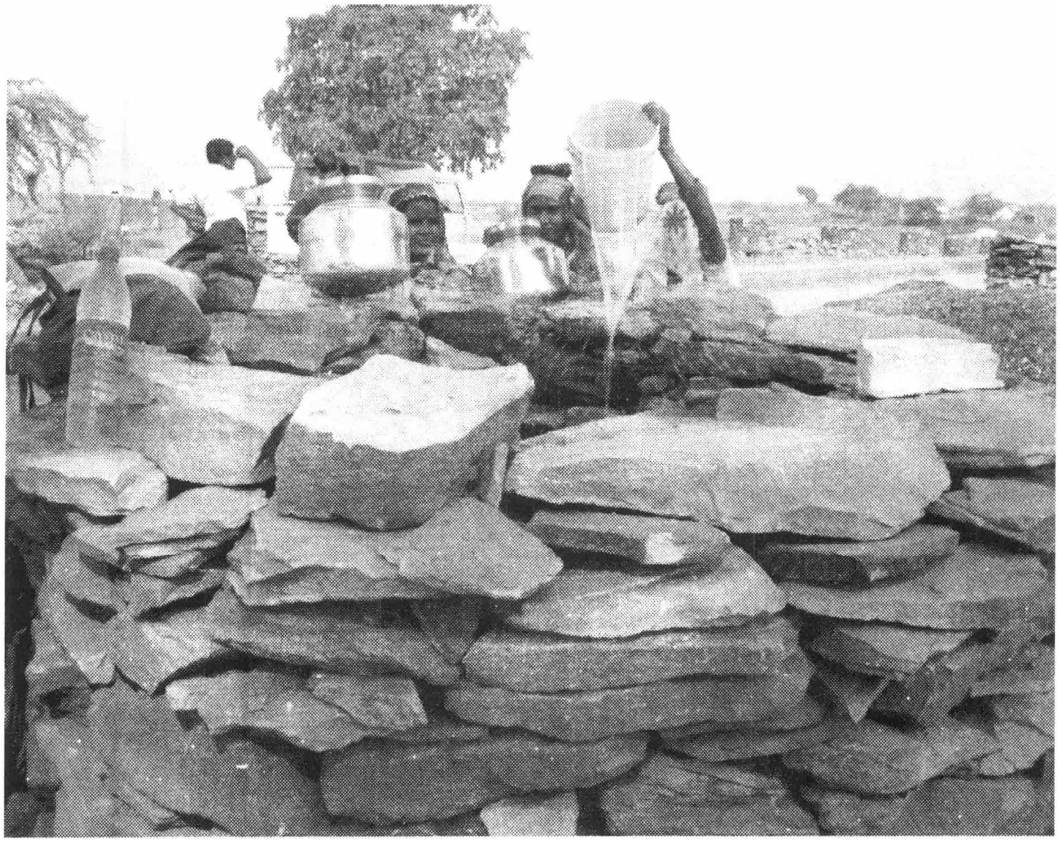

हरित राजस्थान

खरंजा निर्माण कार्य

8.10 महानरेगा अधिनियम में सजा / जुर्माने का प्रावधान

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों / नियमों के प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करने / दोष सिद्ध होने पर सजा / जुर्माने का प्रावधान के संबन्ध में आवश्यक जानकारी सरपंच को होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के मद्देनजर नरेगा कानून एवं अन्य कानूनों / नियमों के प्रमुख प्रावधान नाचे दिये जा रहे है : -

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 :-

जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने का, जो 100/ - रूपये तक हो सकेगा दायी होगा।

राज्य स्तर पर बनाये गये नरेगा के जनअभियोग निराकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण नियमों की भी पालना समस्त नरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों / अनुबन्धित कर्मचारियों एवं पंचायत राज संस्था के पदाधिकारियों को करनी होगी। पालना नहीं करने पर, दोष सिद्ध होने पर उक्त नियमानुसार भी दण्ड के भागी होंगे।

सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में : -

पंचायत में कार्यरत सरकारी कर्मचारी यों द्वारा नरेगा कानून के क्रियान्वयन के संबन्ध में किसी भी प्रकार का उन पर कोई चार्ज लगता है, और दोष सिद्ध होता है तो उनके विरूद्ध सरकारी कर्मचारी होने के नाते संबन्धित सरकारी सेवा नियमों के अन्तर्गत सजा / जुर्माने का प्रावधान तो है ही साथ ही उन पर भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-3) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(1)डीओपी / ए-III / 2004 दिनांक: 08.02. 2010 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वगीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के उप नियम (1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबन्ध में लघु शास्तियां (तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक) (संचयी प्रभाव के बिना) अधिरोपित करने के लिए समस्त जिला कलक्टरों को इसके द्वारा विशेष रूप से सशक्त करती है।

यह अधिसूचना इस स्कीम के प्रवर्तन में रहने तक प्रभावी रहेगी।

अनुबन्धित कर्मचारियों के संबध में :-

पंचायत में कार्यरत अनुबन्धित कर्मचारियों पर कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, चार्ज सिद्ध होने पर उन पर उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के मुताबिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 :-

धारा 38 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार को किसी भी पंचायती राज संस्था के सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निम्न कारणों से : -

कार्य करने से मना करने, असमर्थ होने, कर्तव्यों के पालन में दुराचरण का दोषी होने, निधियों का दुरूपयोग करने एवं अपने पद की गरिमा को आघात पहुँचाने पर हटाये जाने का अधिकार है।

कर्त्तव्यों के निर्वहन में अवचार या दुराचरण प्रत्येक ऐसा कार्य आ जाता है जिसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम संस्था को हानि हो एवं संस्था को हानि पहुँचाने वाला प्रत्येक कार्य या चूक भी इसी श्रेणी में आते है।

सूचना का अधिकारी अधिनियम -2005

सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगना और सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सभी नागरिकों को शासन और विकास से संबंधित सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक (सचिव) लोकसूचना अधिकारी होता है, और सरपंच अपील अधिकारी होता है, इसी नाते सरपंच का दायित्व और भी बढ़ जाता है, कि मांगी गयी सूचना पूर्ण सही एवं तुरन्त दी जावे। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना30 दिन में दिये जाने का प्रावधान है। सूचना देने में दोषी पाये जाने पर 25000 /- रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता - 1860 :-

ग्राम पंचायत में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार दोषी पाये जाने पर सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी / कर्मचारी संहिता के अधीन दण्डनीय होंगे। सामान्यतया ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार के आपराधिक कृत्य पाये गये है, जो दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी में आते है -

1. **धारा 167 -** लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचना है, तो धारा 167 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
2. **धारा 168 -** जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोकसेवक के नाते इस बात के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा तो जिसकी अवधि एक वर्ष तक ही होगी कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
3. **धारा 169 -** क, जो विधि विरूद्ध जन्म से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिये बोली लगाता है, ऐसे लोकसेवक के नाते इस बात के लिये वेध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिये बोली लगाये अपनी निजी नाम में या दूसरे के नाम में क्रय या बोली लगायेगा तो उसे दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
4. **धारा 171 -** कपटपूर्ण आशय से लोकसेवक होने का प्रदर्शन करना, कई बार महिला सरपंच के पति / पुत्र / जेठ स्वयं को सरपंच जाहिर कर बैठक में राजकीय कार्यालयों में बैठ जाते है, यह दण्डनीय अपराध है। इसके लिये तीन मास तक की सजा या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
5. **धारा 405 -** आपराधिक न्यास भंग जो कोई राजकीय धन एवं चल चल / अचल सम्पति का न्यासी (ट्रस्टी) होते हुये बेईमानी की नियत से उस सम्पत्ति का दुरूपयोग करता है या स्वरूप परिवर्तन करता है तथा बेईमानी की नीयत से स्वयं प्रयोग करता है या बेच देता है या अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है तो वह आपराधिक न्यास भंग करता है। जो अमानत में खयानत का अपराध माना जाकर तीन वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
6. **धारा 420 -** छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा तो उसे सात साल की अवधि का कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

7. **धारा 487 -** जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना करेगा, वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।
8. **धारा 468 -** जो कोई दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करे या फर्जी दस्तावेज बनाता है। छल के प्रयोजन के उपयोग में लाता है, तो सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
9. **धारा 147-** कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग लाने पर जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करता है कि वह कूट रचित है, कपट पूर्वक है, बेईमानी से असली के रूप में उपयोग मे लायेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा मानों उसने ऐसी कूट रचना की है।

8.10 सारांश

इस इकाई के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कार्यक्रम के क्रियान्वयन, प्रबोधन एवं सुझाव तथा संशोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है, एवं इनका किस प्रकार उपयोग संभव है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी का भी इसमें समावेश किया गया है।

8.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. महानरेगा अधिनियम के चार मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें?
2. नरेगा परिषद के दायित्वों का उल्लेख करें।
3. कार्यकारी समिति में किस-किस विभाग के अधिकारीगण प्रतिनिधि है?
4. ग्राम पंचायतों के दायित्वों का वर्णन करें।

8.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, अक्टूबर 13, 2005।
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, सरपंच हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निर्देशिका वर्ष - 2010।

इकाई - 9

राज्य स्तरीय मशीनरी - राज्य कार्यक्रम समन्वयक

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 प्रशासनिक व्यवस्थाएं

9.3 राज्य स्तरीय मशीनरी

9.4 मुख्य कार्यकारी संस्थाऐं एवं उनकी भूमिका

9.5 आयोजना

9.6 कार्य एवं उनका क्रियान्वयन

9.7 मजदूरी भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ता

9.8 वित्त पोषण

9.9 सामाजिक अंकेक्षण

9.10 सूचना का अधिकार

9.11 राज्य स्तरीय सूचनायें

9.12 सारांश

9.13 अभ्यासार्थ प्रश्न

9.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.0 उद्देश्य

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने का तैयार हों. ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।

9.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्राम पंचायतों को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपता है। योजनान्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों को करने होते हैं। रोजगार के लिये पंजीकृत आवेदक को 15 दिवस में कार्य देना होता है। यह कानून ग्राम सभाओं द्वारा योजना का निर्माण एवं सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना को क्रियान्वयन में लोगों को सक्रिय भूमिका अदा करने का अवसर देता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठा का भाव इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषता है। बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का समयबद्ध भुगतान कार्य स्थल बोर्ड, दीवार लेखन द्वारा सूचनाओं को दिखाया जाना सभी प्रकार की सूचना वेब आधारित डाटा बेस प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) के जरिये जनता को उपलब्ध करवाया जाना। सभी

स्तरों पर शिकायत दूर करने की व्यवस्था है। नरेगा योजना के तहत हरित राजस्थान स्कीम माननीय मुख्य मंत्री जी की पहल पर बनायी गयी है। सघन वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम से राज्य में अधिकाधिक वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

9.2 प्रशासनिक व्यवस्थाएं

स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, सरकार, प्रशासनिक विभाग होगा। स्कीम के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं कार्य क्रम समन्वयक (State Programme Co-ordinator) होगा। जिला स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर, जिला कार्य क्रम समन्वयक (District Programme Co-ordinator) होंगें जो कि जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें। पंचायत समिति स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer) होंगें। पंचायत समिति क्षेत्र में स्कीम के क्रियान्वयन एवं समन्वय की संपूर्ण जानकारी कार्य क्रम अधिकारी की होगी।

राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये आवश्यक अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी।

महानरेगा कार्यक्रम प्रचार प्रसार

9.3 राज्य स्तरीय मशीनरी

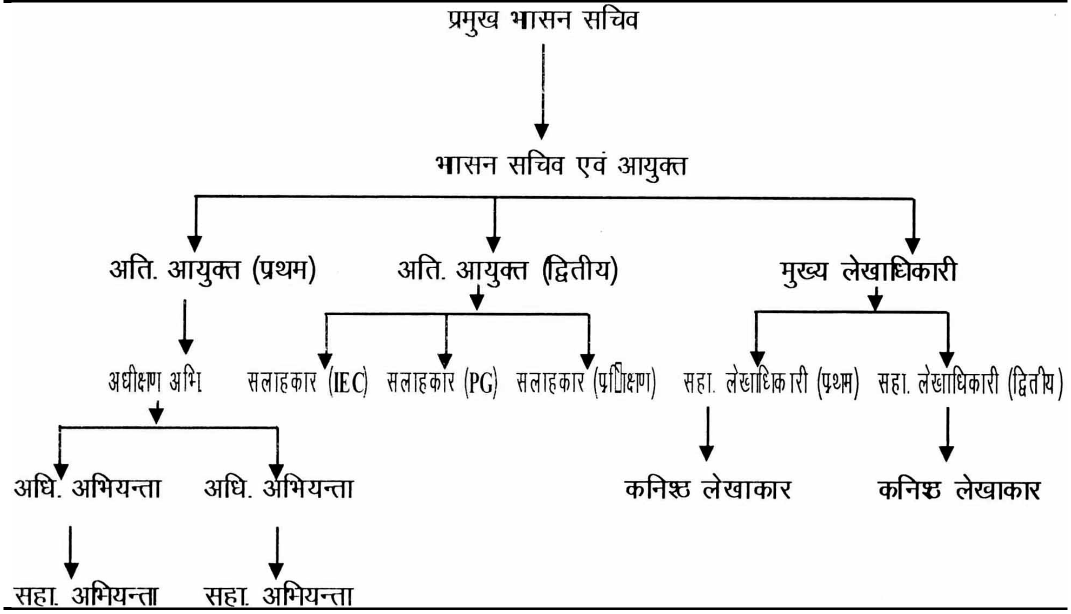

9.4 मुख्य कार्यकारी संस्थाऐं एवं उनकी भूमिका

स्कीम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर एजेंसियां एवं उनके दायित्व निम्नानुसार रहेंगे-

(i) ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम में स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो की अभिशंषा करेगी, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में किये जाने वाले सभी कार्यो की निगरानी करेगी एवं सामाजिक लेखा परीक्षण करायेगी।

(ii) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी-

(a) ग्राम पंचायत, पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत हर परिवार के पात्र वयस्कों का पंजीकरण एवं उन्हें जॉब कार्ड जारी करेगी।

(b) ग्राम पंचायत, वार्ड सभा की सिफारिश के आधार पर स्कीम के अन्तर्गत अपने क्षेत्र में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने एंव ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत, उन्हें अनुमोदन के लिये कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करने के लिये जिम्मेदार होगी।

(c) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र की एक समग्र विकास योजना तैयार की जावेगी। काम की मांग पैदा करने प, स्कीम के अन्तर्गत किये जा सकने वाले संभावित कार्यो की सूची तैयार करेगी।

(d) ग्राम पंचायत रोजगार चाहने वाले आवेदकों के बीच रोजगार के अवसरों को आंवटित करेगी और उन्हें कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने के लिये कहेगी।

(e) स्कीम के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत के स्तर पर किये जाने वाले समस्त कार्यो में से कम से कम 50 प्रतिशत कार्यो का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।

(iii) पंचायत समिति स्तर पर कार्य योजना का अनुमोदन पंचायत समिति द्वारा किया जाकर कार्य योजना को जिला परिषद को प्रेषित किया जावेगा।

(iv) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भ किये गये कार्यो का पर्यवेक्षण और निगरानी भी पंचायत समिति द्वारा की जावेगी।

(अ) कार्यक्रम अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी -

(a) अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति एवं अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों को समेकित करके पंचायत समिति स्तरीय योजना तैयार करना।

(b) रोजगार के लिए आवेदकों का पंजीकरण एवं योजना के अन्तर्गत रोजगार चाहने वालों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समस्त पर्यवेक्षण एवं समन्वय का दायित्व।

(c) रोजगार की मांग को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों का समन्वय तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।

(d) स्कीम के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसियों को रिलीज करने के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक से राशि प्राप्त करना।

(e) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त राशि, क्रियान्वयन को निर्मुक्त राशि एवं उपयोग की गयी राशि आदि के व्यवस्थित तरीके से रिकार्ड संधारण का दायित्व।

(f) ग्राम पंचायतों से एवं अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो की मॉनीटरिंग करना।

(g) स्कीम के अन्तर्गत, श्रमिकों को देय मजदूरी का पूर्ण पारदर्शिता से भुगतान सुनिश्चित करना।

(h) स्कीम की निगरानी, शिकायतों का नियमानुसार निपटारा और नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करना।

(i) स्कीम के संबंध में पंचायत समिति की साधारण बैठक की आवश्यकतानुसार सहायता करना।

(j) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा एवं उनके निर्देशानुसार कार्य का संपादन करेगा।

(k) राज्य सरकार एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्देशित सभी कार्यो का निष्पादन करना।

(l) अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त दायित्व एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

(vi) जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रमुख कार्य विभिन्न पंचायत समितियों से प्राप्त कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर मंजूरी देना तथा जिला परिषद / पंचायत समिति स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना है।

(vii) जिला कार्यक्रम समन्वयक की प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी :-

(a) जिले में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी प्रशासनिक एवं अन्य स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो, जारी करना।

(b) जिले में कार्यक्रम अधिकारियों एवं क्रियान्वयन ऐजेन्सियों के साथ समन्वय कर रोजगार हेतु आवेदित श्रमिकों को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराना।

(c) कार्यो की प्रगति की समीक्षा, प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण नियमित रूप से करना।

(d) प्रगतिरत कार्यो का सामयिक निरीक्षण करना।

(e) प्राप्त शिकायतों / परिवेदनाओं का समाधान करना।

(f) प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये माह दिसम्बर में लेबर बजट तैयार करना, जिसमें जिले में संभावित अकुशल श्रम रोजगार की मांग एवं योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यो पर श्रमिकों को लगाये जाने की योजना, जिला परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।

(g) जिला कार्यक्रम समन्वय, जिला स्तर पर स्कीम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा एवं जिला परिषद को उसके कार्यो के निष्पादन में सहयोग करेगा।

(h) जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित राजकीय विभाग स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूहों आदि का स्कीम के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसियों के रूप में चयन कर सकेगा।

(i) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करना।

(j) अधिनियम के अंतर्गत अन्य समस्त कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की पालना करना।

(viii) अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन किया जावेगा।

(ix) राज्य परिषद द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जावेंगे :-

(a) स्कीम एवं इसके क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देना।

(b) स्कीम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण।

(c) मॉनीटरिंग एवं रिहर्सल मैकेनिज्म की समय-समय पर समीक्षा एवं सुधार हेतु सुझाव।

(d) अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के संबंध में नीचे स्तर तक जानकारी देना।

(e) अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग एंव केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के साथ समन्वय।

(f) अधिनियम की अनुसूची 1 के खण्ड व (ix) के संदर्भ में, स्कीम के अन्तर्गत अन्य नये कार्यो को जोड़े जाने का अनुमोदन कर अपनी अभिशंषा के साथ भारत सरकार को प्रेषित करना।

(g) राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करना।

(h) योजना का राज्य में क्रियान्वयन तथा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना एकत्रित कराने एवं मॉनीटरिंग कराने का अधिकार।

(i) अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जावें।

(j) अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

(x) राज्य परिषद को उसके कार्यो के संपादन में सहायता देने हेतु एक कार्यकारी समिति का गठन।

9.5 आयोजना

आयोजना, रोजगार गारंटी योजना की सफलता का प्रमुख आधार है। गारंटी योजनाएं इस प्रकार से तैयार की जावेगी ताकि रोजगार की मांग उत्पन्न होने पर निर्धारित 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकें। अधिनियम में ऐसी आयोजना प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है जिसमें निर्धारित समय से पूर्व विभिन्न स्तरों की रोजगार की मांग, आवश्यक संसाधन एवं रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए रोजगार की मांग के अनुसार यथासमय मुहैया कराया जा सकें।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार गारंटी योजना के पर्सपेक्टिव प्लान (Perspective Plan) वार्षिक योजना (Annual Plan) एवं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (Shelf of Project) तथा श्रम बजट (Labour Budget) तैयार कराया जावेगा।

9.6 कार्य एवं उनका क्रियान्वयन

(1) स्कीम के अन्तर्गत निम्न कार्यो को उनकी वरीयता के आधार पर कार्यान्वित कराया जा सकेगा :-

(a) जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।

(b) सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित है।

(c) सिंचाई नहरें (जिसमें माईनर एवं माईक्रो सिंचाई के कार्य सम्मिलित है)

(d) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भू-स्वामियों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की भूमि के लिये सिंचाई सुविधाओं के कार्य।

(e) परम्परागत जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार / नवीनीकरण जिसमें तालाबों से गाद (मिट्टी) निकालने का कार्य सम्मिलित है।

(f) भूमि विकास कार्य।

(g) बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य मय जल अवरूद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य सम्मिलित है।

(h) बारह मासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलवर्ट का निर्माण भी सम्मिलित होगा। ग्राम के मध्य सड़क कार्य (नाली निर्माण सहित) भी इसमें सम्मिलित होगा।

(i) अन्य कोई कार्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।

(2) क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हु ए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यो के प्रस्ताव जिलों से प्राप्त कर राज्य सरकार व राज्य परिषद के अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को अधिसूचित करने के लिये प्रेषित किये जायें गे।

(3) स्कीम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर होने वाला व्यय इस स्कीम के अन्तर्गत अनुमत होगा। साथ ही अन्य योजनाओं में कराये गये कार्यो, जो उपरोक्त उपखण्ड- (1) में वर्णित कार्यो की सूची में सम्मिलित है के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव पर होने वाला व्यय भी इस स्कीम के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

(4) स्कीम के अन्तर्गत सृजित कराये जाने वाले कार्यो में श्रम एवं सामग्री का क्रमश: 60:40 का अनुपात रहेगा। यह अनुपात जहां तक संभव हो सभी स्तर यथा ग्राम पंचायत पंचायत समिति / जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। बडी परियोजनाओं में यह अनुपात जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों पर होने वाला व्यय सामग्री भाग में माना जावेगा।

(5) स्कीम के अन्तर्गत गैर अनुमत कार्य पर व्यय राशि भारत सरकार द्वारा किसी भी स्थिति में वहन नहीं की जावेगी। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि केवल अनुमत कार्य जो भावी योजना एवं वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित हैं का क्रियान्वयन ही किया जावे।

(6) एक प्रकृति से सम्बन्धित समस्त कार्यो को एक श्रेणी में सम्मिलित करते हुए एक कार्य माना जावेगा, जैसे-किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल संरक्षण एवं जल संग्रहण से सम्बन्धित समस्त कार्यो, इस कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए एक कार्य माना जावेगा।

(7) स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य को एक अलग विशेष (Unique) नम्बर दिया जायेगा, ताकि कार्यो की अलग पहचान हो तथा दोहरापन न हो।

(8) विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो के मॉडल डिजाइन, लागू ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित अनुसार एवं जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार कार्यो के अनुमान तैयार कर कार्य संपादित कराये जावेंगे। जिन कार्यो के मॉडल डिजाइन नहीं दिये गये है। ऐसे कार्यो के मॉडल डिजाइन एवं कार्य की इकाई लागत अनुमान जिला दर निर्धारण समिति से मोदित कराई जाकर कार्य संपादित कराये जा सकेंगे'। अनुमान तैयार कर कार्य संपादित कराये जावेंगे। जिन कार्यो के मॉडल डिजाइन नहीं दिये गये है ऐसे कार्यो के मॉडल डिजाइन एवं कार्य की एकाई लागत अनुमान जिला दर निर्धारण सीमित से अनुमोदित कराई जाकर कार्य संपादित कराये जा सकेंगें।

कार्यस्थल पर कार्यरतक्षमिक

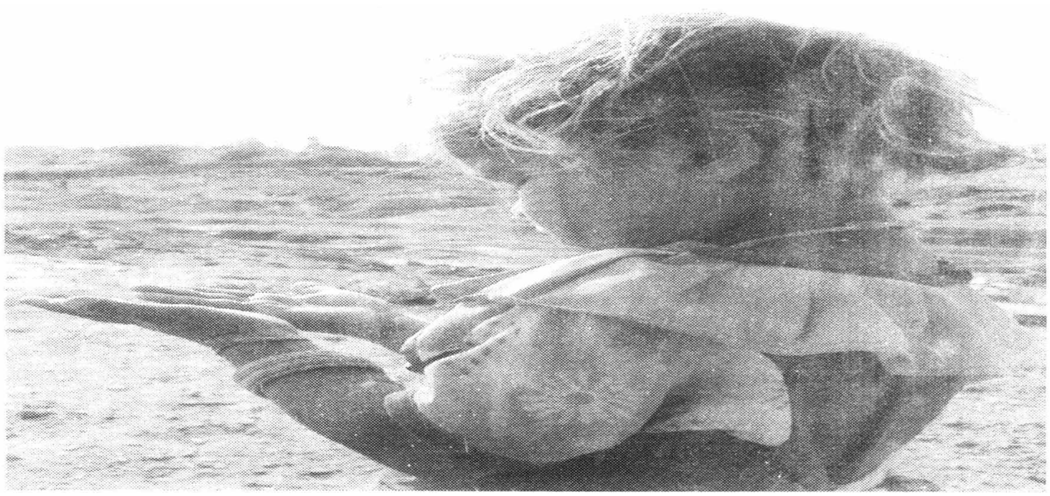

महानरेगा रोजगार की आशा

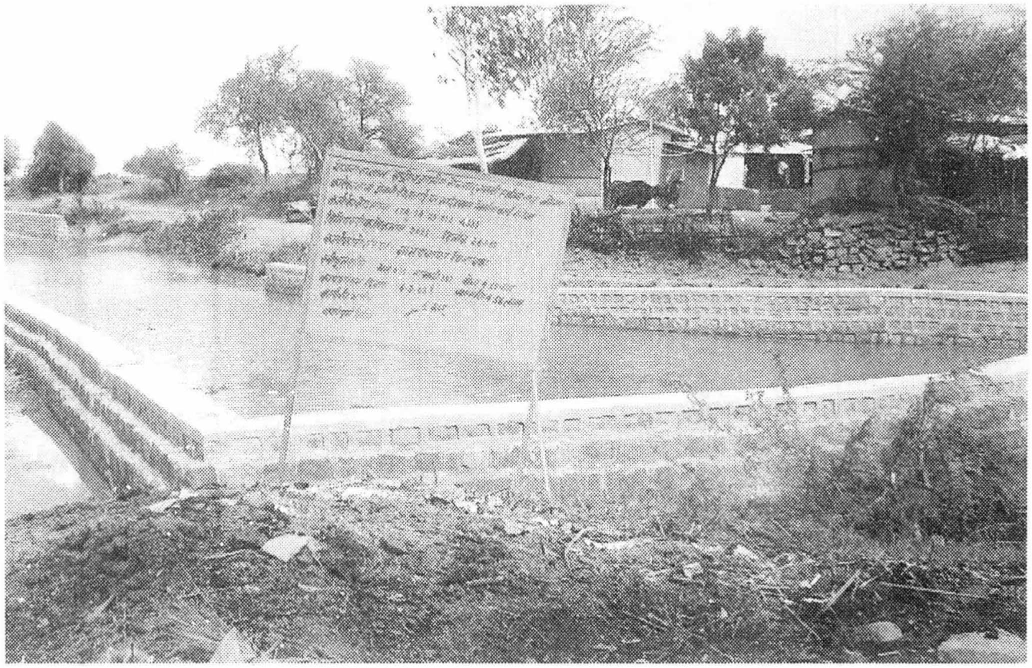

नरेगा के तहत निर्मित जल संग्रहण कार्य

नरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक

कार्यो का सम्पादन -

(1) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसरण में संबंधित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति पृथक से जारी की

जावेगी। इस स्वीकृति के उपरान्त ही संबंधित कार्यकारी एजेंसी को इस कार्य के पेटे मस्टररोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

(2) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी भी नये कार्य को प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने से पूर्व. अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्कीम के अन्तर्गत चालू कार्यो पर श्रमिकों को समायोजित करने की संभावना नहीं होने व न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों की संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही नवीन कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(3) अधिनियम के -प्रावधान के अनुसार. ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यो की संपूर्ण लागत के कम से कम 50 प्रतिशत लागत के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कराये जावेंगे।

(4) अन्य कार्यकारी एजेंन्सियां में पंचायत समिति, जिला परिषद, अन्य राजकीय विभाग. सहकारी समितियां, अच्छे रिकार्ड वाली स्वयं सेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह आदि भी हो सकेंगे।

(5) अन्य ऐजेन्सियों का चयन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उनके पास उपलब्ध तकनीकी दक्षता, एजेंसी की साख एवं लाभान्वितों के हित को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। अन्य कार्यकारी ऐजेन्सियों का एक पैनल तैयार किया जायेगा।, जिसका उपयोग विकल्प के रूप में आवश्यक होने पर किया जा सकेगा। कार्यकारी ऐजेन्सियों का उल्लेख वार्षिक कार्य योजना में भी करना होगा।

(6) यदि कोई ग्राम पंचायत किन्हीं कारणों से आवंटित कार्य व 5 दिवस के भीतर प्रारम्भ करने मे असमर्थ रहती है तो इस स्थिति का पूर्व आकलन कर इस आशय की सूचना सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी को दी जावेगी। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्य कार्यकारी एजेन्सियां जो पैनल में उपलब्ध हैं में से किसी एक कार्यकारी एजेन्सी को ऐसे ग्राम पंचायत में कार्य क्रियान्वित करने के लिए कार्यकारी ऐजेन्सी के रूप मे कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

(7) स्कीम के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबन्धित रहेगी।

(8) कार्य की संरचना की सुरक्षा तथा गुणवत्ता मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों (Labour Displacing Machine) का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

(9) मस्टररोल पाक्षिक रखे जावें गे, जिसमें साप्ताहिक अवकाश गुरुवार को होगा।

9.7 मजदूरी भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ता

मस्टररोल भुगतान -

(1) श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित टॉस्क अनुसार दैनिक रूप से आवंटित कार्य के लिए पेटे उनके द्वारा संपादित कार्य की मात्रा के आधार पर देय होगा।

(2) पुरूष एवं महिला श्रमिकों को एक समान मजदूरी का भुगतान किया जावेगा।

(3) मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की अवधि में सुनिश्चित किया जावेगा।

(4) टॉस्क आधारित मजदूरी के भुगतान का आधार एवं दर कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जायेगी।

(5) स्कीम के अन्तर्गत मजदूरी बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी परन्तु फिलहाल कुछ जिलों में "राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (NFFWP) व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) इस स्कीम मे सम्मिलित होने की ट्रान्जिट अवधि में आशिक मजदूरी गेहूँ के रूप में दी जा सकेगी।

(6) मजदूरी के भुगतान मे पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी। नकद मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते की भुगतान पहले से घोषित तारीख पर सम्बन्धित व्यक्ति को सीधे और समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जायें।

(7) यदि आवेदक को उसके आवास के 5 कि.मी. के दायरे के बाहर रोजगार मुहैया कराया जाता है तो उसे परिवहन और निर्वाह व्यय के लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।

(8) पुरूष एवं महिलाओं द्वारा टॉस्क के आधार पर वर्षवार, एवं जिलेवार अर्जित औसत मजदूरी की सूचना राज्य परिषद को दी जावेगी।

(9) श्रमिकों की सहमति एवं उनकी इच्छा पर उनके कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं यथा स्वास्थ्य बीमा. दुर्घटना, बीमा उत्तरजीवी (survivors) एवं मातृत्व लाभ आदि के लिये मजदूरी के एक भाग का अंशदान किया जा सकता है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं जवाबदेही हो। इसकी प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जा सकेगी।

(10) कार्य का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। यदि कार्य का क्रियान्वयन अन्य कार्यकारी एजेन्सी / संस्था द्वारा किया जाता है तो ऐसे संपादित कार्यो का भुगतान संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित करना होगा, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी को देनी होगी तथा भुगतानशुदा मस्टररोल की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

बेरोजगारी भत्ता -

(1) यदि किसी पात्र आवेदक को काम की मांग किये जाने अथवा उस तारीख से जिससे वह काम की मांग करता है, जो भी बाद में हो, 15 दिवस के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

(2) बेरोजगारी भत्ते की दरें, अधिनियम की धारा 7(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के सलाह से समय-समय पर अधिसूचित की जावेगी। परन्तु बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी।

(3) यदि किसी आवेदक को रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे उतनी अवधि के लिये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जितनी अवधि के लिये आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता अर्जित नहीं किया है जो वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 100 दिन के कार्यो की मजदूरी के बराबर हो सकता है।

(4) रोजगार उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में संबंधित को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

(5) राज्य सरकार का बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का दायित्व निम्न स्थितियों में समाप्त हो जायेगा:-

  (i) ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को कार्य पर स्वयं के उपस्थित होने अथवा अपने परिवार के किसी एक सदस्य को उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने पर, अथवा

  (ii) समयावधि जिसके लिए कार्य की मांग की गई है, के समाप्त होने तथा परिवार के किसी सदस्य के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर, अथवा

(iii) आवेदक के वयस्क सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का कार्य प्राप्त कर लिये जाने पर अथवा

(iv) यदि परिवार के आवेदक द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ते दोनों को मिलाकर वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की मजदूरी के बराबर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(6) आवेदक जो

(i) अपने परिवार के सदस्यों द्वारा स्कीम के अन्तर्गत रोजगार को स्वीकार नहीं करता है. अथवा

(ii) कार्यक्रम अधिकारी या कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा कार्य पर उपस्थित होने हेतु अधिसूचित करने के व 5 दिवस में कार्य पर उपस्थित नही होता है, अथवा

(iii) सम्बन्धित कार्यकारी ऐजेन्सी से बिना अनुमति के एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिये कार्य से निरन्तर अनुपस्थित रहता है अथवा किसी माह में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिये कार्य से निरन्तर अनुपस्थित रहता है अथवा किसी माह में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है, पर तीन माह की अवधि के लिये बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र नही होगा, परन्तु किसी स्कीम के अन्तर्गत किसी भी समय रोजगार प्राप्त करने का पात्र होगा।

9.8 वित्त पोषण

निधियों का उपयोग एवं प्राधिकृत अधिकारी

(1) स्कीम के अन्तर्गत जिला स्तर. पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी होगें :-

(a) जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर बैंक खातों का संचालन, राज्य सरकार द्वारा इस बाबत अधिकृत अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा।

(b) ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम सचिव / ग्राम सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।

वित्तीय मापदण्ड

(1) अकुशल मजदूरी के लिये 60 प्रतिशत एवं कार्यो के सामग्री घटक (जिसमें अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी शामिल है) के लिये 40 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जायेगा।

(2) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों हेतु राशि उपलब्ध करवाई जावेगी :

A केन्द्र सरकार द्वारा :-

(i) अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिये मजदूरी पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय।

(ii) योजना की सामग्री लागत पर होने वाले व्यय का तीन चौथाई तक हिस्सा, जिसमें परियोजनाओं के निष्पादन के लिये कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान शामिल है।

(iii) कार्यक्रम अधिकारियों एवं उनके सहयोगी स्टॉफ पर होने वाला व्यय।

B राज्य सरकार द्वारा :-

(i) योजना की सामग्री लागत का 174 हिस्सा, जिसमें परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान शामिल है।

(ii) योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो, पर आने वाली लागत।

(iii) राज्य परिषद पर होने वाला प्रशासनिक व्यय।

स्कीम की निधियों का प्रबन्धन :-

(i) स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों का प्रवाह, केन्द्र सरकार के संबंधित जिलों के रिवाल्विंग फण्ड में, जिला से संबंधित पंचायत समितियों के रिवाल्विंग फण्ड में, पंचायत समितियों से संबंधित ग्राम पंचायतों / कार्यकारी संस्थाओं के खातों में स्थानान्तरित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर. जिला स्तर. पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैक खाते खोले जाकर रिवाल्विंग फण्ड स्थापित किये जायेंगे।

(ii) रिवाल्विंग फण्ड की उक्त व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत की स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत व्यय करने के उपरान्त कार्यक्रम अधिकारी को राशि की मांग भेजी जाकर राशि प्राप्त की जावेगी। पंचायत समिति स्तर पर रिवाल्विंग फण्ड में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को मांग प्रेषित कर राशि प्राप्त की जावेगी। जिला स्तर पर रिवाल्विंग में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत व्यय हो जाने पर आगामी किश्त के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ किश्त जारी करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगें।

9.9 सामाजिक अंकेक्षण

प्रत्येक क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य के सम्पादन, पर्यवेक्षण, प्रगति तथा गुणवत्ता का आकलन करने के लिये प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यक्षेत्र सम्पादित किये जाने वाले कार्यस्थल से संबंधित ग्राम होगा। ग्राम सभा के प्रत्येक त्रै-मास की बैठक में रोजगार की मांग, पंजीयन, जॉव कार्ड, कार्य पर कार्यरत लोगों की सूची अथवा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हु आ है किये गये भुगतान की राशि अकुशल मानव श्रम पर किये गये भुगतान, कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कुशल श्रमिक सामग्री सृजित मानव दिवस, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, मस्टररोल की प्रतियां के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी। मस्टररोल पर दर्शाये गये श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के संबंध में ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा।

9.10 सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर आवेदक को स्कीम के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।

9.11 राज्य स्तरीय सूचनाएं

नरेगा योजना का क्रियान्वयन -

राजस्थान राज्य के 32 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया गया है जो निम्नानुसार है -

चरणवार जिलों का नाम			
क्र.स.	**प्रथम चरण**	**द्वितीय चरण**	**तृतिए चरण**
1	बांसवाड़ा	टोंक	दौसा
2	डूंगरपुर	सवाईमाधोपुर	राजसमन्द
3	झालवाड	चित्तौडगढ़	अलवर
4	करौली	बाडमेर	बांरा
5	सिरोही	जालौर	नागौर
6	उदयपुर	जैसलमेर	धौलपुर
7			बून्दी
8			भरतपुर
9			हनुमानगढ
10			भीलवाडा
11			झुंनझुंनू
12			सीकर
13			पाली
14			गंगानगर
15			चूरु
16			जौधपुर
17			बीकानेर
18			अजमेर
19			जयपुर
20			कोटा

राज्य की प्रगति

वर्ष	जिलों की संख्या	व्यय (करोड़ रू)	सृजित मानव दिवस (लाखों में)	100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या (लाखों में)	प्रारम्भ कार्य	पूर्ण कार्य
2005-06	6	2227	42.20	-	1685	2
2006-07	6	693.06	998.87	6.36	21767	8771
2007-08	12	1511.85	1678.38	9.11	103026	34028
2008-09	32	6175.55	4829.38	25.94	241778	105895
2009-10	33	5666.64	4498.09	17.63	20241	92221

					1	

वर्ष 2009-10 में 31.03.10 तक राज्य की प्रगति

मानव दिवस सृजन	
कुल	4498.09 लाख
अनुसूचित जाति	1193.52 लाख (27 प्रतिशत)
अनुसूचित	1011.87 लाख (22 प्रतिशत)
महिला	3009.31 लाख (67 प्रतिशत)
नियोजित परिवार को दिये गये ओसत रोजगार दिवस	69 दिवस
कुल व्यय	5666.64 करोड़
औसत श्रम दर	रूपये 877- प्रति दिवस
राज्य में कुल ग्रामीण परिवार (परिवार गढ़ना आधार -	92.93 लाख
बीपीएल सेन्सस 2002)	
नरेगा में पंजीकृत एंव जॉब कार्ड धारी परिवार	89.28 लाख (96 प्रतिशत)
रोजगार उपलब्ध करवाये गये परिवारों की संख्या	65.277 लाख (पंजीकृत परिवारों का 73 प्रतिशत)
100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	17.63 लाख

राज्य की तुलनात्मक प्रगति राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ			
मापदण्ड	राष्ट्रीय औसत	राज्य का औसत	राष्ट्रीय औसत से तुलना
प्रति जिला व्यय	6256 करोड़	171.72 करोड़	27 गुणा अधिक
सृजित मानव दिवस प्रति जिला	45.99 लाख	136.31 लाख	3.0 गुणा अधिक
परिवारों द्वारा रोजगार की मांग प्रति जिला	85891	197645	23 गुणा अधिक
प्रति परिवार को रोजगार उपलब्ध कराये गये दिनों की संख्या	54दिन	69 दिन	1.3 गुणा अधिक
100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों का प्रतिशत	उपलब्ध नहीं	27 प्रतिशत	
अनुसूचित जाति	31 प्रतिशत	27 प्रतिशत	
अनुसूचित जनजाति	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	1.3 गुणा अधिक
महिलाऐं	49 प्रतिशत	67 प्रतिशत	

नवाचार

- जन अभाव अभियोग, शिकायतों के निवारण एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु नये नियमों का प्रारूप प्रकाशन।
- मस्टररोल जारी करने एवं पखवाड़े की माह अप्रेल, 2010 से नई व्यवस्था।
- लघु शास्ति आरोपित करने की शक्तियों को जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिये जाने हेतु पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन प्रस्तावित।

- योजना से संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि रोकने की जिला कलक्टर को शक्तियां।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पाँच सदस्यीय नरेगा स्थाई समिति का गठन।

9.12 सारांश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कार्यकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। कार्यकारी संस्थाओं का प्रमुख कार्य उन गरीब ग्रामीणों पर ध्यान देना है, जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। यह अधिनियम आवेदक को काम की मांग का अधिकार देता है एवं काम किये जाने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है। पारदर्शिता इस अधिनियम की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से जारी करे। सामग्री के भुगतान में राज्य सरकार के निर्देशों का समुचित पालन करें ताकि क्रियान्वयन एजेन्सी के स्तर पर कोई खामी नहीं रहे।

ग्राम सभा को नरेगा अधिनियम के तहत 6 माह में न्यूनतम एक बार कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकारी भी है। इस सामाजिक दायित्व एवं कानूनी जिम्मेदारी को निर्वहन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

पंचायत स्तर पर योजना बनाने में अधिकाधिक सावधानी बरती जाकर अनुमत कार्यो में ऐसे कार्यो को शामिल करें, जिससे ऐसी स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण के साथ जल संरक्षण वृक्षारोपण एवं चारागाह का विकास हो ताकि पंचायत के निवासियों के लिये आजीविका के स्थाई साधन विकसित हो सके।

9.13 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. किन्हीं चार अनुमत कार्यो का वर्णन करो।
2. राज्य कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका का उल्लेख करें।
3. बेरोजगारी भत्ता देने के क्या नियम है?

9.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग. जयपुर, अक्टूबर 13, 2005।
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवाल, जयपुर, गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निर्देशिका वर्ष - 2010।

इकाई - 10

जिला स्तरीय मशीनरी : जिला कार्यक्रम समन्वयक

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था

10.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

10.4 अधिकारियों के निरीक्षण मापदण्ड

10.5 निरीक्षण माप प्रपत्र

10.6 जिला स्तरीय दायित्व एवं जिम्मेदारियां

10.7 सारांश

10.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे

- नरेगा के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय मशीनरी के बारे में।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका एवं दायित्वों के बारे में।
- जिला स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था के बारे में।
- जिला स्तर पर दायित्वों एवं जिम्मेदारियों के बारे में।

10.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय, राज्य, जिला, पंचायत समिति, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के प्रबोधन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन के लिये मशीनरी स्थापित की गयी है। जिला स्तरीय मशीनरी के प्रमुख जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक है जो कि योजना के अनुरूप जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है।

महानरेगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की गारन्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं है अपितृ ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण भी करवाना है जिससे ग्रामीण आवश्यकतायें पूर्ण होती हो तथा आजीविका के साधनों में वृद्धि हों। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रबोधन एवं क्रियान्वयन के लिये स्थापित मशीनरी के प्रमुख जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक है, तथा जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है।

10.2 जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था

स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग. राजस्थान सरकार प्रशासनिक विभाग है।

स्कीम के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य कार्यक्रम समन्वयक (State Programme Co-ordinator) होगा।

जिला स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक (District Programme Co-ordinate) होंगें जो कि जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

पंचायत समिति स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer) होंगें। पंचायत समिति क्षेत्र में स्कीम के क्रियान्वयन एवं समन्वय की संपूर्ण जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये आवश्यक अधिकारी / क्रर्मचारी की व्यवस्था की जायेगी।

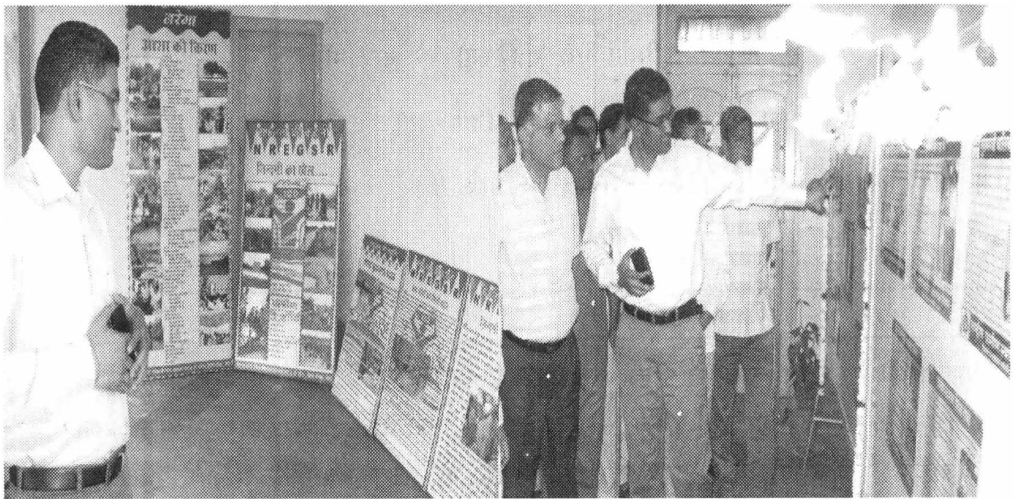

जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रचार प्रसार

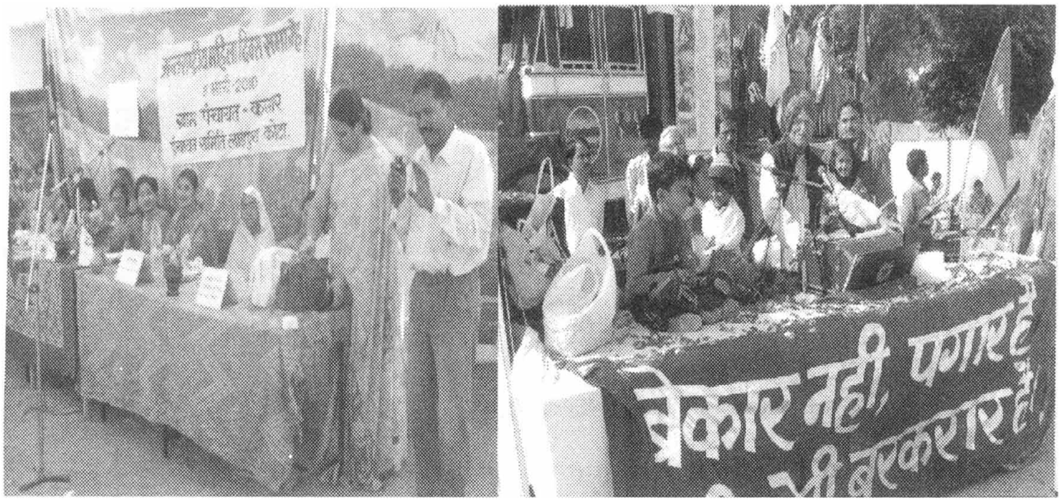

जिला स्तरीय प्रदर्शनी एंव प्रचार प्रसार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रषासनिक ढांचा (जिला स्तर)

⇩

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, कोटा

⇩

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा

⇩

अधिषाषी अभियन्ता (नरेगा) जिला परिषद, कोटा

⇩

- सहायक अभियन्ता (प्रषिक्षण)
- समन्वयक (IEC)
- समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)
- विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी नरेगा
- समन्वयक
- सहायक लेखाधिकारी

लाड़पुरा, सुल्तापुर, इटावा, सांगोद, खैराबाद

⇩

वरिष्ठ तकनीकी सहायक

⇩

- 1 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
- 2 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
- 3 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
- MIS मैनेजर

⇩

ग्राम सेवक / ग्राम रोजगार सहायक

⇩

मेट

10.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. जिले में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी प्रशासनिक एवं अन्य स्वीकृतियां जहां आवश्यक हों, जारी करना।

2. जिले में कार्यक्रम अधिकारियों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रोजगार हेतु आवेदित श्रमिकों को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
3. कार्यो की प्रगति की समीक्षा, प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण नियमित रूप से करना।
4. प्रगतिरत कार्यो का सामयिक निरीक्षण करना।
5. प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का समाधान करना।
6. प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए माह दिसम्बर में लेबर बजट तैयार करना, जिसमें जिले में संभावित अकुशल श्रम रोजगार की मांग एवं योजना के अंतर्गत कार्यो पर श्रमिकों को लगाये जाने की योजना, जिला परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
7. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला स्तर पर स्कीम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा एवं जिला परिषद को उसके कार्यो के निष्पादन में सहयोग करेगा।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूहों आदि का स्कीम के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसिसों के रूप में चयन कर सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा समय-समय, पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना।
10. अधिनियम के अंतर्गत अन्य समस्त कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की पालना करना।

10.4 अधिकारियों के निरीक्षण मापदण्ड

क्र. सं	नाम अधिकारी	माह में किया जाने वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी हे	विशेष विवरण
1	जिला कलक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक	10 कार्य(एक पंचायत समिति में अधिकतम 3 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एंव पंचा.राज.विभाग	प्रति तिमाही में एक बार एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण भी किया जावे।
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एंव पंचा. राज. विभाग एंव प्रतिलिपि जिला कलक्टर को भी दी जायें।	प्रति तिमाही में एक बार एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण एंव प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जावे।
3	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	15 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एंव पंचा. राज. विभाग एंव प्रतिलिपि जिला	प्रति दो माह में एक बार कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह

			कलक्टर को भी दी जायें।	3 पंचायत समितियों की 3 ग्राम पंचायत कार्यालयों में योजना के रिकार्ड का भी निरीक्षण किया जावें। माह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिस पंचायत समिति में निरीक्षण किया गया है उसे छोड़कर जिले की अन्य पं.स. का निरीक्षण किया जावे।
4	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एंव पंचा. राज. विभाग एंव प्रतिलिपि जिला कलक्टर को भी दी जायें।	प्रति दो माह में एक बार कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह 3 पंचायत समितियों की 3 ग्राम पंचायत कार्यालयों में योजना के रिकार्ड का भी निरीक्षण किया जावें। माह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिस पंचायत समिति में निरीक्षण किया गया है उसे छोड़कर जिले की अन्य पं.स. का निरीक्षण किया जावे।
5	उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर)	15 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस। प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को सूचनार्थ	प्रत्येक माह एक ग्राम पंचायत कार्यालय में नरेगा की समस्त वर्क फाइल, सामग्री क्रय, नरेगा रोकड़ बही, सूचना प्रदर्शन, रिवोल्विंग फण्ड एंव वित्तीय अनुशासन, नरेगा कार्यो के असेट कम

				कमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने सबसी बिन्दुओं सहित विस्तृत निरीक्षण किया जावे। प्रत्येक तिमाही में एक बार कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस के कार्यालय का उक्त बिन्दुओं पर निरीक्षण किया जावे।
6	परियोजना अधिकारी लेखा	माह में एक पंचायत समिति में कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालय में एवं एक ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर, नरेगा रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेंट, जारी अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	नरेगा ऑपरेशनल गाइड लाईन 2008 के अध्याय 8 के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निधि प्रबन्धन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन, कार्यक्रम अधिकारी, लाइन विभागों एवं मुख्य पोस्ट ऑफिस को जारी अग्रिम रिवोल्विंग राशि लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नरेगा कार्यक्रमों के असेट कम कमुलेटिव अपडेशन सुनिश्चित करवाना।
क्र.स.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
7	लेखाधिकारी जिला परिषद	माह में दो पंचायत समिति कार्यालय एवं एक गम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, प्रतिलिपि अतिरिक्त	जीएफएण्डएआर, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के

		पंचायत में जाकर पंचायत समिति की रोकड़ वही, एवं नरेगा रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेन्ट, जारी अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जायें। पंस. एवं ग्राम पं. के लेखों के संबंध में निरीक्षण की प्रति अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी दी जावें।	अध्याय-11 के नियम 183 से 255 के अनुसार ग्रा.प. एवं पं.स. के लेखों का सधारण, पट्टा वही, रसीद बुक का सत्यापन एवं नरेगा ऑपरेशनल गाइड लाईन 2008 के अध्याय-8 के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण।
8	सहायक लेखाधिकार	माह में दो प.स. कार्यालय कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालय में एवं एक ग्रा.पं.कार्यालय में जाकर नरेगा रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेन्ट, जारी अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जाये।	नरेगा ऑपरेशनल गाईड लाइन 2008 के अध्याय 8 के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निधि प्रबन्धन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन कार्यक्रम अधिकारी लाइन विभागों एवं मुख्य पोस्ट ऑफिस को जारी अग्रिम रिवोल्विंग राशि लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नरेगा कार्यक्रमों के असेट कम कुमुलेटव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन सुनिश्चित करवाना।
9	विकास अधिकारी	15 ग्राम पंचायतों में 20 कार्य	मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	प्रति चार माह में एक बार प.स. कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह तीन ग्रा.पं. कार्यालयों का सामाजिक सेवा विस्तार, माप पुस्तिका इन्द्राज, गुणवत्ता, लम्बित पूर्णता प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड

				सत्यापन, दीवारों पर सूचना प्रदर्शन, नरेगा रिवोल्विंग फंड एंव वित्तीय अनुशासन नरेगा कार्यो के असेट कम कमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने संबंधी बिन्दुओं के मददे नजर विस्तृत निरीक्षण किया जावें।
10	कार्यक्रम / सहायक कार्यक्रम अधिकार	20 ग्राम पंचायतों के 30 कार्य	जिला कलक्टर को प्रतिलिपि अति। जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	प्रत्येक माह 3 ग्राम पंचायत कार्यालयों में समस्त वर्क फाईल, सामग्री क्रय, नरेगा रोकड़ बही, सूचना प्रदर्शन रिवाल्विंग फण्ड एवं वित्तीय अनुशासन नरेगा कार्यो के असेट कम केमुलेटिव रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने संबंधी बिन्दुओं सहित विस्तृत निरीक्षण किया जावे।
क्र.स.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
11	अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस	कम से कम 3 पंचायत समिति के 15 ग्रा. प. 20 कार्य	जिला कलक्टर को प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	प्रत्येक माह 2 ग्राम पंचायत कार्यालयों में समस्त वर्क फ़ाइल, सामाग्री क्रय, नरेगा रोकड़

				बही, माप पुस्तिका के इन्द्राराजों की काउंटर चेकिंग एवं योजना के रिकार्ड का भी निरीक्षण किया जावे।
12	अधिशाषी अभियन्ता, (एल आर).	कम से कम 3 पंचायत समिति के 15 ग्रा. पं. के 20 कार्य	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अति, जिला कार्यक्रम समन्वय को दी जावे।	प्रत्येक माह 2 ग्राम पंचायत कार्यालयों में नरेगा एवं ग्रामीण विकास की समस्त वर्क फाइल, सामग्री क्रय', माप पुस्तिका के इन्द्राजों की 'काउण्टर चैकिंग एंव योजना के रिकार्ड का भी निरीक्षण किया जावे।
13	अधिशाषी अभियन्ता, (एल आर).	कम से कम तीन पं. सं. की 15 ग्रा. प. के 20 कार्य	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वय को दी जावे।	प्रत्येक माह 2 ग्राम पंचायत कार्यालयों नरेगा एवं ग्रामीण विकास की समस्त क्रय वर्क फाइल, सामग्री क्रय, समान्य एवं नरेगा रोकड़ बही, माप पुस्तिका एवं रिकार्ड का निरीक्षण भी किया जावे।
14	जिला समन्वय अभियन्ता, (प्रशिक्षण)	कम से कम दो पं. सं. में मेटों के ग्राम पंचायत कलक्टर मुख्यालय को दो ग्राम पंचायत में जेटीए के साथ मेट प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	राज्य सरकार के परिपत्रों का विषयवार संकलन एवं अध्ययन। प्रशिक्षण के लिए स्वयं लगातार कार्य स्थलों का निरीक्षण कर स्वयं को तकनीकी गुणवत्ता, माप पुस्तिका पठन, एमआईएस कम्प्यूटर का ज्ञान एवं लेखा प्रक्रिया के संबंध में अपडेट रखेंगे ताकि प्रशिक्षण का कार्य दक्षता पूर्वक किया जावे।

15	जिला समन्वयक (आ.ई.ई.सी)	कम से कम चार पं.सं. के चार कार्यो की सफलता की चार कहानियों का संकलन, डॉक्यूमेंटेशन मीडिया में प्रकाशन करवाना।	जिला कलक्टर को, प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जावे।	नरेगा वेबसाइट के समस्त डोमैन (विशेषतया शिकायत निवारण डोमैन) में, दक्षता विकसित कर सूचनाओं का इलेक्ट्रोनिक साफ्ट प्रति में प्रोएक्टिव डिसक्लोजर करवाकर नरेगा के अन्तिम लाभार्थी की शिकायत दर्ज करवाना व समाधान करवाना।
16	जिला समन्वय (निगरानी)	तीन पंचायत समितियों के कम से कम 5 कार्यो का निरीक्षण	कम से कम पस से संबन्धित नरेगा वेबसाईट की अलर्ट एवं अनियमितता डोमैन का पंचायत समितिवार रिपोर्ट तैयार कर जिला कलक्टर को उपलब्ध करवाना।	नरेगा एक्ट अनुसूची - 1 के पेरा -13 मीन अंकित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु पंचायत समितियों को क्षमता संवर्द्धन का कार्य करना, समस्त अधिकारी के मासिक जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
क्र.स.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
17	सहायक अभियन्ता पंचायत समिति / जिला परिषद	15 ग्राम पंचायत में 20 कार्य	विकास अधिकारी को, प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी को दी जावे जिला परिषद के सहायक अभियन्ता अपना निरीक्षण प्रतिवेदन एडीपीसी को प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी को देंगे।	प्रत्येक माह 3 ग्राम पंचाट कार्यालयों के रिकार्ड का, कार्य की गुणवत्ता सामाग्री के बिल वाउचर एवं माप पुस्तिका इंदराज का भौतिक सत्यापन एवं वित्तीय अनुशासन को केन्द्र बिन्दु रखते हुए विस्तृत निरीक्षण भी किया जावे।
18	पंचायत प्रसार	5 ग्राम पंचायत में	विकास अधिकारी को	पंचायतीराज की समस्त

	अधिकारी	10 कार्य एवं माह में 3 ग्राम पंचाट का विस्तृत निरीक्षण	नरेगा कार्यों के निरीक्षण की प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी की भी दी जावे।	योजनाओं, जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, पन्नाधाय योजना, नामांतरण, निजी आय, पट्टा वही को केन्द्र बिन्दु रखते हुए।
19	लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार	आवंटित ग्राम पंचायत की नरेगा रोकड़ बही का हर पखवाड़े में एक बार सत्यापन करना।	कार्यक्रम अधिकारी को, प्रतिलिपि विकास अधिकारी को भी दी जवेगी।	नरेगा ऑपरेशनल गाईड लाइन 2008 के अध्याय -8 के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचाट को उपलब्ध करवाए गए रिवोल्विंग फण्ड, अग्रिम एवं निधि प्रबन्ध संबन्धित समस्त वित्तीय अनुशासन एवं लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नरेगा कार्यो के असेट काम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक उपड़ेशन सुनिश्चित करना।
20	जेटीए	आवंटित ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त प्रगतिरत कार्यों का पखवाड़े के प्रथम 10 दिवस में ही न्यूनतम एक बार विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण। प्रत्येक कार्यस्थल पुस्तिका समस्त प्रपत्रों का आदिनांकिरण एवं नियमित संधारण सुनिश्चित करना	सहायक अभियन्ता के प्रति हस्ताक्षर करवाकर कार्यक्रम अधिकारी को	स्वयं को आवंटित ग्राम पंचायत के कलक्टर में से बारी बारी से एक पंचायत मुख्यालय पर प्रत्येक गुरुवार को मेटों को माप पुस्तिका एवं नरेगा कार्यो पर क्रय की गयी सामाग्री एवं बिल सत्यापन।

		एवं निरीक्षण प्रपत्रों में नियमित अंकन करना।		
21	लेखा सहायक	आवंटित ग्राम पंचायत की नरेगा रोकड़ बही का हर पखवाड़े में एक बार सत्यापन करना	कार्यक्रम अधिकारी को	नरेगा ऑपरेशनल गाइड लाईन, 2008 के अध्याय -8 के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के उपलब्ध करवाये गए रिवोल्विंग फण्ड, अग्रिम एवं निधि प्रबन्ध संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन एवं लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचाट स्तर प संधारित नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन सुनिश्चित करना।

10.5 निरीक्षण माप प्रपत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जिला.......................... के तहत कार्य निरीक्षण दिनांक........................ का प्रतिवेदन

1. ग्राम........................... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति.......................
2. ग्राम सेवक का नाम.. कार्य ग्रहण तिथि....................
3. ग्राम पंचायत क्षेत्र में नरेगा में अब तक स्वीकृत कार्य .... अप्रारम्भ कार्य ...... प्रारम्भ होकर बन्द पड़े कार्य........ एवं आदिनांक को प्रगतिरत कार्यो की संख्या.......
4. अब तक स्वीकृत व्यक्तिगत लाभ के नरेगा कार्यो की संख्या.... पूर्ण कार्यो की संख्या...
5. पंचायत में कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या रजिस्टर संख्या 2 के अनुसार .... एमआईएस के अनुसार
6. इस वित्तीय वर्ष में निरीक्षण दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री में व्यय की गई राशि रु............................ है, इसमें से ऑनलाईन एमआईएस में फीड राशि रू .... हैं एंव ग्राम पंचायत के पास असमायोजित राशि रू................................ पाई गई।
7. निरीक्षण दिनांक को पंचायत की नरेगा कैशबुक की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक .... है एवं कैशबुक शेष रू.................. है, बैंक पासबुक शेष रू .... है। पंचायत की

सामान्य के कैशबुक दिनांक................. तक लिखी पाई गई एवं कैशबुक शेष रू .... है।

8. क्या क्रय की गई सामग्री के बिल पंजीकृत फर्मो के पाये गये? हां/नहीं
9. क्या ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर को अब तक कार्यवार व्यय राशि का उल्लेख करते हुए सधारित किया गया है? हां/नहीं
10. क्या ग्राम पंचायत में क्रय की गई निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया है? हां/नहीं
11. क्या माह के अंतिम गुरुवार को पंचायत घर में सभी जॉब कार्डों की जांच कर सत्यापन का कार्य किया जाता है? हां/नहीं
12. क्या क्रय की गई सामग्री के बिलों का एमआईएस में फीड करवा दिया गया है? हां/नहीं
13. क्या ग्राम पंचायत द्वारा गत वित्तीय वर्ष के श्रम व सामग्री व्यय की सूचना राज्य सरकार के दिनांक 20.04.2009 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंचायत घर की दीवारों पर लिखवाई गयी है? हां/नहीं
14. क्या ग्राम पंचायत की कार्य मेजरमेंट बुक निरीक्षण कर अन्तिम पृष्ठ पर आप द्वारा हस्ताक्षर किये गये है? हां/नहीं
15. यदि ग्राम पंचायत की कार्य मेजरमेंट बुक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं पाई गई तो क्या ग्राम पंचायत मेजरमेंट बुक मूवमेंट रजिस्टर में अभियंता के एम.बी. प्राप्ति के दिनांकित हस्ताक्षर पाये गये? हां/नहीं
16. क्या ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से खुलता है? हां/नहीं
17. क्या ग्राम पंचायत की अंतिम बैठक दिनांक .... में व्यय के समस्त बिल वाउचर्स पर पंचायत सदस्यों की आपत्ति/अनापत्ति दर्ज कर बैठक प्रतिलिपि विकास अधिकारी को भेजी गयी थी? हां/नहीं
18. क्या कार्य की निर्माण की गुणवत्ता सन्तोशजनक एंव कार्य जनोपयोगी पाया गया?हां/नहीं
19. क्या मेट द्वारा कार्य 5-5 के ग्रुप में श्रमिक नियोजन कर करवाया जा रहा है?हां/नहीं
20. क्या जॉब कार्ड में श्रमिकों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित है? हां/नहीं
21. क्या श्रमिकों को रोजगार मांग प्रपत्र 6 की रसीद दी जाती है? हां/नहीं
22. ग्राम पंचायत की अन्तिम बैठक दिनांक................ को हुई थी, जिसमें कुल.............वार्ड पंचों मे से.................... वार्ड पंच उपस्थित थे।
23. निरीक्षण किये गये कार्य का नाम ....
24. कार्यकारी एजेन्सी. .... 15 कार्य प्रारम्भ होने की तिथि
25. कार्यरत मेट .... (नाम) है जो इस कार्य पर दिनांक................. से कार्यरत है।
26. श्रमिकों का भुगतान माह .... पखवाड़ा प्रथम/द्वितीय तक हो चुका है एंव गत टास्क रू............ था।

27. प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर माप कर श्रमिकों को उनकी अर्जित मजदूरी मेट द्वारा बताई जाती है? हां/नहीं
28. क्या श्रमिक समूहों द्वारा टास्क में छोड़ी गई कमी को मेट द्वारा उसी पखवाड़े में दूसरे दिन पूरा करवाया जाता है? हां/नहीं
29. क्या कार्यस्थल पर ठीक प्रकार से इन्द्राजयुक्त कार्यस्थल पुस्तिका पाई गई?हां/नहीं
30. मौके पर पायी गई कुल .... मस्टररोल की क्रम संख्या ....
31. मस्टररोल में अंकित श्रमिकों की संख्या.................
32. निरीक्षण के समय उपस्थित दिखाये गये श्रमिकों की संख्या ....
33. वास्तविक उपस्थित श्रमिकों की संख्या .... 34 अन्तर श्रमिक (32-33) मय कारण..................
34. कार्य स्थल पर आवश्यक डिस्प्ले बोर्ड / टास्क / मेडिकल किट / पानी / छाया / पालना में से उपलब्ध नहीं था..
....
....
35. जेटीए/अभियंता द्वारा अन्तिम निरीक्षण की दिनांक .... ए.एन.एम की निरीक्षण की दिनांक...........
36. मुख्य बिन्दु जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है ....
....
....

ग्राम पंचायत का रिकार्ड एंव कार्य सन्तोशजनक नहीं पाये जाने पर पर्यवेक्षणीय लापरवाहीकर्त्ता पदाधिकारी का विवरण

नाम पदनाम पदस्थापन तिथि

हस्ताक्षर

नाम निरीक्षणकर्त्ता... **पदनाम.**..

क्रमांक: **दिनांक:**

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ (कार्यकारी एजेन्सी को एवं निरीक्षणकर्त्ता के इमिडिएट सुपीरियर अधिकारियों को)

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्त्ता

10.8 जिला स्तरीय दायित्व एवं जिम्मेदारियां

कार्यो की उपलब्धता

- प्रत्येक कार्य योजना एवं श्रम बजट की प्रक्रिया पूर्व वर्ष के अनुसार 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा द्वारा कार्यो का चयन किया जाये।
- ग्राम सभा के आयोजन का प्रचार प्रसार जिले की प्रथा के अनुसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक लोग ग्राम सभा में भाग ले सकें।

- गांवों में पम्पलेट्स, पोस्टर्स, नारा लेखन एवं अन्य सुविधाओं के माध्यम से गांव वासियों को योजना अन्तर्गत अनुमत कार्यो से अवगत कराया जावे। कार्यस्थल पर श्रमिकों को ग्राम सभा के बारे में अवगत करवाया जाये।
- मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिये ग्रामवार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाये।
- कार्य योजना में कार्य अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत कार्यो की प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किये जाये।
- योजना अन्तर्गत सृजित परिसम्पतियों के रख रखाव के कार्य योजना अन्तर्गत करवाये जा सकते हैं। साथ ही अन्य योजनाओं मे कराये गये कार्य जो कि योजना अन्तर्गत अनुमत कार्यो में शामिल है, के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव के कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत करवाये जा सकते हैं।
- योजना अन्तर्गत अनुमत व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यो के लिये परिवारों का एवं कार्यस्थल का चयन स्पष्ट रूप से किया जाये।
- राज्य सूखे की चपेट मे है एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वृक्षारोपण को एक योजना के रूप मे लेने का आग्रह कर हरित राजस्थान का नारा दिया है। अत: बन विकास एवं वृक्षारोपण के कार्य भी वार्षिक कार्य योजना में अधिक से अधिक जोड़े जाने का प्रयास किया जावे।
- सिंचाई विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित एवं सिंचाई विभाग के टैंक/बांधों तथा नहरों की मरम्मत, गाद निकालना आदि के कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाये।
- कार्य तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक होना चाहिये।
- अन्तर ग्राम पंचायत, अन्तर पंचायत समिति के कार्य अधिनियम में वर्णितानुसार पंचायत समिति / जिला स्तर पर कार्य योजना में सम्मिलित किये जाये।
- कार्यकारी विभागों को पूर्व में सूचित कर दिया जावे ताकि उनके द्वारा प्रस्ताव अधिनियम के बिन्दु संख्या 14(3) (ब) में वर्णित प्रावधानुसार जिला स्तर पर सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किये जा सकें।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर ही श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 नियत किया जावे।
- वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित किये जाने वाली ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिग आवश्यक रूप से की जावे एवं ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण का इन्द्राज वार्षिक कार्य योजना में किया जावे।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निम्न समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 2 अक्टूबर तक ग्राम सभा द्वारा कार्यो का चयन एवं 15 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार कर कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाये।

सामाजिक अंकेक्षण

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 एवं अनुसूची 1 के पैरा 13 मे हर 6 माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण का कानूनी उत्तरदायित्व ग्राम सभा का निर्धारित किया गया है। अत: सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायत की वैधानिक अनिर्वायता है। सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। यह सूचना के स्वैच्छिक घोषणा का एक प्रभावकारी माध्यम है। सामाजिक अंकेक्षण द्वारा नरेगा के क्रियान्वयन के सभी चरणों की जांच की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इससे न केवल विकास

कार्यो में भागीदारी बढ़ती है बल्कि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है।

गुणवत्ता नियंत्रण

स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो में गुणवत्ता आकलन एवं संधारण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी मॉनीटर का पैनल तैयार किया जावेगा। क्वालिटी मानिटर्स यह सुनिश्चित करेंगें कि किये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो। पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के अतिरिक्त क्वालिटी मानिटर्स भी गुणवत्ता नियंत्रण के दायित्व का सम्पादन करेंगे। राज्य एवं जिला स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स का पैनल क्रमश: राज्य एवं जिला स्तर पर तैयार किया जावेगा। जिला स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स जिला कार्यक्रम समन्वयक को रिपोर्ट देंगे तथा राज्य स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे। क्वालिटी मानिटर्स के चयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायेंगें।

शिकायत निवारण

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शिकायतों के निवारण की व्यवस्था की गयी है। शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण पर विशेष ध्यान देते हुए शिकायत प्राप्त होते ही तुरन्त उन्हें शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाना उक्त कानून में जरूरी किया गया है। नरेगा में जनअभाव अभियोग निराकरण नियमों का राज्य सरकार ने प्रकाशन करवाया है, जिसमें शिकायतों का प्रभावी निवारण नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान भी है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक शिकायत निपटारा अधिकारी होते है। शिकायतों की सुनवाई के लिये राज्य सरकार उचित प्रक्रिया और प्रारूप तैयार करती है।

जैसे ही किसी शिकायत पर कार्यवाही की जाती है उसके बारे में शिकायतकर्त्ता को तत्काल जानकारी भेजी जानी जरूरी है। शिकायतों से संबंधित अधिकतर मुद्दे श्रमिकों के अधिकारों के हनन से संबंधित होते है। जिनमें यह मुद्दे मुख्य है :-

- परिवारों के पंजीकरण से मना करना।
- जॉब कार्ड जारी करने से मना करना।
- जॉब कार्ड संबंधित परिवारों का न देना।
- रोजगार आवेदन के 15 दिनों के अन्दर काम न देना।
- काम का माप सही नहीं कराना।
- मजदूरी का भुगतान कम करना।
- मशीनों का उपयोग करना।
- ठेकेदारों से काम करवाना।
- कार्यस्थल पर सुविधाएं नहीं देना।
- मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्ति के पखवाडे के पश्चात् 15 दिन के अन्दर नहीं करना।
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं करना।

शिकायतों की जांच प्राप्ति के 7 दिन में करवाना अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनिवार्य है।

सरपंच को चाहिए कि यदि उसको कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तत्काल शिकायत रजिस्टर में दर्ज करे तथा उसका निपटान 7 दिवस के अन्दर- अन्दर करें। यदि शिकायत उसके अधिकार

क्षेत्र की नहीं है तो उसे संबंधित अधिकारी को शीघ्र भिजवाए। शिकायतों के जल्दी निपटारे के लिये ग्राम सभा और सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित कर शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई कर निपटान करें।

राज्य में जिला स्तर पर नरेगा संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत टोल फ्री हैल्प लाईन नम्बर 1077 पर दर्ज करवाने की व्यवस्था की गयी है।

राज्य स्तर परः-

राज्य स्तर पर शिकायतों को प्राप्त होते ही दर्ज किया जाता है। तथा उसके निपटान के लिये समुचित कार्यवाही की जाती है। त्वरित कार्यवाही के लिये राज्य में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय 55 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। यह पर्यवेक्षक योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिं, कार्यो का निरीक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन से जुडी शिकायतों की जांचो एवं उनके निस्तारण हेतु कार्य कर रहे हैं।

लोकपालों की नियुक्ति :-

नरेगा अन्तर्गत शिकायतों के निपटान के लिये जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है। जल्दी ही राज्य के प्रत्येक जिले में लोकपाल नियुक्त किये जाएंगे।

अधिनियम पालन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम -2005 :-

जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने का, जो 100/- रूपये तक हो सकेगा दायी होगा।

राज्य स्तर पर बनाये गये नरेगा के जनअभियोग निराकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण नियमों की भी पालना समस्त नरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों/अनुबन्धित कर्मचारियों एवं पंचायत राज संस्था के पदाधिकारियों को करनी होगी। पालना नहीं करने पर, दोष सिद्ध होने पर उक्त भी नियमानुसार भी दण्ड के भागी होंगें।

सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में :-

पंचायत में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों द्वारा नरेगा कानून के क्रियान्वयन के संबन्ध में किसी भी प्रकार का उन पर कोई चार्ज लगता है, और दोष सिद्ध होता है तो उनके विरूद्ध सरकारी कर्मचारी होने के नाते संबन्धित सरकारी सेवा नियमों के अन्तर्गत सजा/जुर्माने का प्रावधान तो है ही साथ ही उन पर भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-3) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(1)डीओपी /ए-III/2004 दिनांक: 08.02. 2010 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, व 958 के उप नियम (1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लघु शास्तियां (तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक) (संचयी प्रभाव के बिना) अधिरोपित करने के लिए समस्त जिला कलक्टरों को इसके द्वारा विशेष रूप से सशक्त करती है। यह अधिसूचना इस स्कीम के प्रवर्तन में रहने तक प्रभावी रहेगी।

अनुबन्धित कर्मचारियों के संबंध में :-

पंचायत में कार्यरत अनुबन्धित कर्मचारियों पर कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही चार्ज सिद्ध होने पर उन पर उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के मुताबिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत सूचना मांगना और सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सभी नागरिकों को शासन और विकास से संबंधित सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक (सचिव) लोकसूचना अधिकारी होता है, और सरपंच अपील अधिकारी होता है, इसी नाते सरपंच का दायित्व और भी बढ़ जाता है, कि मांगी गयी सूचना पूर्ण सही एवं तुरन्त दी जाये। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना 30 दिन में दिये जाने का प्रावधान है। सूचना देने में दोषी पाये जाने पर 25000 - रूपये तक का जुर्माना हो सकता है

भारतीय दण्ड सहिता-1860 :-

ग्राम पंचायत में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार दोषी पाये जाने पर सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी/ कर्मचारी संहिता के अधीन दण्डनीय होंगे। सामान्यतया ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार के आपराधिक कृत्य पाये गये है, जो दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी में आते है-

- **धारा 167-** लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है,तो **धारा 167** व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- **धारा 168-** जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोकसेवक के नाते इस बात के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा तो जिसकी अवधि एक वर्ष तक ही होगी कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- **धारा 169-** क, जो विधि विरूद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिये बोली लगाता है, ऐसे लोकसेवक के नाते इस बात के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिये बोली लगाये अपनी निजी नाम में या दूसरे के नाम में क्रय या बोली लगायेगा तो उसे दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- **धारा 171 -** कपटपूर्ण आशय से लोकसेवक होने का प्रदर्शन करना, कई बार महिला सरपंच के पति पुत्र जेठ स्वयं को सरपंच जाहिर कर बैठक में राजकीय कार्यालयों में बैठ जाते है, यह दण्डनीय अपराध है। इसके लिये तीन मास तक की सजा या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- **धारा 405-** आपराधिक न्यास भंग जो कोई राजकीय धन एवं चल अचल सम्पति का न्यासी (ट्रस्टी) होते हुये बेईमानी की नीयत से उस सम्पति का दुरूपयोग करता है या स्वरूप परिवर्तन करता है तथा बेईमानी की नीयत से स्वयं प्रयोग करता है या बेच देता है या अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है तो वह आपराधिक न्यास भंग करता है। जो अमानत में खयानत का अपराध माना जाकर तीन वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- **धारा 420 -**छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्पेरित करेगा तो उसे सात साल की अवधि का कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

- **धारा 467-** जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना करेगा, वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।
- **धारा 468 -** जो कोई दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करें या फर्जी दस्तावेज बनाता है। छल के प्रयोजन के उपयोग में लाता है. तो सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
- **धारा 471-** कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग लाने पर जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करता है कि वह कूट रचित है, कपट पूर्वक है, बेईमानी से असली के रूप में उपयोग मे लायेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा मानों उसने ऐसी कूट रचना की, है।

एम.आई.एस.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून में ग्राम पंचायत ही मुख्य क्रियान्वयन संस्था है, इसलिये उसके स्तर पर ही नरेगा क्रियान्वयन से संबन्धित सभी महत्वपूर्ण आंकडों को रखा जाता है। इन्हीं आंकड़ों से राष्ट्रीय स्तर पर नरेगा की प्रगति का आकलन किया जाता है। इन आंकडों में जारी किये गये जॉब कार्डो की संख्या, मस्टररोलों की सम्पूर्ण जानकारी, मजदूरी भुगतान तथा बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों की सूचना, कार्यो की सूचना आदि जो निम्न दस्तावेजों में पंचायत में उपलब्ध रहती है, राष्ट्रीय स्तर पर नरेगा की वैब साइट पर दर्ज की जाती है। अत: यह सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण है -

1. पंजीकरण रजिस्टर
2. जॉब कार्ड जारी करना
3. रोजगार रजिस्टर
4. परिसम्पत्ति रजिस्टर
5. वित्त संबंधी पुस्तकें
6. शिकायत रजिस्टर
7. मस्टर रोल फाइल
8. अन्य यथा पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, काम मांगने के आवेदन पत्र।

कम्प्यूटर आधारित सूचना एवं अनुसरण प्रणाली **(एम.आई.एस)** में किसी भी ग्राम पंचायत की नरेगा के क्रियान्वयन संबन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नरेगा संबन्धी समस्त ग्राम पंचायत की जानकारियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा व जांचा जा सकता है।

नरेगा की राष्ट्रीय वैबसाइट है - www.nrega.nic.in

इस प्रकार राज्य सरकार ने भी नरेगा वैबसाइट बनाई है जिस पर नरेगा संबंधित राज्य की प्रगति की जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

नरेगा की राजस्थान राज्य की वैबसाइट है - ww.rdprd.gov.inlacfU/kr fyad NREGS-राजस्थान प्रक्रिया :-

राज्य में कम्प्यूटर की जिन ग्राम पंचायत स्तर पर सुविधा है वहां पर अन्यथा पंचायत समिति स्तर पर, एम.आई.एस. सम्बन्धित प्रविष्टियां की जाती हैं तथा जिला स्तर पर उन्हें भारत सरकार

की वैबसाइट पर लोड़ किया जाता है। नीचे दी गयी विवरणी में आंकड़ों का संकलन और उसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की गयी है।

<u>ग्राम पंचायत = सरपंच</u>

कार्यक्रम अधिकारी से विशिष्ट संख्या वाले मस्टररोल एवं कार्यस्थल पुस्तिका प्राप्त की जाती है।

<u>कार्यस्थल = मेट</u>

मस्टररोल और कार्यस्थल पुस्तिका को कार्य स्थल पर संभालते हैं।

<u>ग्राम=निगरानी एवं सतर्कता समिति</u>

सभी दस्तावेजों की जांच करती है- यथा मस्टररोल, कार्यस्थल पुस्तिका, माप पुस्तिका आदि

<u>ग्राम पंचायत = ग्राम सेवक (ग्राम सचिव)</u>

सभी दस्तावेजों एवं रजिस्टरों में आंकड़ों को दर्ज करते है, यह आकड़े मस्टररोल कार्यस्थल पुस्तिका, माप पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों से मिलते हैं

<u>ग्राम पंचायत = ग्राम रोजगार सहायक</u>

सभी दस्तावेजों एवं रजिस्टरों में आंकड़ों को दर्ज करते हैं, यह आंकड़े मस्टररोल कार्यस्थल पुस्तिका, माप पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों से मिलते हैं। तथा आंकडों को ब्लॉक में जमा करवाता हैं /कराती है।

<u>ब्लाक कार्यक्रम = अधिकारी</u>

सभी दस्तावेजों व आंकडों की जांच करते हैं। कम्प्यूटर आधारित मासिक रिपोर्ट में डालते हैं।

<u>जिला= जिला कार्यक्रम समन्वयक</u>

<u>जिले के सभी आंकड़ों को सम्मिलित करते हैं।</u>

राज्य की ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम वैबसाइट पर आंकडों को डाला जाता है	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की वैबसाइट पर आंकडों का डाला जाता है

ये आंकड़े जन सामान्य के लिये उपलब्ध होते हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वैबसाइट को खोलने के लिये एड्रैस बार में -www.nrega.nic.in टाइप करेंगें जिससे नरेगा वैबसाइट का होम पेज खुल जाता है, इस पेज पर स्थित स्टेट टैब को क्लिक करने पर बांयी साइड में स्टेट की लिस्ट आ जाती है, इस लिस्ट में से संबन्धित स्टेट को चुनते हे, तो उस स्टेट से संबन्धित सभी -जिलों की प्रगति अलग-अलग मोडयूल अनुसार दर्शा दी जाती है।

संबन्धित जिले को चुन करके पंचायत समिति के टैब को क्लिक करके ग्राम पंचायत के टैब को क्लिक करके ग्राम पंचायत की समस्त नरेगा संबन्धी प्रगति देखी जा सकती है।

पारदर्शिता :-

पारदर्शिता रखने के लिये सूचना को स्वैच्छिक रूप से (Proactive Disclosure) जारी किया जाना आवश्यक है -

- नियमानुसार कार्य स्थल पर कार्य से सम्बन्धित सूचना का बोर्ड लगाना जरूरी है। यह बोर्ड कार्य स्थल के पास स्थित भवन की दीवार पर पेन्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि यह देखा गया है कि लोहे के बोर्ड कई बार चोरी हो जाते हैं।
- प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर सभी श्रमिकों के समक्ष मस्टररोलों को पढ़कर सुनाना चाहिये. जिसमें उपस्थिति. कार्य तथा मजदूरी भुगतान का विवरण हो।

- इस प्रकार कार्यो की माप को माप पुस्तिका से पढ़कर सुनाना चाहिये।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सूचनाओं को सूचना पट्ट पर दिखाया जाना जरूरी है।
- कार्यो के आवंटन. प्राप्त राशि और खर्च की गयी राशि तथा कार्यो की सूची. नियोजित परिवारों (कुशल श्रमिकों सहित) को किये गये मजदूरी का भुगतान एवं निर्माण कार्य में उपयोग लायी गयी सामग्री पर व्यय की गयी राशि की सूचनाओं का लेखन ग्राम पंचायत की सहज दृष्टियाँ दीवारों पर किया जाना आवश्यक है।

नरेगा में आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दीवारों पर लेखन संबन्धी राज्य सरकार के दिशा निर्देश:-

राज्य सरकार द्वारा नरेगा योजना अन्तर्गत आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये है -

- सहज दृष्ट्या ऐसी दीवार पर लिखवाया जाना सरपंच सुनिश्चित करे जिस पर लिखी गयी सूचना वर्ष के दौरान भी अगले तीन चार वर्षों तक सुरक्षित रह सकें।
- सूचना में रोजगार उपलब्ध करवाये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान एवं सामग्री के उपयोग तथा उस पर व्यय की गयी राशि हर स्थिति में निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर राजकीय विद्यालय आंगनबाडी सार्वजनिक स्थान आदि के बाहर की और सहज दृष्ट्या दीवारों पर लिखवाया जायें।
- सूचना प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अप्रेल माह में लिखबाया जाना सरपंच सुनिश्चित करें।
  - उक्त डिस्पले बोर्ड (दीवारों पर) न्यूनतम चार फुट मध्य चौड़ाई में एवं आवश्यकतानुसार लम्बा हो परन्तु एक बोर्ड 100 से ज्यादा परिवारों का नही हो। ग्राम पंचायत में प्राय: लगभग 800 ग्राम परिवार नरेगा में वर्ष में नियोजित हो रहे हैं। अत: डिस्पले बोर्ड (दीवारों पर) की संख्या निर्धारित की जाये।
  - जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक उक्त कार्य करवाने हेतु नियमानुसार न्यूनतम न्यायोचित राशि प्रति परिवार व्यय राशि तय करेंगें।
  - निम्न प्रारूपों में दीवार पर लिखवाया जावें -

ग्राम .... ग्राम पंचायत .... में नरेगा में निम्न परिवारों को रोजगार / व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया : -

क्र. स.	परिवार के मुखिया के नाम	पिता / पति का नाम	**MIS** फीडिंग परिवार का कोड नं.	वर्ग **(SC/ST/BPL** अन्य)	वर्ष में उपलब्ध कराये गये रोजगार	भुगतान योग्य/की गई कुल राशि	दिया गया अन्य लाभ (मडबन्दी/कुआं/धोरा/इन्दिरा आवास/पेन्शन राशि)	व्यक्तिगत लाभ की राशि	वर्ष 6 से 9 के अनुरूप

					के दिनों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

कालम नं. 6 से 9 तक की प्रविष्टि वर्षवार इसी प्रकार आगे हर वर्ष की अंकित की जावे।

इसी प्रकार वर्ष पर्यन्त कार्यवार प्रयुक्त सामग्री की सूचना निम्न प्रारूप में दीवारों पर लिखवाना सुनिश्चित करें

ग्राम.. ग्राम पंचायत.. में नरेगा में कार्यवार उपयोग में ली गयी सामग्री का विवरण :-

वर्ष...................

क्र. स.	कार्य का नाम	**MIS** के अनुसार कार्य का यूनिक कोड नं.	उपयोग में ली गई सामग्री का विवरण - आईटम की संख्या एवं राशि								इस कार्य पर वर्ष पर्यन्त कुल व्यय		
			सीमेन्ट		बजरी		पत्थर		अन्य		श्रम	सामाग्री	कुल
			कट्टे	दर प्रति बैग	ट्रॉली	दर	ट्रॉली	दर	नग	दर			
1													
2													
3													

राज्य के समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्य क्रम समन्वयकों को नरेगा योजना अन्तर्गत करवाये गये कार्यो की सूचना आम जनता को उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सहज दृष्ट या दिखने वाली दीवारों पर लिखवाने के निर्देश राज्य सरकार ने दिये है। अत: उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें।

सरपंच को चाहिए की जिला कलक्टर एंव जिला कार्य क्रम समन्वयक / अति. जिला कार्य क्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्य कारी अधिकारी जिला परिषद से सम्पर्क स्थापित कर इस कार्य को वित्त वर्ष समाप्ति के पश्चात् अप्रेल माह में करवाना सुनिश्चित करवायें।

VMC :-

वी.एम.सी (Vigilance & Monitoring Committees) /

सतर्कता एवं निगरानी समितियां का गठन एवं दायित्व :-

1. गठन :-

- इस योजना के तहत प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए. एक स्थानीय सतर्क ता एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गांव के लोगों को लिया जाएगा जहां सम्बन्धित परियोजना को लागू किया जा रहा है।
- प्रत्येक निगरानी समिति में 9 सदस्य होंगें। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेंगी तथा सदस्यों का चुनाव करते हु ए इस बात की सुनिश्चितता करेगी कि उसमें एससी. एस.टी तथा औरतों को भी उचित प्रतिनिधित्व हो तथा इस समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य नरेगा के श्रमिक हों। इस समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाना चाहिए।
- समिति प्रत्येक ग्राम विशेष की होगी न कि किसी कार्य विशेष की तथा ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक अंकेक्षण को भी फेसिलिटेड करेगी।

2. समिति के अधिकार एवं दायित्व :-

- ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के प्रारम्भ किये जा रहे कार्य के ब्यौरे, समय अवधि तथा गुणवत्ता मानकों के बारे में इस समिति को बताने का दायित्व होगा।
- समिति ग्राम स्तर पर होने वाले समस्त कार्यो की निगरानी करेगी तथा यह भी देखेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिल गया है. जिसके द्वारा कार्य के लिए आवेदन किया गया है एवं पंजीकरण जॉब कार्ड जारी करने तथा श्रम का भुगतान समय पर हो रहा हैं।
- समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखेगी।
- परियोजना परिपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट भी नत्थी की जायेगी और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा की बैठक में पेश किया जावेगा। इस ??? की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी. पंचायत समितियों व जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई जी.एस) एवं जिला कलक्टर महोदय को भी भेजी जावेगी।

नोट :-

- सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यो द्वारा पखवाड़े में एक बार प्रगति पर चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया जाये और उसकी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। समिति के निरीक्षण करने वाले सदस्यों को रू. 75 - प्रतिदिवस की दर से मानदेय देय होगा. जो नरेगा की प्रशासनिक व्यय की राशि में से दिया जावेगा (शासन सचिव एंव आयुक्त ई जी एस. पत्र दिनांक 200409)

10.7 सारांश

इस इकाई का सारांश यह है कि महानरेगा योजना के तहत योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रबोधन एवं क्रियान्वयन मशीनरी की स्थापना की गयी है. एवं उनकी जिम्मेदारियां तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं जिनका उन्हें निर्वहन करना है। जिला स्तर पर स्थापित मशीनरी के प्रमुख जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक हैं। तथा उनके अधीन सहयोग हेतु सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचा स्थापित है। जिला स्तरीय मशीनरी का मुख्य उत्तरदायित्व जिले में कार्यो की पर्याप्त उपलब्धता. रोजगार चाहने वालों को रोजगार उपलब्ध कराना. समय पर श्रमिकों

को मजदूरी का भुगतान कराना, कार्य योजना तैयार कराना, सामाजिक अंकेक्षण तथा विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के मध्य आपसी समन्वय स्थापित कराना है।

10.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सतर्कता एवं निगरानी समिति के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन करें।
2. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के मुख्य उत्तरदायित्वों का वर्णन करें।
3. किन्हीं तीन अधिकारियों के निरीक्षण मापदण्डों का उल्लेख करें।
4. शिकायत निवारण हेतु स्थापित व्यवस्था का वर्णन करें।

10.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग. शासन सचिवालय. जयपुर सरपंच हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निर्देशिका वर्ष 2010।
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अधिसूचना, जयपुर, अक्टूबर 13, 2005।

इकाई - 11

पंचायत समिति स्तरीय मशीनरी : कार्यक्रम अधिकारी

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 कार्यक्रम अधिकारी के प्राथमिक कर्त्तव्य

11.3 कार्यक्रम अधिकारी की विविधतापूर्ण भूमिका

11.4 सारांश

11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे -

- महनरेगा के क्रियान्वयन के लिए पंचायत समिति स्तरीय मशीनरी के बारे में।
- कार्यक्रम अधिकारी के प्रमुख कत्तव्यों के बारे में।
- कार्यक्रम अधिकारी की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में।
- कार्यक्रम अधिकारी की निरीक्षण एवं नियन्त्रणकारी भूमिका के बारे में।

11.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम की धारा 15 में कार्यक्रम अधिकारी के संबंध में प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पर समस्त कार्रवाइयाँ पूरी कराने के लिए नियुक्ति किया जाता है। वह एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होता है तथा पद कम से कम ब्लॉक विकास अधिकारी **(बी0डी0ओ0)** के स्तर का होता है। यह अधिकारी इस अधिनियम के अनुसरण में बनाई गई रोजगार गारंटी योजना के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए लगाया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए मौलिक रूप से ब्लॉक स्तर पर रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन में एक समन्वयक के रूप में काम करता है।

कार्यक्रम अधिकारी की सबसे बडी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करता है तो उसे 15 दिन के भीतर काम मिल जाए तथा समय पर मजदूरी या बेरोजगारी भत्ता जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान हो जाए। इस अनुक्रम में उसे अपने अधिकार क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं में उपलब्ध रोजगार अवसरों और रोजगारों की मांग के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। उसे रोजगार के लिए आवेदकों के पंजीकरण तथा अधिनियम के प्रावधानों व राज्य द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पर नजर रखनी होती है और उसमें समन्वय स्थापित करना होता है। ग्राम पंचायतों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का समावेश करते हुए उसे अपने ब्लॉक की एकीकृत योजना तैयार करनी होती है।

राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुदान प्राप्त करने और उन्हें क्रियान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कार्यक्रम अधिकारी को करना होता है। इसके अतिरिक्त उसे अनुदान के प्राप्त करने, उसे जारी करने और उसके उपयोग किए जाने के संबंध में खातों के समुचित संधारण को सुनिश्चित करना होता है। उसे अपने अंतर्गत आने वालों ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं पर नजर रखते हुए योग्य परिवारों को बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान करवाना होता है।

उसे आने अधिकार क्षेत्र में चल रही योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को समय पर और यही वेतन भुगतान की व्यवस्था करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम पंचायत के कामों का ग्राम सभा लगातार सामाजिक अंकेक्षण करती रहे और अगर इस अंकेक्षण में किसी तरह की कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती रहे। पूरे ब्लॉक में योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी होता है। उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा अन्य काम मो सौंपा जा सकते हैं तथा वह जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और देखरेख में काम करेगा।

कार्यक्रम अधिकारी के पद के संबंध में अधिनियम की धारा 15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार से है:-

धारा- 15

1. मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ जैसी कि राज्य सरकार द्वार अवधारित की जाएं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।
2. कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी यो जना के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा।
3. कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उदभूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की मांग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा।
4. कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लॉक के लिए एक योजना तैयार करेगा।
5. कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -
   (क) ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का मॉनीटर करना,
   (ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना,
   (ग) ब्लॉक के भीतर योजना के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरंत और उचित संदाय सुनिश्चित करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यो की नियमित सामाजिक अंकेक्षण की जा रही है और यह कि सामाजिक अंकेक्षण में उठाए गए आक्षेपों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है,

(ङ) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो ब्लॉक से भीतर योजना से कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हों, और

(च) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

6. कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

7. राज्य सरकार, आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

जिला स्तर की पंचायत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पंचायती राज संस्थान ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति है। यह जहां एक ओर ग्राम स्तरीय पंचायतों के कार्यो की स्वीकृति का कार्य करती है वहीं दूसरी ओर अपनी अधिकारिता के वे प्रस्ताव जिला पंचायत के पास स्वीकृति हेतु भेजती है जो उसकी शक्तियों से बाहर हैं। अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर पर योजना की रूपरेखा तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान उस पर नजर रखने का दायित्व पंचायत समिति को सौंपा गया है। पंचायत समिति स्तर पर रोजगार गारंटी के कार्यो के संचालन हेतु कार्यक्रम अधिकारी का पद सृजित किया गया है। अधिनियम की धारा 13 (3) के अनुसार पंचायत समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लॉक योजना का अनुमोदन करना,

(ख) ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण ओर मॉनीटरिंग करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं।

11.3 कार्यक्रम अधिकारी कर प्राथमिक कर्त्तव्य

रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की अहम् भूमिका होती है। इस अधिनियम के तहत उसके मुख्य कर्त्तव्य इस प्रकार से हैं :-

1. प्राथमिक तैयारियाँ

कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर पर कई प्रकार की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे जॉब कार्ड जारी करवाना, स्टेशनरी की आपूर्ति, समय पर मस्टररोल्स जारी करना आदि। ये ऐसे काम हैं जिनके बिना योजना का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकता है। इनमें निम्न शामिल होते हैं :-

- योजना के उद्देश्यों के अनुरूप लाभार्थियों की पात्रता की जाँच करना।
- रोजगार हेतु आवेदकों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।
- जॉब कार्ड जारी करवाना।
- गुम हुए या नष्ट हुए जॉब कार्डो के साथसाथ नए आवेदकों एवं वर्तमान परिवारों के विखण्डन पर बढ़े हुए आवेदकों को जॉब कार्ड जारी करवाना।

- कार्य के लिए आवेदन करने की समुचित व्यवस्था करना।
- रोजगार के अवसरों का आवंटन करना।
- रोजगार के रिकार्ड का संधारण करना।
- रोजगार दिवसों के आयोजन को सुनिश्चित करना और प्रभावी बनाना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरूपण करना।
- क्रियान्वयन संस्थाओं की पहचान और उनकी भूमिका का निर्धारण करना।
- ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के स्तर की कार्यवाही समय पर सम्पादित करवाना।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर की स्वीकृतियाँ समय पर प्राप्त करना।
- जन सामान्य को योजना की समुचित जानकारी देना।

2. नियोजन एवं समन्वय

कार्यक्रम अधिकारी अपने पंचायत समिति क्षेत्र के लिए योजना के नियोजन का कार्य भी करता हे। वह अपने क्षेत्र के सभी क्रियान्वयन निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यो में नियोजन एवं समन्वय का कार्य करता है। क्रियान्वयन निकायों में मुख्यतया ग्राम पंचायतें होती है पर वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग ऐसे अन्य विभाग हैं जो उनकी विभागीय गतिविधियों के लिए इस योजना में क्रियान्वयन निकाय होते हैं। इन सभी निकायों के कार्यो का नियोजन व उनमें समन्वय स्थापित करने का काम कार्यक्रम अधिकारी करता है। इस संबंध में उसके स्तर से निम्न कार्य किए जाते हैं :-

- योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो की पूर्ण आयोजना तैयार करना।
- भावी योजना एवं वार्षिक योजना की पूर्ण रूपरेखा निरूपित करना।
- श्रम बजट की तैयारी एवं स्वीकृति।
- क्रियान्वयन निकायों के बीच कार्यो का आवंटन करना।
- ग्राम पंचायतों व अन्य निकायों के कार्यो के बीच समन्वय स्थापित करना।

3. कार्यो की स्वीकृति एवं उनका क्रियान्वयन

कार्यक्रम अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो की योजना बनाने के बाद उनके प्रस्ताव तैयार करवा कर अपने स्तर की तकनीकी स्वीकृति जारी करता है और वित्तीय स्वीकृति के लिए उन्हें जिला परिषद् को भिजवाता है। जिला परिषद् से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्यक्रम अधिकारी संबंधित क्रियान्वयन निकाय के माध्यम से उन स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन करवाता है। कार्यक्रम अधिकारी ही संबंधित निकाय को मस्टररोल्स जारी करता है। कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार से है :-

- ऐसे कार्यो का विवरण तैयार करना जिनके तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है।
- कार्यो की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की व्यवस्था करना।
- राजकीय विभागों द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु कार्यो को आरक्षित करना।
- अन्य क्रियान्वयन निकायों के द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु स्वतंत्र छोड़े गए कार्यो का विवरण तैयार करना।
- क्रियान्वयन निकायों को मस्टररोल्स जारी करना।

4. मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

कार्यो के क्रियान्वयन के बाद उनकी माप का निर्धारण कर मजदूरी का आकलन व भुगतान कार्यक्रम अधिकारी का काम है। ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य विभाग अपने अभियन्ताओं से कार्य की माप करवा कर भुगतान की कार्यवाही करते हैं पर ग्राम पंचायतें कार्यो की माप करवाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी पर निर्भर रहती है। अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के पास होने के कारण कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण पहलू इस प्रकार से हैं :-

- श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान का आधार स्पष्ट करना।
- निर्धारित टॉस्क और संपादित कार्य की मात्रा के आधार पर मजदूरी का भुगतान करना।
- पुरूष एवं महिला श्रमिकों को एक समान मजदूरी का भुगतान करना।
- निश्चित अवधि में मजदूरी का भुगतान करना।
- किए गए मजदूरी भुगतान की प्राप्ति रसीद आदि के रिकार्ड का संधारण करना।
- आशिक रूप से अग्रिम मजदूरी भुगतान की स्थिति. प्रक्रिया एवं उसके रिकार्ड संधारण की पूरी रूपरेखा तैयार करना।
- टॉस्क आधारित मजदूरी के भुगतान का आधार एवं दर कार्यस्थल पर प्रदर्शित करना।
- मजदूरी के भुगतान में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- नकद मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान पहले से घोषित तारीख पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सीधे संबंधित व्यक्ति को करना।

5. वित्त पोषण

योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण कार्य में कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है वह एक ओर सरकार से धन प्राप्त करता है और दूसरी ओर उन्हें क्रियान्वयन प्राधिकारियों को भेजता है। उस धन का हिसाब रखना और आवश्यकतानुसार धन की प्राप्ति व वितरण करना कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार से हैं :-

- योजना के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर प्राधिकृत अधिकारियों का निरूपण करते हुए उनके बैंक खातों का संचालन करवाना।
- वित्तीय मापदण्ड के अनुसरण में राज्य की योजना में अकुशल मजदूरी के लिए 60 प्रतिशत (जिसमें अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी शामिल है) एवं कार्यों के सामग्री घटक के लिए 40 प्रतिशत निधियों का उपयोग किए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करना।
- योजना में निधियों का प्रबन्धन करना।
- योजना के अंतर्गत निधियाँ पंचायत समिति से संबंधित ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यकारी संस्थाओं के खातों में स्थानान्तरित करना।
- रिवाल्विंग फण्ड की उक्त व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार के बीच धन की मांग एवं पूर्ति के प्रवाह को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना।
- रिवाल्विंग फण्ड के प्रयोजन हेतु आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करना।

6. गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन

कार्यो की गुणवत्ता और मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेदार होता है। वह समय पर कार्यो के स्थल निरीक्षण की व्यवस्था करता है और कार्य समाप्ति पर उनका मूल्यांकन करवा कर उनके भुगतान की व्यवस्था करता है। गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन के संबंध में उसके कर्त्तव्य इस प्रकार से हैं :-

- राज्य की रोजगार गारण्टी योजना में निर्धारित कार्यो के मूल्यांकन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की विधि का पालना करना।
- इसके अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो में गुणवत्ता आकलन एवं उसके संधारण हेतु क्वालिटी मॉनिटर्स की व्यवस्था करना।
- कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों पर दायित्व निर्धारण करना।
- राज्य एवं जिला स्तर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- कार्यो के नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
- ग्राम सभाओं में कार्यो के प्रबंधन एवं रोजगार सृजन का लेखा जोखा रखवाना।
- रोजगार हेतु पंजीयन करने, जॉब कार्ड जारी करने एवं समय पर भुगतान करने जैसे कार्यो की मॉनिटरिंग ग्राम सभा द्वारा सुनिश्चित करवाना।
- अन्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो हेतु मस्टररोल जारी करने एवं समय पर उनके भुगतान आदि की मॉनिटरिंग करना।
- पंजीकरण, रोजगार चाहने वाले परिवारों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवस, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अर्जित करना।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवश्यक प्रतिवेदन समय पर प्रेषित करना।

7. सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता

सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता के संबंध में कार्यक्रम अधिकारी की केन्द्रीय भूमिका है। अधिकारियों के निर्देशानुसार अपने क्षेत्राधिकार के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वह करवाता है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निरन्तर कार्यशील रहता है। इस संबंध में मुख्य बिन्दु इस प्रकार से हैं :-

- योजना के सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता हेतु वे सभी उपाय काम में लेना जो अधिनियम के प्रावधानों की पालना में सहायक हो सकें तथा कार्यो की गुणवत्ता एवं योजना की कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।
- सामाजिक अंकेक्षण के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के सम्पादन, पर्यवेक्षण प्रगति तथा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करना।
- उक्त समिति का नियन्त्रण उस ग्राम के सभी कार्यो पर प्रभावी बनाना।
- प्रत्येक त्रै-मास के अन्तराल पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करवा कर उसमें रोजगार की मांग, पंजीयन, जॉब कार्ड, कार्य पर कार्यरत लोगों की सूची अथवा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, किए गए भुगतान की राशि, अकुशल मानव श्रम पर किए गए

भुगतान, कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कुशल श्रमिक, सामग्री, सृजित मानव दिवस, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, मस्टररोल की प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था करना।

- मस्टररोल पर दर्शाए गए श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर ग्राम सभा की बैठक में पढ़कर सुनवाया जाना।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए समस्त कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सूचना के अधिकार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर आवेदक को योजना के संबंध मे सूचना समय पर उपलब्ध करवाना।
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

11.4 कार्यक्रम अधिकारी की विविधतापूर्ण भूमिका

रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में कार्यक्रम अधिकारी केन्द्रीय स्थिति में है। वह अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनेक कार्य सम्पादित करता है। उसकी विविधतापूर्ण भूमिका का विवरण इस प्रकार से है :-

1. **रोजगार अवसरों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाना**

अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत चलाई जाने वाली परियोजनाओं के तहत रोजगार की मांग और रोजगार अवसरों के बीच लगातार संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की है। धारा व 15(4) के अंतर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके द्वारा पूरे ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए एक समग्र योजना तैयार की जाती है। यह योजना तैयार करते समय उसे विभिन्न ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति से मिले प्रस्तावों को ध्यान में रखना होता है। धारा व 13(3) के तहत कार्यक्रम अधिकारी को ब्लॉक स्तरीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर उसे जिला पंचायत के विचारार्थ प्रेषित करनी होती है।

2. **परियोजनाओं की स्वीकृति और मस्टररोल जारी' करना**

रोजगार गारण्टी योजनाओं के तहत दो तरह के काम किए जाएंगे -

एक, ऐसे काम जो ग्राम पंचायत के जरिए लागू होंगे ("पंचायती काम") और

दो, ऐसे काम जिन्हें अन्य क्रियान्वयन निकाय लागू करेंगे ("सामान्य काम")।

प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम अधिकारी को कम से कम 50 प्रतिशत लागत वाले कामों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को सौंपना होता है। (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, अनुच्छेद 16(5))।

दोनों सूचियों के अंतर्गत होने वाले सभी कार्य (पंचायती काम और सामान्य काम) के लिए समय रहते प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह स्वीकृति क्रियान्वयन वर्ष से गत वर्ष के दिसंबर माह तक प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

रोजगार के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों के बारे में ग्राम पंचायत को सप्ताह में कम से कम एक बार कार्यक्रम अधिकारी को जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को यह

भी बताना होता है कि नए आवेदकों में से कितने लोगों को पंचायती कामों में रोजगार दिया जा रहा है और कितने समय तक के लिए, और कितने लोगों को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा "सामान्य कामों" में रोजगार देना होगा।

ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की सभी गतिविधियों के लिए कार्यक्रम अधिकारी की ओर से मस्टर रोल जारी किए जाते हैं। प्रत्येक मस्टर रोल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को इस बारे में सूचित करती है ताकि समय रहते कार्यक्रम अधिकारी मस्टर रोल जारी कर सके। कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक में स्थित सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति से मिले प्रस्तावों के आधार पर पूरे ब्लॉक के लिए परियोजनाओं की एक विस्तृत सूची तैयार करता है। इस सूची में पंचायती कामों और सामान्य कामों को अलग-अलग इंगित किया जाता है। अन्य क्रियान्वयन निकाय पंचायत समिति के जरिए कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्ताव भेज सकते हैं।

कार्यक्रम अधिकारी जब भी सामान्य कार्य के अंतर्गत किसी परियोजना की शुरूआत करेगा तो उसे इस बारे में संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायतों को सूचित करना होगा और यह भी बताना होगा कि उस परियोजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत के कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। ग्राम पंचायत के भीतर विभिन्न आवेदकों को काम का आंवटन करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। यदि कार्यक्रम अधिकारी इस कारण से किसी क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले सभी आवेदकों को रोजगार नहीं दे पाता है क्योंकि परियोजना सूची में सामान्य कार्यो की संख्या बहुत कम है तो वह अपने क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों को यह निर्देश दे सकता है कि वह पंचायती कामों की सूची में उल्लिखित कामों का क्रियान्वयन जारी रखें।

3. **वेतन और भौतिक सामग्री अनुपात बनाए रखना**

वेतन संबंधी लागतों और सामग्री लागतों का अनुपात अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम 60:40 के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। इस अनुपात को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कुशल श्रमिकों और कारीगरों का वेतन सामग्री लागतों में शामिल किया जाना चाहिए।

4. **स्वीकार्य परियोजनाओं का ध्यान रखना**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत रोजगार गारण्टी सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में ऐसी गतिविधियों या परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जाएंगी। कार्यक्रम अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार निम्न प्रकार के कामों को प्राथमिकता दी जाए:-

- जल संरक्षण एवं जल संचय ;
- सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और बन संरक्षण;
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों की भूमि तक सिंचाई की सुविधाएं पहुँचाना;
- परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी
- भूमि विकास;

- बाढ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं. जिनमें जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों से पानी की निकासी भी शामिल है;
- गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्माण परियोजनाओं में आवश्यकता। के अनुसार पुलियाएं भी बनाई जा सकती हैं और गांव के भीतर सड़कों के साथ-साथ नालियां भी बनाई जा सकती हैं
- राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य।

5. **नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान करना**

कार्यक्रम अधिकारी मजदूरी भुगतान के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए भी दायी होता है। इस संबंध में उसका दायित्व दोहरा है। एक तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवेदकों को समय पर रोजगार उपलब्ध हो ताकि किसी भी आवेदक को बेरोजगारी भत्ता नहीं चुकाना पड़े। इस संबंध में उसका दूसरा कार्य यह है कि पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान हो।

अगर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत रोजगार के लिए आवेदन देने वाले किसी मजदूर को उस तारीख के 15 दिन बाद तक भी रोजगार नहीं मिल पाता है जिस तारीख से वह काम करना चाहता है तो राज्य सरकार को अधिनियम में निर्धारित दर के हिसाब से आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जैसे ही इस अधिनियम को किसी जिले या क्षेत्र में अधिसूचित किया जाएगा, यह प्रावधान तत्काल प्रभाव में आ जाएगा। पूरे ब्लॉक में बेरोजगारी भत्ते का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए जिस दिन से संबंधित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है (अधिनियम का अनुच्छेद 7 (5))। यदि इसमें किसी तरह की देरी होती है तो आवेदक को उसी सिद्धान्त के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार होगा जिस सिद्धान्त के आधार पर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत वेतन संबंधी मुआवजा अदा किया जाता है। इस मुआवजे के मद में होने वाला खर्चा राज्य सरकार को उठाना होगा।

यदि किसी पात्र आवेदक को काम की मांग किए जाने अथवा उस तारीख से जिससे वह काम की मांग करता है, जो भी बाद में हो, 15 दिवस के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की दरें, अधिनियम की धारा 7 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद् की सलाह से समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी तथा शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर से आधी से कम नहीं होगी। राजस्थान में इस समय बेरोजगारी भत्ते की दर वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस के लिये 19 रूपये प्रतिदिन और उसके बाद शेष अवधि के लिए 38 रूपये से कम नहीं होगी क्योंकि यहां पर न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दर 73 रूपये प्रतिदिन नियत है।

रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए जाने की स्थिति में संबंधित आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होता है।

अधिनियम की धारा 7 (3) के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का दायित्व निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाता है :-

(क) ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को कार्य पर स्वयं के उपस्थित होने अथवा अपने परिवार के किसी एक वयस्क सदस्य को उपस्थित होने के निर्देश दिए जाने पर, अथवा

(ख) समयावधि जिसके लिए कार्य की मांग की गई है, के समाप्त होने तथा परिवार के किसी सदस्य के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर, अथवा

(ग) आवेदक के वयस्क सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का कार्य प्राप्त कर लिए जाने पर, अथवा

(घ) यदि परिवार के आवेदक द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ते दोनों को मिलाकर वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की मजदूरी के बराबर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार कतिपय परिस्थितियों में आवेदक की बेरोजगारी भत्ते की हकदारी नहीं बन पाती है। इस धारा के अनुसार कोई आवेदक तीन माह की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा (परन्तु रोजगार योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार प्राप्त करने का पात्र होगा) यदि वह

(क) अपने परिवार के सदस्यों द्वारा योजना के अंतर्गत रोजगार को स्वीकार नहीं करता है, अथवा

(ख) कार्यक्रम अधिकारी या कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य पर उपस्थित होने हेतु अधिसूचित करने के 15 दिवस में कार्य पर उपस्थित नहीं होता है, अथवा

(ग) संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से बिना अनुमति के एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए कार्य से निरन्तर अनुपस्थित रहता है अथवा किसी माह में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है।

6. क्रियान्वयन निकायों को राशि उपलब्ध करवाना

कार्य क्रम अधिकारी ब्लॉक के अन्य क्रियान्वयन निकायों को राशि उपलब्ध करवाता है। उसके द्वारा स्वीकृत राशि की जानकारी सभी ग्राम पंचायतों को भेज दी जाती है। वह अपने पास उपलब्ध अनुदान का 80 प्रतिशत अंश खर्च हो जाने के बाद अगली किस्त की मांग कर सकता है। इस संबंध में कार्य क्रम अधिकारी के प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायतों सहित प्रत्येक क्रियान्वयन निकाय द्वारा किए गए खर्चे का ब्यौरा तथा क्रियान्वयन निकायों द्वारा कार्य क्रम अधिकारी के पास भेजे गए सदुप्रयोग प्रमाण-पत्र की प्रतियां भी नत्थी होनी चाहिए।

7. खातों का मासिक हिसाब -किताब करना

आर्थिक रिसाव के खतरे को कम करने और आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता व सटीकता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य क्रम अधिकारी को खातों के मासिक हिसाब -किताब की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि योजना के अंतर्गत जारी किए गए पूरे पैसे का निम्नलिखित तीन शीर्षकों के तहत -लेखा-- जोखा रखा जा रहा है : -

(क) विभिन्न स्तरों पर बैंक खातों में उपलब्ध धन;

(ख) क्रियान्वयन या भुगतान निकायों को दी गई अग्रिम राशि;

(ग) वास्तविक खर्चे की रसीदें।

कार्य क्रम अधिकारी को खातों के मासिक हिसाब-किताब का ब्यौरा इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध कराना होता है।

8. **परिणामों पर निगरानी और उनका मूल्यांकन करना**

ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थायी संपदाओं का निर्माण करना तथा ग्रामीण गरीबों के लिए जीविकोपयोगी संसाधन आधार का 'सुदृढिकरण करना है (अनुसूची 1, अनुच्छेद 2)।

अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश से रोजगार संवर्धन, क्रय शक्ति में सुधार, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन, स्थायी संपदाओं की रचना के जरिए ग्रामीण अवरचनागत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आजीविका के लिए विस्थापन पर अंकुश लगाने तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व पुनर्नवीकरण करने में सहायता मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के मद में होने वाले निवेश के ठोस परिणाम सामने आने चाहिए।

पंचायत समिति तथा कार्य क्रय अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में परिवारों के पंजीकरण, प्रत्येक आवेदक को मिले रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण, अनुदानों के प्रवाह, वेतन के समयबद्ध और सही भुगतान तथा कामों की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखेंगे। कार्य क्रम अधिकारी को अपने पास आने वाली सभी रिपोटों तथा जानकारियों की प्रतियां जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजनी होती है जिन्हें वह राज्य एवं केन्द्र सरकारों के पास भेजता है।

9. **कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्डस्**

कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्डस् का विवरण इस प्रकार से है :-

रोजगार रजिस्टर

प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार के लिए अपने पास आए आवेदनों का एक रजिस्टर रखना होगा। ऐसे सभी आवेदनों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत के पास, भेज दिया जाता है। आवेदनों की प्रतियां कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जाती हैं।

रोजगार कार्ड रजिस्टर

प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध रोजगार कार्ड रजिस्टर की प्रतिलिपियां कम्प्यूटरीकृत रूप में कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में भी रखी जाती है।

मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर

कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें विभिन्न क्रियान्वयन निकायों के नाम पर जारी किये गये मस्टर रोल का ब्यौरा दर्ज किया जाता है।

संपदा रजिस्टर

ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन द्वारा अपने संपदा रजिस्टरों में दर्ज सूचनाएं उसी प्रारूप में कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाती है। कार्यक्रम अधिकारी इन जानकारियों को कम्प्यूटरीकृत रूप में संकलित करता है और उसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजता है।

शिकायत रजिस्टर

कार्यक्रम अधिकारी के पास एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है। कार्यक्रम अधिकारी को अपने कार्यालय में एक शिकायत पेटी रखनी होती है और नियमित अंतराल पर उसे स्वयं खोलना होता है। शिकायत पेटी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां लोग आसानी से उसमें अपनी शिकायतें डाल सकें। शिकायत पेटियों के जरिए प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

10. **मस्टर रोल (हाजिरी पुस्तिका) के संबंध में कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व**

कार्यक्रम अधिकारी अपने अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन निकायों को एक विशिष्ट पहचान संख्या वाली मस्टर रोल जारी करता है। ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन निकायों द्वारा मस्टर रोल रजिस्टर रखे जाते हैं। इन पुस्तिकाओं में प्रत्येक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित जानकारियां दर्ज की जाती हैं-

(क) काम पर आए व्यक्ति का नाम; उसका रोजगार कार्ड क्रमांक; उसने कितने दिन काम किया और कितने दिन अनुपस्थित रहा; और उसे कितना वेतन दिया गया। उसे दिए गए वेतन तथा उसने कितने दिन काम किया,इस आश्य की जानकारी प्रत्येक श्रमिक के परिवार रोजगार कार्ड में भी दर्ज कर दी जाती हैं।

(ख) संबंधित कार्य / परियोजना की विशिष्ट पहचान संख्या।

(ग) भुगतान प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

मूल मस्टर रोल क्रियान्वयन निकाय के व्यय रिकार्ड का भाग होती हैं। मस्टर रोल की एक प्रति सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में रखी जाती है। कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में इन मस्टर रोल को कम्प्यूटरीकृत रूप में संकलित किया जाता है। यदि संभव हो तो ग्राम पंचायत के स्तर पर भी ऐसा किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मस्टर रोल को अनाधिकृत और गैरकानूनी माना जाएगा जिसे कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

11. **कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना**

क्रियान्वयन निकाय द्वारा कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करवाने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी को होता है। उसे कार्यस्थल पर चिकित्सकीय सहायता, पीने के पानी, छाया और अगर 6 वर्ष से कम उस के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो बालवाड़ी की व्यवस्था क्रियान्वयन निकाय को करनी होगी (अधिनियम की अनुसूची 2, अनुच्छेद 27 एवं 28)।

अगर कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम उस के 5 से अधिक बच्चे हैं तो उनकी देखभाल के लिए ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति (औरत हो तो बेहतर रहेगा)को काम पर रखना होगा। इस खर्चे को भी लागत अनुमानों में जोड़ा जाएगा।

12. **वित्तीय एवं भौतिक अंकेक्षण सम्पादित करवाना**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने क्षेत्राधिकार के कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक अंकेक्षण करवाने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी का है। यह अंकेक्षण गा तो स्थानीय निधि अंकेक्षकों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट की देखरेख में सम्पन्न होता हैं। अंकेक्षण नोट की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाती है। इस अंकेक्षण के साथ-साथ एक समवर्ती अंकेक्षण भी किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किए गए अंकेक्षण के अलावा लेखा महानिरीक्षक भी अधिनियम

के खातों का अंकेक्षण करता है। लेखा महनिरीक्षक के अंकेक्षण दल को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किए गए अंकेक्षण की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाती है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा पिछले वर्ष से संबंधित सदुपयोग प्रमाण-पत्र कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को तत्काल प्रेषित करने होते हैं।

इसी प्रकार योजना के अंतर्गत किए गए कामों का भौतिक अंकेक्षण भी किया जाता है ताकि न केवल यह पता लगाया जा सके कि अब तक किए गए कामों की गुणवत्ता कैसी रही है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि स्थायी संपदाओं का निर्माण हो रहा है या नहीं।

कार्यक्रम अधिकार का दायित्व है कि वह उक्त अंकेक्षण कार्य सम्पादित करवाने हेतु अंकेक्षकों द्वारा चाहा गया रिकार्ड उन्हें उपलब्ध करवाए तथा अंकेक्षण रिपोर्टस की पालना समय पर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करे।

13. **नागरिक चार्टर की पालना करवाना**

पंचायत समिति स्तर पर नागरिक चार्टर के संबंध में मुख्य भूमिका कार्यक्रम अधिकारी की होती है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2006 के माध्यम से नागरिक-चार्टर का प्रारूप जारी किया हुआ है जो इस प्रकार से हैं:-

1. योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
2. रोजगार चाहने वाले परिवार का मुखिया अपने नाम, आयु और घर का पता ग्राम पंचायत को देते हुए पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा।
3. ग्राम पंचायत पंजीकरण हेतु दिये गये आवेदन की जांच पड़ताल करने के बाद सभी पात्र परिवारों का पंजीकरण करेगी।
4. पंजीकरण के पश्चात् प्रत्येक परिवार के मुखिया के नाम से एक "जॉब कार्ड" दिया जायेगा जो आगामी पांच वर्षों के लिए वैध होगा।
5. आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर ग्राम पंचायत आवेदक को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। जहां तक संभव हो आवेदक को उसके निवास स्थान के 5 किलोमीटर की परिधि में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि 5 किलोमीटर से अधिक की परिधि में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है तो आवेदक को मजदूरी की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त देय होगी। रोजगार की सूचना ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को सूचना पत्र के माध्यम से एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके दी जाएगी।
6. यदि रोजगार के लिए आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अन्दर रोजगार नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।
7. ग्राम पंचायत द्वारा सभी ऐसे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जो अवकाश को छोड़कर एक पखवाडा लगातार कार्य करने को तैयार हो।
8. मजदूरी का भुगतान अकाल राहत एवं ग्रामीण योजनाओं पर किए जाने वाले भुगतान की तरह ही किया जाएगा।
9. मजदूरी का भुगतान कार्य करने के 15 दिन अवधि के अन्दर कर दिया जाएगा।

10. बेरोजगारी भत्ते की दर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिये मजदूरी दर का एक चौथाई तथा उसके बाद मजदूरी दर की आधी होगी किन्तु आवेदक अकुशल श्रम स्वीकार नहीं करता है, 15 दिन के अन्दर कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है एवं कार्य स्थल से बिना अनुमति के लगातार 7 दिन अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा।
11. महिलाओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी एवं प्रयास यह किए जाएंगे कि कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिया जाएं। विकलांग व्यक्तियों को भी उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
12. कार्य स्थल पर यदि श्रमिकों के साथ 5 से अधिक बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी एक महिला मजदूर को लगाया जाएगा, जिसको इसी योजना से अन्य मजदूरों की भांति मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
13. श्रमिकों को कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल, विश्राम काल एवं छाया तथा प्राथमिक उपचार के लिये आवश्यक औषधियाँ इत्यादि उपलब्ध करवायी जाएंगी।
14. यदि कोई श्रमिक रोजगार के दौरान कार्य स्थल पर घायल हो जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क इलाज का अधिकारी होगा एवं अस्पताल में भर्ती करवाने पर उसे पूरा उपचार,दवाईयॉ एवं आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। घायल श्रमिक को दैनिक भत्ता देय होगा जो कि मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।
15. श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना अन्य कारणों से मृत्यु अथवा हमेशा के लिये विकलांग होने की स्थिति मे मृतक के वैध उत्तराधिकारी अथवा विकलांग को अनुग्रह राशि के रूप में रूपये 25000 अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि का भुगतान कार्यकारी विभाग द्वारा किया जाएगा।
16. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो, प्राप्त धन राशि एवं व्यय आदि का समस्त विवरण ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा एवं तिमाही आधार पर ग्राम सभा के समक्ष भी रखा जाएगा।
17. ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक गांव के लिए सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य व महिला को भी शामिल किया जाएगा।
18. योजना में किये गये व्यय का सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाएगा एवं किसी भी नागरिक द्वारा निर्धारित राशि जमा करा कर किये गये व्यय का विवरण गया वाउचर प्राप्त किया जा सके गा।

14. **चौकसी एवं निगरानी समितियां की व्यवस्था करना**

इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय चौकसी एवं निगरानी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गांव के लोगों को लिया जाएगा जहां संबंधित परियोजना को लागू किया जा रहा है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कामों की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखती है। इस समिति के लिए सदस्यो का चयन ग्राम सभा करती है और सदस्यों का चुनाव करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। लागू किए जा रहे काम के ब्यौरे, समयावधि तथा गुणवत्ता मानकों के बारे में इस समिति को बताना क्रियान्वयन निकाय का दायित्व होता है। परियोजना परिपूर्णता प्रमाण-पुत्र के साथ इस समिति की अंतिम रिपोर्ट भी नत्थी की जाती है और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा बैठक में पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजी जाती है।

स्थानीय लाभान्वितों के अधिकारों की अभिव्यक्ति तथा सूचनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लाभान्वित समितियों का गठन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व होता है कि स्थानीय चौकसी एवं निगरानी समितियों / लाभान्वित समितियों का समय पर गठन किया जाए।

15. **शिकायतों की सुनवाई और उनका निपटारा करना**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में शिकायतों की सुनवाई के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार से है : -

- ब्लॉक स्तर पर कार्य क्रम अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक शिकायत निपटारा अधिकारी होंगे।
- प्रत्येक स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए अपील की व्यवस्था विकसित की जाएगी। ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्य क्रम अधिकारी के पास अपील की जाएगी जबकि कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ जिला कार्य क्रम समन्वयक के पास अपील की जाएगी। जिला। कार्य क्रम समन्वयक के खिलाफ अपील करने के लिए राज्य सरकार किसी उचित अधिकारी या निकाय की नियुक्ति करेगी।
- शिकायतों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार उचित प्रक्रिया और प्रारूप तय करेगी। इन प्रकारों की प्रतियों को बडी संख्या में आम लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा और वे इंटरनेट पर भी उपलब्ध होंगी। प्रारूप की फोटोप्रतियों पर लिखी शिकायतों को भी स्वीकार किया जाएगा।
- शिकायत या याचिका दर्ज कराने वाले के नाम, शिकायत के स्वरूप तथा तारीख को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इन जानकारियों को हर हफ्ते इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा।
- शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत का पावती क्रमांक दिया जाएगा जिस पर शिकायत दर्ज कराने की तारीख अंकित होगी। इस पावती क्रमांक के आधार पर वह कार्य-क्रम अधिकारी के कार्यालय में बने काउंटर या इंटरनेट से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं।
- जैसे ही किसी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में शिकायतकर्ता को तत्काल जानकारी भेजी जाएगी। इन जानकारियों को इंटरनेट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सभी शिकायतों -का वर्गीकरण करके प्रत्येक क्षेत्र और किस्म के आधार पर उनका माहवार विश्लेषण किया जाएगा ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से क्षेत्रों में वरिष्ठ स्तर पर हस्तक्षेप की जरूरत है।
- सभी शिकायतों पर अधिनियम में तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
- सामाजिक अंकेक्षण मंच के लिए "अनिवार्य एजेंडा" के रूप में सूचीबद्ध विषयों से
- संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- अधिनियम और दिशा-निर्देशों के तहत सभी अधिकारियों तथा निकायों के शिकायत निपटारा प्रदर्शन से संबंधित जानकारियां साप्ताहिक आधार पर अपलोड की जाएंगी।
- शिकायतों के जल्दी निपटारे के लिए ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण मंच द्वारा शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई की भी व्यवस्था की जाएगी।

- राज्य सरकार ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर वैकल्पिक शिकायत निपटारा प्राधिकरण का गठन कर सकती है।
- राज्य सरकार जिला स्तर पर संवीक्षक (ओम्बड्समैन) की नियुक्ति के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इस काम के लिए साफ छवि वाले लोगों को ही चुना जाएगा।
- शिकायतों की सुनवाई के लिए हेल्पलाईन का भी बंदोबस्त किया जा सकता है।
- कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास आई शिकायतों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारियों को क्रमश: पंचायत समिति और जिला पंचायत की बैठक में पेश किया जाएगा।

11.4 सारांश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन मुख्यतया ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इन कार्यों से संबंधित सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसे कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। वह एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होता है तथा पद कम से कम ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) के स्तर का होता है। कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण में रहते हुए ब्लॉक स्तर पर रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन में एक समन्वयक के रूप में काम करता है। कार्यक्रम अधिकारी आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। कार्यकारी निकायों के माध्यम से कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाता है। वह समय पर कार्यों का मूल्यांकन और मजदूरी का भुगतान करवाता है। वह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करता है। वह रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पर नजर रखता है और उसमें समन्वय स्थापित करता है। राज्य सरकार से धन प्राप्त कर उसे क्रियान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी कार्यक्रम अधिकारी का है।

कार्यक्रम अधिकारी को जॉब कार्ड बनवाने, कार्यों की स्वीकृति करवाने, उनके लिए मस्टररोल्स जारी करने, कार्यों व भुगतानों का रिकार्ड रखने, अंकेक्षण करवाने, नागरिक अधिकार पत्र की पालना करवाने, विभिन्न कार्यकारी निकायों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने, मजदूरी व बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने, योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था करने, गुणवत्ता बनाए रखने और कार्यों का समय पर मूल्यांकन करने, सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित करवाने, रोजगार अवसरों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं।

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत लागत वाले कामों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को सौंपना होता है। रोजगार के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों के बारे में ग्राम पंचायत को सप्ताह में कम से कम एक बार कार्यक्रम अधिकारी को जानकारी देनी होती है। ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के सभी कार्यों के लिए कार्यक्रम अधिकारी की ओर से मस्टर रोल जारी किया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह वेतन संबंधी लागतों और सामग्री लागतों का अनुपात अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम 60:40 के अनुपात में बनाए रखे। आर्थिक रिसाव के खतरे को कम करने और आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए खातों के मासिक हिसाब-किताब की व्यवस्था कार्यक्रम अधिकारी को करनी होती है। कार्यक्रम अधिकारी को खातों के मासिक हिसाब-किताब का ब्यौरा इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध करवाना होता है। कार्यक्रम अधिकारी

को कई तरह का रिकार्ड रखना होता है जिनमें रोजगार रजिस्टर, रोजगार कार्ड रजिस्टर, मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर, संपदा रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि प्रमुख हैं।

11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कार्यक्रम अधिकारी के कर्त्तव्यों की विवेचना कीजिये।
2. कार्यो के वित्तीय एवं भौतिक अंकेक्षण के संदर्भ में कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
3. नरेगा के क्रियान्वयन में कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका का उल्लेख कीजिये।

11.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हनुमानसिंह गुर्जर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. राजस्थान की रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार का राज-पत्र विशेषांक जुलाई 24,2006
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका, राजस्थान सरकार, जयपुर।

इकाई - 12

नरेगा एवं सरपंच

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना।
12.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की मुख्य विशेषताएं
12.3 महा नरेगा एवं पंचायत राज व्यवस्था
12.4 ग्राम पंचायत के दायित्व
12.5 सरपंच को क्या नहीं करना चाहिये
12.6 सारांश
12.7 अभ्यासार्थ प्रश्न
12.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे -

- महा नरेगा में पंचायत राज की भूमिका के बारे में।
- महा नरेगा में ग्राम पंचायत के दायित्वों के बारे में।
- सरपंच के दायित्वों के बारे में।

12.1 प्रस्तावना

भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोजगार के अधिकार को एक कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 भारत सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है। यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का ऐसा पहला कानून है जिसमें अकुशल कार्य के लिये इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आंवटित किया जाता है। इस कानून के अन्तर्गत काम मांग कर रोजगार प्राप्त करना ग्रामीण श्रमिकों का कानूनी अधिकार है।

भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 2009 को अपने राजपत्र में इस अधिनियम में संशोधित कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया है।

ग्राम सभा और वार्ड सभा द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्टूबर से पूर्व वार्षिक कार्य योजना को तैयार किया जाता है। यह पंचायत की जिम्मेवारी होती है। इस अधिनियम में ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था है। स्वाभाविक रूप से पंचायत का मुखिया होने के नाते सरपंच महा नरेगा के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल

शारीरिक श्रम करने को तैयार है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकें। इस मुख्य उद्देश्य के साथ कुछ अन्य उद्देश्य निम्न हैं :-

- ग्रामीण इलाकों में स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण करना, जिससे आजीविका में वृद्धि हो
- गांव के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना।
- महिलाओं का सशक्तिकरण।
- गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना।
- सामाजिक समरसता व समानता सुनिश्चित करना।

12.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की मुख्य विशेषताएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की मुख्य विशेषताएं जिसके संदर्भ में सरपंच प्रभावी भूमिका है। अतः सरपंच को महानरेगा के सन्दर्भ में ज्ञात होना चाहिए -

ऐतिहासिक अधिनियम-

भारत के इतिहास में इस कानून से पहली बार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में व 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार मिला है।

काम मांगने का अधिकार-

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सरकार से 100 दिनों का रोजगार मांगने का अधिकार है।

बेरोजगारी भत्ता -

यदि राज्य सरकार किसी ग्रामीण परिवार की मांग पर उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाने में असफल रहती है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी।

ग्रामवासियों द्वारा कार्यो का चयन -

ग्राम /वार्ड सभा के द्वारा अनुमत कार्यो में से प्रत्येक गांव के विकास के लिये शुरू किये जाने वाले कार्यो को अधिनियम में अंकित प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।

महिलाओं को प्राथमिकता -

रोजगार के आवंटन में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है।

पूर्ण पारदर्शिता -

योजना में पूर्ण पारदर्शिता होगी और मजदूरी का भुगतान उनके स्वयं के बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते के माध्यम से होगा। मस्टररोल अब गुप्त नहीं रहेगा, और कार्य लोगों की जानकारी में होंगे। भुगतान उपरान्त भुगतान शुदा मस्टररोल की वेज लिस्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध-

इस योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु ठेकेदारों को अनुमति नहीं दी गयी है।

पंचायतों की निर्णायक भूमिका -

सभी स्तरों पर पंचायत संस्थाऐं योजना के अन्तर्गत एवं क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभायेंगी।

श्रमिकों के लिये कार्यस्थल पर सुविधाऐं -

योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर छाया, पानी, दवाईयां व छोटे बच्चें के लिये पालना व्यवस्था की जायेगी।

कार्यस्थल पर दुर्घटना

कार्यस्थल पर घायल होने के मामलें में निःशुल्क चिकित्सा का और श्रमिक की मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग होने के मामलें में मुआवजे का प्रावधान है।

मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध -

कार्यो पर मशीनों का प्रयोग वर्जित है। सिर्फ उसी दशा में जब कोई कार्य मजदूरों के द्वारा किया ही नहीं जा सकता हो, तो जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से मशीनों का उपयोग किया जा सकता है।

12.3 महा नरेगा एवं पंचायत राज व्यवस्था

हमारे देश में पंचायत राज की व्यवस्था बहुत पुरानी है। वेदों में भी इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में इन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। स्वतंत्र भारत में पंचायत राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुभारम्भ किया था।

आवश्यकता अनुसार समय समय पर पंचायत राज व्यवस्था में संशोधन कर इसे प्रभावी बनाया गया। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज की व्यवस्था को अनिवार्य और एकरूपता प्रदान की गयी। राजस्थान में 23.04.1 994 को नया पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के लागू होने के साथ ही ग्रामीण रोजगार की महती जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास आ गयी है।

ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है, एवं इसके मुखिया होने के नाते सरपंच के महत्वपूर्ण पदेन कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां है। सशक्त ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच सरपंच कड़ी के रूप में कार्य करता है।

सरपंच ग्राम समा की बैठक बुलायेगा और निश्चय करेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम -2005 में ग्राम सभा व अपने अधिकार एवं दायित्व क्रियान्वयन करें :-

- ग्राम सभा को नरेगा अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की सिफारिश का हक है।
- नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक 6 माह में कार्यो की सामाजिक अंकेक्षण कराने का ग्राम सभा का दायित्व है।
- ग्राम सभा को योजना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से समस्त सूचनाएं बिना मांगे प्राप्त करने का हक है।
- सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये मंच के रूप में काम करने की दायित्व है।

12.4 ग्राम पंचायत के दायित्व

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 में ग्राम पंचायत के दायित्व निम्न है -

- ग्राम सभा में प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना बना कर पास करवाना।

- परिवारों के प्रार्थना पत्रों को रजिस्ट्रेशन के लिये प्राप्त करना प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सत्यापन कर परिवारों का पंजीयन करना।
- परिवार जॉब कार्ड जारी करना।
- रोजगार मांग का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवेदक को दिनांक शुदा प्राप्ति रसीद जारी करना।
- काम मांगने के 15 दिनों के अन्दर अन्दर फार्म नं. 8 में कार्य आवंटन कर आवेदक को सूचना देना।
- कार्यो का सही व ईमानदारी से क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करना।
- रिकार्डो का सुव्यवस्थित संधारण करना।
- सामाजिक अंकेक्षण करवाना।
- पंजीकरण एवं रोजगार

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों के लिये उपलब्ध है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन के गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार ग्रामीण परिवार को दिया गया है। अगर किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति काम करना चाहते है, तो उन्हें काम पर रखा जा सकता है, परन्तु एक परिवार की अधिकतम पात्रता व 100 दिन के रोजगार की होगी।

परिवार पंजीकरण के लिये आवेदन :-

पंजीकरण करवाने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्य पंजीकरण सकते है। उन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी होगी-

- वह स्थानीय निवासी हो।
- वह अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो।
- वह ग्राम पंचायत के समक्ष एक परिवार के रूप में आवेदन करें।

जॉब कार्ड :-

- जांच पूरी करने के बाद ग्राम पंचायत 15 दिनों के अन्दर परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। इस जॉब कार्ड पर सम वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और फोटो लगाना अनिवार्य है।
- जॉब कार्ड पर विशिष्ट पंजीकरण नम्बर अंकित होगा।
- जॉब कार्ड तथा उसके लिये खिचवायें फोटो की लागत आवेदक से नहीं ली जलेगी अर्थात यह निशुल्क होंगे।
- परिवार के सदस्य की मृत्यु होने अथवा परिवार के सदस्य वयस्क होने पर रजिस्टर संख्या 5 एवं जाँघ कार्ड में दिनांकित संशोधन कर हस्ताक्षर किये जावें।
- जॉब कार्ड की अवधी 5 वर्ष की होगी, परन्तु जॉब कार्ड सत्यापन सतत् रूप से किये जायें।
- जॉब -कार्ड हमेशा उसी परिवार के पास रहना चाहिये जिसे वह जारी किया गया है। कार्य पर आते समय जॉब कार्ड साथ लाया जायेगा।

काम के लिये आवेदन :-

पंजीकृत ग्रामीण परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में अंकित है, अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन छपे हु ये फार्म (प्रपत्र-6) में किया

जाना चाहिये। छपे हुये फार्म नहीं मिलने पर सादा कागज पर भी आवेदन किया जा सकता है। इस आवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिये :-

- आवेदक का नाम, पता, जाति, जॉब कार्ड की संख्या।
- आवेदक किस दिनांक के बाद काम पर आना चाहता है।
- उसे कितने दिन रोजगार की जरूरत है।
- आवेदक द्वारा काम के लिये जो आवेदन जमा करवाया है, उसके बदले आवेदक को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांकित रसीद जारी की जायेंगी।

काम का आवंटन :-

- काम मागंने के 15 दिन के अन्दर, काम मांगने के लिये किये गये आवेदक को काम दिया जाना अनिवार्य है। काम के आवंटन की सूचना लिखित में (प्रपत्र-8) ग्राम पंचायत द्वारा दी जानी जरूरी है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना द्वारा भी काम आवंटन की सूचना दी जानी चाहिये।
- रोजगार आवेदक के गाव से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिये, अन्यथा 10 प्रतिशत मजदूरी अतिरिक्त देय है।
- अगर ग्राम पंचायत काम देने में असफल होती है, तो कार्यक्रम अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वह श्रमिकों को काम देवें।
- काम मांगने के 15 दिन के अन्दर काम नहीं दिया गया तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

काम और उनका कियन्वयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य स्थायी परिसम्पतियां सृजित करते हुये ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में इस उदेश्य की पूर्ति के लिए निम्न कार्यो को प्राथमिकतावार करने का प्रावधान है

- जल संरक्षण एवं जल संचय।
- सूखे के बचाव के लिये वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण।
- सिंचाई के लिये सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं संहित नहरों का निर्माण।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं उनके उपरान्त भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, फलदार बागवानी एवं भूमि कि विकास के कार्य परन्तु परिवार अर्थात:-
- भूमि स्वामी जॉब कार्ड धारक हो और योजना में भी कार्य कर रहा हो।
- ऐसे प्रत्येक परियोजना के लिये श्रमिक सामग्री का अनुपात 60.40 में नाम में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायेगा।
- परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं, के वार्षिक सेल्फ का भाग होगी।
- कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी।
- कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी।

- पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अन्तर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है जलाशयों से गाद निकासी।
- भूमि विकास।
- बाढ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
- गाँवों में सड़कों को बिछाना ताकि सभी गांवों तक सभी मौसमों में सहज आवा जाही हो सकें, सड़क निर्माण कार्यो में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनायी जा सकती है।
- कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये (ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम ज्ञान संधान केन्द्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण)

यह सभी कार्य ग्राम सभा द्वारा स्पष्ट नामजद पारित किये जाने चाहिये। कार्यो को पंचायत में पंजीकृत परिवारों की संख्या में खोला जाना चाहिये, जिससे कि कार्य करने के इच्छुक सभी श्रमिकों को कार्य मिल सकें।

सरपंच यह भी ध्यान दें कि उक्त अनुमत कार्यो से टिकाउ परिसम्पतियों का सृजन और निर्माण हो ताकि ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका का संसाधनों के लिये आधार को सुदृढ़ किया जा सकें, यह योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

श्रम और सामग्री अनुपात :-

कार्यो में ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम और सामग्री का 60.40 का अनुपात निर्धारित किया गया है, कि पालना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कुशल श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी सामग्री लागतों में शामिल की जानी चाहिये।

क्रियान्वयन ऐजेन्सी :-

- कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने की वैधानिक अनिवार्यता है।
- अन्य क्रियान्वयन निकायों में पंचायत समिति, जिला परिषद्, सम्बन्धित सरकारी विभागों, केन्द्रिय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सहकारी समितियों और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों (एन.जी.ओ) को शामिल किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों को भी संभावित क्रियान्वयन की श्रेणी में रखा जा सकता है।

पंचायत क्षेत्र का 15 वर्ष का मास्टर प्लान बनाना :-

क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही प्लान है। पंचायत का मुखिया होने के नाते सरपंच को पंचायत के विकास के लिये सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना के लिये जागरूक होना जरूरी है। सरपंच को 15 वर्षीय एक मास्टर प्लान पंचायत विकास का बनाना चाहिये इस परिप्रेक्ष्य में सरपंच को पंचायत क्षेत्र के गांवों के सभी प्रकार के आंकडों का विश्लेषण कर स्थानों को चिन्हित कर आगामी 15 वर्ष की आवश्यकताओं यथा-खेल के मैदान, सड़कें, जल संरक्षण एवं जल संग्रह, भूमि विकास, बाढ नियंत्रण, सिंचाई के लिये परियोजनाएं, चारागाह, वृक्षारोपण स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कृषि, डेयरी, बागवानी विकास, अस्पताल, बाजार, मण्डी, आवास योजनाऐं, पार्क, बिजली सुविधा, बैंक पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक केन्द्र, बस स्टैण्ड आदि का दीर्घकालीन प्लान बनाना चाहिये।

यह प्लान पंचायत के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा भारत सरकार, राज्य सकार द्वारा समय समय पर लागू ग्रामीण विकास की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी नरेगा, **बी.आर.जी.एफ., बी.ए.डी.पी. (BRGF,BADP)** आदि में इस प्लान को समायोजित किया जा सकेगा जिससे पंचायत क्षेत्र का सुन्दर, सुव्यवस्थित, सुविधायुक्त, ग्रामीण रोजगार उन्मुख विकास एवं इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

हरित राजस्थान योजना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय योजना गारंटी योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये योजना अन्तर्गत अनुमत कार्यो की सूची में सूखे के बचाव के लिये वृक्षारोपण एवं बन संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य में वैसे भी लगातार अकाल की स्थिति रहती है। जिसका कारण राज्य में बन क्षेत्र की कमी है। इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा की कमी रहती है। इससे सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब जनता प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति में हरित राजस्थान में माध्यम से प्रदेश को हरा भरा करने के लिये ग्रामीण इलाकों में नरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान की योजना सघन वृक्षारोपण बन संरक्षण एवं चारागाह के विकास के लिये बनायी गयी। इससे ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति भी की जा सकेगी।

इस योजना में नरेगा के तहत सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस योजना के क्रियान्वयन से जोड़ा जाये। अत: पंचायत का मुखिया होने के नाते सरपंच का यह उत्तरदायित्व बना है, कि वह हरित राजस्थान के सम्बन्ध में विशेष बैठकों का आयोजन करें। वन विभाग के अधिकारियों कार्मिकों तथा गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इन बैठकों में आमन्त्रित करें तथा इस योजना की पूर्ण जानकारी उन्हें दें तथा उनके अनुभव एवं जानकारी उनसे प्राप्त करें ताकि योजना अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण किया जा सकें।

नरेगा अन्तर्गत हरित सड़क कार्यक्रम :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत हरित सड़क कार्यक्रम राज्य में शुरू किया गया है। हरित सड़क के विकास के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे है। कार्य शुरू होने के पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत में श्रमिकों जॉब/कार्डधारियों को ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करवाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत पौधारोपण के लिये पौधे वन विभाग या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नर्सरी से प्राप्त किये जाते है। तथा सड़क की बाउण्ड्री के साथ हो वृक्षारोपण किया जाता है। इस हेतु पौधों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उन्हें पानी की कम जरूरत हो तथा जिन्हें पशु नहीं खाते हो। जैसे- नीम, चुरैल, केसिया-सामिया आदि। पौधों की सुरक्षा क्षेत्रीय प्रचलन उपलब्ध सामग्री यथा रिंगपिट हनीकॉम ब्रिक्स स्ट्रक्चर कांटेदार झाड़ियों का उपयोग किया जाता है।

मजदूरी, मजदूरी भुगतान और बेरोजगारी भत्ता :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खेतीहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी टास्क पूरा करने पर मिलेगी।

- सरपंच को मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये -
- मजदूरी का भुगतान काम समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर और किसी भी स्थिति में 15 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिये।
- महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान मजदूरी दी जानी चाहिये।
- भुगतान का आधार किये गये काम का माप होना चाहिये।
- काम का माप सक्षम तकनीकी व्यक्ति के द्वारा होना चाहिये। परन्तु मेट भी प्रतिदिन श्रमिक समूहवार माप कर मस्टररोल में इन्द्राज करेगा।
- मजदूरी का भुगतान केवल बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के खातों के माध्यम से होना चाहिये।
- भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण जॉब कार्ड में लिखा जाकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

बेरोजगारी भत्ता :-

अगर नरेगा के तहत रोजगार के लिये आवेदन देने वाले मजदूर को उस तारीख के 15 दिन में भी रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस तारीख से वह काम करना चाहता है, तो राज्य सरकार को अधिनियम में निर्धारित दर के हिसाब से आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उसी तरह किया जायेगा जिस तरह से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

निम्न परिस्थितियों में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता नही मिलेगा-

- अगर कोई श्रमिक दिये गये कार्य को स्वीकार नहीं करता है।
- यदि 15 दिनों के अन्दर काम मिलने पर भी आवेदक काम पर नहीं आता है।
- अगर वह निर्धारित पखवाड़े में काम से एक सप्ताह अनुपस्थित रहता है।

स्मार्ट कार्ड के द्वारा नरेगा में मजदूरी का भुगतान :-

मजदूरी का भुगतान समय पर हो सकें तथा सही व्यक्ति को ही मजदूरी का भुगतान हो अर्थात बोगस व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने बैंको/पोस्ट ऑफिस के साथ साझेदारी में स्मार्ट कार्ड द्वारा मजदूरी का भुगतान प्रारम्भ किया है। राज्य में जल्दी ही यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

स्मार्ट कार्डो का प्रयोग करते हुये टेक्नोलोजी को कई गुणा बढाते हुये नरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उनके अंगूठा मुद्रण मान्यता के द्वारा स्कीम के लाभार्थियों की शिनाख्त ही नहीं होगी, बल्कि उन्हें बिना किसी परेशानी के समय पर भुगतान मिलेगा।

सरपंच को चाहिये कि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् से सम्पर्क स्थापित कर इस कार्य को वित्त वर्ष के पश्चात् अप्रेल माह में दीवार लेखन नरेगा सूचनाओं का करवाना सुनिश्चित करवाये।

ग्राम स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति :-

ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति का गठन किया जावें। समिति में 9 सदस्य होते है, जिनमें नरेगा श्रमिकों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। समिति का दायित्व अपने क्षेत्र में कार्य

स्थल पर जाकर कार्यो का निरीक्षण करना, निगरानी करना तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन निरीक्षणकर्ता अधिकारी एंव ग्राम सभा सहित कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करना है।

सामाजिक अंकेक्षण :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 एवं अनुसूची 1 पैरा 13 में हर 6 माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण का कानूनी उत्तरदायित्व ग्राम सभा का निर्धारित किया गया है। अत: सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायत की वैधानिक अनिवार्यता है।

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है। यह सूचना के स्वैच्छिक घोषणा का एक प्रभावकारी माध्यम है। सामाजिक अंकेक्षण द्वारा नरेगा के क्रियान्वयन के सभी चरणों की जांच की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इससे न केवल विकास कार्यो में भागीदारी बढ़ती है बल्कि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है।

सरपंच क्या करें महानरेगा के सफल और अच्छे क्रियान्वयन के लिए :-

- सरपंच गांव का मुखिया होता है अत: वह मुखिया होने के नाते गांव के विकास के लिये निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करें। सरकारी निर्देशों, आदेशों का अक्षरशः: पालन करें।
- यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से समय पर खुलें।
- नये परिवार के पंजीकरण के लिये छपे हुये फार्म में आवेदन प्राप्त करें, छपा हुआ फार्म नहीं मिलने पर सादे कागज पर आवेदन प्राप्त करें।
- पंजीकरण उन सभी स्थानीय परिवारों का करे जो अकुशल श्रम करने के लिये इच्छुक हो।
- पंजीकरण ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का ही करें।
- एक परिवार को एक ही जॉब कार्ड जारी करें।
- केवल उन्हीं व्यक्तियों को काम पर लगायें, जो लिखित या मौखिक आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करें (1 व 16 तारीख को सीधे ही कार्यालय पर उपस्थित होने वालों से पहले आवेदन प्राप्त करें)
- जॉब कार्ड में केवल वयस्क व्यक्तियों के नाम ही दर्ज करें।
- वयस्क व्यक्तियों को ही काम पर लगायें।
- जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किये जाये, परिवार के वयस्क सदस्यों का फोटोग्राफ पंचायत स्तर पर निःशुल्क खिचवायें।
- यह सुनिश्चित करें कि जॉब कार्ड उसी परिवार के मुखिया के पास हो जिसके नाम से इसे जारी किया गया हो।
- ठेकेदारों से काम नहीं करवाये।
- कार्यो में मशीनों का उपयोग नहीं करें मशीन केवल वही अनुमत है जो काम मानव श्रम से हो ही नहीं सकता।
- नरेगा कानून के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यो में श्रम सामग्री का अनुपात 60.40 के अनुसार ही हो।

- फार्म नं, 6 कार्यक्रम अधिकारी को भेजकर श्रमिकों के पूर्व मुद्रित कभी भी खाली मस्टररोल प्राप्त नहीं करें, नाम सहित ही मस्टररोल 7 ई-मस्टररोल प्राप्त करें।
- परिवार पंजीकरण के साथ ही 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड जारी करें।
- काम के लिये आवेदन करने वालों को तिथियुक्त पावती रसीद देवें।
- रोजगार आंवटन का कार्य पारदर्शी ढंग से करें, वृद्ध, अशक्त एवं विकलांगों को उनके योग्य कार्य यथा पालना, पानी आदि का कार्य देवें।
- फार्म संख्या 6 प्राप्त करने के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवायें, 15 दिन में रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता दिलाये।
- श्रमिकों को कार्यस्थल पर काम के दौरान दी जाने वाली मूल सुविधाएं जैसे- छाया, पीने के लिये पानी, प्राथमिक उपचार का बक्सा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
- यदि काम के दौरान श्रमिक को चोट लग जाये तो उसकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था करवायें।
- रोजगार आवेदनों की प्राप्ति काम के आवंटन और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान आदि से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो उसे प्राप्त कर उसका 7 दिन में निपटारा करवाये।
- नरेगा कानून के हिसाब से कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार आवंटन करें।
- पंचायत की प्रत्येक पाक्षिक बैठक में समस्त व्यय का वार्ड पंचों को बता कर आपत्तियां प्राप्त की पाये एज कार्यक्रम अधिकारी को भेजें।
- वार्षिक कार्य योजना को 15 अक्टूबर से पूर्व ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृत करवा कर भिजवाये।
- कार्यस्थल पर कार्य की स्वीकृति राशि काम के विविध आयाम और जरूरी जानकारियों का बोर्ड लगवाये।
- यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर हमेशा मस्टररोल एवं कार्यस्थल पुस्तिका उपलब्ध रहे।
- गांव के सभी निवासियों को कार्य से जुड़े तमाम रिकार्ड की जांच पड़ताल करने का न्यौता दे।
- मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर करवायें, लेकिन किसी भी सूरत में 15 दिवस के अन्दर अन्दर भुगतान करवाये।
- मजदूरी का भुगतान केवल बैक/पोस्ट ऑफिस के खातों के माध्यम से ही करवाये।
- अन्य समस्त भुगतान एकाउन्ट पेय चैक द्वारा ही करें।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति को कम से कम 15 दिन पहले सभी दस्तावेज जांच के लिये उपलब्ध करवाये।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिये बुलायी गयी ग्राम सभा हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार करवायें।
- सामाजिक अंकेक्षण करवाने में पूर्ण सहयोग करें।
- पाक्षिक रूप से ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायें तथा इसका उपयोग नरेगा के बारे मे जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिये भी करें।
- सतर्कता एवं निगरानी ग्राम स्तरीय समितियों का गठन करवाये।
- नरेगा सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों का कम्प्यूटर एम,आई एस- में नियमित फिडिंग करवाये। इन्हीं आंकडों से आपकी पंचायत की नरेगा की प्रगति का आकलन किया जाता है।

नरेगा स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते स्थायी समिति के सभी सदस्यों को ग्राम सभा में आवश्यक रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा वार्षिक कार्य योजना मे नरेगा स्थायी समिति का पूर्ण सहयोग लेवें।

- नरेगा योजनान्तर्गत श्रम मद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के व्यय को किये जाने से पूर्व नरेगा स्थायी समिति की संस्तुति लेवें।
- सामाजिक अंकेक्षण में नरेगा स्थायी समिति का पूर्ण सहयोग लेवें।
- नरेगा स्थायी समिति की रिपोर्ट ग्राम पंचायत की प्रत्येक पाक्षिक बैठक में प्रस्तुत करवायें।
- नरेगा स्थायी समिति की ग्राम पंचायत द्वारा योजना अन्तर्गत समस्त व्यय (श्रम मद ने अतिरिक्त) भुगतान करने से पूर्व लिखित संस्तुति प्राप्त करें।
- यदि स्थायी समिति के किसी सदस्य द्वारा सामग्री क्रय दरों, प्रक्रिया, गुणवत्ता, मात्रा अथवा सद्उपयोग के सम्बन्ध में कोई अन्यथा टिप्पणी की है तो अविलम्ब स्थायी समिति संस्तुति को पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को भिजवाये।
- नरेगा क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्यो में स्थायी समिति का पूर्ण सहयोग लेवें।
- नरेगा स्थायी समिति से निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवायें।
- नरेगा स्थायी समिति नियमित रूप से पाक्षिक बैठकें बुलाना सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित' करें कि परिसम्पति एवं संचयी व्यय रजिस्टर में नरेगा के व्यक्तिगत कार्यो सहित समस्त कार्यो का कार्य प्रारम्भ होते ही पखवाड़ावार व्यय राशि का उल्लेख करते हुये समस्त इन्द्राज पूर्ण करवायें।
- प्रत्येक कार्यो की मासिक यूसी तैयार करवाये।
- नरेगा की रोकड़ बही एवं बैक स्टेमटमेंन्ट का मिलान करवायें, तथा उसमें आवश्यकता समायोजन करवायें।
- नरेगा कार्यो हेतु व्यय की गयी सामग्री का इन्द्राज ग्राम पंचायत द्वारा संधारित नरेगा स्टॉक रजिस्टर में करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रतिदिन मस्टररोल पर मेट द्वारा हस्ताक्षर किये जायें गे उसके पश्चात् मस्टररोल की समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मस्टररोल की जांच कर प्रमाणित करते हुये हस्ताक्षर किये जायेंगे, तत्पश्चात् सचिव एवं सरपंच भी हस्ताक्षर करें।
- कार्यो की माप लेते हुये कार्यो की माप एम.बी. में जेईन द्वारा इन्द्राज किया जायेगा, तत्पश्चात सचिव एवं सरपंच हस्ताक्षर करें।
- रोकड़ वही नियमित रूप से संधारित की जायें। रोकड़ बही में सचिव के हस्ताक्षर के बाद सरपंच भी हस्ताक्षर करें।
- नागरिक अधिकार पत्र को पंचायत कार्यालय के सहज दृष्ट्या स्थान पर सार्वजनिक सूचना पट्ट पर लिखवाये।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही 15 दिवस में नरेगा सम्बन्धित सभी सूचनाओं का लेखन दीवारों पर करवायें।

12.5 सरपंच क्या न करें

- ग्राम पंचायत नियमित रूप से नहीं खोलना एक गंभीर अनियमितता है। इससे आम ग्रामीणों में अविश्वास फैलता है। अपने निवास स्थान पर रिकार्ड रख कर पंचायत का कार्य नहीं करें।
- परिवार पंजीकरण के लिये मौखिक आवेदनों को अस्वीकार नहीं करें।
- नव परिवारों के पंजीकरण के लिये गरीबी रेखा, जाति, लिंग अथवा अन्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें।
- स्थानीय परन्तु अस्थायी पलायन करने वाले पंचायत क्षेत्र के परिवारों को पंजीयन के लिये मना नहीं करें।
- एक ही परिवार के अलग अलग वयस्क व्यक्तियों को जॉब कार्ड जारी नहीं करें।
- जॉब कार्ड में नाबालिगों के नाम दर्ज नहीं करें।
- एवजी को काम पर नहीं लगावें।
- जॉब कार्ड पंचायत में अथवा मेटों के पास नहीं रखा जावें।
- टेडर अपने पुत्र पत्नी/पति के नाम से स्वीकार नहीं करें।
- समग्र रूप से ग्राम पंचायत के कार्यो पर सामग्री मद पर 40 प्रतिशत से ज्यादा व्यय नहीं करें।
- अधिनियम में अनुमत कार्यो के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करवाये।
- श्रमिक अंकित मस्टररोल प्राप्ति उपरान्त किसी भी श्रमिक का नाम नहीं जोड़े।
- नरेगा में अनुमत कार्यो की प्राथमिकता खण्डित नहीं करें।
- किसी भी सामग्री का नकद एवं बीयरर चैक द्वारा भुगतान नहीं करे।
- कभी भी खाली मस्टररोल पंचायत समिति से प्राप्त न करें। मस्टररोल पर श्रमिकों के नाम मुद्रित करवाकर ही मस्टररोल प्राप्त करें।

12.6 सारांश

नरेगा के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरपंच का यह दायित्व है कि वह रोजगार मांगने वाले व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने तथा नरेगा से सम्बन्धित रिकार्ड रखे।

12.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. नरेगा के क्रियान्वयन में पंचायत राज व्यवस्था की विवेचना कीजिये।

2. नरेगा के कार्य में ग्राम पंचायत के दायित्वों का उल्लेख कीजिये।

3. नरेगा के संदर्भ में सरपंच से क्या क्या अपेक्षायें की गयी हैं?

12.8 संदर्भ सूची

1. हनुमानसिह गुर्जर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. राजस्थान की रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार का राज-पत्र विशेषांक जुलाई 24,2006

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका, राजस्थान सरकार, जयपुर।

इकाई - 13

सामाजिक अंकेक्षण

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता
13.3 एक सतत् प्रक्रिया के रूप में सामाजिक अंके क्षण
13.4 सामाजिक अंकेक्षण मंच
13.5 सारांश
13.8 अभ्यासार्थ प्रश्न
13.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान पायेंगे -

- सामाजिक अंकेक्षण के बारे में।
- सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता के बारे में।
- महा नरेगा में सामाजिक अंकेक्षण के महत्व के बारे में।
- महा नरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के बारे में।

13.1 प्रस्तावना

समाज द्वारा कार्यो और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा किए जाने को सामाजिक अंके क्षण कहा जाता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का एक रचनात्मक पहलू यह है कि इसमें लगातार सार्वजनिक निगरानी के लिए “सामाजिक अंकेक्षण” को एक केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई है (अधिनियम की धारा 17)।

सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। सामाजिक अंकेक्षण का एक सरल तरीका यह है कि एक खुली सभा में संबंधित परियोजना का ब्यौरा पेश किया जाए और उस पर सभी पक्षों के बीच गंभीर संवाद हो। लेकिन "सामाजिक अंकेक्षण" को एक व्यापक अर्थ में भी समझा जा सकता है। अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण मंच के संबध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें "सामाजिक अंकेक्षण मंच" पद का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों के लिए किया गया है।

इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए रोजगार गारंटी योजना के संभावित लाभान्वितों तथा अन्य सामाजिक पक्षों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन तक हर अवस्था में शामिल रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सम्बन्धित गतिविधि या परियोजना की रूपरेखा

और क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों के सबसे ज्यादा अनुकूल ढंग से, प्रभावित होने वाले पक्षों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से समावेश करते हुए और जनहित को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।

13.2 सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता

सामाजिक अंकेक्षण को सार्वजनिक मामलों में निम्नलिखित मूलभूत मानकों की स्थापना और प्रोत्साहन करने वाले साधन के रूप में देखा जा सकता है :-

(क) पारदर्शिता

प्रशासन एवं निर्णय प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि उसे अपनी पहल पर लोगों को सभी आवश्यक सूचनाएं बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध करानी होंगी। किसी भी कार्य से संबंधित सूचनाएं स्थानीय भाषा में कार्यस्थल पर और ग्राम पंचायत में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर चिपका दी जाएंगी ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सके।

(ख) सहभागिता

सभी प्रभावित व्यक्तियों (न कि केवल उनके जनप्रतिनिधियों) को यह अधिकार होगा कि वह निर्णय और स्वीकृति की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

(ग) परामर्श और सहमति

जिन कुछ मामलों में किसी विवशता की वजह से विकल्प पहले ही निर्धारित कर लिए गए हैं वहां भी प्रभावित व्यक्तियों को सचेत सहमति प्रदान करने का अधिकार जरूर दिया जाएगा। यह सहमति परिस्थिति के अनुसार समूह के रूप में या व्यक्तिगत स्तर पर दी जा सकती है।

(घ) उत्तरदायित्व

निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी भी गतिविधि या अकर्मन्यता के बारे में संबंधित एवं प्रभावित व्यक्तियों की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब और स्पष्टीकरण देंगे।

(ङ) सुनवाई

सामाजिक अंकेक्षण तथा सार्वजनिक जांच-पड़ताल के निष्कर्षों को अधिकृत स्वीकृति प्रदान करते हुए उनसे सम्बंधित नये कायदे -कानूनों की जानकारी संबंधित शिकायत के जवाब में की गई कार्रवाई के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

13.3 एक सतत् प्रक्रिया के रूप में सामाजिक अंकेक्षण

अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन के निम्नलिखित 11 चरणों के दौरान सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में सार्वजनिक निगरानी और पुष्टि का समावेश होना चाहिए

(1) परिवारों का पंजीकरण,

(2) रोजगार कार्डो का वितरण,

(3) रोजगार आवेदनों की प्राप्ति,

(4) परियोजना सूची की तैयारी और स्थानों का चयन,

(5) तकनीकी अनुमानों की तैयारी, स्वीकृति तथा कार्य आदेशों का जारी होना,

(6) व्यक्तियों में काम का बटवारा,

(7) कामों का क्रियान्वयन और उनकी देख-रेख,

(8) वे रोजगारी भत्ते का भुगतान,

(9) वेतन का भुगतान,

(10) कामों का मूल्यांकन,

(11) ग्राम सभा में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (सामाजिक अंकेक्षण मंच)।

इन सभी चरणों में ऐसे कई तरीके सामने आ सकते हैं जिनके जरिए क्रियान्वयन प्रक्रिया कायदे -कानूनों का अनुसरण करने में विफल पाई जाएगी। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में ऐसी "आशंकाओं" की एक नमूना सूची चार्ट - रूप में दी गई है। इस चार्ट में इन आशंकाओं को रोकने या उनसे निपटने के संभावित उपाय भी सुझाए गए हैं, जो इस प्रकार से है :-

क्र-सं.	चरण	संभावित दोष	पारदर्शिता तथा सामाजिक अंकेक्षण
1.	ऐसे परिवारों का पंजीकरण जिनके सदस्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में संभावित मजदूर हो सकते हैं। (दायित्व: सरपंच /ग्राम पंचायत सचिव)	1-संबंधित अधिकारी का अभाव 2-योग्य आवेदकों का पंजीकरण न करना 3-किसी परिवार के वयस्कों की अधूरी सूची 4-फर्जी परिवारों /व्यक्तियों का पंजीकरण 5-“अधूरे” पंजीकरण फार्म को निरस्त कर देना 6-पंजीकरण के बदले पैसे मांगना	1-पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। यह काम सार्वजनिक रूप से होना चाहिए और उसमें लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए की वह अपने या औरों के बारे में दर्ज की जा रही जानकारियों की पुष्टि कर सके। 2-शुरुआती पंजीकरण इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई विशेष ग्राम सभा की बैठक में किए जाएंगे। 3-पंजीकरण के योग्य सभी परिवारों और उनके वयस्क सदस्यों की सूची तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को एक सर्वेक्षण करना होगा इस सर्वेक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो वयस्क हैं और इस योजना में काम करने के इच्छुक हैं ऐसे सभी लोगों की पहचान कर ली जाए।

क्र-सं.	चरण	संभावित दोष	पारदर्शिता तथा सामाजिक अंकेक्षण
			5.शुरुआती पंजीकरण के बाद निम्नलिखित सूचियों को ग्राम सभा की बैठक में पढ़ कर सुनाया जाएगा: (क)सभी पंजीकृत परिवारों की (ख)प्रत्येक पंजीकृत परिवार पंजीकृत, वयस्कों की सूची

			6.पंजीकरण के लिए जो फॉर्म उपयोग किया जाएगा उसके निचले हिस्से को फाड़ कर पावती के रूप में पंजीकृत परिवार / व्यक्ति को दे दिया जाएगा। 7.यदि कोई फॉर्म किसी भी दृष्टि से अधूरा है तो उसे पूरा करने/ करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी के ऊपर होगी। 8.पंजीकृत परिवारों / सदस्यों की अंतिम सूची की जांच की जाएगी और अगर किसी नाम / परिवार के बारे में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो इस विवाद को भी हल किया जाएगा। 9.किसी भी परिवार के सदस्यों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना उन्हें पंजीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी का पंजीकरण न करने से संबंधित सभी मामलों को ग्राम सभा के सामने लाया जाएगा। 10.पंजीकरण परिवारों / व्यक्तियों की अंतिम सूची को ग्राम पंचायत कार्यालय में किसी ऐसी जगह लगा दिया जाएगा जहां सभी लोग उसे देख सके। इस सूची को हर तीन महीने में अधतन किया जाएगा। 11. शुरुआती पंजीकरण के बाद भी ग्राम पंचायत में पंजीकरण की प्रक्रिया लगातार रहेगी।
2.	रोजगार कार्ड का वितरण (दायित्व: सरपंच/ सचिव: ग्राम पंचायत)	1.रोजकार कार्ड मिलने में देरी 2.झूठे रोजगार कार्ड जारी कर देना 3.निम्नलिखित अयोग्य व्यक्तियों को रोजगार कार्ड जारी कर देना (क)अनिवासी (ख)नाबालिग 4.रोजगार कार्डो का जारी न किया जाना 5.रोजगार कार्ड जारी करने के लिए पैसे	1. पंजीकरण की तारीख के बाद सभी योग्य आवेदकों को एक माह (बाध्यकारी समय सीमा) के भीतर रोजगार कार्ड जारी करने होंगे। 2. रोजगार कार्ड धारकों की सूची का हर महीने अधतन करना जरूरी होगा और उसे जांच के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। 3. जारी किए गए सभी रोजगार कार्डो की फोटोप्रतियों को एक फाइल में पंचायत कार्यालय में रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी जब चाहे जांच कर सके। 4. रोजगार कार्ड पर इस बात का साफ उल्लेख होना चाहिए कि इस कार्ड की कोई कीमत नहीं है। उस पर अधिनियम के तहत मजदूरों को मिलने वाले अधिकारों (न्यूनतम वेतन सहित)का भी उल्लेख

		मांगना	होना चाहिए।

3.रोजकार के लिए आवेदन (दायित्व : सरपंच / कार्यक्रम अधिकारी) किसी विशेष ग्राम पंचायत में लागू होने वाले सार्वजनिक कार्यो का चुनाव करना (दायित्व सरपंच) 5. तकनीकी आंकलन पर स्वीकृति और कार्य आदेश जारी करना	1. संबंधितअधिकरियों द्वारा रोजगार आवेदन स्वीकार न करना 2. रोजगार आवेदन पर गलत तारीख का होना या तारीख न होना 3. "अधूरें" आवेदनों को निरस्त कर देना अल्प-प्राथमिकता वाले या अनावश्यक कामों का चुनाव 2. ऐसे कामों का चुनाव कर लेना जिनसे किसी को निजी लाभ होने वाला है 3. उस काम के लिए जनता की सहायता /समर्थन का अभाव 4. गलत कार्यस्थल का चुनाव 1.बढा-चढा कर या गलत तकनीकी आकलन तैयार करना 2.तकनीकी आकलन में अनावश्यक खर्चो को शामिल कर लेना 3.ऊंची दरों और जरूरत से ज्यादा माल की मांग 4.ऐसे अस्पष्ट कार्य आदेश जिनसे काम के बारे में सही पता नहीं चलता या जिनमें भ्रम की गुंजाइश रह जाती है।	1. आवेदक अपना आवेदन डाक के माध्यम से भी भेज सकता है और उसे स्वयं जाकर भी जमा करा सकते है। 2. आवेदकों को तत्काल एक लिखित ,हस्ताक्षरयुक्त और तारीखी पावती मिलनी चाहिए। 3. साप्ताहिक अधतन पर आधारित एक तारीखवार सूची ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाई जाएगी। एक रजिस्टर भी कार्यालय में रखा जाएगा जिसमें सभी आवेदनों से संबंधित, ब्यौरों को दर्ज किया जाएगा। 4. किसी व्यक्ति को यह कह कर समय पर रोजगार न देना कि उसने -केवल मौखिक आवेदन दिया था। यदि कोई आवेदन किसी से अधूरा रह जाता है तो उसे पूरा करवाने की ज़िम्मेदारी संबंधित अधिकारी के ऊपर होगी। कोई आवेदन सिर्फ इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अधूरा है। 5. रोजगार आवेदन के लिए एक निश्चित प्रारूप वाला फार्म उपलब्ध होना चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति मौखिक आवेदन दे रहा है तो ग्राम पंचायत में मौजूद अधिकारी तत्काल उसे भर कर जमा करा सके। 1.योजना के तहत किए जाने वाले कार्यो/ परियोजनाओं की सूची तैयार करने का दायित्व ग्राम सभा के ऊपर रहना चाहिए। 2.ग्राम सभा ले प्रासंगिकता और प्राथमिक्ता के आधार पर कार्यो / परियोजनाओं की सूची की जांच करनी चाहिए। 3.प्राथमिकता आधारित कार्यो / परियोजनाओं की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय में सार्वजनिक रूप से लगा दी जाएगी ताकि सभी उसे देख सकें। 1.तकनीकी आंकलन तैयार करने की प्रक्रिया में

			स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। 2.तकनीकी आंकलन को स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की बैठक में अवश्य पेश किया जना चाहिए। 3.तकनीकी आंकलन का प्रारूप सरल होना चाहिए ताकि आम लोग भी उसे सरलता से समझ सकें। 4.स्वीकृति और कार्य आदेश के लिए भी एक सरल और आसानी से समझ मे आने वाला प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। 5.यह प्रारूप सार्वजनिक रूप से कहीं लगा दिया जाना चाहिए ताकि लोग उससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकें और कार्य आदेश का विवरण प्राप्त कर सके।
6.	रोजगार आंवटन (दायित्व : सरपंच /कार्यक्रम अधिकारी)	1.किसी को उसकी बारी आने से पहले ही रोजगार दे देना 2.रोजगार की किस्म / स्थान के आंवटन में भेदभाव 3.महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों को न भरना 4.आवेदकों को सूचित न करना और बाद मे उन्हें अनुपस्थित घोषित कर देना 5.काम के बदले पैसे मांगना।	1. ग्राम पंचायत कार्यालय में रोजगार आंवटन से संबंधित रजिस्टर रखा जाना चाहिए ताकि लोग स्वयं देख सके कि किस को कैसा काम मिला है। 2. सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब भी कभी नए रोजगार आवंटित होने वाले हों तो नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों (जैसे मुनादी) के जरिए आम जनता को इस बारे में अच्छी तरह पता हो। जब भी रोजगार आवंटित किए जाएं तो लोगों को इस बात की जानकारी दे दी जानी चाहिए कि किस तारीख तक आए आवेदनों के बदले रोजगार दिया जा चुका है। 3.ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक दिन (रविवार या हाट का दिन) तथा एक खास वक्त और जगह (जैसे ग्राम पंचायत) तय कर दिया जाना चाहिए। 4.उस दिन जनता को इस बारे में बता दिया जाना चाहिए कि कौन-कौन से काम आवंटित किए जा चुके हैं या आंवटित होने वाले हैं। इसके साथ ही आवंटियों के नाम उनके आवेदन की तारीख, काम की जगह और अन्य जरूरी जानकारियां भी दे दी जानी चाहिए।
7.	क्रियान्वयन और देखभाल (दायित्व : सरपंच /कार्यक्रम अधिकारी	1.अनुपस्थित (फर्जी) मजदूरों के नाम दर्ज करना 2.जाली (फर्जी) कामों को दर्ज करना	1.कार्य योजना का विवरण और काम की जरूरतों के बारे में सभी संबंधित पक्षों को बताने के लिए संभावित मजदूरों के साथ एक खुली "परियोजना बैठक" होनी चाहिए। इस बैठक में ग्राम पंचायत के सभी लोगों को आने की छूट होगी। इसी बैठक में चौकसी और निगरानी

	नियुक्त निकाय)	3.काम का तय मानकों या शर्तों के अनुरूप न होना 4.स्वीकृति के मुकाबले कम या घटिया सामान की आपूर्ति	समिति के सदस्यों का मी चुनाव किया जाना चाहिए। 2.इन बैठकों में आवंटित किए जाने वाले सभी तरह के कामों के लिए तय वेतन की दरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तथा इस जानकारी को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाना चाहिए। बैठक मे इन सवालों के जवाब जरूर सामने आने चाहिए :- (क)वेतन कितना होगा? (ख)वेतन निर्धारण का तरीका क्या है? (एक दिन के श्रम का निर्धारण किस आधार पर होगा?) (ग)जनता को यह भी जरूर बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक मजदूर के काम को अलग-अलग ही मापा जाएगा हालांकि अगर कुछ मजदूर चाहें तो उनके काम को सामूहिक आधार पर भी मापा जा सकता है। 3.प्रत्येक कार्यस्थल पर एक बोर्ड पर इस बारे में जानकारियां लिखा कर लगा दी जाएं कि उस काम पर कितना खर्चा आने वाला है, अनुमानित लागत क्या है आदि। इन जानकारियों को भी नियमित रूप से अद्यतन होना चाहिए। इस जानकारी का प्रारूप सरल ही होना चाहिए। 4.जनता को हाजिरी रजिस्टर जब चाहे देखने का अधिकार मिलना चाहिए। 5.हर हफ्ते पांच मजदूरों को अपने कार्यस्थल से संबंधित बिल / रसीदों आदि की जांच और पुष्टि करनी चाहिए।

			6.कार्यस्थल पर स्वीकृति कार्य आदेश की एक प्रति जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। 7.सूचना अधिकार अधिनियम ,2005 के प्रावधानों के अनुसार इकट्ठा किए जाने वाले काम के नमूनों तक लोगों की सहज पहुंच होनी चाहिए। 8.कार्यस्थल पर एक दैनिक सामग्री रजिस्टर होना चाहिए और कम से कम पांच मजदूरों को उसकी हर रोज जांच करनी चाहिए। 9.प्रत्येक काम और मजदूर के काम की माप का

			दैनिक रजिस्टर रखा जाना चाहिए और वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। 10.चौकसी समिति को तय चैकलिस्ट (मानको) के अनुसार काम की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट मुख्य पाठ में उल्लिखित ढंग से आयोजित होने वाली प्रत्येक अर्धवार्षिक सामाजिक अंकेक्षण मंच से पहले तैयार कर ली जानी चाहिए।
8.	वेतन भुगतान (दायित्व : क्रियान्वयन निकाय)	1.वेतन भुगतान न होना 2.वेतन का देर से भुगतान 3.कम वेतन का भुगतान किसी गलत व्यक्ति को वेतन भुगतान 4.अनुपस्थित मजदूरों के नाम पर वेतन भुगतान 5.गैर-मौजूद परियोजनाओं के मद में भुगतान 6.न्यूनतम वेतन का भुगतान न कर पाना	1.वेतन भुगतान निश्चित दिनों को किसी सार्वजनिक स्थान पर ही होना चाहिए ताकि भुगतान में किसी तरह के भ्रम या शक की गुंजाइश न रहे। 2.जिन्हें भुगतान होने वाला है उनके नामों तथा उन्हें मिलने वाली राशि को ऊंची आवाज में पढ़ा जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते उनके साथ भी किसी तरह की धोखाधड़ी न होने पाए और फर्जी मजदूरों को भुगतान न हो। 3.वेतन पाने वालों की सूची को पढ़ कर सुनाने से पहले सभी भुगतानों की एक सूची किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर लगा दी जानी चाहिए जहां कोई भी उसे देख सके। 4.डाकखाने तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए वेतन भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। 5.इकाई माप पर आधारित गणनाओं को व्यक्तिगत रूप से ही लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि हर मजदूर को पता चल जाए कि उसके हिस्से में कितनी राशि आने वाली है। इस तरह फर्जी मजदूरों के नाम पर होने वाले भुगतान को रोकने में सहायता मिलेगी।
9.	बेरोजगारी भत्ते का भुगतान (दायित्व : कार्यक्रम	1.बुलाने के बावजूद काम पर न आने का आरोप लगाते हुए किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते से	1. बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान निश्चित दिनों को किसी सार्वजनिक स्थान पर ही होना चाहिए ताकि भुगतान में किसी तरह के भ्रम या शक की गुंजाइश न रहे।

	अधिकारी)	वंचित कर देना। 2.बेरोजगारी भत्ते का देर से भुगतान। 3.अनुपस्थित मजदूरों के नाम पर वेतन भुगतान 4.बेरोजगारी भत्ते के बदले पैसे मांगना	2.जिन्हें भुगतान होने वाला है उनके नामों तथा उन्हें मिलने वाली राशि को ऊंची आवाज में पढ़ा जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते उनके साथ भी किसी तरह की धोखाधड़ी न होने पाए और फर्जी मजदूरों को भुगतान न हो। 3. बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की सूची को पढ़ कर सुनाने से पहले सभी भुगतानों की एक सूची किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर लगा दी जानी चाहिए जहां कोई भी उसे देख सके। 4.डाकखाने तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। 5.ग्राम पंचायत को प्रत्येक साप्ताहिक बैठक से पहले ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करनी चाहिए जिन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जान है।
10.	पूरे हो चुके काम का मूल्यांकन (दायित्व : सरपंच / कार्यक्रम अधिकारी क्रियान्वयन निकाय)	1.काम की गलत माप 2.कामों के बारे में उपलब्ध जानकारियों को एक जगह इकट्ठा न करना 3.झूठे परिपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर देना 4.कामों का निर्धारित मानकों के अनुसार न होना 5.जानकारियों को भ्रामक या जटिल ढंग से दर्ज करना	1.लागू किए गए कामों में गुणवत्ता के लिहाज से कार्य आदेश का पूरी तरह पालन किया गया है या नहीं इस बात की पुष्टि करने के लिए एक खुली "परियोजना बैठक" बुलाई जानी चाहिए। इस बैठक में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में काम कर चुके सभी मजदूरों को बुलाया जाएगा और यह बैठक पंचायत के सभी लोगों के लिए खुली होगी। 2.इस बैठक में परिपूर्णता आंकड़ों को एक स्थल प्रारूप में पेश किया जाएगा। जब तक "परियोजना बैठक" संपन्न नहीं हो जाती और जब तक कि बैठक में सामने आए सवालों को हल नहीं कर लिया जाता तब तक परिपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 3.इस बैठक के साथ-साथ ग्राम सभा की सामाजिक अंकेक्षण मंच में भी संबंधित परियोजना की प्रासंगिकता और औचित्य आंकलन किया जाना चाहिए। 4.अंकेक्षण और शिकायत निपटारा व्यवस्था

			के लिए नियमित रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और उनका ब्लॉक जिला स्तरीय वार्षिक रिपोर्ट में समावेश किया जाना चाहिए। 5.संबंधित अवधि के दौरान पूरे हु ए कामों तथा उनमें व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े सवालों पर एक समावेशी जनसुनवाई होनी चाहिए।
11.	शिकायतों का निपटारा व जनसुनवाई (दायित्व : सरपंच / कार्यक्रम अधिकारी / नियुक्त निकाय)	1.ऊपर उल्लिखित बिन्दुओं और दिशा-निर्देशों में निर्धारित पारदर्शिता मानकों का पालन न किए जाने के कारण सूचनाएं उपलब्ध न कराया जाना। 2.मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान न हो पाना और अफसरों की जवाबदेही सुनिश्चित न कर पाना; योजना के बारे में उठे सवालों पर कोई उत्तर या स्पष्टीकरण न दे पाना। 3.कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में लोगों की हिस्सेदारी न होना। 4.शिकायत निपटारा व्यवस्था की विफलता। 5.कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए व्यक्तिगत या ग्राम सभा के स्तर पर अक्सरों का अभाव	1.संबंधित अवधि के दौरान पूरे हु ए कामों तथा उनमें व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े सवालों पर एक समावेशी जनसुनवाई होनी चाहिए जिसे सामाजिक अंकेक्षण मंच का नाम दिया जा सकता है।

13.4 सामाजिक अंकेक्षण मंच

रोजगार गारंटी कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण मंच का दर्जा दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण की पहले से चालू प्रक्रिया के अलावा ग्राम सभा की बैठकों में भी सामाजिक अंकेक्षण के तमाम पहलुओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाती हैं। इस काम के लिए ग्राम सभा की बैठक कम से कम छः माह में जरूर होनी चाहिए। इस विशेष सामाजिक अंकेक्षण मंच में सभी सूचनाएं जोर-जोर से पढंकर सुनाई जाती हैं। और लोगों को अफसरों से सवाल पूछने, जानकारियां हासिल करने, खर्चो की जांच और तस्दीक करने, अपने अधिकारों की पड़ताल करने, जिन कामों का चुनाव किया गया उनके बारे में चर्चा करने तथा काम की गुणवत्ता व कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के व्यवहार का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मौका दिया जाता है।

इस तरह सामाजिक अंकेक्षण मंच लोगों को न केवल यह जांचने का अवसर देता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं बल्कि यह एक ऐसा संस्थागत मंच होता है जहां बैठकर लोग अपने इलाके में पिछले छः माह के दौरान किए गए रोजगार गारण्टी योजना के समस्त कार्यों का सार्वजनिक अंकेक्षण कर सकते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण मंच को प्रभावी रूप देने के लिए तीन तरह के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी होता है:

(क) बैठक से पहले प्रचार और तैयारी;

(ख) मंच के सांगठनिक और प्रक्रियागत आयाम;

(ग) ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना आर0ई0जी0एस0 सामाजिक अंकेक्षण मंच का अनिवार्य एजेंडा।

इन मुद्दों को अगले तीन हिस्सों में एक-एक करके उठाया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण मंच : तैयारी का चरण

मंच की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसमें सभी लोग, खासतौर से संभावित लाभान्वित कितना खुलकर और किस हद तक निर्भीक ढंग से भागीदारी कर पाते हैं। लोगों की असरदार सहभागिता के लिए जरूरी है कि मंच के बारे में पर्याप्त रूप से प्रचार किया जाए और वे सोच-समझ कर अपनी बात कहें। इसके लिए लोगों को पंचायत के सरपंच से सभी जानकारियां आसानी से मिलती रहनी चाहिए। मंच की तारीख, समय, अहमियत और गंभीरता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :

(क) सामाजिक अंकेक्षण मंच की तारीख के बारे में समय पर लोगों को सूचित कर दें (कम से कम एक माह पहले) और आमतौर पर हर वर्ष कुछ खास महीनों में ही बैठक बुलाई जानी चाहिए।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण मंच के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार के परंपरागत तरीके (जैसे मुनादी करवाना) और आधुनिक संचार साधनों (जैसे माईक पर ऐलान करना), दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) बैठक के बारे में प्रचार करने के लिए नोटिस बोर्ड, अखबारों, और परचों आदि का सहारा लेना चाहिए।

(घ) सामाजिक अंकेक्षण मंच के लिए एक मुहिम के अंदाज में तैयारी की जानी चाहिए ताकि समूचा प्रशासनिक तंत्र उसकी संस्थागत जरूरतों के बारे में संजीदगी से तैयारी करे।

सामाजिक अंकेक्षण मंच में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हों। इसका अर्थ है कि लोगों को उसी समय सभी दस्तावेज और जानकारियां मिलें जिस समय किसी परियोजना को लागू किया जा रहा हो। लेकिन सूचनाओं को व्यवस्थित करना और उन्हें सरल रूप में उपलब्ध करवाना भी सामाजिक अंकेक्षण मंच की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर, पहले से उपलब्ध जानकारियों का सार-संक्षेप भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोग उन्हें ज्यादा आसानी से समझ सकें। इन सारांशों को समय रहते लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाए और सामाजिक अंकेक्षण मंच के दौरान उन्हें पढ़कर भी सुनाया जाए ताकि

(क) सामाजिक अंकेक्षण मंच से कम से कम 15 दिन पहले सभी कामों की फाइलें या उनकी प्रतियां जांच-पड़ताल के लिए ग्राम पंचायत, कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाएं। इस दौरान ग्राम पंचायत के लोगों को इन दस्तावेजों की जांच करने की पूरी छूट होनी चाहिए। इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच अगर कोई व्यक्ति किलो दस्तावेज की प्रति मांगता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर केवल जरूरी लागत के बदले वह प्रति उपलब्ध करा दी जाए।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण मंच में पेश करने के लिए मस्टर रोल और रसीदों (खर्चे) का सारांश समय रहते तैयार कर लिया जाए। हो सके तो इन सारांशों को बैठक वाले दिन चार्ट के रूप में सार्वजनिक स्थान पर चिपका देना चाहिए। ग्राम पंचायत में यह जानकारी 15 दिन पहले ही चार्ट के रूप में लगा दी जाए।

(ग) मंच वाले दिन मूल फाइलों को भी लोगों के सामने रखा जाएगा ताकि सारांश मे उल्लिखित जानकारियों का उनके साथ मिलान किया जा सके।

(घ) अंकेक्षण के लिए जिन कामों पर चर्चा की जानी है उनकी सूची पहले से तय होनी चाहिए और बाकी मुद्दों के साथ इस सूची को भी नोटिस बोर्डों पर चिपका देना चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण मंच प्रक्रियागत और सांगठनिक जरूरतें

किसी भी सामाजिक अंकेक्षण मंच की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ठोस प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। मंच की कार्रवाई पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से चलाई जाए ताकि समुदाय के गरीब तबके के लोग भी आत्म विश्वास के साथ और निर्भीक ढंग से अपनी बात कह सकें। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि निहित स्वार्थी तत्व मंच का अपने हित में उपयोग न करें। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में इसके लिए निम्न बातें जरूरी बताई गई है :-

1. मंच का समय ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग, विशेष रूप से ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में काम करने वाले मजदूर, महिलाओं और निर्धन समुदाय, उसमें आसानी से भाग ले सकें।
2. सामाजिक अंकेक्षण मंच के लिए भी कोरम उतना ही रहेगा जितना ग्राम सभा के लिए तय किया गया है लेकिन इस बैठक में सभी समूहों (जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियां) का कोरम अलग-अलग भी पूरा होना चाहिए। यदि कोरम पूरा नहीं हो पाता है और औपचारिक रूप से बैठक संपन्न नहीं हो पाती है तो भी उपस्थित सदस्यों की तरफ से आए सवालों या शिकायतों तथा सामाजिक अंकेक्षण संबंधी आपत्तियों को दर्ज कर लिया जाना चाहिए।
3. सामाजिक अंकेक्षण मंच की अध्यक्षता के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो पंचायत या किसी भी क्रियान्वयन निकाय से जुड़ा हुआ नहीं हो। बैठक की अध्यक्षता का जिम्मा सरपंच या वार्ड पंच को किसी भी दशा मे नहीं सौंपा जाएगा।
4. मंच का सचिव भी ग्राम पंचायत से बाहर का अधिकारी होना चाहिए।
5. मंच के सामने जो व्यक्ति विभिन्न जानकारियां पेश करेगा वह संबंधित कामों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, चौकसी समिति या स्कूल शिक्षक को मंच में दस्तावेजों को पद कर सुनाने का जिम्मा सौंपा जा सकता है।
6. ग्राम समा सदस्यों के सवालों का जवाब देने के लिए उन सभी अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण मंच में जरूर आना चाहिए जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं।

7. मंच के सारे प्रस्ताव और फैसले मतदान के आधार पर लिए जाएंगे लेकिन जो लोग / पक्ष अल्पमत में हैं उनकी बात भी नोट की जानी चाहिए।
8. बैठक की कार्रवाई का ब्यौरा एक निर्धारित प्रारूप में लिखा जाए और इसे लिखने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो किसी क्रियान्वयन निकाय से जुड़ा हुआ नहीं है। कार्रवाई रजिस्टर पर बैठक शुरू होने से पहले और बैठक समाप्त होने के बाद सभी सहभागियों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे।
9. पारदर्शिता चैकलिस्ट सहित बैठक के अनिवार्य एजेंडा पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सभी आपत्तियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार दर्ज किया जाए।
10. पिछली सामाजिक अंकेक्षण मंच से बंधित "कार्रवाई रिपोर्ट" को अगले मंच में सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए।
11. जिला प्रशासन चाहे तो प्रचार-प्रसार के लिए जानकारियां तैयार करने, सामाजिक अंकेक्षण मंच में हिस्सा लेने और विस्तृत टिप्पणियां तैयार करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों (जैसे इंजीनियर और एकाउंटेंट) को भी बुलाया जा सकता है। मंच के बाद वे कार्यस्थलों का दौरा कर सकते हैं और जिन कामों के बारे में लोगों ने आपत्तियां उठाई थी या जहां धांधली की आशंका व्यक्त की गई थी उन कामों की विस्तृत जांच कर सकते हैं।
12. सामाजिक अंकेक्षण मंच और तकनीकी दलों की रिपोर्ट एक निश्चित समय के भीतर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत को भेज दी जानी चाहिए ताकि वे उन पर उचित कार्रवाई कर सकें।
13. सामाजिक अंकेक्षण मंच के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम और सामाजिक अंकेक्षण नियमावली का प्रचार किया जाए जिससे यह मंच सार्वजनिक चौकसी प्रक्रिया के लिए एक स्थायी प्रशिक्षण मंच के रूप में काम करता रहे।

सामाजिक अंकेक्षण मंच का आयोजन सुनिश्चित करना कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी है। जिला कार्यक्रम समन्वयक नियमित रूप से इस बात की समीक्षा करेगा कि सामाजिक अंकेक्षण संपन्न हो रहा है या नहीं। समय-समय पर राज्य व केन्द्रीय रोजगार परिषद् भी सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगी। हर स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की फॉलोअप कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण मंच : अनिवार्य एजेंडा

"अनिवार्य एजेंडा" का आशय ग्राम सभा के तहत होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के न्यूनतम एजेंडे से है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में यह देखने के लिए कि अधिनियम, नियमावली और दिशा-निर्देशों का समुचित पालन हो रहा या नहीं, सामाजिक अंकेक्षण के अनिवार्य एजेण्डे की एक चैकलिस्ट दी है, जिसके अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के अनिवार्य एजेंडे में इन सवालों / मुद्दों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए:-

(क) पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चलाई गई थी या नहीं:

1. क्या ग्राम पंचायत की ओर से ऐसे परिवारों की सूची तैयार की गई थी जो पंजीकरण के इच्छुक हो सकते हैं?
2. क्या शुरूआती पंजीकरण विशेष ग्राम सभा बैठक में ही किए गए थे?

3. क्या ग्राम सभा बैठक में पंजीकृत व्यक्तियों की सूची पढ़कर सुनाई गईं थी ताकि पंजीकृत नामों की पुष्टि की जा सकें?
4. क्या ग्राम पंचायत में पंजीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है?
5. क्या पंजीकरण सूची को लगातार अद्यतन किया जाता है और उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है?
6. क्या कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो पंजीकरण कराना चाहता है लेकिन उसका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है?

(ख) क्या रोजगार कार्डो को तैयार करने, जारी करने और उनको अद्यतन करने का काम पारदर्शी ढंग से संपन्न किया गया :

1. क्या रोजगार कार्ड पंजीकरण के बाद 15 दिनों में जारी कर दिए गए थे?
2. क्या रोजगार कार्ड सूची को लगातार अद्यतन किया जाता है और उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है?
3. क्या रोजगार कार्डो की फोटोप्रतियों वाली फाइल ग्राम पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है?
4. क्या रोजगार कार्ड निःशुल्क जारी किए गए या उनके लिए कोई शुल्क वसूल किया गया था?
5. क्या कोई ऐसा आवेदक भी है जिसे अभी तक रोजगार कार्ड जारी नहीं किया गया है या कोई शिकायत लंबित है?

(ग) क्या काम के लिए आने वाले आवेदनों पर निर्धारित मानकों के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है:

1. काम के लिए आवेदन करने वालों को तिथियुक्त पावती रसीद दी जा रही है या नहीं?
2. क्या लोगों को समय पर काम दिया जा रहा है?
3. क्या रोजगार आवंटन का काम पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है? क्या रोजगार आवंटन की सूची पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है?
4. जिन्हें समय पर काम नहीं मिल पाया है क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? कितने लोग हैं जिनके बेरोजगारी भत्ते का भुगतान बकाया है और क्या उन्हें दिशा-निर्देशों के अनुसार विलंबित भुगतान का हर्जाना दिया जा रहा है?
5. पिछले छः माह में जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया क्या उनके नामों, उन्हें दी गई राशि, और भत्ते की गणना-विधि पद कर सुनाई गई थी?
6. क्या रोजगार आवेदनों की प्राप्ति, काम के आवंटन, और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित कोई शिकायत विचाराधीन है?
7. क्या निर्धारित कोटे के हिसाब से महिलाओं को 33 प्रतिशत रोजगार आबंटित किए जा रहे हैं?
8. क्या रोजगार आबंटन के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख पर आधारित रोस्टर प्रणाली का पालन किया जा रहा है?
9. जिन्हें अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूर काम दिया गया है क्या उन्हें न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि यातायात और आजीविका भत्ते के रूप में दी जा रही है?

(घ) कामों की स्वीकृति में पारदर्शिता :

1. क्या प्रस्तावित कार्यो की सूची ग्राम सभा की बैठक में तैयार की गई थी?
2. क्या तकनीकी आंकलन तैयार करने के दौरान जूनियर इंजीनियर ने गांव के निवासियों से सलाह ली थी?
3. क्या परियोजनाओं की स्वीकृति सूची में से कामों को तय नियमों के हिसाब से ही चुना गया था?
4. क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले छः माह के दौरान स्वीकृत और लागू किए गए कामों के लिए स्वीकृत राशि और वास्तविक व्यय का ब्यौरा पढ़ कर सुनाया गया था?
5. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लिखें कामों की सूची को अद्यतन किया गया है?

(ङ) क्रियान्वयन में पारदर्शिता :

1. क्या "कार्य आदेशों" को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जारी किया गया और क्या उनके बारे में पर्याप्त प्रचार किया गया था?
2. क्या कार्यस्थल पर ऐसा कोई बोर्ड था जिस पर संबंधित कार्य के लिए स्वीकृत राशि, काम के विविध आयाम और अन्य जरूरी जानकारियां दी गई हों?
3. क्या काम शुरू होने से पहले "परियोजना बैठक" बुला कर मजदूरों को यह समझाया गया था कि उन्हें क्या काम करना है और उस काम के बारे में तयशुदा भौतिक एवं श्रम सम्बन्धी अनुमान क्या हैं?
4. क्या कार्यस्थल पर मस्टर रोल हर वक्त उपलब्ध थे ताकि लोग जब चाहें उसकी जांच कर सकें?
5. क्या कार्यस्थल पर सामग्री रजिस्टर रखा गया था और क्या ऐसी व्यवस्था थी कि जब भी कार्यस्थल पर नया सामान आएगा तो कम से कम 5 मजदूर उसकी जांच करेंगे?
6. जहां इकाई दर के हिसाब से भुगतान किया जाना था क्या वहां सभी मजदूरों के काम की हर रोज पारदर्शी ढंग से जांच की जाती थी?
7. क्या काम की अंतिम पैमाइश (साप्ताहिक वेतन भुगतान के लिए) जूनियर इंजीनियर द्वारा मजदूरों की मौजूदगी में की गई थी?
8. क्या चौकसी समिति के सदस्य नियमित रूप से कार्यस्थल पर जाकर क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं को देखते थे?
9. क्या कोई शिकायत आई? क्या शिकायत निपटारा व्यवस्था ने अधिनियम में तय मानकों के हिसाब से उस पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई की थी?
10. क्या काम पूरा होने के बाद सात दिनों के भीतर एक खुली "परियोजना बैठक" बुलाई गई थी जिसमें सभी मजदूरों और संबंधित गांव के सभी निवासियों को काम से जुड़े समस्त रिकॉर्डस की जांच-पड़ताल करने का न्यौता दिया गया था?

(ढ) वेतन भुगतान :

1. क्या सात दिन के भीतर वेतन का भुगतान कर दिया गया था?
2. क्या पूर्व निर्धारित स्थान और पूर्वनिर्धारित समय पर वेतन भुगतान किया गया था?

3. क्या वेतन भुगतान से पहले भुगतान संबंधी ब्यौरे उपलब्ध करा दिए गए थे (नोटिस बोर्ड पर हाजिरी रजिस्टर की प्रतियां आदि चिपका कर) ताकि लोग यह देख सकें कि उनमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है?
4. क्या वेतन भुगतान के समय भुगतान संबंधी ब्यौरों को सबके सामने पढ़ कर सुनाया गया था?
5. वेतन भुगतान का जिम्मा क्रियान्वयन निकाय की बजाय किसी और निकाय को सौंपा गया था या नहीं?
6. क्या निर्धारित समय-सीमा के बाद किए गए भुगतानों का कोई रिकॉर्ड रखा गया है?
7. क्या विलंबित भुगतान के लिए वेतन भुगतान अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया गया?
8. क्या किसी मजदूर का वेतन अभी भी बकाया है?
9. क्या किसी मजदूर को न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया गया है? यदि हां तो क्यों?

(च) क्रियान्वित किए जा चुके प्रत्येक कार्य के रिकॉर्डस् तथा दस्तावेजों की जांच:

1. क्या फाइल में सभी दस्तावेज मौजूद हैं?
2. क्या सामाजिक अंकेक्षण मंच से कम से कम 15 दिन पहले सभी दस्तावेज जांच के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे?
3. क्या सामाजिक अंकेक्षण मंच से पहले और उसके दौरान सार्वजनिक जांच-पड़ताल के लिए सभी सारांश उपलब्ध थे?
4. मस्टर रोल का सारांश पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई विकृति न रह जाए।
5. व्यय रसीदों का सारांश पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई विकृति न रह जाए।
6. माप पुस्तिका का सारांश पढ़ कर सुनाया जान चाहिए।
7. काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान, और काम पूरा होने के बाद खींची गई तस्वीरें सामाजिक अंकेक्षण मंच के अवसर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
8. क्या निगरानी और चौकसी समिति का तय नियमों के हिसाब से गठन किया गया था?
9. क्या चौकसी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है?

(छ) ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यो से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आयाम :

चौकसी समिति की रिपोर्ट के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाया जाए जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं ताकि ग्राम सभा में उनके बारे में पर्याप्त चर्चा हो सके :

1. काम की गुणवत्ता
2. काम के विविध कयाम
3. स्थान का चुनाव
4. न्यूनतम वेतन का भुगतान किया गया या नहीं
5. क्या वेतन का समय पर भुगतान किया गया
6. क्या खरीदी गई सभी चीजों का भुगतान हो चुका है

7. क्या काम के दौरान चौकसी समिति के पास कोई शिकायत आई?
8. जो शिकायतें आई उन पर क्या कार्रवाई की गई?
9. कार्यस्थल पर निर्धारित मानकों के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई या नहीं?
10. परियोजना के लिए किस तरह की मरम्मत और रखरखाव की जरूरत पड़ेगी
11. ग्राम पंचायत में विकास कार्यो से संबंधित मरम्मत के सामान्य मुद्दों को भी सामाजिक अंकेक्षण मंच में दर्ज किया जाना चाहिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए।
12. ग्राम पंचायत सचिव को अधूरे कामों और इस्तेमाल नहीं की जा रही चीजों की सूची तैयार करनी चाहिए और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उस पर चर्चा होनी चाहिए।
13. सामाजिक अंकेक्षण मंच के सामने पिछली वित्तीय अंकेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी और अगर उसमें कोई आपत्ति उठाई गई है तो उसे पढ़ कर सुनाया जाएगा।
14. पिछली सामाजिक अंकेक्षण मंच की बैठक के बाद जारी किए गए सदुपयोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) या परिपूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) को भी पढ़ कर सुनाया जाएगा।
15. यदि किसी के वेतन या बेरोजगारी भत्ते का अब तक भुगतान नहीं किया गया है तो सारी बकाया -राशि का पूरा ब्यौरा बैठक में पेश किया जाएगा। यह पूरी जानकारी तत्काल कार्यक्रम अधिकारी को भेज दी जाएगी ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।
16. सामाजिक अंकेक्षण मंच के जरिए यह देखने का एक अच्छा मौका मिलता है कि ग्राम पंचायत के सभी बोर्डो को तय शर्तों के हिसाब से अद्यतन किया जा रहा है या नहीं।
17. सेवाओं की गुणवत्ता का अंकेक्षण करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों, जैसे ग्राम रोजगार सेवक, जूनियर इंजीनियर आदि, की सेवाओं की भी ऑडिटिंग की जा सकती है।
18. इस बात पर भी नजर रखी जाए कि कार्यक्रम अधिकारी की ओर से ग्राम पंचायत को समय पर अनुदान जारी होता है या नहीं।

13.5 सारांश

समाज के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना सामाजिक अंकेक्षण है। इसमें कार्यो का विवरण समाज की बैठक मे रखा जाता है और उपस्थित जनसमुदाय के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। बैठक में कार्यो के विभिन्न पहलुओं के औचित्य को सिद्व किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गतिविधि या परियोजना के संभावित लाभान्वितों तथा अन्य सामाजिक पक्षों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन तक की हर अवस्था में शामिल किया जाता है। कार्यो में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में सहभागिता, आपसी परामर्श, सहमति का निर्माण, उत्तरदायित्व का निर्धारण और खुली जन सुनवाई सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य आधार स्तम्भ हैं। रोजगार गारंटी योजना के लिए अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था किए जाने का विधिक प्रावधान किया गया है। रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण में परिवारों का पंजीकरण, रोजगार कार्डो का वितरण, रोजगार आवेदनों की प्राप्ति, परियोजना सूची की तैयारी और स्थानों का चयन, तकनीकी अनुमानों की तैयारी, स्वीकृति तथा कार्य आदेश का जारी होना, व्यक्तियों में काम का बंटवारा, कामों

का क्रियान्वयन और देख-रेख, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, वेतन का भुगतान, काम का मूल्यांकन आदि जानकारियां शामिल की जाती हैं। यह सामाजिक अंकेक्षण ग्राम समा द्वारा एक सतत् प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। ग्राम सभा को यहाँ सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में निरूपित किया गया हे। इस काम के लिए ग्राम सभा की बैठक कम से कम छः माह में जरूर होनी चाहिए। इस विशेष सामाजिक अंकेक्षण मंच में सभी सूचनाएं जोर-जोर से पढ़कर सुनाई जाती हैं और लोगों को अफसरों से सवाल पूछने, जानकारियां हासिल करने, खर्चो की जांच और तसदीक करने, अपने अधिकारों की पड़ताल करने, जिन कामों का चुनाव किया गया उनके बारे में चर्चा करने तथा काम की गुणवत्ता व कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के व्यवहार का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मौका दिया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण मंच लोगों को न केवल यह जांचने का अवसर देता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं बल्कि यह एक ऐसा संस्थागत मंच भी होता है जहां बैठकर लोग अपने इलाके में पिछले छः माह के दौरान किए गए रोजगार गारण्टी योजना के समस्त कार्यो का सार्वजनिक अंकेक्षण कर सकते हैं। किसी सामाजिक अंकेक्षण मंच को प्रभावी रूप देने के लिए तीन तरह के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है:-

(क) बैठक से पहले प्रचार और तैयारी; (ख)मंच के सांगठनिक और प्रक्रियागत आयाम

(ग) सामाजिक अंकेक्षण मंच का अनिवार्य एजेंड़ा।

13.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक अंकेक्षण के मूलभूत मानक बताइये।
2. सामाजिक अंकेक्षण में कौनसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है?
3. सामाजिक अंकेक्षण मंच की तैयारी एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

13.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हनुमानसिह गुर्जर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. राजस्थान की रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार का राज-पत्र जुलाई 24, 2006।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भारत सरकार।
4. सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका, राजस्थान सरकार

ISBN-13/978-81-8496-242-0